

ਜੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
(ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਉਪਕਰਮ)



Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)

Where service is a way of life



वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2013-14

निदेशक मंडल / Board of Directors



जगजित सिंह, अध्यक्ष
श्री जगजित सिंह, आई.आई.टी.
Chairman & Managing Director
Shri Jagjit Singh, I.I.T.



चेत कौशिक
श्री चेत कौशिक, सी.आई.
Executive Director
Shri Chet Kishore Kumar Garg



चेत कौशिक
श्री चेत कौशिक, सी.आई.
Executive Director
Shri Chet Kishore Kumar Garg



श्री कृष्ण चंद दास
Shri K. C. Das



श्री प्रदीप के. जेना
Shri Pradip K. Jena



श्री महेश गुप्ता
Shri Mahesh Gupta



श्री सुखरज पाल गुल्शाही
Shri Sukhraj Pal Gulshahi



श्री एन. राजेंद्रन
Shri N. Rajendran



श्री गुरनेश धिल्ल
Shri Gurnesh Dhillon



श्री सनजय कुमार अरोड़ा
Shri Sanjay Kumar Arora



श्री सनजय वर्मा
Shri Sanjay Verma



श्रीमती अनिता कुमार
Mrs. Anita Kumar



श्री एस.पी.एस. वेक
Shri S. P. S. Vek

विषय—सूची / Contents

	पृष्ठ संख्या / Page No.
1. उल्लेखनीय तथ्य / Highlights	2
2. निदेशक मंडल / Board of Directors	3
3. नोटिस / Notice	4—31
4. निदेशक मंडल की रिपोर्ट / Directors' Report	32—61
5. कॉर्पोरेट प्रबंधन रिपोर्ट / Corporate Governance Report	62—119
6. बासल-II व बासल-III के अंतर्गत प्रकटीकरण / Disclosure under Basel-II & Basel-III	120—201
6. वित्तीय विवरणियां / Financial Statements:	202—269
तुलन-पत्र / Balance Sheet	202—203
लाभ-हानि खाता / Profit & Loss Account	202—205
अनुसूचियाँ / Schedules	206—263
नकदी प्रवाह विवरण-पत्र / Cash Flow Statement	264—265
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट / Independent Auditors' Report	266—269
7. घोषणा का प्रारूप (उम्मीदवार द्वारा) / नामांकन फार्म Format Of Declaration (By Candidate)/ Nomination Form	270—279
8. प्रॉक्सी फार्म / Proxy Form	280—283
9. उपस्थिति पर्ची Attendance Slip	284—285

ਉਲੇਖਨੀਯ ਤਥਯ / Highlights

ਰੁਪਏ ਲਾਖਾਂ ਮੈਂ / Rupees. in lacs
as on 31.03.2014 ਕੋ

1. ਜਮਾ Deposits	8473016
2. ਸਕਲ ਅਗ੍ਰਿਮ Gross Advances	5785774
3. ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਖੇਤਰ ਅਗ੍ਰਿਮ Priority Sector Advances	1770102
4. ਸਕਲ ਨਿਵੇਸ਼ Gross Investments	2834661
5. ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ Net Profit	30063
6. ਆਸਤਿਯੋਂ ਪਰ ਪ੍ਰਤਿਫਲ(%) Return on Assets (%)	0.35%
7. ਸ਼ੁੱਧ ਐਨਪੀਐ ਅਨੁਪਾਤ(%) Net NPA Ratio (%)	3.35%
8. ਪੂੰਜੀ ਪਰ्याਪਤਤਾ ਅਨੁਪਾਤ (%) (ਬਾਸੇਲ-II) Capital Adequacy Ratio (%) (Basel-II)	12.10%
9. ਪੂੰਜੀ ਪਰਿਆਪਤਤਾ ਅਨੁਪਾਤ (%) (ਬਾਸੇਲ-III) Capital Adequacy Ratio (%) (Basel-III)	11.04%

बोर्ड निदेशक / Board of Directors

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री जतिन्दरबीर सिंह, आई.ए.एस.

Chairman & Managing Director
Shri Jatinderbir Singh, I.A.S.

कार्यकारी निदेशक
श्री किशोर कुमार साँसी
Executive Director
Shri Kishore Kumar Sansi

कार्यकारी निदेशक
श्री मुकेश कुमार जैन
Executive Director
Shri Mukesh Kumar Jain

निदेशक Directors

श्री एस.सी. दास Shri S. C. Das	श्री प्रदीप्त के जेना Shri Pradipta K. Jena	श्री महेश गुप्ता Shri Mahesh Gupta	श्री सुखेन पाल बबूता Shri Sukhen Pal Babuta
श्री एन.राजेन्द्रन Shri N. Rajendran	श्री सुरेश ठाकुर Sh Suresh Thakur	श्री संजीव कुमार अरोड़ा Shri Sanjiv Kumar Arora	श्री संजय वर्मा Shri Sanjay Verma
श्रीमति अनीता कर्णावर Smt. Anita Karnavar	श्री एस.पी.एस. विर्क Shri S. P. S. Virk		

महाप्रबंधक General Managers

श्री जी.एस.सचदेवा Shri G. S. Sachdeva	श्री एम.जी.श्रीवास्तव Shri M. G. Srivastava	श्री जी.एस.सेठी Shri G. S. Sethi	श्री आई.एस.भाटिया Shri I. S. Bhatia
श्री हर्ष बीर सिंह Shri Harsh Bir Singh	श्री दीपक मैनी Shri Deepak Maini	श्री एस.पी.एस.कोहली Shri S. P. S. Kohli	श्री आर.सी. नारायण Shri R. C. Narayan
श्री जी.एस. ढल्ल Shri G. S. Dhall	श्री डी.डी. शर्मा Shri D. D. Sharma	श्री वीरेन्द्र गुप्ता Shri Varinder Gupta	श्री एस.सी.क्वात्रा Shri S. C. Kwatra
श्री वाई.के. वर्मा Shri Y. K. Verma			

लेखा परीक्षक Auditors

मैसर्स आर.एम.लाल एण्ड कं.
M/s R.M.Lall & Co.

मैसर्स ओ.पी. तुलसियान एण्ड कं.
M/s O.P.Tulsyan & Co.

मैसर्स बी.के. श्रॉफ एण्ड कं.
M/s B.K.Shroff & Co.

मैसर्स आर. कोठारी एण्ड कं.
M/s R.Kothari & Co.



पंजाब एण्ड सिंध बैंक,
(भारत सरकार का उपक्रम)
प्र.का.21 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली 110008

नोटिस

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारकों की चौथी वार्षिक सामान्य बैठक इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर, 40 – मैक्समूलर मार्ग, लोदी एस्टेट, नई दिल्ली -110003 में सोमवार, 30 जून 2014 को प्रातः 9.00 बजे आयोजित की जाएगी। इसमें निम्नलिखित कारोबार संचालित होंगे:

1. बैंक के 31 मार्च 2014 के लेखा परीक्षित तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा, लेखों में समाहित अवधि में कार्यनिष्पादन तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श, अनुमोदन व स्वीकार करने हेतु ।
2. वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए लाभांश का अनुमोदन व घोषणा ।
3. केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त, शेयरधारकों के मध्य से दो निदेशकों का चुनाव करने, जिनके संबंध में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9(3) (i), बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 एवं राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधानों) योजना 1980 तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम 2008, नियम की धारा 19 एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 01.11.2007 की अधिसूचना सं. डी.बी.ओ.डी नं. बी.सी न. 46/29.39.001/2007-2008, डी.बी.ओ.डी नं. बी.सी न. 46/29.39.001/2007-2008 तथा दिनांक 23.05.2011 की अधिसूचना सं. डी.बी.ओ.डी नं. बी.सी न. 95/29.39.001/2010. 2011 के तहत वैध नामांकन प्राप्त हुए हैं तथा निम्न प्रस्ताव पारित करने के लिए.

“पारित किया गया कि केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों में से निर्वाचित दो निदेशकों जिनके संबंध में वैध नामांकन प्राप्त हुए हैं, योजना तथा इसके पश्चात बनाए गए विनियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 9(3) (i) के अनुसरण में एतद् द्वारा इन्हें बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है जोकि इस बैठक की तिथि से कार्यभार संभालेंगे तथा कार्यग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों के पूरा होने तक कार्यभार संभाले रहेंगे”।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि (क) वार्षिक सामान्य बैठक (ख) चौथी वा.सा.बैठक में घोषित अंतिम लाभांश यदि कोई है तो को प्राप्त करने वाले शेयर धारकों की पात्रता की निश्चिता के संबंध में शेयरधारकों के रजिस्टर तथा बैंक की शेयर अंतरण बहियां दिनांक 14.06.2014 से 30.06.2014 तक (दोनों दिनों सहित) बंद रहेंगी ।

उपरोक्त के अतिरिक्त बैंक ने ऐसे शेयरधारकों का पता लगाने के लिए जो बैंक के दो शेयरधारक निदेशकों के चुनाव में भाग लेने के पात्र होंगे (नामित करने, चुनाव लड़ने तथा वोट/ई.वोट करने) तथा ऐसे शेयरधारकों का पता लगाने जो चौथी वार्षिक सामान्य बैठक के ऐजन्डा की चौथी मद पर वोट/ई.वोट देने के पात्र होंगे के लिए 30 मई 2014 अंतिम तिथि निर्धारित की है।

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: मई 19, 2014

(जतिन्दरबीर सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



Punjab & Sind Bank

(A Government of India Undertaking)

**Head Office: 21-Rajendra Place,
New Delhi-110 008.**

NOTICE

Notice is hereby given that the Fourth Annual General Meeting of Shareholders of Punjab & Sind Bank will be held at India International Centre, 40-Max Mueller Marg, Lodhi Estate, New Delhi-110003 on Monday, the 30th June, 2014 at 9.00 a.m. for transacting the following business:

Item No.

1. To discuss, approve and adopt Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2014, Profit & Loss account for the year on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To approve and declare final dividend for the financial year 2013-14.
3. To elect two Directors from amongst the shareholders, other than Central Government, in respect of whom valid nominations are received in terms of Section 9(3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with The Banking Regulations Act, 1949 and The Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 and Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008 made pursuant to Section 19 of the Act and Notification No. DBOD. No. BC. No.46/29.39.001/ 2007-08, 47/29.39.001/ 2007-08, both dated 01.11.2007 and DBOD. No. BC. No. 95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 issued by Reserve Bank of India and to pass the following resolution:-

"RESOLVED THAT two Directors elected from amongst shareholders other than Central Government, in respect of whom valid nominations were received, pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with Scheme and Regulations made thereunder, be and are hereby appointed as the Directors of the Bank to assume office from the date following the date of this meeting and to hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption."

Notice is also hereby given that the Register of Shareholders and the Share Transfer Books of the Bank, will remain closed from 14.06.2014 to 30.06.2014 (both days inclusive) in connection with (a) the Annual General Meeting; and (b) to determine the entitlement of shareholders to receive final dividend declared, if any, at the Fourth AGM.

Further, the Bank has fixed Friday, May 30, 2014 as 'Cut-off' Date for ascertaining the shareholders who will be entitled to participate (to nominate, contest and vote/e-vote) in the election of two shareholder directors of the Bank and to ascertain the shareholder who will be entitled to participate in voting/e-voting on the agenda items of 4th AGM.

By Order of the Board of Directors

Place: New Delhi

Date: 19th May 2014

Jatinderbir Singh
Chairman & Managing Director

टिप्पणियाँ

1. व्याख्यात्मक वक्तव्य:

निदेशकों के चुनाव संबंधित नोटिस की मद संख्या 3 के वास्तविक तथ्यों का व्याख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है:

एजेन्डा मद संख्या 3 से संबंधित वास्तविक तथ्यों का दिया गया व्याख्यात्मक विवरण

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980, अन्य बातों के साथ-साथ उपलब्ध कराता है कि अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2 बी) की शर्त (सी) के अंतर्गत जारी पूंजी (केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त) 16% से अधिक है लेकिन प्रदत्त पूंजी के 32% से अधिक नहीं है, शेयरधारकों को अपने मध्य से दो निदेशकों का चुनाव करने का अधिकार है।

दिनांक 31.03.2014 को बैंक की प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूंजी रु.275.28 करोड़ थी, जिसका 81.42% भारत सरकार के स्वामित्व में तथा शेष 18.58% अन्य के स्वामित्व में है। धारा 9(3) (i) के पैरा (II) के प्रावधानों के अनुसार बैंक को शेयरधारकों द्वारा उनमें से चयन किए जाने वाले दो निदेशकों को निदेशक मण्डल में शामिल करना अपेक्षित होगा। दिनांक 03.06.2011 को शेयरधारकों में से तीन वर्षों की अवधि के लिए निर्वाचित निदेशकों की समय-सीमा दिनांक 02.06.2014 को समाप्त हो रही है।

निदेशक मंडल ने दिनांक 10.05.2014 की अपनी बैठक में केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त बैंक की वार्षिक सामान्य बैठक में चुनाव प्रक्रिया द्वारा शेयरधारकों में से दो निदेशकों को नियुक्त करने का निर्णय लिया है।

निदेशक, उस तिथि से जब वह निर्वाचित हुआ है या निर्वाचित समझा गया है कार्यभार ग्रहण करेगा तथा तीन वर्ष की अवधि तक उस पद पर बना रहेगा।

2. प्रॉक्सी की नियुक्ति:

बैठक में भाग लेने और मतदान के लिए पात्र शेयरधारक अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने एवं मत देने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति करने हेतु पात्र होगा / होगी तथा प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होना अनिवार्य नहीं है।

यद्यपि, इस प्रकार से नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में अपने विचार रखने का कोई अधिकार नहीं होगा।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर व बैठक) विनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार पंजाब एण्ड सिंध बैंक के किसी अधिकारी या कर्मचारी को प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जाएगा।

विनियमों के विनियम 70 (vi) के अनुसार प्रॉक्सी को दिए गए लिखित से व्यक्तिगत रूप से बैठक में मतदान का अधिकार नहीं होगा जिससे लिखित संबंधित है।

प्रॉक्सी फार्म (अनुलग्नक -डी) तभी प्रभावी होगा जब वह बैंक के शेयर कक्ष, प्र.का. लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग, प्रथम तल, 21-राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 में वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् दिनांक 25.06.2014 (बुधवार) को सांय 5 बजे अथवा बैंक के कार्यघंटों के समाप्त होने से पूर्व प्राप्त हो जाए। इसके साथ मुख्तारनामा या अन्य अधिकार पत्र यदि कोई है, जोकि हस्ताक्षरित है अथवा नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित है सत्य प्रति के रूप में प्रस्तुत किया जाए बर्शते यह मुख्तारनामा अथवा अधिकार पत्र पूर्व में बैंक के पास जमा है तथा रजिस्टर्ड है।

3. अधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

कोई भी व्यक्ति जो किसी कंपनी या निगमित निकाय जोकि बैंक का शेयरधारक है के विधिवत् प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने अथवा वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे एक यथाविधि अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने संबंधी संकल्प की एक प्रति उस बैठक के अध्यक्ष जिसमें यह पारित किया गया था, द्वारा प्रमाणित किया गया हो, बैठक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात् 25.06.2014 (बुधवार) को सांय 5 बजे या इससे पहले शेयर कक्ष, प्र.का. लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग, प्रथम तल, 21-राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 प्राप्त हो जानी चाहिए।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर व बैठक) विनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार पंजाब एण्ड सिंध बैंक के किसी अधिकारी या कर्मचारी को अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

4. पंजीकरण, उपस्थिति पर्वी तथा प्रवेश पास:

शेयरधारकों को बैठक में भाग लेने की सुविधा प्रदान करने हेतु दिनांक 30.06.2014 को प्रातः 8.00 बजे पंजीकरण बैठक स्थल पर

NOTES

1. EXPLANATORY STATEMENT:

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of Item No. 3 of the Notice regarding Election of Directors is annexed below.

Explanatory statements setting out the material facts in respect of agenda item No. 3

The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980, *inter alia*, provides that where the capital issued under Clause (C) of sub section (2 B) of Section 3 of the Act (other than to the Central Government), is more than 16% but not more than 32% of the total paid up capital, the Shareholders would be entitled to elect two directors from amongst themselves.

The paid up equity share capital of the Bank as on 31.03.2014 was Rs. 275.28 crores of which 81.42% is held by the Govt. of India while 18.58% is held by others. In view of provisions in Para (II) of Section 9(3) (i), the Bank is required to have two directors on Board of Directors to be elected by the Shareholders from amongst themselves. Two directors elected on 03.06.2011 from amongst the shareholders, for a period of three years, completed their term on 02.06.2014.

The Board of Directors in their meeting dated 10.05.2014 has decided to appoint two directors from amongst shareholders other than the Central Government, through the process of election at the Annual General Meeting of the Bank.

A Director, so elected, shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he/she is elected or deemed to have been elected and will hold office for a period of three years.

2. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/ HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

However, the proxy so appointed will not have any right to speak at the meeting.

No person shall be appointed as a proxy who is an officer or employee of Punjab & Sind Bank as per provisions of Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008.

As per the regulation 70 (vi) of Regulations, the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

The Proxy Form (Annexure-'D') in order to be effective must be received at Shares Cell, Head Office Accounts & Audit Department, 1st floor, 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008, at least Four days before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on 25.06.2014 (Wednesday) together with the Power of Attorney or other authority, if any, under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such Power of Attorney or other authority has been previously deposited and registered with the Bank.

3. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE :

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at Shares Cell, Head Office Accounts & Audit Department, 1st floor, 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008 at least four days before the date of the Annual General Meeting, i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on 25.06.2014 (Wednesday).

No person shall be appointed as authorised representative who is an officer or employee of Punjab & Sind Bank as per provisions of Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008.

4. REGISTRATION, ATTENDANCE SLIP AND ENTRY SLIP:

In order to facilitate the shareholders attending the meeting, Registration process will commence from 8.00 a.m.

आरंभ होगा। शेयरधारकों को पंजीकरण औपचारिकताओं को पूर्ण करने हेतु बैठक में समय से पहले उपस्थित होने का अनुरोध है। शेयरधारकों की सुविधा हेतु इस नोटिस के साथ उपस्थिति पर्ची तथा प्रवेश पास अनुबंध “ई” पर संलग्न है। शेयरधारकों / प्रॉक्सी धारकों/ अधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि उपस्थिति पर्ची भर कर, उसमें दर्शाए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर कर, इसको बैठक स्थल पर सौंप दें इसके पश्चात ही उन्हें प्रवेश पर्ची जारी की जाए। शेयरधारक के प्रॉक्सी /अधिकृत प्रतिनिधि जैसी भी स्थिति हो प्रॉक्सी/अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति पर्ची पर प्रॉक्सी या अधिकृत प्रतिनिधि अंकित करेगा। शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि बैठक में प्रवेश का अधिकार सत्यापन/जांच, जैसा भी आवश्यक समझा जाएगा, के पश्चात होगा, और उनको वैध पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र /नियोक्ता पहचान पत्र/पैन कार्ड/पासपोर्ट /ड्राइविंग लाइसेंस आदि को साथ में लाने की सलाह दी जाती है।

5. शेयर अंतरण एजेन्टों के साथ पत्र-व्यवहार:

शेयरधारक जिनके पास शेयर भौतिक स्थिति में हैं, से पंजीकृत पते, ई-मेल पते, बैंक विवरण आदि में हुए परिवर्तनों, यदि कोई है तो, उसकी सूचना बैंक के शेयर अंतरण एजेन्ट को निम्न पते पर दी जाए:

लिनक इनटाइम इंडिया प्रा.लि.

यूनिट पंजाब एण्ड सिंध बैंक,

44, कम्प्युनिटी सेन्टर, दूसरी मंजिल,

नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज़ I

नजदीक पी.वी.आर.नारायणा

नई दिल्ली-110028

फोन: 011 41410592, 41410593 email-delhi@linkintime.co.in

शेयरधारक जिनके पास शेयर अभौतिक रूप में हैं से अनुरोध है कि वे उपरोक्त परिवर्तन अपने डिपॉजिटॉरी सहभागी को सूचित करें।

6. रजिस्ट्रारों का बंद होना:

बैंक के शेयर धारकों का रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण बही दिनांक 14.06.2014 से 30.06.2014 तक (दोनों दिनों सहित) (क) वार्षिक सामान्य बैठक (ख) चौथी वार्षिक सामान्य बैठक में बैंक द्वारा अंतिम लाभांश, यदि कोई हो, प्राप्त करने के लिए शेयरधारकों की पात्रता का निर्धारण करने हेतु बंद रहेंगे।

7. दो निदेशकों का निर्वाचन करने तथा अन्य एजेण्डा मदों के लिए वोट / ई-वोट देने तथा चुनाव में भाग लेने के लिए शेयरधारकों की पात्रता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंतिम तिथि (कट ऑफ तिथि) :

जिन शेयर धारकों का नाम कारोबारी घंटों अर्थात् 30.05.2014 (जो “अंतिम तिथि” के रूप में मानी जाएगी) को एन.एस.डी.एल/सी.डी.एस.एल. द्वारा उपलब्ध कराए गए शेयरधारकों / लाभार्थी के रूप में रजिस्ट्रार पर हैं, को शेयरधारकों के मध्य से, अर्थात् नामित करने, चुनाव लड़ने और निदेशकों के चुनाव में वोट / ई-वोट देने के लिए, केंद्रीय सरकार तथा एजेण्डा मदों के अतिरिक्त सहभागिता करने हेतु पात्र होंगे।

8. लाभांश का भुगतान:

बैंक के निदेशक मण्डल ने अपनी दिनांक 10.05.2014 को आयोजित बैठक में वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए प्रत्येक 10/- रूपए के इक्विटी शेयर के लिए अंतिम लाभांश 0.60 रूपए (केवल साठ पैसे) (16.01.2014 को घोषित तथा 31.01.2014 को प्रदत्त अंतिम लाभांश 1.60 रूपए प्रति शेयर को छोड़कर) की सिफारिश की। निदेशक मण्डल द्वारा संस्तुति तथा चौथी सामान्य बैठक के अनुमोदित लाभांश का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा।

क. दिनांक 13.06.2014 को कारोबार समय की समाप्ति पर नेशनल सिक्यूरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज(इंडिया) लि. (एनडीएसएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े के अनुसार इलैक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के सभी लाभार्थी स्वामियों को।

ख. दिनांक 13.06.2014 के कार्यकाल की समाप्ति अर्थात् 5.00 बजे तक या उससे पहले बैंक / बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेन्ट अर्थात् लिनक इनटाइम इंडिया प्रा.लि. के पास दर्ज शेयर हस्तांतरण अनुरोध के संबंध में वैध हस्तांतरण प्रभावी करने के पश्चात् भौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में सभी सदस्यों को।

ग. चौथी वार्षिक बैठक की तिथि से 30 दिन के अंदर पात्र शेयरधारकों को लाभांश वितरित किया जाएगा।

on 30.06.2014, at the venue. Shareholders are requested to be present for the meeting well in advance, to complete the Registration formalities.

For the convenience of the shareholders, attendance slip and entry pass is annexed (Annexure-'E') to this notice. Shareholders/Proxy Holders/Authorised Representatives are requested to fill in, affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue and thereafter entry slip shall be issued to them. Proxy/Authorised Representative of a shareholder should state on the attendance slip as 'Proxy' or 'Authorised Representative' as the case may be. **Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives may note that the admission to the meeting will be subject to verification / checks, as may be deemed necessary and they are advised to carry valid proof of identity viz., Voters ID Card / Employer Identity Card / Pan Card / Passport / Driving license etc.**

5. COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENT:

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their Registered Addresses, email address, bank details etc. to the Share Transfer Agent of the Bank at the following address:

Link Intime India Pvt Ltd.

Unit : Punjab & Sind Bank

44, Community Centre, 2nd Floor,

Naraina Industrial Area, Phase-I,

Near PVR Naraina,

NEW DELHI-110 028. Ph: 011 41410592, 41410593 email: delhi@linkintime.co.in

Shareholders holding shares in dematerialised form are requested to intimate the aforesaid changes only to their depository participants.

6. CLOSURE OF BOOKS:

The Register of shareholders and the share transfer books of the Bank will remain closed from 14.06.2014 to 30.06.2014 (both days inclusive) in connection with (a) the Annual General Meeting and (b) to determine the entitlement of shareholders to receive final dividend declared, if any, at the Fourth AGM.

7. CUT-OFF DATE FOR THE PURPOSE OF ASCERTAINMENT OF SHAREHOLDERS ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE ELECTION & VOTE/e-VOTE TO ELECT TWO DIRECTORS AND OTHER AGENDA ITEMS:

Those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders/ as Beneficial owners as furnished by NSDL/ CDSL as at the close of business hours i.e. 30.05.2014 (hereinafter referred to as the "Cut-Off Date") shall be entitled to participate i.e. nominate, contest and vote/e-vote in election of directors from amongst Shareholders other than Central Government and other agenda items.

8. PAYMENT OF DIVIDEND

The Board of Directors of the Bank in its meeting held on 10.05.2014 recommended a final dividend of Rs. 0.60 (paise sixty only) (excluding interim dividend of Rs. 1.60 per equity share declared on 16.01.2014, paid on 31.01.2014) per equity share of Rs. 10/- each, for the financial year 2013-14. Final dividend as recommended by the Board of Directors, approved and declared at the 4th Annual General Meeting will be paid as under:

- To all beneficial owners in respect of shares held in electronic form as per the data as may be made available by the National Securities Depository Services Ltd. (NSDL) / Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) as of the close of business hours on 13.06.2014.
- To all the members in respect of shares held in physical form after giving effect to valid transfers, if any, in respect of transfer requests lodged with the Bank/ Bank's Registrar and Share Transfer Agent, i.e., Link Intime India Pvt. Ltd. on or before the close of business hours, i.e. 5.00 p.m. on 13.06.2014.
- The final dividend will be distributed to the eligible shareholders within thirty days from the date of 4th Annual General Meeting.

9. लाभान्श अधिदेश/डाक पते में परिवर्तन:

- क. इलैक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए लाभार्थी शेयरधारकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके संबंधित डिपोजिटरी खाते में पंजीकृत बैंक विवरणों को बैंक द्वारा लाभान्श का भुगतान करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। बैंक अथवा इसका रजिस्टर एवं शेयर हस्तांतरण एजेन्ट, इलैक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से सीधे ही प्राप्त ऐसे किसी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं करेगा जो बैंक विवरणों अथवा बैंक अधिदेश से संबंधित होंगे। ऐसे परिवर्तनों की सूचना केवल उनके डिपोजिटरी सहभागी को ही दी जानी चाहिए।
- ख. भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि यदि उनके पते तथा बैंक विवरण में कोई परिवर्तन हो तो इसकी सूचना तत्काल बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेन्ट अर्थात् लिंक इनटार्म इंडिया प्रा.लि. को दे। इलैक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को अपने पते में किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना अवश्य ही अपने संबंधित सहभागी डिपोजिटरी को देनी चाहिए। बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर हस्तांतरण एजेन्ट को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है।
- ग. सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर हस्तांतरण एजेन्ट के साथ किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार में अपने संबंधित फोलियो नंबर (उनके लिए जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं) और अपना डीपीआईडी/ग्राहक आई डी नंबर (उनके लिए जिनके पास शेयर इलैक्ट्रॉनिक रूप में हैं) का अवश्य उल्लेख करें।

10. अदत्त लाभान्श, यदि कोई हो:

शेयरधारक कृपया ध्यानपूर्वक नोट करें कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम 1980 में संशोधन के फलस्वरूप बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) तथा वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 के मद्देनजर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वो उक्त अधिनियम लागू होने के बाद पहले के वर्षों में बकाया रह गई राशि को अदत्त / अदावा लाभान्श खाते में तथा इसके साथ ही उक्त अधिनियम लागू होने के बाद “अदत्त लाभान्श खाते” में अंतरित करें।

उक्त “अदत्त लाभान्श खाते” में अंतरित राशि तथा अंतरण की तिथि से सात वर्ष की अवधि हेतु बची हुई अदावाकृत/अदत्त राशि को स्थापित निवेशक शिक्षा व संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित है तथा इसके पश्चात बैंक अथवा फण्ड के पास कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

11. फोलियों का समेकन:

जिन शेयरधारकों के पास एक से अधिक खातों में अपने समरूप नाम से शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे लिंक इनटार्म इंडिया प्रा.लि. (आर.टी.ए.) को शेयर प्रमाण-पत्रों के साथ ऐसे खातों के लेजर फोलियों के साथ सूचित करें ताकि बैंक एक खाते में सभी धारित शेयरों का समेकन करने में सक्षम हो सके। पृष्ठांकन संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने के बाद, सदस्यों के शेयर प्रमाण पत्र यथा समय लौटा दिए जाएंगे।

12. शेयर धारकों से अनुरोध:

कृपया नोट करें कि वार्षिक सामान्य बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वितरित नहीं की जाएंगी। अतः शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति साथ लेकर आए।

13. शेयर धारकों के मताधिकार:

अधिनियम की धारा 3(2 ई) में दिए गए प्रावधानों की शर्तों के अनुसार केन्द्र सरकार के अलावा, बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने द्वारा धारक शेयरों, बैंक के सभी शेयर धारकों के कुल मताधिकार का 10 प्रतिशत से अधिक शेयर, रखता है तो वह मताधिकार का पात्र नहीं होगा।

निर्देशकों का चुनाव:

14. बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु आवश्यक योग्यताएं

अधिनियम की धारा 9 (3 ए) में दी गई शर्तों के अनुसार, आवेदक को बैंक का शेयरधारक होना चाहिए और जो अधिनियम के खंड (1) उपधारा (3) के अनुसरण में निदेशक चुना जाना चाहता हो, होना चाहिए:

(का) जिसको नामतः एक या अधिक मामलों में विशेष जानकारी या व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए :-

- कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- बैंकिंग

9. DIVIDEND MANDATE / CHANGE OF ADDRESS

- a. Beneficial Owners holding shares in electronic form are hereby informed that Bank particulars registered against their respective depository account will be used by the Bank for payment of dividend. The Bank or its Registrar and Share Transfer Agent can not act on any request received directly from the shareholders holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandate. Such changes are to be advised only to their Depository Participant.
- b. Shareholders holding shares in physical form are requested to advise any change of address, bank details immediately to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, i.e. Link Intime India Pvt. Ltd. Shareholders holding shares in electronic form must send the advice about change in address, bank details to their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.
- c. Shareholders are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP ID / Client ID number (for those holding shares in electronic form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

10. UNPAID DIVIDEND, IF ANY

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to amendment in Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 vide "The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) And Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, Public Sector Banks are required to transfer amount remaining unpaid/unclaimed in dividend accounts of earlier years on the commencement of the aforesaid Act, and also dividend declared after the commencement of the said Act, to "Unpaid Dividend Account".

The amount transferred to the said "Unpaid Dividend Accounts" and remaining unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund established and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof to the Bank or the Fund.

11. CONSOLIDATION OF FOLIOS:

The shareholders who are holding shares in identical order of names in more than one folio, are requested to intimate to Link Intime India Pvt. Ltd. (RTA), the ledger folio of such accounts together with the share certificate(s) to enable the Bank to consolidate all the holdings into one folio. The share certificate(s) will be returned to the Shareholders after making necessary endorsement in due course.

12. REQUEST TO SHAREHOLDERS:

Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives are requested to bring their copies of the Annual Report to the Annual General Meeting. No copy of the Annual report shall be provided at the venue of the Annual General Meeting.

13. VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS:

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of the Act, no shareholder of the Bank, other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

ELECTION OF DIRECTORS:

14. QUALIFICATION REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

In terms of Section 9(3-A) of the Act, a candidate being a Shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director under the clause (i) of Sub section (3) of the Act shall -

- A) have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely:-
 - agriculture and rural economy;
 - banking

- सहकारिता
- अर्थशास्त्र
- वित्त
- कानून
- लघु उद्योग

- भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के हित में अन्य किसी मामले की विशेष जानकारी एवं व्यवहारिक अनुभव।

(ख) जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करे ; अथवा

(ग) किसानों, कामगारों, शिल्पकार

अधिनियम की धारा 9(3ए) की शर्तों के अनुसार, आवेदक को बैंक का शेयरधारक होना चाहिए और बैंक का निदेशक बनने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी “फिट एवं प्रॉपर” दिशानिर्देशों के अनुसरण में होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, चुने हुए निदेशक को, करार का विलेख निष्पादित करना होगा और इस संबंध में, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित वार्षिक घोषणाओं / परिवर्तनों, यदि कोई हो, को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

15. बैंक के निदेशक चुने जाने में अयोग्यता:

क) राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विभिन्न प्रावधान) योजना, 1980 के खंड 10 के अनुसार, एक व्यक्ति को निदेशक के रूप में या नियुक्त होने से अयोग्य किया जा सकता है:

क) यदि उसको दिवालिया या उससे भुगतान में चूक या अपने देनदारों से धोखाधड़ी की है या

ख) यदि उसे दिमागी रूप से विक्षिप्त पाया गया है और सक्षम अदालत द्वारा पागल करार दिया गया हो या

ग) यदि उसको फौजदारी अदालत द्वारा किसी अपराध के लिए दंड दिया गया हो, जिसमें नैतिक पतन सम्मिलित है।

घ) यदि वह, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 के अंतर्गत गठित सहायक बैंक, पूर्ण-कालिक निदेशक के पद धारण के अलावा जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सम्मिलित है और अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (इ) एवं (एफ) के अंतर्गत बैंक के कर्मचारियों में से नामित निदेशक के अतिरिक्त, लाभ के पद पर आसीन है।

ख) यदि वह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 01.11.2007 को जारी दोनों अधिसूचनाओं सं. डीबीओडी. नं. बीसीनं. 46/29.39.001/2007-08 एवं सं.डीबीओडी. नं. बीसीनं. 47/29.39.001/2007-08 तथा दिनांक 23.05.2011 को जारी अधिसूचना डीबीओडी. नं. बीसी. नं. 95/29.39.001/2010-11 के अनुसार तथा/अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार "फिट एण्ड प्रॉपर" नहीं पाया जाता है।

16. निदेशकों का कार्यकाल:

योजना के खंड 9(4) के अनुसार, एक चुना हुआ निदेशक तीन वर्ष हेतु पद पर बना रहेगा और पुनः चुनाव का पात्र होगा।

यद्यपि इस प्रकार का कोई भी निदेशक छः वर्ष की अवधि से अधिक निदेशक के पद पर नहीं रह सकता।

शेयरधारकों के सज़्ञान में लाया जाता है कि अधिनियम की धारा 9 (3बी) के अनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत चुने हुए निदेशक जो उपरोक्त अधिनियम की धारा 9 (3ए) तथा 3(एए) की अर्हताओं को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें हटाने का अधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक के पास है।

17. चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन:

1- किसी भी उम्मीदवार का निदेशक हेतु नामांकन तब तक वैध नहीं होगा यदि,

क) वह बैंक का शेयरधारक हो तथा दिनांक 30.05.2014 जो कि चुनाव हेतु निर्धारित तिथि है को उसके पास कम से कम 100 शेयर हों।

ख) वह नामांकन की प्राप्ति की अंतिम तिथि अर्थात 14.06.2014 को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 या राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधानों) योजना, 1980/भा.रि.बैंक के अंतर्गत निदेशक के चयन हेतु अयोग्य घोषित न हुआ हो।

- co-operation;
- economics;
- finance
- law;
- small-scale industry;
- any other matter the special knowledge of and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank be useful for the Bank.

B) represents the interest of depositors; or

C) represent the interest of farmers, workers and artisans.

In terms of Section 9(3AA) of the Act a candidate being a shareholder of the Bank and desires to be a Director of the Bank should possess 'Fit and Proper' status pursuant to guidelines issued by Reserve Bank of India in this regard. Further the elected Director shall also execute the deed of covenant and is required to furnish annual declarations/ changes, if any, as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

15. DISQUALIFICATION FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK:

A. In terms of Clause 10 of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, a person shall be disqualified for being appointed as, and for being a Director:

- a) if he has at any time been adjudicated as insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors ; or
- b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent Court; or
- c) if he has been convicted by a criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
- d) if he holds any office of profit under any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under Sub-Section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time director, including the Managing Director and directors nominated under Clause (e) and (f) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.

B. If he is not found to be 'Fit and proper' person in terms of Notification No. DBOD. No. BC. No.46/29.39.001/ 2007-08, 47/29.39.001/ 2007-08, both dated 01.11.2007 and DBOD. No. BC.No 95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and/or other guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time.

16. TENURE OF DIRECTORS:

Pursuant to Clause 9(4) of the Scheme, an elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election.

Provided that no such director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

Attention of Shareholders is invited to Section 9 (3B) of the Act, on the right of Reserve Bank of India to remove a director so elected under Section 9 (3) (i) of the said Act, who does not fulfill the requirements of Section 9 (3A) & (3AA) of the said Act.

17. NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION:

1. No nomination of a candidate for election as a Director shall be valid unless,
 - a. He/she is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares of the Bank as on, the 30.05.2014 being the cut-off date for participating in the election ;
 - b. He/she is, as on 14.06.2014, being the last date for receipt of nomination not disqualified to be a Director under the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1980 or under The Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 / RBI;

ग) अधिनियम के अंतर्गत नामांकन कम से कम ऐसे 100 शेयरधारक जो निदेशक का चयन करने के पात्र हों, द्वारा हस्ताक्षरित हो, बशर्ते किसी ऐसे शेयरधारक, जो कि एक कंपनी हो, तो उस कंपनी के निदेशकों द्वारा एक मसौदा पास होने के बाद किया जाएगा और जहां वह इस प्रकार किया गया हो वहां वह संकल्प जिस सभा से पारित किया गया था, उस सभा के सभापति द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित उक्त संकल्प की एक प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय के सहायक महाप्रबंधक, प्रधान कार्यालय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग (शेयर कक्ष), 21-राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली को प्रेषित की जाएगी और ऐसी प्रति को इस प्रकार की कंपनी की ओर से किया गया नामांकन माना जायेगा।

घ) उक्त नामांकन किसी न्यायधीश, मजिस्ट्रेट, बीमा पंजीयक या उप पंजीयक या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के समक्ष उक्त अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय के घोषणापत्र के साथ होगा कि वह नामांकन स्वीकार करता है तथा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनने का इच्छुक है तथा वह उक्त अधिनियम या योजना या इन विनियमों के तहत किसी भी रूप में निदेशक बनने के लिए अयोग्य घोषित नहीं हुआ है।

2. कोई भी नामांकन तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि वह सभी सम्बद्ध प्रलेखों के साथ पूर्ण रूप से परिपूर्ण बैंक के प्रधान कार्यालय में सहायक महाप्रबंधक, प्रधान कार्यालय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग (शेयर कक्ष), 21- राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली -110008 को सभी कार्य दिवसों और नियत तिथि से कम से कम 14 दिन पहले अर्थात् 14 जून 2014 को सांय 2 बजे तक प्राप्त हो जाए।

18. नामांकन फार्मों को जमा करना:

ऐसे शेयरधारक, केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त जो बैंक के शेयरधारकों में से चुनाव में भाग लेना चाहते हों, उन्हें निम्न दस्तावेज जमा करने होंगे-

क) दिये गये प्रारूप (अनुलग्नक-ए) में विधिवत् रूप से भरा हुआ (घोषणा पत्र) जो कि प्रमाण पत्रों के साथ शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र, बायो डाटा, अनुभव प्रमाण-पत्र स्वतः सत्यापित अन्य के साथ संलग्न हो;

ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये "फिट एण्ड प्रोपर" दिशा-निर्देशों के अनुसरण में संलग्न प्रारूप (अनुलग्नक-बी) के अनुसार उम्मीदवार द्वारा घोषणा पत्र तथा अन्य आवश्यक संलग्नक और

ग) बैंक के कम से कम 100 ऐसे शेयरधारक जिन्हें नामांकन करने का अधिकार हो, द्वारा प्रदत्त नामांकन पत्र, जिसका प्रारूप (अनुलग्नक-सी) इस सूचना में दिया गया है, एक मुहरबंद लिफाफे में जिसके ऊपर शेयरधारकों के निदेशक हेतु नामांकन लिखा हो,

सहायक महाप्रबंधक,
पंजाब एण्ड सिंध बैंक,
प्रधान कार्यालय,
लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग (शेयर कक्ष),
21.राजेंद्र प्लेस,
नई दिल्ली -110008.

को सभा के लिए नियत तिथि से कम से कम 14 दिन पहले अर्थात् शनिवार, 14 जून, 2014 को सांय 2 बजे तक किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त हो जाना चाहिए अन्यथा नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।

19. शेयरधारकों की सूची की उपलब्धता:

शेयरधारकों द्वारा चुनाव में भाग लेने के लिए, पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियमन 2008 के विनियमन 64 में दर्शाए अनुसार शेयरधारकों की सूची की प्रति 05 जून, 2014 से प्रधान कार्यालय में उपलब्ध होगी। जिसे शेयरधारकों द्वारा रु0 50,000/- मूल्य के मांग ड्राफ्ट द्वारा जो कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के पक्ष में तथा नई दिल्ली पर देय हो, द्वारा खरीदा जा सकता है। तथापि शेयरधारक रजिस्टर में प्रविष्ट कोई भी प्रविष्टि या कंप्यूटर से प्रिंट बिना किसी शुल्क प्राप्त कर सकता है। यदि आवश्यक हो तो पूरे रजिस्टर का कंप्यूटर प्रिंट या उसके किसी भाग की प्रति या उसका आवश्यक आंशिक भाग 5/-रु. प्रति 1000 शब्द की दर से पूर्व भुगतान पर भेजा जाएगा।

20. नामांकनों की जांच:

क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 01.11.2007 को जारी "फिट एण्ड प्रोपर" दिशा-निर्देशों के अनुसार नामांकन की जाँच बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा सोमवार, दिनांक 16 जून, 2014 को की जाएगी, नामांकन प्राप्त होने की नियत तिथि के बाद पहले

- c. the nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of Bank addressed to the Assistant General Manager, Head Office Shares Cell, Accounts & Audit Department, 21-Rajendra Place, New Delhi, such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such company;
 - d. the nomination is accompanied or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or any officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized bank, that he/she accepts the nomination and is willing to stand for election and that he/she is not disqualified under the Act or the Scheme or these Regulations.
2. No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respect, at the Head Office of the Bank addressed to the Assistant General Manager, Head Office Shares Cell, Accounts & Audit Department, 21, Rajendra Place, New Delhi 110 008 on working day not less than 14 days, before the date fixed for the meeting i.e., on or before the closing of business hours of the Bank on 14 June 2014 (2.00 p.m.).

18. SUBMISSION OF NOMINATION FORMS:

Shareholders desirous of contesting the election of Directors of the Bank from amongst the Shareholders other than the Central Government should submit the following:

- a. duly filled in 'Declaration Form' as per format (Annexure-'A') attached along with testimonials viz., bio-data, certificates of educational qualification(self attested), experience;
- b. "Declaration and Undertaking by Candidate" as per format (Annexure-'B') attached pursuant to Fit & Proper Guidelines issued by Reserve Bank of India and required attachments thereat; and
- c. minimum of 100 Nomination Forms, as per format (Annexure-'C') obtained from shareholders of the Bank who are entitled to nominate, in the format(s) annexed to this Notice, in a sealed envelope and super scribed "Nomination for Shareholder Director", to :

The Assistant General Manager
Punjab & Sind Bank
Head Office, Shares Cell
Accounts & Audit Department,
21 Rajendra Place,
NewDelhi-110008

on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the Annual General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank i.e., 2.00 p.m. on Saturday, 14 June, 2014 failing which, the nominations are liable to be rejected.

19. AVAILABILITY OF LIST OF SHAREHOLDERS:

To enable the Shareholders to contest the election, a copy of the list of shareholders as mentioned in Regulation 64 of Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations 2008 will be made available at the Head office of the Bank, from 5th June 2014 onwards for purchase by Shareholders on payment of Rs. 50,000/- [Rupees fifty thousand only] by demand draft in favour of Punjab & Sind Bank, payable at New Delhi. However, a shareholder may make extracts of any entry in the register or computer prints free of charges or if he requires a copy or computer prints of the register or any part thereof, the same will be supplied to him on pre-payment at the rate of Rs.5/- for every 1000 words or fractional part thereof required to be copied.

20. SCRUTINY OF NOMINATIONS:

- a) Nominations shall be subjected to Scrutiny by Nomination Committee of the Board in terms of the fit and proper Guidelines dated 01.11.2007 issued by the RBI on Monday, the 16 June 2014, the first working

- कार्य दिवस को नामांकनों की जांच की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया गया तो उसको कारण बनाते हुए रद्द कर दिया जाएगा।
- ख) यदि चयन द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए केवल दो वैध नामांकन हों तो ऐसे नामित उम्मीदवार को चुना हुआ मान लिया जायेगा और वे अगले दिन से कार्यालय संभाल लेंगे तथा उनका नाम और पता चुने गये निदेशक के रूप में प्रकाशित किया जायेगा। ऐसी स्थिति में बैठक में कोई चुनाव नहीं किया जायेगा तथा एजेंडा की मद सं. 3 वापिस ले ली जाएगी।
- ग) यदि चुनाव कराया जाता है तथा वैध नामांकन चुनाव किये जानेवाले निदेशकों की संख्या से अधिक हो तो जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसे विजेता घोषित किया जाएगा और वह अगले दिन से कार्यभर ग्रहण करेगा तथा उनका नाम और पता चुने गये निदेशक के रूप में प्रकाशित किया जायेगा।
- घ) यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2008 के विनियमन 67 के अनुसार निपटाया जाएगा।

21. नामांकन वापस लेना

यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता/चाहती है तो वह ऐसा शनिवार 28 जून 2014 को बैंक के कार्य घंटों की समाप्ति से पूर्व तक कर सकता/सकती है।

शेयर कक्ष

शेयरधारकों को तीव्र एवं प्रभावी सेवा प्रदान करने के लिए बैंक ने प्रधान कार्यालय में शेयर कक्ष की स्थापना की है। शेयरधारक निम्न पते पर किसी प्रकार की सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं

कंपनी सचिव,
पंजाब एण्ड सिंध बैंक,
प्रधान कार्यालय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग (शेयर कक्ष)
21 – राजेन्द्र प्लेस,
नई दिल्ली-110008
टेलिफोन: 011-25782926, 011-25812922

अन्य जानकारी

शेयरधारक कृपया जान लें कि सभा में किसी भी प्रकार का उपहार/उपहार कूपन नहीं दिया जाएगा। कड़ी सुरक्षा के कारणों से हॉल के भीतर ब्रीफ केस, खाद्य पदार्थ तथा निजी वस्तुएं ले जाना मना है। इसलिए बैठक में उपस्थित होने वाले सभी व्यक्ति अपने सामान की सुरक्षा का प्रबंध स्वयं करें।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक 19 मई, 2014

जतिंदरबीर सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

day following the date fixed for receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons therefore.

- b) If there are only two valid nominations for the vacancies to be filled by election, the candidate(s) so nominated shall be deemed to be elected forthwith & they will assume office from the next day and his/her name & address shall be published. In such an event there shall not be any election at the meeting and Agenda Item No. 3 shall be withdrawn.
- c) In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to be elected and they will assume office from the next day and his/her name & address shall be published.
- d) If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008.

21. WITHDRAWAL OF NOMINATIONS:

If any candidate desires to withdraw his/her nomination, he/she would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank on Saturday 28th June, 2014.

SHARES Cell

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, the Bank has set up a Shares cell at its Head Office, New Delhi, Shareholders may contact this Cell at the under mentioned address for any assistance :

The Company Secretary,
Punjab & Sind Bank,
Head Office, Shares Cell,
Accounts & Audit Department,
21 Rajendra Place, 1st floor,
New Delhi-110008
Telephone : 011-25782926, 25812922

OTHER INFORMATION

Shareholders may kindly note that no gift/gift coupons will be distributed at the meeting.

Due to strict security reasons, brief cases, eatables and other belongings are not allowed inside the hall. Persons attending the meeting are, therefore, advised to make their own arrangements for the safe keeping of their articles.

By Order of the Board of Directors

Place : New Delhi
Date: 19th May 2014

Jatinderbir Singh
Chairman & Managing Director

संबंधित अधिनियमों, योजनाओं तथा विनियमनों आदि का सार

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 (3)(i) की शर्तों के अनुसार शेयरधारक निदेशकों की नियुक्ति धारा 3 की उप धारा 2(बी) के खण्ड (सी) के अंतर्गत जारी पूंजी की सीमा पर निर्भर करती है। इस संबंध में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की संबंधित धारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना 1980 तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन 2008 के संबंधित विनियमनों को शेयरधारकों की जानकारी के लिए निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है-

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949

सामान्य निदेशकों विषयक प्रतिबंध:

16(1) भारत में निगमित किसी बैंकिंग कंपनी के निदेशक मण्डल में कोई ऐसा व्यक्ति निदेशक नहीं होगा जो दूसरी बैंककारी कंपनी का निदेशक है।

ऋण एवं अग्रिमों पर रोक:

धारा 20

कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 77 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कोई भी बैंककारी कंपनी –

क) अपने ही शेयरों की प्रतिभूति पर ऋण एवं अग्रिम प्रदान नहीं कर सकती।

ख) निम्नलिखित को उनकी और से ऋण एवं अग्रिम प्रदान करने के लिए वचनबद्ध नहीं कर सकती –

(i) उसका कोई निदेशक

(ii) कोई ऐसी फर्म जिसमें उसकी किसी निदेशक, भागीदार / प्रबंधक/ कर्मचारी के रूप में अथवा गारंटीकर्ता के रूप में हित) है या

(iii) कोई ऐसी कंपनी (जो बैंकिंग कंपनी की सहायक या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत है या सरकारी कंपनी या सहायक या नियंत्रक कंपनी या बैंकिंग कंपनी का कोई निदेशक उसका निदेशक, प्रबंधकीय एजेंट, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटीकर्ता है या जिसमें उसका पर्याप्त हित है या

(iv) कोई व्यक्ति जिसके लिए उसका कोई निदेशक साझीदार या गारंटीकर्ता है।

2. जहां कोई ऋण या अग्रिम बैंकिंग कंपनी द्वारा दिया जाना हो तो इसके लिए कोई वायदा नहीं किया जा सकता यदि उपधारा (1) के खण्ड (6) उस तिथि को लागू हो जिस तिथि को ऋण या अग्रिम दिया गया हो या बैंकिंग कंपनी द्वारा बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम 1968 (1968 का 58) की धारा 5 के लागू होने के बाद स्वीकृत किया गया हो, लेकिन इस प्रकार लागू होने से पूर्व किए गए वायदे को निभाने के लिए बैंकिंग कंपनी को देय ब्याज सहित ऋण एवं अग्रिम राशि की वसूली के लिए उपाय करने चाहिए, यदि ऋण या अग्रिम प्रदान करते समय विनिर्दिष्ट समय के अंतर्गत देय या जहां धारा (5) के लागू होने से एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व ऐसा कोई समय विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

बशर्त रिजर्व बैंक किसी भी स्थिति में बैंकिंग कंपनी द्वारा इस आधार पर किए गए किसी लिखित आवेदन पर ऋण एवं अग्रिम की वसूली की अवधि इस तारीख तक बढ़ा सकता है लेकिन उल्लिखित धारा 5 के लागू होने से तीन वर्ष की अवधि से अधिक की तारीख नहीं होनी चाहिए तथा ऐसी शर्तों पर जो रिजर्व बैंक उचित समझता हो।

यदि जब संबंधित निदेशक मृत्यु, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या अन्य कारणों से बैंकिंग कंपनी के निदेशक कार्यालय को त्याग देता है तो उपरोक्त के अतिरिक्त यह उप धारा लागू नहीं होगी।

3. उप धारा (2) के संदर्भ में कोई ऋण या अग्रिम या उसका कोई हिस्सा रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना अदा नहीं किया जाएगा। ऐसी अनुमति के बिना कोई भी छूट अवैध होगी तथा इसका कोई प्रभाव नहीं होगा।

4. जहां उप धारा (1) को संदर्भित कोई ऋण या अग्रिम किसी व्यक्ति द्वारा देय है, जिसकी चुकौती बैंकिंग कंपनी को उप धारा में विनिर्दिष्ट अवधि में नहीं की गई है तब ऐसे व्यक्ति को यदि वह ऐसी अवधि की समाप्ति की तिथि को ऐसी बैंकिंग कंपनी का निदेशक है को ऐसी तिथि को यह माना जाए की उसने कार्यालय छोड़ दिया है।

स्पष्टीकरण – इस धारा में

क) "ऋण एवं अग्रिम" में ऐसा कोई लेन-देन शामिल नहीं होगा जोकि रिजर्व बैंक लेन-देन की प्रकृति, अवधि परिस्थितियां जिसके अंतर्गत देय राशि वसूली योग्य है, जमाकर्ता का हित तथा अन्य संबंधित प्रतिफल, सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट इस धारा के उद्देश्य हेतु ऋण एवं अग्रिम नहीं है।

GIST OF PROVISIONS OF RELEVANT ACTS, SCHEME AND REGULATIONS ETC.

In terms of Section 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, Shareholder Directors shall have to be appointed depending upon the extent of capital issued under Clause (c) of Sub-Section 2 (B) of Section 3. The relevant Sections of The Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1980, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 and relevant regulations of the Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008 respectively in this regard, are reproduced below for the information of the shareholders.

THE BANKING REGULATION ACT, 1949

Prohibition of Common Directors:

16 (1) No banking company incorporated in India shall have as a Director in its Board of Directors, any person who is a Director of any other Banking Company.

Restrictions on loans and advances:

Section 20:

1. Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 77 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), no banking company shall –
 - a) grant any loans or advances on the security of its own shares, or
 - b) enter into any commitment for granting any loan or advance to or on behalf of
 - i) any of its directors
 - ii) any firm in which any of its directors is interested as partner, manager, employee or guarantor, or
 - iii) any company not being a subsidiary of the banking company or a company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a Government Company of which or the subsidiary or the holding company of which any of the directors of the banking company is a director, managing agent, manager, employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or
 - iv) any individual in respect of whom any of its directors is a partner or guarantor.
2. Where any loan or advance granted by a banking company is such that a commitment for granting it could not have been made if Clause (b) of Sub-Section (1) had been in force on the date on which the loan or advance was made, or is granted by a Banking Company after the commencement of Section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act, 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement, steps shall be taken to recover the amounts due to the banking company on account of the loan or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of loan or advance, or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said Section 5. Provided that the Reserve Bank may, in any case on any application in writing made to it by the Banking Company in this behalf, extend the period for the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said Section 5 and subject to such terms and conditions as the Reserve Bank may deem fit.
 Provided further that this Sub-Section shall not apply if and when the director concerned vacates the office of the director of the banking company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.
3. No loan or advance, referred to in Sub-Section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank, and any remission without such approval shall be void and of no effect.
4. Where any loan or advance referred to in Sub-Section (2), payable by any person, has not been repaid to the banking company within the period specified in that Sub-Section, then such person shall, if he is a director of such banking company on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

Explanation – In this Section

- a) “Loan or advance” shall not include any transaction which the Reserve Bank may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realized, the interest of depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this section.

ख) निदेशक से अभिप्रायः, प्रबंधन हेतु अथवा प्रबंधन के समस्त कार्यों में सलाहाकार हेतु, बैंकिंग कंपनी द्वारा गठित किसी भारतीय समिति या मंडल के सदस्य से है।

5. यदि कोई प्रश्न उठता है तो इस धारा में क्या कोई लेन-देन, ऋण या अग्रिम से संबंधित है तो इस पर रिजर्व बैंक का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980

निदेशक मंडल की संरचना:

धारा 9 (3) (i) - जहां धारा 3 की उप धारा 2(बी) के खण्ड (ग) के अंतर्गत पूंजी जारी की जाती है:-

- (i) एक निदेशक को कुल प्रदत्त पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक नहीं,
 - (ii) दो निदेशकों को कुल प्रदत्त पूंजी का 16 प्रतिशत से ज्यादा परंतु 32 प्रतिशत से ज्यादा नहीं दिया जाएगा।
 - (iii) तीन निदेशकों को कुल प्रदत्त पूंजी का 32 प्रतिशत से ज्यादा नहीं दिया जाएगा।
- केंद्रीय सरकार के अलावा अपने शेयरधारकों के मध्य शेयरधारकों को चुना जाएगा।

इस खंड के अंतर्गत ऐसे किसी भी निदेशक के चयन के उपरांत प्रभार लेने के बाद खंड (ज) के अंतर्गत उतने निदेशक योजना में विनिर्दिष्ट नियमों के अंतर्गत सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

विश्वसनीयता और गोपनीयता का दायित्व :

खंड 13(2) प्रत्येक निदेशक, स्थानीय बोर्ड के सदस्य या कमेटी या आडिटर, सलाहकार, अधिकारी या अनुरूपी नये बैंक के अन्य कर्मचारी, अपने कर्तव्यों को संभालने से पहले तीसरी अनुसूची के अनुसार विश्वसनीयता और गोपनीयता की शपथ लेंगे।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1980

खंड 11: कार्यालय के निदेशकों की छुट्टियां आदि

- i) यदि कोई निदेशक खंड 10 के अंतर्गत अयोग्य होता है या वह लगातार बोर्ड की तीन सभा में बिना छुट्टी के अनुपस्थित रहता है तो उसका कार्य पद खाली माना जाएगा और उसके तत्काल बाद उसका कार्यालय खाली माना जाएगा।
- ii) नियम के खंड 9 के उप खंड (3) के खंड (बी) या खंड(सी) के अंतर्गत संदर्भित अध्यक्ष या कार्यकारी निदेशक सहित पूर्ण कालिक निदेशक या एक निदेशक केन्द्रीय सरकार को लिखित में नोटिस देकर त्यागपत्र दे सकता है और उनका त्यागपत्र उसी सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो उनके द्वारा कार्यालय खाली करना माना जाएगा और अन्य कोई निदेशक उसके उपरांत केन्द्रीय सरकार को लिखित में अपना त्यागपत्र देता है और इस त्यागपत्र को केन्द्रीय सरकार द्वारा त्यागपत्र स्वीकार करने के बाद मान्य माना जाएगा।
- iii) पूर्वगामी उप खंडों के प्रावधानों की पूर्वधारणा के बिना निदेशक का कार्यालय नियम के खंड 9 के उप खंड (3) के खंड (आई) या खंड(ई) के अंतर्गत तभी खाली हो जाएगा जब कोई कर्मकार या कर्मचारी निदेशक या किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक का कर्मचारी जो कि निदेशक है की मृत्यु हो जाती है।
- (iv) चयनित निदेशक के अतिरिक्त यदि किसी निदेशक के कार्यालय में कोई रिक्ति होती है , तो उसे अधिनियम के खंड 9 के उप खंड(3) के अंतर्गत भरा जाएगा।

खंड 11क: चयनित निदेशक को कार्यालय से हटाना :

केन्द्रीय सरकार के अलावा अन्य शेयरधारक जिनके पास अधिकतम शेयर हों जो कि सभी शेयरधारकों की शेयर पूंजी के आधे से कम न हो तो वे एक मसौदा पास करके खंड 9 के उप खंड (3) के अंतर्गत खंड (आई) के अंतर्गत चयनित निदेशक को कार्यालय से हटा सकते हैं और रिक्ति को भरने के लिए किसी अन्य व्यक्ति का चयन कर सकते हैं।

खंड 11 ख: चयनित निदेशक के कार्यालय में रिक्ति को भरना :

1. यदि किसी चयनित निदेशक की कार्यालय अवधि समाप्त होने से पहले कोई रिक्ति होती है तो उस रिक्ति को चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाएगा, बशर्ते यदि रिक्ति छः महीने से कम अवधि की हो तो उसे शेष निदेशकों द्वारा भरा जाएगा।
2. उप धारा (1) के अंतर्गत चयनित या सहयोजित व्यक्ति जैसा भी मामला हो, अपने पूर्वपदाधिकारी की शेष अवधि के लिए



- b) "Director" includes a member of any board or committee in India constituted by a banking company for the purpose of managing, or for the purpose of advising it in regard to the management of, all or any of its affairs.
5. If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purpose of this section, it shall be referred to the Reserve Bank, whose decision thereon shall be final.

THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT, 1980

Composition of the Board of Directors:

Section 9 (3) (i): Where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 is: -

- (I) Not more than sixteen per cent of the total paid-up capital, **one** Director.
- (II) More than sixteen per cent but not more than thirty two percent of the total paid-up capital, **two** Directors.
- (III) More than thirty two percent of the total paid-up capital, **three** Directors. to be elected by the shareholders, other than the Central Government, from amongst themselves:

Provided that on the assumption of charge after election of any such Directors under this clause, equal number of Directors nominated under clause (h) shall retire in such manner as may be specified in the scheme.

Obligation as to Fidelity and Secrecy:

Section 13 (2): Every Director, member of a local board or a committee, or auditor, advisor, officer or other employee of a corresponding new bank shall, before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule

NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) SCHEME, 1980

Clause 11: Vacation of Office of Director, etc.

- i) If a Director becomes subject to any of the disqualification as specified in Clause 10, or is absent without leave of the Board for more than three consecutive meetings thereof, he shall be deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.
- ii) The Chairman or a whole-time Director including the Managing Director or a Director referred to in Clause (b) or Clause (c) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office; and any other Director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.
- iii) Without prejudice to the provision of the foregoing Sub-Clauses, the office of the Director referred to in Clause (e) or Clause (f) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Act shall become vacant as soon as the Director ceases to be a workman or an employee, other than a workman of the Nationalized Bank of which he is a Director
- iv) Where any vacancy occurs in the office of a Director, other than an elected director, it shall be filled in accordance with Sub-Section (3) of Section 9 of the Act.

Clause 11A: Removal from Office of an Elected Director:

The Shareholders, other than the Central Government, may, by a resolution passed by the majority of votes of such Shareholders holding in aggregate, not less than one-half of the share capital held by all such Shareholders, remove any Director elected under Clause (i) of Sub-Section (3) of Section 9 and elect instead of another person to fill the vacancy.

Clause 11 B: Filling of Vacancy in the Office of an Elected Director:

- 1. Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of a elected Director, the vacancy shall be filled in by election; Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled in by the remaining directors.
- 2. A person elected or co-opted as the case may be, under Sub-Clause (1) shall hold office for the un-expired portion of the term of his predecessor.

निदेशकों द्वारा अपनी अभिरुचि प्रकट करना:

खण्ड 12(8): कोई भी निदेशक जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीयकृत बैंक की तरफ से किसी संविदा, ऋण समझौते या किसी प्रस्ताव से या किसी प्रस्ताव में सम्मिलित होता है, जैसे ही संबंधित परिस्थितियां उसको पता चलती हैं तो उसे अपनी अभिरुचि के कारणों को बोर्ड को स्पष्ट कर देना चाहिए और जब तक किसी संविदा, ऋण समझौते या किसी प्रस्ताव से या किसी प्रस्ताव में सम्मिलित होने के मद्देनजर अन्य निदेशकों द्वारा सूचनाओं को प्रकाश में लाने के लिए उसकी उपस्थिति अपेक्षित न हो वह व्यक्ति बोर्ड की सभा में भी उपस्थित नहीं होना चाहिए और न ही उस निदेशक को ऐसे किसी संविदा, ऋण समझौते या किसी प्रस्ताव के लिए वोट देना चाहिए।

बशर्ते कि इस उपखंड में दिया गया कुछ भी ऐसे निदेशकों पर निम्न कारणों से लागू होगा:

- एक शेयरधारक (निदेशक के अतिरिक्त), जो कंपनी अधिनियम 1956(1956 का 1) के अनुसार किसी भी सार्वजनिक कंपनी में प्रदत्त पूंजी के 2 प्रतिशत से अधिक शेयर रखता हो अथवा कानून के अंतर्गत स्थापित कोई भी निकाय, अथवा सार्वजनिक समिति, जिससे राष्ट्रीयकृत बैंक ने कोई समझौता, ऋण हेतु संव्यवहार या प्रस्ताव पारित किया हो या
- कोई अधिकारी या राष्ट्रीयकृत बैंक का कोई अन्य कर्मचारी, जो अधिनियम के खंड 9 के उप खंड (3) के खंड (ई) या खंड(एफ) के अंतर्गत यदि निदेशक संदर्भित हो।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर और बैठक) विनियमन 2008

विनियमन 10 संयुक्त शेयरधारकों के अधिकारों का प्रयोग :

यदि कोई शेयर दो या अन्य व्यक्तियों के नाम से हों, तो जिस व्यक्ति का नाम पहले लिखा हो, को वोट करने, लाभांश लेने, नोटिस देने और सभी या अन्य कोई मामला जो भी हो के लिए पूर्ण अधिकार होगा सिवाय पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयर हस्तांतरण करने का हक नहीं होगा।

शेयरधारकों की बैठक

विनियम 61. सामान्य बैठक में मतदान:

- किसी भी सामान्य बैठक में जब तक मतदान की मांग न की जाए बैठक में मत का निर्णय हाथ उठाकर ही किया जाएगा।
- जैसा कि अधिनियम में अन्यथा वर्णित हो, सामान्य बैठक में प्रस्तुत सभी मुद्दे बहुमत के आधार पर निर्णित किये जाएंगे।
- उप विनियम (i) के अंतर्गत जब तक कि चुनाव की मांग न की गयी हो, बैठक के अध्यक्ष द्वारा एक घोषणापत्र कि प्रस्ताव हेतु हाथ उठाकर रजामंदी सर्वसम्मति से अथवा निश्चित बहुमत से मांगी गई अथवा नहीं और रिकार्ड में कार्यवाही से संबंधित प्रविष्टि को, प्रस्ताव के विरुद्ध अथवा समर्थन में पड़े मतों के प्रमाण के बिना भी निर्णायक साक्ष्य माना जाएगा।
- किसी प्रस्ताव पर हाथ उठाकर रजामंदी देने के परिणाम घोषित होने पर या उससे पहले, बैठक के अध्यक्ष द्वारा निजी प्रस्ताव द्वारा और किसी एक शेयरधारक या शेयरधारकों की मांग पर, जो उस बैठक में उपस्थित हों या किसी प्रतिनिधि द्वारा जो बैंक का शेयरधारक हो, जो मसौदे के संबंध में कुल वोटिंग अधिकार के पांचवां हिस्सा रखता हो की मांग पर मतदान का आदेश दे सकता है।
- जो व्यक्ति या व्यक्तियों जिन के द्वारा चुनाव की मांग रखी गई हो, वे इस मांग को कभी भी वापस ले सकते हैं।
- स्थगन के प्रश्न पर या मीटिंग के अध्यक्ष के चुनाव की मांग तत्काल स्वीकार की जाएगी।
- मीटिंग के अध्यक्ष के आदेशानुसार किसी अन्य प्रश्न पर चुनाव की मांग को मांग के समय से 48 घंटों के भीतर पूरा किया जाएगा।
- किसी व्यक्ति की वोट डालने की योग्यता तथा किसी चुनाव में किसी व्यक्ति द्वारा वोट डालने की संख्या के निर्धारण में बैठक के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

विनियमन 63 सामान्य सभा में चुने जाने वाले निदेशक:

- अधिनियम के खंड 9 के उपखंड (3) के खंड(i) के अनुसार किसी निदेशक का चयन केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त पंजाब एण्ड

Disclosure of Interest by Directors:

Clause 12 (8): A Director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the Nationalized Bank shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other Directors for the purpose of eliciting information and no Director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal.

Provided that nothing contained in this Sub-Clause shall apply to such Director by reason of his being:

- i) A shareholder (other than a Director) holding not more than two percent of the paid up capital in any public company as defined in the Companies Act , 1956 (1 of 1956), or any corporation established by or under any law for the time being in force in India or any Co-operative Society, with which or to which the nationalized Bank has entered into or made or proposes to enter into or make, a contract, loan, arrangement or proposal, or
- ii) An officer or other employee of the nationalized bank, if he is a Director referred to in Clause (e) or Clause (f) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Act.

PUNJAB & SIND BANK (SHARES AND MEETINGS) REGULATIONS, 2008

Regulation 10. Exercise of Rights of Joint Holders:

If any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with Punjab & Sind Bank except the transfer of shares, be deemed to be sole holder thereof.

MEETING OF SHAREHOLDERS

Regulation 61. Voting at General Meeting.

- i) At any general meeting, a resolution put to the vote of the meeting shall, unless a poll is demanded, be decided on a show of hands.
- ii) Save as otherwise provided in the Act, every matter submitted to the general meeting shall be decided by a majority of votes.
- iii) Unless a poll is demanded under sub-regulation (i), a declaration by the Chairman of the meeting that a resolution on show of hands has or has not been carried either unanimously or by a particular majority and an entry to that effect in the books containing the minutes of the proceedings, shall be conclusive evidence of the fact, without proof of the number or proportion of the votes cast in favour of, or against such resolution.
- iv) Before or on the declaration of the result of the voting on any resolution on a show of hands, a poll may be ordered to be taken by the Chairman of the meeting of his own motion, and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by any shareholder or shareholders present in person or by proxy and holding shares in the Bank which confer a power to vote on the resolution not being less than one fifth of the total voting power in respect of the resolution.
- v) The demand for a poll may be withdrawn at any time by the person or persons who made the demand.
- vi) A poll demanded on a question of adjournment or election of Chairman of the meeting shall be taken forthwith.
- vii) A poll demanded on any other question shall be taken at such time not being later than forty-eight hours from the time when the demand was made, as the chairman of the meeting may direct.
- viii) The decision of the Chairman of the meeting as to the qualification of any person to vote, and also in case of a poll, as to the number of votes any person is competent to exercise shall be final.

Regulation 63. Directors to be elected at General Meeting:

- i) A Director under Clause (i) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Act shall be elected by the Shareholders on the register, other than the Central Government, from amongst themselves in the General Meeting of Punjab & Sind Bank.

सिंध बैंक की सामान्य मीटिंग में रजिस्टर्ड शेयरधारकों में से ही किया जाएगा।

- ii) यदि किसी सामान्य बैठक में निदेशक का चयन होता है तो इससे संबंधित सूचना बैठक की सूचना के साथ ही दे दी जाएगी। ऐसे सभी नोटिस में चयनित निदेशकों की संख्या और रिक्तियों का विवरण जिसके संबंध में चुनाव किया जाता है का पूरा विवरण स्पष्ट होना चाहिए।

विनियमन 64 शेयरधारकों की सूची :

- i) विनियमन 63 के उप विनियम (i) के अंतर्गत निदेशकों के चयन के उद्देश्य के संबंध में, उन शेयरधारकों की एक सूची बनाई जाएगी जिनके द्वारा निदेशक का चयन होना है।
- ii) इस सूची में शेयरधारकों के नाम, उनके रजिस्टर्ड पते, शेयरों की संख्या तथा निर्दिष्ट संख्या तथा दिनांक जब उन्हें शेयर रजिस्टर्ड किये गये थे तथा जिस मीटिंग में वोट हुए उस मीटिंग की दिनांक तय करने के लिए और वोटों की संख्या और सूची की प्रतियां प्रबंध कमेटी द्वारा प्रधान कार्यालय में मांग पर बिक्री हेतु निर्धारित कीमत पर मीटिंग की दिनांक से कम से कम तीन सप्ताह पहले उपलब्ध होनी चाहिए।

विनियमन 67 - चुनाव विवाद:

- i) चुने हुए माने गए या घोषित व्यक्ति की योग्यता या अयोग्यता के संबंध में या किसी निदेशक के चुनाव की वैधता के संबंध में किसी प्रकार का संदेह या विवाद उठने की स्थिति में अभ्यर्थी या शेयरधारक के रूप में हितबद्ध कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसे चुनाव में मतदान करने का पात्र हो, ऐसे चुनाव के परिणाम की घोषणा किए जाने के सात दिनों के भीतर बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को लिखित रूप में उसकी सूचना दे सकता है तथा उक्त सूचना में चुनाव की वैधता के संबंध में उठने वाले संदेहों और विवादों के आधारों के संपूर्ण विवरण उपलब्ध कराएगा।
- ii) उप विनियम (i) के अधीन किसी सूचना की प्राप्ति पर बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक ऐसे संदेह या विवाद को निर्णय हेतु तुरंत उप समिति को भेजेंगे, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक और उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खण्ड (ख) एवं (ग) के अधीन नामित में से किन्हीं दो निदेशकों का समावेश होगा।
- iii) उप विनियम (ii) में उल्लिखित उक्त समिति ऐसे जांच करेगी जो उसे आवश्यक लगे और यदि उसे यह पता चलता है कि उक्त चुनाव वैध चुनाव था तो वह घोषित चुनाव परिणाम की पुष्टि करेगी अथवा यदि उसे यह पता चलता है कि उक्त चुनाव वैध नहीं था तो वह जांच प्रारंभ होने के 30 दिनों के भीतर नया चुनाव कराये जाने सहित ऐसे आदेश जारी करेगी और ऐसे निदेश देगी जो उन परिस्थितियों में समिति को न्यायोचित लगे।
- iv) इस विनियमन के अनुसरण में ऐसी समिति द्वारा किया गया कोई भी आदेश एवं निर्देश निर्णायक होगा।

शेयरधारकों के मताधिकार

विनियमन 68 मताधिकार का निर्धारण

- i) उक्त अधिनियम की धारा 3(2ई) में समाविष्ट प्रावधानों के अधीन ऐसे प्रत्येक शेयरधारक जो जिसे सामान्य सभा के पूर्व रजिस्टर बंद होने की तिथि को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, ऐसी सभा में हाथ उठाकर एक मत देने तथा मतदान की स्थिति में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत का अधिकार होगा।
- ii) उक्त अधिनियम की धारा 3(2ई) में समाविष्ट प्रावधानों के अधीन ऐसे प्रत्येक शेयरधारक को, जो उपयुक्तानुसार मतदान करने का पात्र है, जो कंपनी की हैसियत से नहीं व्यक्तिगत रूप से अथवा मुख्तार के माध्यम से उपस्थित हो अथवा जो कंपनी की हैसियत से विहित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से या मुख्तार के माध्यम से उपस्थित हो हाथ उठाकर एक मत देने का अधिकार प्राप्त होगा तथा मतदान की स्थिति में इसमें इसके ऊपर उप विनियम (i) में यथावर्णित उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत देने का अधिकारी होगा।
- iii) स्पष्टीकरण: इस अध्याय के लिए कंपनी से अभिप्राय: है कोई भी निगमित निकाय से है।
सामान्य सभा में उपस्थित रहने और मतदान करने के पात्र बैंक के शेयरधारक किसी अन्य व्यक्ति (चाहे वह शेयर धारक हो या नहीं) को अपने मुख्तार के रूप में अपने स्थान पर सभा में उपस्थित रहने और मतदान करने हेतु नियुक्ति करने के हकदार होंगे, किन्तु इस प्रकार नियुक्त मुख्तार को उक्त सभा में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

विनियमन 69. विहित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान

- (1) केंद्रीय सरकार या किसी कंपनी के रूप में जैसी भी स्थिति हो, कोई शेयरधारक संकल्प के द्वारा शेयरधारकों की किसी भी सामान्य



- ii) where an election of a Director is to be held at any General Meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of Directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

Regulation 64. List of Shareholders:

- i) For the purpose of election of a Director under Sub-Regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the Director is to be elected.
- ii) The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchases atleast three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

Regulation 67. Election Disputes:

- i) If any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed or declared to be elected, or as to the validity of the election of a director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director/Executive Director of Punjab & Sind Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.
- ii) On receipt of an intimation under Sub-Regulation (i), the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of Punjab & Sind Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman & Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the Directors nominated under Clause (b) and (c) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Act.
- iii) The committee referred to in Sub-Regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared result of the election or, if it finds that the election was not a valid election, it shall, within 30 days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.
- iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS

Regulation 68. Determination of Voting Rights:

- i) Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of closure of the register prior to the date of a General Meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.
- ii) Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a company, is present in person or by proxy or who being a company is present by a duly authorized representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in Sub-Regulation (i).
Explanation – for this Chapter, “Company” means any body corporate.
- iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

Regulation 69. Voting by Duly Authorised Representative:

- i) A shareholder, being the Central Government or a company, may by a resolution, as the case may be, authorize any of its officials or any other person to act as its representative at any General Meeting of the shareholders and the person so authorized (referred to as a ‘duly authorized representative’ in these regulations) shall be

सभा में अपने प्रतिनिधि के रूप में अपने किसी भी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है और इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति (इन विनियमों में जिसे विहित रूप में प्राधिकृत प्रतिनिधि कहा गया है) केन्द्रीय सरकार या जिस कंपनी का वह प्रतिनिधित्व करता है उस कंपनी की और से उन्ही अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जैसे कि वह पंजाब एण्ड सिंध बैंक का एकल शेयरधारक हो। इस प्रकार दिया गया प्राधिकार वैकल्पिक रूप में दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है और ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्तियों में से कोई भी एक व्यक्ति केन्द्रीय सरकार/ व्यक्तियों के विहित रूप में प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है।

- (ii) कोई भी व्यक्ति बैंक के शेयरधारकों की किसी सभा में किसी कंपनी के विहित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तब तक उपस्थित रहेगा या मतदान नहीं करेगा जब तक की उसे विहित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में न नियुक्त किए जाने विषयक संकल्प की ऐसी प्रति जो जिस सभा में वह पारित किया गया था, उस सभा के सभापति द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित हो, सभा के लिए नियत तिथि से कम से कम चार दिन पहले पंजाब एण्ड सिंध बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा नहीं कर दी जाती।

विनियम 70 प्रतिनिधि :

- i) प्रतिनिधि का कोई भी प्रपत्र तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि एकल शेयरधारक के मामले में, वह उस द्वारा या उसके प्राधिकृत एटार्नी द्वारा लिखित में हस्ताक्षरित न हो या संयुक्त शेयरधारकों के मामले में रजिस्टर में प्रथम नाम के शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित या उसकी एटार्नी द्वारा लिखित में हस्ताक्षरित न हो या निगमित निकाय के मामले में उसे अधिकारी या एक एटार्नी द्वारा लिखित में हस्ताक्षरित न हो।
बशर्ते कि प्रतिनिधि का प्रपत्र किसी अन्य शेयरधारक द्वारा विहित ढंग से हस्ताक्षरित हो, जो कि किसी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ है, यदि उसका चिन्ह उस पर लगा हो और किसी न्यायधीश, मजिस्ट्रेट, बीमा कंपनी के रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापित हो या अन्य कोई सरकारी राजपत्रित अधिकारी या पंजाब एण्ड सिंध बैंक का कोई अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित हो।
- ii) कोई भी प्रतिनिधि तब तक वैध नहीं होगा जब तक विधिवत मोहर लगी न हो और उसकी एक सत्यापित प्रति पंजाब एण्ड सिंध बैंक के प्रधान कार्यालय को मीटिंग की तिथि से कम से कम चार दिन पहले प्राप्त न हो जाए साथ ही पॉवर ऑफ एटार्नी या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके अंतर्गत उसको हस्ताक्षरित किया गया हो या उस पॉवर ऑफ एटार्नी या अन्य प्राधिकार की एक प्रति जो कि नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट से सत्यापित हो को पहले से ही जमा करा दिया गया हो और पंजाब एण्ड सिंध बैंक के पास रजिस्टर्ड हो।
- iii) प्रतिनिधि का कोई भी प्रपत्र तभी मान्य होगा जब वह "फार्म बी" में होगा।
- iv) प्रतिनिधि का कोई भी प्रपत्र जो कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक में जमा हो वह अप्रतिस्वरणीय होगा।
- v) यदि प्रतिनिधि का प्रपत्र दो विकल्पी व्यक्तियों के नाम पर हो तो तो भी एक ही फार्म निष्पादित किया जाएगा।
- vi) इस विनियम के अंतर्गत प्रतिनिधि के प्रपत्र के अनुदाता को उस मीटिंग में वोट करने का अधिकार नहीं होगा जिस मीटिंग में यह प्रपत्र रखा जाना है।
- vii) कोई भी व्यक्ति पूर्ण प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाएगा जो कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक का कर्मचारी या अधिकारी हो।



entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or company which he represents, as if he were an individual shareholder of Punjab & Sind Bank. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as a duly authorized representative of the Central Government / Company.

- ii) No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of Punjab & Sind Bank as the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Punjab & Sind Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

Regulation 70. Proxies:

- i) No instrument of proxy shall be valid unless, in the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his attorney duly authorized in writing or in the case of joint holders, it is signed by the Shareholder first named in the register or his attorney duly authorized in writing or in the case of the body corporate signed by its officer or an attorney duly authorized in writing;

Provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his name, if his mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Punjab & Sind Bank.

- ii) No proxy shall be valid unless it is duly stamped and a copy thereof deposited at the Head Office of Punjab & Sind Bank not less than four days before the date fixed for the meeting, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority, certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with Punjab & Sind Bank .
- iii) No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form 'B'.
- iv) An instrument of proxy deposited with Punjab & Sind Bank shall be irrevocable and final.
- v) In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- vi) The grantor of an instrument of proxy under this regulation shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
- vii) No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of Punjab & Sind Bank.

ई-वोटिंग

पंजाब एण्ड सिंध बैंक की चौथी वार्षिक सामान्य बैठक के लिए ई-वोटिंग

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अंतर्गत नए प्रावधान किए गए हैं जिनके द्वारा प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी या जिसके शेयरधारक एक हजार से कम नहीं हैं, से सामान्य बैठक में अपने सदस्यों के वोट के अधिकार के लिए इलैक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग अपेक्षित है। कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 की शर्तों के अनुसार बैंक चौथी वार्षिक सामान्य बैठक में अपने शेयरधारकों को सीडीएसएल के माध्यम से ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगा।

सदस्यों हेतु इलैक्ट्रॉनिक विधि से वोटिंग हेतु निर्देश निम्नानुसार हैं :

(क) यदि सदस्य ई-मेल प्राप्त करते हैं :

- यदि आप डीमेट रूप में शेयरधारक हैं और www.evotingindia.com पर लॉग-इन करते हैं और आपने पहले भी किसी अन्य कंपनी में EVSN पर वोटिंग की है तो आपका वर्तमान लॉग-इन आईडी और पासवर्ड प्रयोग होगा।
- ई-वोटिंग वेबसाइट WWW.evotingindia.com पर लॉग-इन करें।
- अपना वोट डालने के लिए “shareholders” टैब पर क्लिक करें।
- अब ड्रॉप डाउन मीनू से “Punjab and Sind Bank” सहित अपना इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग सिक्वेन्स नं० “EVSN” चुनें और “SUBMIT” पर क्लिक करें।
- अब नीचे दिए गए विवरण को उचित बॉक्स में लिखें:

	डीमेट रूप में शेयरधारकों हेतु	भौतिक रूप में शेयरधारकों हेतु
यूजर आईडी	NSDL हेतु : 8 शब्दों का DP ID इसके बाद अंकों को Client ID CDSL हेतु : अंकों का beneficiary ID	कंपनी के पास रजिस्टर्ड फोलियो नं०
पैन*	ई-वोटिंग के लिए जब अपेक्षित हो तो आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों का अल्फा-न्यूमेरिक पैन अंकित करें (यह डीमेट और भौतिक शेयरधारकों दोनों के लिए लागू है)	
जन्म तिथि #	डीमेट खाते या कंपनी के डीमेट खाते के रिकॉर्ड के अनुसार या फोलियो में दिन/माह/वर्ष प्रारूप में अपनी जन्मतिथि अंकित करें।	
लाभांश बैंक विवरण #	डीमेट खाते या कंपनी के डीमेट खाते/फोलियो में दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार लाभांश बैंक विवरण अंकित करें।	

* ऐसे सदस्य जिन्होंने अपना PAN कंपनी /डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अपडेट नहीं कराया है, से अनुरोध है कि वे PAN फील्ड में डिफाल्ट नं० : < ABCDE1234F > एन्टर करें।

कृपया लॉग-इन के लिए कोई भी ब्यौरा दें।

vi) इन विवरणों को भरने के पश्चात, “SUBMIT” पर क्लिक करें।

vii) तब सदस्य जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं, सीधे EVSN सेलेक्शन स्क्रीन पर सीधे पहुँचेंगे। तथापि डीमेट शेयरधारक अब Password Creation मीनू में पहुँचेंगे, जहाँ उन्हें नए पासवर्ड फील्ड में अपने लॉग-इन पासवर्ड में आवश्यक परिवर्तन करने की आवश्यकता है। नया पासवर्ड कम से कम आठ अक्षर का होना चाहिए, जिसमें एक बड़ा अक्षर (A-Z), एक छोटा अक्षर (a-z), एक अंक मूल्य (0-9) तथा एक विशिष्ट अक्षर (@, #, \$, %, &, *) निहित हो। कृपया नोट करें कि यह पासवर्ड डीमेट शेयरधारकों द्वारा किसी भी कंपनी, बता दें कि इस कंपनी में सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प हो, जिसके लिए वह वोटिंग का पात्र है, के प्रस्ताव हेतु वोटिंग के लिए प्रयोग किया जाए। आपको सलाह दी जाती है कि यह पासवर्ड किसी भी व्यक्ति को न बताएं तथा इसे गुप्त रखने के लिए पूरी सावधानी बरतें। कृपया नोट करें कि यह पासवर्ड डीमेट शेयरधारकों द्वारा किसी भी कंपनी, बता दें कि इस कंपनी में सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प हो, जिसके लिए वह वोटिंग का पात्र है, के प्रस्ताव हेतु वोटिंग के लिए प्रयोग किया जाए।

viii) संबंधित EVSN जिस पर आप वोट करना चाहते हैं, पर क्लिक करें।

ix) वोटिंग पृष्ठ पर आप प्रस्ताव विवरण के समक्ष हाँ/नहीं का विकल्प, वोटिंग के लिए देखेंगे। आवश्यक हाँ अथवा नहीं, विकल्प का चुनाव करें। हाँ का विकल्प, संकल्प के प्रति आपकी सहमति तथा नहीं का विकल्प, संकल्प प्रस्ताव के प्रति आपकी असहमति सूचित करता है।

e-Voting

e-Voting for the Fourth Annual General Meeting of Punjab & Sind Bank

Pursuant to section 108 of the Companies Act 2013 read with Rules 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 new provisions has been introduced whereby every listed company or a company having not less than one thousand shareholder is required to provide to its members facility to exercise their right to vote at general meetings by electronic means. The Bank shall provide facility of e-Voting, through CDSL, to the shareholders for the Fourth Annual General Meeting., in terms of Companies (Management and Administration) Rules, 2014.

The instructions for members for voting electronically are as under:-

(A) In case of members receiving e-mail:

- i) If you are holding shares in Demat form and had logged on to www.evotingindia.com and casted your vote earlier for EVSN of any Company, then your existing login id and password are to be used.
- ii) Log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
- iii) Click on "Shareholders" tab to cast your votes.
- iv) Now, select the Electronic Voting Sequence Number - "EVSN" along with "Punjab and Sind Bank" from the drop down menu and click on "SUBMIT"
- v) Now, fill up the following details in the appropriate boxes:

	For Members holding shares in Demat Form	For Members holding shares in Physical Form
User ID	For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID For CDSL: 16 digits beneficiary ID	Folio Number registered with the Company
PAN*	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department when prompted by the system while e-voting (applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders)	
DOB#	Enter the Date of Birth as recorded in your demat account or in the company records for the said demat account or folio in dd/mm/yyyy format.	
Dividend Bank Details#	Enter the Dividend Bank Details as recorded in your demat account or in the company records for the said demat account or folio.	

* Members who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the default number: <ABCDE1234F> in the PAN field.

Please enter any one of the details in order to login.

vi After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

vii) Members holding shares in physical form will then reach directly the EVSN selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily change their login password in the new password field. The new password has to be minimum eight characters consisting of at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character(@ # \$ % & *). Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Kindly note that this changed password is to be also used by the Demat holders for voting for resolutions for the Company or any other Company on which they are eligible to vote, provided that Company opts for e-voting through CDSL platform.

viii) Click on the relevant EVSN on which you choose to vote.

ix) On the voting page, you will see Resolution Description and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

- x) यदि आप सभी संकल्पों को देखना चाहते हैं तब “रिजोल्यूशन फाइल लिंक” पर क्लिक करें।
- xi) वोट करने के प्रस्ताव को चुनने के पश्चात SUBMIT पर क्लिक करें। वहाँ एक पुष्टि बॉक्स दिखेगा, यदि आप पुष्टि करना चाहते हैं तो “OK” पर क्लिक करें और यदि अपना वोट बदलना चाहते हैं तो CANCEL पर क्लिक करें और इस प्रकार आप अपना वोट बदल सकते हैं।
- xii) यदि आप प्रस्ताव पर एक बार अपना वोट कर देते हैं तब आपको उसे बदलने की अनुमति नहीं होगी।
- II) यदि सदस्य वार्षिक सामान्य बैठक के नोटिस की भौतिक प्रति प्राप्त करते हैं (ऐसे सदस्य जिनकी ई.मेल आई.डी, कंपनी जमाकर्ता भागीदारों के पास पंजीकृत नहीं है अथवा जो भौतिक प्रति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं)
- वोट करने के लिए कृपया क्रम सं. (ii) से क्रम सं. (xii) तक सभी चरणों का पालन करें।
- ख) संस्थागत शेयरधारक (जैसे कि अकेले व्यक्ति के अतिरिक्त, हिंदू संयुक्त परिवार, अनिवासी भारतीय आदि) के लिए आवश्यक है कि वे <https://www.evotingindia.co.in> लॉग-ऑन करें तथा अपने को पंजीकृत कराएं, जिसको वो वोट करना चाहते हैं उसका खाता लिंक करें तथा वोट करें। वे अपने वोट की जाँच सत्यापन हेतु बोर्ड प्रस्ताव की स्कैन प्रति पी डी एफ फॉर्मेट में सिस्टम में अपलोड करवाएं।
- ग) इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग अवधि 24 जून, 2014 को (प्रातः 9:00बजे) शुरू होगी तथा 25 जून, 2014 को (सांय: 6:00बजे) समाप्त होगी। इसके पश्चात सीडीएसएल द्वारा इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इस अवधि के दौरान कंपनी के भौतिक या अभौतिक रूप दोनों ही शेयरधारक, कट-ऑफ दिनांक 30 मई, 2014 के अनुसार इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट कर सकते हैं।
- घ) शेयरधारकों को वोटिंग का अधिकार कट-ऑफ दिनांक 30 मई, 2014 के अनुसार बैंक की पूँजी में उनके प्रदत्त ईक्विटी शेयरों के आनुपातिक आधार पर होगा।
- ड.) सदस्य वार्षिक सामान्य बैठक में प्रत्येक व्यवसायिक संव्यवहार के लिए अलग से अपना वोट डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ सदस्य अपना वोट संकल्प के पक्ष में डाल सकते हैं तथा कुछ संकल्प के विरुद्ध में अपना वोट डाल सकते हैं। कुछ सदस्य संकल्प पर अपना वोट नहीं भी डालने का विकल्प चुन सकते हैं, तथापि मत संख्या -3 के संदर्भ में, (दो निदेशकों का चुनाव) यदि वोट दो निदेशकों से अधिक के लिए नहीं की गई है तो दी गई वोट अमान्य होगी।
- च) सदस्य द्वारा संकल्प पर एक बार वोट डालने के बाद, उस वोट को बदलने या संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- छ) यदि किसी सदस्य के पास वोट देने का एक ही विकल्प है, या तो वह भौतिक रूप से मतदान करें या ई-वोटिंग करें यदि कोई सदस्य ई-वोटिंग का विकल्प चुनता है, तो वह फिर भौतिक मतदान नहीं कर सकेगा। यद्यपि कोई सदस्य भौतिक रूप से या ई-वोटिंग द्वारा वोट करता है तो ऐसी स्थिति में ई-वोटिंग द्वारा दिया गया मत मान्य होगा और भौतिक मतदान पर ध्यान नहीं दिया जायेगा या नज़रअंदाज किया जायेगा।
- श्री रमेश कुमार कोचर को, कंपनी सेक्रेटरी (सीवी नं. 10818) को इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रिया के लिए अंकेक्षक नियुक्त किया गया है, जो पक्ष या विपक्ष में डाले गए वोट की रिपोर्ट तैयार करेंगे तथा इसे इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग अवधि समाप्ति के चालू होने के पश्चात तीन व्यावसायिक दिवसों के भीतर अध्यक्ष, वार्षिक सामान्य बैठक को संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
- घोषित परिणाम के साथ अंकेक्षक की रिपोर्ट को बैंक की वेबसाइट तथा सीडीएसएल की वेबसाइट पर वार्षिक सामान्य बैठक के संकल्प के दो व्यावसायिक कार्य दिवस के भीतर अपलोड कर दिया जाएगा। पर्याप्त वोट की प्राप्ति के अधीन, संकल्प को वार्षिक सामान्य बैठक के दिन पारित किया जाएगा।
- बैठक की सूचना वेबसाइट www.psbindia.com पर भी प्रदर्शित है।
- यदि ई.वोटिंग के संदर्भ में आपका कोई प्रश्न अथवा जिज्ञासा है तो बार-बार पूछे जाने वाले (“FAQs”) पर जाएं तथा सहायता अनुभाग के अंतर्गत www.evotingindia.com पर ई.वोटिंग मैन्युअल उपलब्ध है अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई-मेल करें या CDSL टोल फ्री नं. 022-30249561 या रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, लिंक इनटाइम इंडिया लिमिटेड नं. 011-41410592, 41410593 या delhi@linkintime.co.in को ई-मेल करें।

- x) Click on the “Resolutions File Link” if you wish to view the entire Resolutions.
- xi) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on “SUBMIT”. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on “OK”, else to change your vote, click on “CANCEL” and accordingly modify your vote.
- xii) Once you “CONFIRM” your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(II) In case of members receiving the physical copy of Notice of AGM [for members whose e-mail IDs are not registered with the company/ depository participant(s) or requesting physical copy]:

Please follow all steps from sl. no. (ii) to sl. no. (xii) above, to cast vote.

- (B) Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to log on to <https://www.evotingindia.co.in> and register themselves, link their account which they wish to vote on and then cast their vote. They should upload a scanned copy of the Board Resolution in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the vote.
- (C) The electronic voting period commences on 24th June, 2014 (9:00 am) and ends on 25th June, 2014 (6:00 pm). The electronic voting facility will be disabled by CDSL for voting thereafter. During this period the shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 30th May, 2014, may cast their vote electronically.
- (D) The voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date of 30th May, 2014;
- (E) Members may cast their votes separately for each business to be transacted in the Annual General Meeting. For example, a member may cast his vote in favour of some resolution and may cast not in favour/ against some resolution. A member may also elect not to vote on some resolution. However, in case of item no. 3 (election of two directors), vote be casted for not more than two directors otherwise the votes casted shall be treated as invalid.
- (F) Once the vote on a resolution is casted by the member, he shall not be allowed to change or modify it subsequently;
- (G) Member can log in any number of times till he has voted on all the resolutions or till the end of the voting period (i.e. till the last date of receipt of e-votes), whichever is earlier.
- (H) Members can opt only one mode for voting i.e. either by Physical Ballot or e-voting. If member opts for e-voting, then he does not vote by Physical Ballot also and vice versa. However, in case member(s) cast their vote both via Physical Ballot and e-voting, then voting done through e-voting shall prevail and voting done by Physical Ballot will be ignored.

Mr. Ramesh Kumar Kochar, Practicing Company Secretary (CP No. 10818) has been appointed as the scrutinizer to the electronic voting process, who shall prepare and submit its report of the votes cast in favour or not in favour/ against, to the Chairman of the Annual General Meeting within 3 business days from the date of conclusion of the electronic voting period;

The results declared along with the scrutinizer’s report shall be placed on the website of the Bank and on the website of CDSL within 2 business days of the decision on the resolution at the AGM;

Subject to receipt of the sufficient votes, the resolution shall be deemed to be passed on the date of the Annual General Meeting;

Notice of the meeting is also displayed at www.psbindia.com

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (“FAQs”) and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call CDSL Toll free No. 022-30249561 or to the Registrar & Share Transfer Agent, Link Intime India Pvt. Ltd. at 011-41410592, 41410593 or write an email to delhi@linkintime.co.in.

निदेशक रिपोर्ट 2013-14

दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट, तुलन-पत्र तथा लाभ हानि खाते को निदेशक मंडल हर्ष के साथ प्रस्तुत करता है :

आर्थिक परिदृश्य :

वर्ष 2013-14 में भी भारतीय अर्थव्यवस्था का चुनौती भरा समय जारी रहा। वर्ष 2011-12 में शुरू हुई आर्थिक मंदी इस वर्ष भी लगातार बनी रही। अर्थव्यवस्था के गंभीर मामलों में धीमी विकास गति तथा मुद्रा स्फीतिकारक दबाव वर्ष के प्रारंभ से अंत तक बने रहे। वास्तव में, वर्ष 2009 से ही विश्व अर्थव्यवस्था की दशा, भारत सहित प्रत्येक विकासशील देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला अत्यधिक निर्णायक तत्व रहा है। भारत के बड़े व्यापारी सहयोगियों में संयुक्त राज्य अमेरिका लंबी सुस्ती से वापसी के संकेत दे रहा है; जापान की अर्थव्यवस्था प्रोत्साहन की प्रतिक्रिया दे रही है, यूरो जोन 0.2% की आंशिक वृद्धि के संकेत दे रहा है तथा चीन की वृद्धि दर वर्ष 2013 में धीमी रही। तथापि वर्ष 2013-14 के दौरान इन चुनौतियों से भारत ने अन्य उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं की अपेक्षा बेहतर तरीके से सामना किया।

भारत सरकार ने आर्थिक दृढ़ीकरण, मूल्य स्थिरता, खाद्य में स्व-सामर्थ्य, निवेश में अच्छे माहौल का पुनर्प्रवर्तन, उत्पादन में वृद्धि, निर्यात प्रोत्साहन, परियोजनाओं का उनके लक्ष्यों अनुसार शीघ्र कार्यान्वयन घोषित किया। तथापि विनिर्माण, पेट्रोलियम, ऊर्जा, कोयला व वस्त्र उद्योग अर्थव्यवस्था के मंदगति क्षेत्र बने रहे।

सरकार द्वारा चालू खाता घाटा में सफलतापूर्वक निवेश के समय मुद्रास्फीति नियंत्रण मुश्किल साबित हुई। तथापि अर्थव्यवस्था ने एक बार पुनः इस आघात को सहन करने की क्षमता दिखाई।

भारतीय कृषि में कार्य-निष्पादन उद्योग की अपेक्षा बेहतर रहा। औद्योगिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था के मंदगति क्षेत्र के रूप में बने रहे। निर्माण क्षेत्र के विशेष क्षेत्र में निवेश में कमी बनी रही। निर्यात तेजी से बहाल हुआ। तथापि, आयात नीचा रहा जो कि निर्माण व घरेलू व्यापार दोनों के लिए अच्छा शकुन नहीं है।

विनिमय दर ने रूपए पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा संबंधित एजेंसियों ने पूँजी अंतर्वाह तथा विदेशी विनिमय बाज़ार को मजबूत करने के लिए अनेक उपाए अपनाए।

हालांकि वर्ष 2013-14 की तीसरी और चौथी तिमाही में अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार आया तथा प्रथम और दूसरी तिमाही में 4.4 व 4.8 प्रतिशत की वृद्धि की अपेक्षा 5.2 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद की गई। वर्तमान में अर्थव्यवस्था ज्यादा स्थिर है। आर्थिक घाटा घट रहा है, चालू खाता घाटा निहित हो चुका है, मुद्रास्फीति नियंत्रित की जा चुकी है, विनिमय दर स्थिर है, निर्यात बढ़ा है तथा वृद्धि दर बढ़ रही है।

अर्थव्यवस्था के इस परिदृश्य में बैंक ने चुनौतियों का डटकर सामना किया। वर्ष के शुरू से अंत तक आस्ति गुणवत्ता इसका गंभीर कारण रहा। जमा की उच्च कीमत, अनर्जक आस्तियों में वृद्धि, कम आय तथा कम शुद्ध ब्याज आय के साथ बैंक की लाभप्रदता पर दबाव बना रहा।

कार्य-निष्पादन परिणाम

कुल व्यापार

दिनांक 31.03.2013 को बैंक के 122485 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 31.03.2014 की समाप्ति पर बैंक के कुल व्यापार में 16.41 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जो कि 142588 करोड़ रु. रहा।

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के परिणामों की प्रमुख बातें			राशि लाखों में
	समाप्त वर्ष		प्रतिशत में परिवर्तन
	31.03.2014	31.03.2013	
ब्याज की आय	797271	734013	8.62%
अन्य आय	42728	39422	8.39%
कुल आय	839999	773434	8.61%
कुल व्यय	759945	679549	11.83

DIRECTORS' REPORT 2013-14

The Board of Directors have pleasure in presenting Annual Report of the Bank alongwith the Balance Sheet & Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2014.

ECONOMIC OUTLOOK

Indian economy continued to face challenging times during 2013-14. The slowdown of the economy that began in 2011-12 continued during this year. The sluggish growth and inflationary pressure remained serious concern of the economy throughout the year. In fact, since Sep 2009 the state of the world economy has been the most decisive factor impacting the economy of every developing country including India. Among India's major trading partners, USA is showing signs of recovery from a long recession, Japan's economy is responding to stimulus, Euro zone is reporting a fractional growth of 0.2% and China's growth slowed during 2013-14. The challenges faced by India are common to all emerging economies. However, India coped with these challenges in a better way than other emerging economies during 2013-14.

The Govt. of India had declared fiscal consolidation, price stability, self sufficiency in food, revival of good environment in investment, promotion of manufacturing, encouragement to exports, quicker implementation of projects as its objectives. However, infrastructure, petroleum, power, coal and textiles continued to remain stressed sectors of the economy.

While the Government successfully contained the Current Account Deficit, controlling inflation proved to be difficult. However, economy once again proved its resilience.

The performance of Indian agriculture was better than industry. The industry continued to be a stressed sector of the economy. The deceleration in investment in manufacturing has remained particular area of concern. Though exports recovered sharply, however, imports remained down which did not augur well either for manufacturing or domestic trade.

The exchange rate affected the Rupee adversely. However, the Government, RBI and other concerned agencies undertook number of measures to improve capital inflow and stabilize foreign exchange market.

However, the state of the economy improved during Q3-Q4 of 2013-14 and growth is expected to be at least 5.2% against growth in Q1 and Q2 of 2013-14 at 4.4% and 4.8% respectively. The economy is more stable today. The fiscal deficit is declining, CAD has been contained, inflation has moderated, the exchange rate is stable, exports have increased and growth rate is on the rise.

In the given scenario of the economy, Bank faced the challenges bravely, even though the asset quality remained a serious cause of concern throughout the year and there has been pressure on the profitability of the Bank with high cost of deposit, rise in NPAs, low income and lower Net Interest Income.

WORKING RESULTS

TOTAL BUSINESS

During the year ended 31.03.2014, total Business of the Bank recorded an increase of 16.41% at Rs.142588 crore as compared to Rs.122485 crore as on 31.03.2013.

HIGHLIGHTS OF RESULTS FOR THE YEAR ENDED 31 ST MARCH 2014			
(Rs in Lacs)			
	Year Ended		%age change
	31.03.2014	31.03.2013	
Interest Income	797271	734012	8.62
Other Income	42728	39422	8.39
Total Income	839999	773434	8.61
Total Expenditure	759945	679549	11.83

परिचालन लाभ	80054	93885	(14.73)
शुद्ध लाभ	30063	33922	(11.38)
आस्तियों पर प्रतिफल	0.35%	0.44%	—
शुद्ध ब्याज मार्जिन (एन.आई.एम.)	1.88%	2.15%	—
सकल अनर्जक आस्तियां (%)	4.41%	2.96%	—
शुद्ध अनर्जक आस्तियां (%)	3.35%	2.16%	—
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%) (बेसल-II)	12.10%	12.91%	—
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%) (बेसल-III)	11.04%	लागू नहीं	—
प्रति शेयर आय (ई.पी.एस.)	10.69%	13.49	—

लाभ

वित्तीय-वर्ष 2012-13 के दौरान 339.22 करोड़ रु. की तुलना में बैंक ने वर्ष 2013-14 के दौरान 300.63 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया।

पूंजी एवं आरक्षित निधि

सेबी आई.सी.डी.आर. अधिनियम के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक / वित्त मंत्रालय से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, बैंक ने वर्ष के दौरान प्रति शेयर रु.10/-के अनुसार 2,12,63,023 इक्विटी शेयरों को भारत सरकार को 47.03 रु. प्रति शेयर की निर्णीत दर पर अधिमान निर्गम के आधार पर जारी किया है। तदनुसार, बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी 21.26 करोड़ रु.की वृद्धि के साथ, 275.28 करोड़ रु. हो गई है और शेयर प्रीमियम 78.52 करोड़ रु. से बढ़ कर (प्राप्त शेयर प्रीमियम 78.74 करोड़ रु. में से शेयर निर्गम व्यय के 0.22 करोड़ रु.कम कर के) 703.98 करोड़ रु. हो गया है

दिनांक 31.03.2013 को बैंक की निवल मालियत 3897.25 करोड़ रु. थी जो दिनांक 31.03.2014 को 4180.40 करोड़ रु. हो गई है।

दिनांक 31.03.2014 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल- III) 11.04% है जबकि न्यूनतम निर्धारित पूंजी पर्याप्तता अनुपात 9% है।

गैर-जमानती प्रतिदेय बांड: (टीयर-II की पूंजी हेतु गौण ऋण)

31.03.2014 को टीयर- II बांड के कुल बकाया 1,365 करोड़ रु. पर अपरिवर्तित हैं।

जमा

बैंक की कुल जमा राशियों में 31 मार्च, 2014 को 19.94% की वृद्धि हुई जिससे 14088.66 करोड़ रु. की संवृद्धि के साथ यह 84730.16 करोड़ रु. हो गई जोकि दिनांक 31 मार्च, 2013 को 70641.50 करोड़ रु. थी। दिनांक 31.03.2014 को बैंक की औसत जमा लागत 8.22% रही जोकि पिछले वर्ष 8.32% थी।

अग्रिम :

दिनांक 31.03.2014 को बैंक के कुल अग्रिम 11.60% गुणात्मक ऋण वृद्धि के साथ 57857.74 करोड़ रु. रहे जो कि दिनांक 31.03.2013 को 51843.35 करोड़ रु. थे। 31.03.2014 के अनुसार अग्रिमों पर औसत प्रतिफल 11.34% रहा जो कि पिछले वर्ष 11.86% था।

बैंक का गैर-वित्तीय अग्रिम कारोबार 31.03.2013 की स्थितिनुसार 3578.73 करोड़ रुपए की अपेक्षा 31.03.2014 को 3433.42 करोड़ रुपए रहा।

बैंक ने ऋण कारोबार का विविधिकरण किया है तथा बैंक की सुदृढ ऋण नीति के अनुसार सभी क्षेत्रों अर्थात उद्योग, मूलभूत सेवाएं, कृषि, खुदरा (वैयक्तिक ऋण) आवास तथा उपभोग जैसे क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराया है। कृषि, निर्माण, आवास, वस्त्र, शिक्षा, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एम.एस.एम.ई.) जैसे वरीयता प्राप्त क्षेत्रों में बैंक के ऋणों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आवास क्षेत्र के अग्रिम में 18.40 प्रतिशत की वृद्धि हुई (31.03.2013 के 2360.33 करोड़ रु. से बढ़कर 31.03.2014 को 2795.18 करोड़ रु.)। सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र को दिए अग्रिमों में 39.50% (31.03.13 को 10113.01 करोड़ रु. से 31.03.2014 को रु. 14107.89 करोड़ रु.) की वृद्धि हुई। आधारभूत सेवाओं से इतर उद्योगों को दिए गए ऋणों में 8.58% (दिनांक 31.03.2013 को 9000.80 करोड़ रु. से 31.03.2014 को 9773.05करोड़ रु.) की वृद्धि हुई। जिसमें मुख्यतः क्षेत्र सम्मिलित हैं जैसे- खाद्य-प्रसंस्करण (28.10%) 683.98 करोड़ रु. से 876.19करोड़ रु. आदि शामिल थे। वर्ष 2013-14 के दौरान वस्त्र उद्योग हेतु दिए गए अग्रिम में (3.17%) दिनांक 31.03.2013 को 1369.15 करोड़ रु. से बढ़कर दिनांक 31.03.2014 को 1412.67करोड़ रु. की वृद्धि हुई। आधारभूत क्षेत्रों को दिए ऋणों में ऊर्जा (2.21%) (पूर्व में पावर व इलैक्ट्रिसिटी) 12164.55 करोड़ रु. से 12433.73करोड़ रु. की वृद्धि हुई। अतिरिक्त निधीयन सहित डिस्कॉम (DISCOM) खातों के पुनर्निर्माण के कारण ऊर्जा क्षेत्र में प्रदर्शन में वृद्धि हुई है।

Operating profit	80054	93885	(14.73)
Net Profit	30063	33922	(11.38)
Return on Assets (ROA)	0.35%	0.44%	---
Net Interest Margin (NIM)	1.88%	2.15%	---
Gross NPA%	4.41%	2.96%	---
Net NPA(%)	3.35%	2.16%	---
Capital Adequacy Ratio (%) (Basel II)	12.10%	12.91%	---
Capital Adequacy Ratio(%) (Basel III)	11.04%	NA	---
EPS	10.69	13.49	---

PROFIT

The Bank recorded a Net Profit of Rs.300.63 crore for the year 2013-14 as compared to that at Rs.339.22 crore during the FY 2012-13.

CAPITAL AND RESERVE

During the year, Bank has issued 2,12,63,023 Equity Shares of Rs.10/ each to Government of India by way of Preferential Issue at a price of Rs.47.03 per share determined as per ICDR Regulation of SEBI after taking necessary approval from RBI/ MOF. Accordingly, the Equity Share Capital of the Bank has increased by Rs.21.26 crore to Rs.275.28 crore and Share Premium has increased by Rs.78.52 crore (Share Premium Received Rs.78.74 crore minus Share Issue Expenses Rs.0.22 crore) to Rs.703.98 crore.

The Net Worth of the Bank has improved from Rs.3897.25 crore as on 31.03.2013 to Rs.4180.40 crore as on 31.03.2014.

The Capital Adequacy Ratio (Basel III) of the Bank is 11.04% as on 31.03.2014 against the minimum stipulated requirement of 9%.

UNSECURED REDEEMABLE BONDS: (Subordinated Debts for Tier –II Capital)

Total outstanding of Tier II Bonds as on 31.03.2014 remains unchanged at Rs.1,365 crore .

DEPOSITS

The total deposit of the Bank registered a growth of 19.94% with Net accretion of Rs.14088.66 crore to reach Rs.84730.16 crore as on March 31, 2014 from Rs.70641.50 crore as on March 31, 2013. The average cost of deposits of the bank stood at 8.22% as compared to 8.32% in previous year.

ADVANCES

The Bank has registered qualitative credit growth of 11.60% during the FY 2013-14. The Gross Advances of the Bank increased from Rs.51843.35 crore as on 31.03.2013 to Rs.57857.74 crore as on 31.03.2014. The average Yield on Advances stood at 11.34% as on 31.03.2014 as compared to 11.86 % as on 31.03.2013.

Non Fund Advances business of the bank stood at Rs.3433.42 crore as on 31.03.2014 as against Rs.3578.73 crore as on 31.03.2013.

The Bank has a diversified portfolio of Advances and has extended credit to all sectors i.e Industry, Services, Agriculture, Retail Lending etc; as per vibrant Loan Policy of the Bank. There was notable credit growth to preferred sectors like Agriculture, Construction, Housing sector, Education, Small & Medium Enterprises (MSME) etc. Advances to Housing Sector increased by 18.40% (from Rs.2360.33 crore as on 31.03.13 to Rs.2795.18 crore as on 31.03.14). Credit growth in MSME Sector was 39.50% (from Rs.10113.01 crore as on 31.03.13 to Rs.14107.89 crore as on 31.03.14). Credit exposure to industry other than infrastructure increased by 8.58% (from Rs.9000.80 crore on 31.03.2013 to Rs.9773.05 crore on 31.03.2014) which mainly comprised of sectors viz: Food processing (28.10%) from Rs.683.98 crore to Rs.876.19 crore etc. growth of credit to Textiles during FY 2013-14 was (3.17%) from Rs.1369.15 crore on 31.03.2013 to Rs.1412.67 crore on 31.03.2014. Credit growth to infrastructure sector was in Energy (2.21%) (Earlier Power & Electricity) from Rs.12164.55 crore to Rs.12433.73 crore. Exposure in Energy Sector has increased due to restructuring of accounts of DISCOMS with additional funding.

इसके ऋण मूल्यांकन को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु बैंक ने सनदी लेखाकारों तथा तकनीकी व्यक्तियों (इंजीनियरों) की भर्ती की है। ऋणों में वृद्धि तथा ऋण आवेदनों के तुरंत निपटान हेतु बैंक ने एक नया व्यापार गुप तैयार किया है जहाँ उच्च मूल्य वाले प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाती है ताकि वे शीघ्रता से स्वीकृत किए जा सकें।

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम

बैंक ने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के विभिन्न लक्ष्यों जिनमें कृषि, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम, आवास, शिक्षा, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदायों हेतु सूक्ष्म-ऋण शामिल हैं को, पूर्व की भांति जारी रखा है।

बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में 4096 करोड़ की वृद्धि हुई जो कि 31.03.2013 को ₹.13605 करोड़ रूपए से बढ़कर 31.03.2014 को 17701 करोड़ रूपए हो गए। इस प्रकार इसमें वार्षिक आधार पर 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

कृषि अग्रिम

बैंक के कृषि-पोर्टफोलियो में अग्रिम दिनांक 31.03.2014 को ₹.7919 करोड़ रूपए थे। मार्च, 2014 के अंत में कृषि ऋणों में 3007 करोड़ ₹. की वृद्धि हुई। कृषि अग्रिमों में बड़ी अभिवृद्धि प्रत्यक्ष कृषि के तहत हुई तथा ये अग्रिम 1151 करोड़ ₹. की शुद्ध वृद्धि के साथ 5537 करोड़ ₹. हो गए तथा पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

विशेष कृषि-ऋण योजना (एसएसीपी)

बैंक ने कृषि में 100 प्रतिशत से अधिक ऋण प्रवाह बनाए रखा। बैंक ने वित्त-वर्ष 2013-14 में विशेष कृषि-ऋण योजना (एसएसीपी) के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य 7055 करोड़ ₹. के विरुद्ध 7271 करोड़ ₹. का संवितरण किया तथा लक्ष्य का 103 प्रतिशत प्राप्त किया।

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)

वर्ष 2013-14 के दौरान, बैंक के किसान क्रेडिट कार्डों की कुल संख्या 14% की वृद्धि के साथ 19125 हो गई। मार्च, 2014 को बैंक के किसान क्रेडिट कार्डों के तहत बकाया ऋण 4503 करोड़ ₹. था। किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को दिनांक 31.03.2014 तक 99265 किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को एटीएम समर्थित किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाए गए तथा 86% पात्र क्रेडिट कार्ड धारकों को कवर किया गया।

सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योग (एम.एस.एम.इ.)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, बैंक की ऋण उपलब्ध कराने में महत्व वाले क्षेत्र रहे हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान, एमएसएमई क्षेत्र के अग्रिमों में 40% की बढ़त के साथ, 31.03.2014 को 3996 करोड़ ₹. की वृद्धि के साथ 14108 करोड़ ₹. रहे।

अल्पसंख्यक समुदाय हित :

मार्च, 2014 को अल्पसंख्यक समुदायों को 6737 करोड़ ₹. के अग्रिम आंबटित किए गए जिनमें 18% की वृद्धि दर्ज की गई तथा यह प्राथमिकता क्षेत्र को कुल अग्रिम के निर्धारित स्तर 15% के विरुद्ध 38% है।

महिला उद्यमियों को ऋण :

बैंक के महिला उद्यमियों को अग्रिम 31.03.2014 को 231 करोड़ ₹. की वृद्धि के साथ 2414 करोड़ ₹. रहे तथा एएनबीसी (ANBC) का 5% है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उधारकर्ताओं को अग्रिम :

समाज के अल्पसुविधा प्राप्त वर्गों की सहायता में बैंक के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को दिए गए अग्रिम मार्च, 2014 को 357 करोड़ ₹. हो गए जो कि मार्च, 2013 को 327 करोड़ ₹. थे।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अग्रिम :

कमजोर वर्ग समूहों को अग्रिम 17% की वार्षिक वृद्धि दर से 5578 करोड़ ₹. थे। एएनबीसी द्वारा कमजोर वर्गों को निर्धारित अग्रिम 10% के विरुद्ध 11% रहा।

सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत आजीविका, राजीव ऋण योजना, स्वर्णजयन्ती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), तथा प्रधानमंत्री रोजगार निर्माण कार्यक्रम (पीएमइजीपी) विभिन्न योजनाओं के तहत बैंक ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता हेतु एक विशेष संगठन बनाया है।

To strengthen its credit appraisal, the Bank has recruited Chartered Accountants and Technical personnel i.e; Engineers. For improving credit off-take and expeditious disposal of loan proposals, Bank has introduced concept of New Business Proposal Committee, where all proposals of High Value are given in principle sanction /expression of interest for ensuring expeditious processing.

PRIORITY SECTOR ADVANCES

Bank continues to accord importance to varied goals under National priorities, including Agriculture, Micro & Small Enterprises, Housing, Education, Micro-credit, Weaker sections, SC/STs and Minority communities.

Priority Sector advances of the Bank increased by Rs.4096 crore, up from Rs.13605 crore as on 31.3.2013 to Rs 17701 crore as on 31.3.2014 thereby registering a growth of 30% on year to year basis.

AGRICULTURE ADVANCES

Bank's advances under agriculture portfolio stood at Rs.7919 crore as on 31.3.2014 registering a growth of Rs.3007 crore. The major accretion under Agriculture has been under Direct Agriculture and these advances increased to Rs.5537 crore with an absolute growth of Rs.1151 crore registering a growth rate of 26 % over the previous year.

SPECIAL AGRICULTURAL CREDIT PLAN (SACP)

Bank maintained credit flow to Agriculture achieving more than 100%. Bank has disbursed Rs.7271 crore under Special Agriculture Credit Plan (SACP) against the target of Rs.7055 crore, achieving 103% during the FY 2013-14.

KISAN CREDIT CARD (KCC)

During the year 2013-14, the total number of KCCs of the Bank increased by 19125 showing growth rate of 14%. As at March 2014, the credit outstanding under KCCs was Rs.4503 crore. As at March 2014, 99265 KCC holders have been provided with ATM enabled 'RuPay Kisan Debit Cards' covering 86% of eligible KCC holders.

MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES (MSMEs)

Micro, Small & Medium Enterprises is a thrust area of the Bank in credit dispensation. Advances to MSME sector increased by Rs.3996 crore registering a growth rate of 40% in 2013-14 and stood at Rs.14108 crore as on 31.03.2014.

WELFARE OF MINORITY COMMUNITY

As at March 2014, advances to specified minority communities aggregated to Rs.6737 crore, registering a growth of 18% and accounting for 38% of the total priority sector advances against the stipulated level of 15%.

CREDIT TO WOMEN ENTREPRENEURS:

Bank's credit to women entrepreneurs stood at Rs.2414 crore as on 31.03.2014 registering a growth of Rs.231 crore accounting for 5% of ANBC.

ADVANCES TO SC/ST BORROWERS

In support of the underprivileged sections of the society, the Bank's advances to SC/ST beneficiaries reached Rs.357 crore as at March 2014 from Rs.327 Crore as at March-2013.

ADVANCES TO ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Advances to weaker sections aggregated to Rs.5578 crore, with a y-o-y growth of 17%. Advances to weaker sections formed 11% of ANBC against the minimum norm of 10%.

Special thrust was laid by the Bank in financing weaker sections including SC/STs under various Government sponsored schemes namely Ajeevika under National Rural Livelihood Mission (NRLM), Rajiv Rinn Yojana, Swarna Jayanti Shahari Rojgar Yojana (SJSRY) and Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP).

ऋण-निगरानी

बैंक ने अपने सुस्थापित ऋण निगरानी एवं योजना विभाग के माध्यम से, बैंक की आकर्षक ऋण योजना तैयारी के द्वारा इसके अग्रिम पोर्टफोलियो तथा इसकी गुणवत्ता एवं कार्य-निष्पादन को व्यवस्थित करने के लिए इसके अग्रिम पोर्टफोलियो की निगरानी के लिए निर्देश देना जारी रखा है।

नई चूकों की उचित एवं प्रभावशाली निगरानी तथा उन्हें कम करने के उपाय करने के लिए विभाग ने प्रधान कार्यालय स्तर पर, वैयक्तिक उच्च मूल्य खातों की निगरानी प्रारम्भ की है।

इसके अतिरिक्त, बैंक ने अग्रिम पोर्टफोलियो की निगरानी हेतु प्रधान कार्यालय ऋण निगरानी विभाग में नियंत्रण-कक्ष की स्थापना की गई है, जिसे सनदी लेखाकारों (सीए) तथा अनुभवी अधिकारियों की एक टीम ने व्यवस्थित किया है। यह टीम उधार खातों में उभरती ऋण सम्बन्धी समस्याओं की पहचान करेगी तथा तत्सम्बन्धी उचित सक्रिय कदम उठाने के लिए दैनिक-रिपोर्ट शीर्ष प्रबंधन को सौंपेगी।

नए आयाम :

- बैंक ने पिछले वित्त वर्ष में खोली गई 101 शाखाओं के विरुद्ध वर्ष 2013-14 में 202 नई शाखाएं खोली जिनमें से 72 शाखाएं (40 अति लघु शाखाओं सहित) गैर बैंकिंग ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई।
- इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी चैनल का विस्तार करते हुए बैंक ने वर्ष के दौरान 829 एटीएम इंस्टॉल किए। इस प्रकार बैंक के कुल एटीएम की संख्या 31.03.2014 को 1008 हो गई जो कि पिछले वर्ष दिनांक 31.03.2013 को 179 थी।
- गवर्नमेंट बिजनेस मॉड्यूल (पीपीएफ, एनपीएस व एससीएसएस) को गतिशील बनाया गया।
- बैंक ने ग्राहकों की सुविधा के लिए 24x7 कॉल सेंटर सुविधा की शुरुआत की है।
- वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने डेबिट कार्ड को मास्टर कार्ड के साथ टाई-अप करके शुरुआत की।
- ग्रामीण क्षेत्र में अपनी पहुँच बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2013-14 में 115 ग्रामीण शाखाएं खोली गई तथा वर्तमान 97 कृषि क्षेत्राधिकारियों के अतिरिक्त 37 कृषि क्षेत्राधिकारियों की नियुक्ति की गई।
- बैंक ने बीज उत्पादन व प्रसंस्करण ईकाई को वित्त-पोषण तथा एग्रीकल्चर इन्पुट डीलर्स (बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि) के वित्त-पोषण हेतु नई योजनाएं शुरू कीं।
- 31.03.2013 की 11 एमएसएमई शाखाओं की तुलना में 31.03.2014 को बैंक में 29 एमएसएमई शाखाएँ हैं।
- बैंक ने लघु एवं मझोले उद्योग ऋण में तेजी लाने के लिए एमएसएमई अग्रिम पर पुनर्गठित ब्याज दरों तथा रियायती पुनर्गठित दरों पर एमएसई यूनिट की क्रेडिट रेटिंग हेतु क्रिसिल (CRISIL) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- विशेष अभियान द्वारा प्राथमिक क्षेत्र के तहत ऋणों में बड़ा परिवर्तन हुआ। दिनांक 01 सितंबर, 2013 से 31 मार्च, 2014 के दौरान तक आयोजित विशेष अभियान/मेगा क्रेडिट कैम्पेन/ 'कोर क्रेडिट प्लस कैम्पेन के अर्न्तगत प्राथमिकता क्षेत्र के तहत 43152 खातों में 3851 करोड़ रु. की राशि संवितरित की गई।

बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित आरआरबी, सतलुज ग्रामीण बैंक, भठिंडा, पंजाब के छः जिले यथा बठिंडा, फरीदकोट, मानसा, मुक्तसर, मोगा तथा लुधियाना में स्थापना काल से ही लाभ में चल रहा है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने विभिन्न मापदंडों में निम्नानुसार निरंतर प्रगति की है:-

मानदण्ड	31.03.2013	31.03.2014
जमा	264.73	306.46
कुल अग्रिम	203.56	256.14
प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	194.81	198.23
कृषि अग्रिम	175.28	181.79
शुद्ध लाभ	1.55	2.36

अग्रणी बैंक की जिम्मेदारियाँ/वित्तीय साक्षरता परामर्श केंद्रों की स्थापना (एफएलसीसी) :

बैंक ने सभी तीन अग्रणी जिलों यथा मोगा, फरीदकोट तथा लुधियाना की जिम्मेदारियाँ ली हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकिंग तंत्र से वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने के लिए जरूरतमंद व्यक्तियों को वित्तीय साक्षरता/ऋण काउंसलिंग सुविधाओं

CREDIT MONITORING

The Bank through its well-established Credit policy Department continues to give directions to its Advances Portfolios by preparing vibrant Loan Policy of the Bank and also monitor its Advances portfolio to maintain its quality and performance.

In order to have proper and effective monitoring to check fresh slippages and devise a strategy for their minimization, the department has started monitoring individual High Value Accounts at HO level.

Towards this end Bank has set up a control room at HO Credit Monitoring Department for monitoring of Credit Portfolio which is manned by a team of CAs and experienced officials. The team identifies emerging credit related issues in borrowal accounts and puts up the position before Top Management on daily basis for taking proactive corrective steps.

NEW INITIATIVES

- Bank has opened 202 new branches during the year 2013-14 as against 101 new branches opened in last fiscal. Out of these, 72 branches were opened in unbanked rural centers including 40 Ultra Small Branches.
- To widen the spread of Electronic Delivery Channels, Bank installed 829 additional ATMs during the year. Total number of ATMs of the Bank as on 31.03.2014, stood at 1008 as compared to 179 as on 31.03.2013.
- Government Business Modules (PPF, NPS & SCSS) have been made operational.
- To facilitate customers, Bank has introduced 24*7 Call Center facility through Toll free number.
- Bank has launched Debit Card in tie up with Master Card during the year 2013-14.
- In order to outreach masses, Bank has opened 115 rural branches and recruited 37 Agriculture Field Officers in 2013-14 in addition to existing 97 Agriculture Field Officers.
- Bank has introduced new scheme for Financing Seed production and processing units and scheme for Financing of Agriculture Input dealers (Seeds, fertilizers, pesticides etc).
- As on 31.03.2014, Bank has 29 MSME branches as against 11 MSME branches as on 31.03.2013.
- To give boost to MSE credit, Bank signed a MOU with CRISIL for credit rating of MSE units at concessional rate to have rationalized mechanism of rate of interest on MSME advances.
- There has been a quantum jump in lending under Priority Sector through special drives. An amount of Rs.3851 crore was disbursed in 43152 accounts under Priority Sector during the Special Drives / Mega Credit Campaign/ Core Credit plus campaign held from 1st September, 2013 to 31st March, 2014.

RRB SPONSORED BY THE BANK

Sutlej Gramin Bank, Bhatinda, the RRB sponsored by the Bank, covers six districts of Punjab viz. Bhatinda, Faridkot, Mansa, Muktsar, Moga and Ludhiana and is in profit since its inception. The progress made by the RRB in various parameters is as under:

(Amount in Crore)

Parameter	31.3.2013	31.03.2014
Deposits	264.73	306.46
Advances	203.56	256.14
Priority Sector Advances	194.81	198.23
Agriculture Advances	175.28	181.79
Net Profit	1.55	2.36

LEAD BANK RESPONSIBILITY/SETTING UP OF FINANCIAL LITERACY AND CREDIT COUNSELLING CENTRES (FLCCs)

Bank has lead bank responsibilities in 3 districts of Punjab viz., Moga, Faridkot and Ludhiana. Pursuant to the directions of Reserve Bank of India, Bank has set up FLCCs in the name of "PSB Suvidha Centres" in all three lead

की जानकारी देने तथा ऋण-भार के कारण वित्तीय तनावग्रस्त लोगों को काउंसिलिंग सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु उक्त तीनों जिलों में 'पीएसबी सुविधा केन्द्र' के नाम से एफएलसीसी की स्थापना की गई है।

ग्रामीण विकास में योगदान :

बैंक ने कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग हेतु पीएसबी ट्रस्ट स्थापित किया है ताकि किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना तथा ग्रामीण युवाओं/महिलाओं/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की क्षमता विकास व ट्रेक्टर रख-रखाव, पशु कल्याण कैंप संचालन आदि उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के प्रयासों के अनुसार बैंक ने कृषि एवं ग्रामीण रोजगार के पीएसबी ट्रस्ट के तत्वावधान में पंजाब के तीन अग्रणी जिलों—मोगा, फरीदकोट, लुधियाना में ग्रामीण युवाओं के मध्य उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने तथा स्व-रोजगार कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए 'ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान' (आरएसइटी) स्थापित किए हैं। इन ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसइटी) के लिए परिचालनात्मक व्यय, सहयोगी कर्मचारियों को वेतन तथा मूलभूत सुविधाएं ये सभी कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान इन प्रशिक्षण संस्थानों में 1410 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया, जिससे अब तक 4729 बेरोजगार प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजाब सरकार ने ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाने के लिए भूमि आबंटित कर दी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त वित्तीय सहायता से मोगा में ग्रामीण स्व-रोजगार संस्थान के लिए भवननिर्माण कार्य पूरा हो गया है। फरीदकोट में निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा लुधियाना में निर्माण कार्य प्रक्रिया में है।

वित्तीय-समावेशन

वित्तीय-समावेशन केवल एक प्रक्रिया ही नहीं है, बल्कि बैंक का एक मिशन है ताकि जन-साधारण के वंचित तथा अयोग्य खंडों को सशक्त किया जाए तथा बैंक का प्रयास है कि वह इन लोगों जैसे कि 'अपवर्जित का समावेशन' को बैंकिंग प्रणाली से जोड़े और उन्हें समाज की एक उत्पादक आस्ति बनाएं। इसके लिए बैंक द्वारा किए गए प्रयास निम्नानुसार हैं:—

- बैंक को 2000 या इससे अधिक आबादी वाले 400 तथा 2000 से कम आबादी वाले 2316 गैर बैंकिंग गाँव आबंटित किए गए थे। इन गाँवों को बैंक ने ईट-गारे की शाखा या व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल आधारित सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से कवर किया है। दिनांक 31.03.2014 तक 2000 से अधिक आबादी वाले 400 गाँव में से 359 गाँव व्यवसाय प्रतिनिधि के अंतर्गत कवर किए जा चुके हैं तथा इनका नामांकन भी प्रारंभ हो चुका है, 38 गाँवों में ग्रामीण शाखाएं खोलकर उन्हें कवर किया गया है तथा मणिपुर में 3 गाँवों में विद्रोह के कारण नामांकन शुरू नहीं हो पाया। 2000 से कम आबादी वाले 2316 गाँवों में से 334 गाँवों में 193 व्यवसाय प्रतिनिधि तैनात कर उन्हें कवर किया गया है।
- बैंक ने 3 वर्षों में 120 अति लघु शाखाएं (कमशः 2013-14, 2014-15 व 2015-16 प्रत्येक वर्ष में 40) खोलने की योजना बनाई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के 40 अति लघु शाखाएं खोलने के लक्ष्य को बैंक ने प्राप्त कर लिया है। इन शाखाओं को बैंक के सीबीएस प्लैटफॉर्म पर खोला गया है तथा इन्हें बैंक के स्थाई स्टाफ सदस्यों द्वारा संचालित किया जा रहा है।
- बैंक में वित्तीय समावेशन गेटवे (एफआईगेटवे) को सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर दिया गया है तथा दिनांक 31.03.2014 को कुरली (पंजाब) में बैंक का कियोस्क लाईव पर प्रथम ग्राहक सेवा केंद्र बन गया है।
- व्यवसाय प्रतिनिधियों के माध्यम 65,000 नो-फ़िल खाते खोले गए तथा मार्च, 2014 तक 0.26 करोड़ की बकाया राशि के साथ कुल नोफ़िल खातों की संख्या 1.45 लाख खोले गए। नो फ़िल खातों में संचय राशि 10.86 लाख रुपये, कुल बकाया राशि 61.84 करोड़ है।
- 4503.31 करोड़ रुपए की बकाया राशि सहित 154570 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए।
- बैंक ने 12.72 करोड़ रु. की राशि सहित 2.88 लाख खातों में 500/-रु. की ओवर ड्रॉफ़्ट की, प्रति खाता सुविधा का लाभ दिया है।

सभी एफआई खातों को सीबीएस सर्वर में स्थानांतरित कर दिया गया है तथा पूरी प्रक्रिया परिचालित है।

प्रत्यक्ष नकदी अंतरण (डीसीटी) सुविधा का कार्यान्वयन :-

- वित्त मंत्रालय के दिनांक 16.11.2012 के दिशानिर्देशों के अनुसार 43 जिलों में दिनांक 01.01.2013 से प्रत्यक्ष नकदी अंतरण सुविधा को कार्यान्वित कर दिया गया है तथा दिनांक 1.07.2013 से प्रभावी द्वितीय चरण में 78 और शाखाओं में इसका विस्तार किया गया है। प्रत्यक्ष नकदी अंतरण 121 जिलों में पहले ही से कार्यान्वित है।
- एलपीजी लाभार्थियों के लिए डीबीटीएल योजना को 289 जिलों में कार्यान्वित किया जा चुका है तथा देश के अन्य भागों में भी इसे चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित कर दिया जाएगा। हमारा बैंक जिला लुधियाना, फरीदकोट तथा मोगा में लीड बैंक है।

districts to impart free Financial Literacy/Credit Counseling Services to the needy persons to help them avail financial services from Banking system and also to provide counseling services to those who are under financial distress due to debt burden.

CONTRIBUTION TO RURAL DEVELOPMENT

'PSB Trust for Development of Agriculture and Rural Employment' (PSB Trust for DARE) has been established with the objectives of setting up training institutes for imparting trainings to farmers and for capacity building of the rural youth/women/economically weaker sections and also organizing tractor maintenance, animal welfare camps etc. through Rural Development Centres.

As per initiative of Ministry of Rural Development (MoRD), Govt. of India, Bank under the aegis of 'PSB Trust for Development of Agriculture and Rural Employment' has established '**Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs)**' in three of its lead districts Moga, Faridkot and Ludhiana in Punjab to promote entrepreneurship development among rural youth and encourage them taking up self-employment activities. The operational expenditures, salary to support staff and infrastructure facility of these RSETIs are fully met by Trust for Development of Agriculture and Rural Employment (DARE). During 2013-14, these training institutes have trained 1410 unemployed candidates, taking the tally to 4729 trained youths since inception.

As per MoRD guidelines, Government of Punjab allotted land for setting up Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs). With the financial assistance of MoRD/Bank's CSR fund assistance, the construction of RSETI Building at Moga is completed. The construction work at Faridkot is in full swing and at Ludhiana the work is under progress.

FINANCIAL INCLUSION

Financial Inclusion is not only a process but a Mission for the Bank to empower deprived and underserved sections of the population and the endeavor of the bank has been to connect these people with the banking system i.e. "inclusion of the excluded" and make them a productive asset of the society. Key initiatives of the bank are as under:

- Bank has been allotted 400 unbanked villages with population above 2000 and 2316 unbanked villages with population below 2000. These villages have been covered by the bank either by opening regular Brick and Mortar Branches or through Information Communication Technology (ICT) based Business Correspondent (BC) model. As on 31.03.2014, out of the 400 villages with population above 2000, 359 villages have been covered by deployment of BCAs and enrolment have already been started, 38 villages have been covered by opening Rural Branches. Out of 2316 villages with population less than 2000, 334 villages have been covered by deployment of 193 BCAs.
- Bank has planned to open 120 USBs over a period of 3 years i.e. 40 each in 2013-14, 2014-15 and 2015-16. Bank has achieved the 2013-14 targets for opening of 40 USBs. These branches have been opened on CBS platform of the bank and are managed by permanent staff of the bank.
- FI Gateway has been successfully implemented and Bank has made 1st CSC Kiosk live on 31.01.2014 at Kurali (Punjab).
- During the year, Bank has opened 65,000 additional No-Frill Accounts through BCs and total No-frill accounts opened up to March 2014 are 1.45 Lacs with total outstanding of Rs. 0.26 crore. The Cumulative figure of No Frill Account is 10.86 Lac with total outstanding of Rs.61.84 Crore.
- Bank has issued 154570 KCCs with a total outstanding of Rs. 4503.31 crore.
- Bank has provided Over Draft facility of Rs. 500/- per account availed in 2.88 lacs No-frill Accounts with overdraft amount of Rs. 12.72 crore.

All FI accounts have been migrated to CBS Server and total system has since been operationalised.

IMPLEMENTATION OF DIRECT CASH TRANSFER (DCT) & DBTL

- In terms of the directions of Ministry of Finance, Direct Cash Transfer (DCT) has been implemented in 43 districts in a phased manner w.e.f. 01.01.2013 and has been extended to 78 more districts in Phase II w.e.f. 01.07.2013. The DCT Scheme is already implemented in 121 districts.
- The DBTL scheme for LPG beneficiaries has already been implemented in 289 districts and it will be rolled out in rest of the country in phased manner. Our Bank has a lead role in District Ludhiana, Faridkot and

बैंक द्वारा एलपीजी लाभार्थियों के खातों में उनके आधार नंबर प्रविष्टि की प्रक्रिया जारी है। लाभार्थियों की संख्या तथा आधार प्रविष्टि का जिलावार ब्यौरा निम्नानुसार है :

जिला	कुल लाभार्थी	ओएमसी द्वारा आधार प्रविष्टि	बैंक द्वारा आधार प्रविष्टि
फरीदकोट	116811	88853(76.07%)	82116(70.30%)
लुधियाना	958241	647610(67.58%)	554230(57.84%)
मोगा	181195	89654(48.48%)	63981(35.31%)

खुदरा विपणन :

बैंक ने खुदरा ऋणों के लिए बहुत गहनता से कार्य किया और खुदरा खंड के अंतर्गत आने वाले उत्पादों हेतु नीति का उदारीकरण किया तथा बाजार में अपने उत्पादों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने हेतु ब्याज-दरों को औचित्यपूर्ण बनाया। बैंक की लोन बुक के गहन प्रबंधन, जोखिम कम करने तथा लाभप्रदता बढ़ाने के लिए विशिष्ट प्रयास प्रारंभ किए गए।

इसके अतिरिक्त आवास ऋण, ऑटो ऋण तथा उपभोक्ता ऋण-उधारियों के लिए विशेष फेस्टिवल बोनस योजना आरंभ की। वर्ष के दौरान कुछ नए उत्पाद भी आरंभ किए गए। वर्ष के दौरान नए खुदरा ऋणों में पिछले वर्ष की तुलना में 6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष के दौरान सकल अग्रिमों में खुदरा ऋण का प्रतिशत 31.03.2014 को 6.91 प्रतिशत के लगभग थे।

इसके अतिरिक्त अर्जित मुद्रा के वित्तपोषण हेतु राज्य सरकार के विभिन्न विभागीय प्राधिकारियों द्वारा शुरू की गई बुकिंग योजना में सहभागिता की।

बैंक द्वारा खुदरा ऋणों के संभाव्य उधारकर्ताओं के लिए सहित ऑनलाईन आवेदन जमा करने की सुविधा आरंभ की है, इसमें उनकी ई-ट्रेक स्टेटस सुविधा भी है।

बैंक ने ऑटो ऋणों को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण व्यापारिक तथा पैसेंजर कार मैनुफैक्चर्स के साथ एमओयू (MOU) प्रक्रिया में प्रवेश कर रहा है।

आस्ति गुणवत्ता

बैंक ने अनर्जक आस्तियों पर नियंत्रण के लिए अनेक प्रयास किए हैं तथा विधिक साधनों एवं बातचीत पर आधारित समझौतों सहित वसूली के सभी उपलब्ध साधनों का प्रयोग किया है। बैंक ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों का प्रभावी रूप से प्रयोग किया है। बैंक ने इस वित्तीय-वर्ष में विभिन्न केन्द्रों पर वसूली कैम्प का आयोजन किया। वर्ष के दौरान बैंक की वसूली प्रबंधन योजना के अतिरिक्त अनिर्णीत दो खातों तथा कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत अनर्जक आस्तियों के निपटान हेतु दो अल्पावधि योजनाओं का निरूपण किया है। सभी 1554 मामलों में 85.87 करोड़ रु. में निपटान हुआ।

वर्ष के दौरान गैर-निष्पादित खातों में बैंक की वसूली अच्छी रही। वसूली में आकामक तथा केन्द्रित प्रयासों के

परिणामस्वरूप 95.21 करोड़ रु. की तकनीकी बट्टा खातों में वसूली सहित कुल 493.72 करोड़ रु. से अधिक की वसूली की जा सकी। तथापि एनपीए बढ़ने के बावजूद, कुल तथा निवल एनपीए दिनांक 31.03.2013 के 1536.90 करोड़ रु. एवं 1110.38 करोड़ रु. की अपेक्षा 2553.52 करोड़ रु. तथा 1918.60 करोड़ रु. रहा।

31.03.2014 को गैर-निष्पादित आस्तियों की सकल एवं निवल स्थिति 31.03.2013 की तुलना में निम्नानुसार है :-

एनपीए	31.03.2013 की स्थिति अनुसार		31.03.2014 की स्थिति अनुसार	
सकल	1536.90	2.96%	2553.52	4.41%
निवल	1110.38	2.16%	1918.60	3.35%

दिनांक 31.03.2014 को बैंक का प्रावधान सुरक्षा अनुपात (तकनीकी बट्टा खातों सहित) 45.51% रहा।

निवेश प्रबंधन एवं विदेशी विनिमय :

चालू वित्त वर्ष के दौरान बैंक की कॉर्पोरेट क्षेत्र की आवश्यकता, जोखिम वसूली एवं निवेश नीति के अनुरूप कारोबारी संरचना सहित बैंक का कुल निवेश 25.48% की वृद्धि के साथ 28346.61 करोड़ रु. हो गया है।

गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियों तथा सरकारी प्रतिभूति में व्यापारिक क्रियाशीलता खाते पर प्रतिभूति विक्रय लाभ मार्च, 2013 को समाप्त वित्त-वर्ष में 62.98 करोड़ रु. से बढ़कर दिनांक 31.03.2014 को वर्ष की समाप्ति पर 125.37 करोड़ रु. हो गया था।

Moga. Bank is in the process of seeding Aadhaar number of LPG beneficiaries in their Bank accounts. District wise details of number of beneficiaries and Aadhaar seeding as on 31st March 2014 is appended below :

Name of District	Total beneficiaries	Aadhaar seeded by OMCs	Aadhaar seeded by bank
Faridkot	116811	88853 (76.07%)	82116 (70.30%)
Ludhiana	958241	647610 (67.58%)	554230 (57.84%)
Moga	181195	89654 (49.48%)	63981 (35.31%)

RETAIL MARKETING

The Bank aggressively pursued Retail Lending through liberalization of policy for products under the Retail segment, rationalized the interest rates to make the products most competitive in the market and undertook specific marketing initiatives to provide depth to the Loan book of the Bank.

Further, Special Festival Bonanza Scheme was launched for providing Housing Loan, Auto Loan and Consumer Loan to existing and new customers. New innovative Retail products were also launched during the year. The growth in fresh Retail lending was above 6% over previous year.

The percentage of Retail loans to gross advances was 6.91% as on 31-03-14.

Further, the Bank participated in the booking schemes launched by various Housing Development Authorities of State Governments for financing of the earnest money.

The Bank has introduced a facility of online submission of application form by prospective borrowers for Retail Loans with a facility to track the status online.

The Bank also initiated the process for entering into MOU with major commercial and passenger car manufactures to boost Auto lending.

ASSETS QUALITY

The Bank continued to make concerted efforts to contain NPAs and has used all available tools of recovery including negotiated settlements and legal means. The provisions of "The Securitization & Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act – 2002" were used effectively. The Bank also organized Recovery Camps during the year at various centers. During the year, two short term schemes for settlement of NPAs were formulated under Agriculture Sector and unsecured T.W.O accounts apart from Bank's Recovery Management Policy. In all 1554 cases were settled at Rs.85.87 Crore.

The performance of the Bank under recovery of NPAs during the year continued to be good. The aggressive and focused efforts could result in the total recovery of over Rs.493.72 Crore including recovery of Rs.95.21 crore in Technically Written Off accounts.

However, despite higher slippage, the gross and net NPAs as on 31.03.2014 have been contained at Rs.2553.52 crore and Rs.1918.60 crore as against Rs. 1536.90 crore and Rs. 1110.38 crore as on 31.03.2013 respectively.

The position of Gross and Net NPAs as on 31.03.2014 vis-à-vis previous year is as under:

(Amount in crore)

NPA	As on 31.03.2013		As on 31.03.2014	
GROSS	1536.90	2.96%	2553.52	4.41%
NET	1110.38	2.16%	1918.60	3.35%

The Provisioning Coverage Ratio of the Bank (including T.W.O a/cs), as on 31.03.2014 stood at 45.51%.

INVESTMENT & FOREIGN EXCHANGE

The Bank's total investment increased by 25.48% during current financial year to Rs.28346.61 crore with a portfolio composition consistent with the corporate requirement, risk perception and investment policy of the Bank.

The profit on sale of securities for the year increased from Rs. 62.98 crore for year ended March 2013 to Rs. 125.37 crore for the year ended 31.03.2014 on account of trading activities in G-sec and Non-SLR securities.

वर्ष 2013-14 में विदेशी मुद्रा-अंतरण में विनिमय लाभ 26.91 करोड़ रु. रहा। (विदेशी कोष)

जोखिम प्रबंधन

बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके जोखिम परिभाषित जोखिम क्षमता के भीतर है और उनकी पर्याप्त रूप से निगरानी की जाती है, एक सुदृढ़ एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली को कार्यरूप दिया है। बैंक में जोखिम क्षमता तथा प्रभावी जोखिम प्रबंधन कायम करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व बैंक के निदेशक मण्डल एवं शीर्षस्थ बैंक प्रबंधन पर है। बैंक में एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन की निगरानी प्रधान कार्यालय जोखिम प्रबंधन विभाग (आर.एम.डी.) द्वारा की जाती है, जिसके प्रमुख महाप्रबंधक हैं।

निम्नलिखित शीर्षस्थ समितियों के माध्यम से जोखिम प्रबंधन किया जाता है :

1. जोखिम प्रबंधन समिति (आर.एम.सी.)-एक बोर्ड स्तरीय समिति
2. ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सी.आर.एम.सी.)
3. आस्ति एवं देयतायें प्रबंधन समिति (ए एल को)
4. संचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओ.आर.एम.सी.)
5. आईसीएएपी के अनुसार पूंजीगत योजना समिति

ये समितियाँ जोखिम प्रबंधन समिति (आर.एम.सी.)/निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सम्यक् मार्गदर्शी निर्देशों तथा नीतियों की परिधि में अपना काम करती हैं।

नीति-तंत्र

बैंक के समक्ष विभिन्न जोखिमों को मापने, प्रबंधन एवं नियंत्रण करने के लिए बैंक ने निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित नीतियाँ तथा कार्यविधियाँ बनाई हैं।

बैंक के समस्त प्रकार के जोखिमों के विश्लेषण करने के उद्देश्य से एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की गई है। अन्य महत्वपूर्ण जोखिम नीतियों में आस्ति देयता प्रबंधन (ए.एल.एम.) नीति, निवेश-नीति, ऋण-नीति, जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आर.बी.आई.ए.), ऋण लेखा-परीक्षा, देशीय जोखिम प्रबंधन नीति, डेरिवेटिव नीति, परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति, व्यवसाय सतत् आयोजना (बी.सी.पी.) तथा आपदा वसूली प्रबंधन (डी.आर.एम.) नीति, स्ट्रेस टेस्टिंग नीति, ऋण जोखिम कम करने की नीति, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया नीति शामिल हैं। आर.एम. सी./निदेशक मंडल द्वारा वार्षिक आधार पर इन नीतियों की समीक्षा की जाती है।

बैंक का बेसल-II के साथ अनुपालन

भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक ने 31.03.2009 को प्रभावी तिथि से नई पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क को अपनाया है। बेसल-II के आधार पर बैंक नयी पूंजी प्रभार की संगणना के लिए ऋण जोखिम हेतु मानक दृष्टिकोण बाजार जोखिम हेतु रूपांतरित अवधि दृष्टिकोण तथा परिचालनगत जोखिम हेतु मूल संकेतक दृष्टिकोण को अपनाया है। बैंक ने बेसल-III के दिशा-निर्देशों को कार्यान्वित किया है और सी.आर.ए.आर. की संगणना शुरू की है तथा यह जून, 2013 से प्रभावी है। बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा सी.आर.ए.आर. की तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है। बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार बेसल-II के अंतर्गत उन्नत दृष्टिकोण की ओर अग्रसर होने के लिए तैयार है। बेसल-II के उन्नत दृष्टिकोण की ओर अग्रसर होने तथा बेसल-III के दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन हेतु बैंक में विस्तृत संकलन जोखिम प्रबंधन उद्यम प्रक्रिया (ईआईआरएमएस) की स्थापना हेतु एक परामर्शदाता की नियुक्ति की है।

आई.सी.ए.पी. नीति

बेसल-II व बेसल-III एपिलर- 2- “पर्यवेक्षणीय समीक्षा एवं मूल्यांकन प्रक्रिया (एस.आर.ई.पी.)” विषयक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में यह सुनिश्चित करने के लिए कि पूंजी आवश्यकता का मूल्यांकन, बैंक के आकार, जटिलता का स्तर, जोखिम प्रोफाइल तथा संचालन की परिधि के अनुरूप है, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आई.सी.ए.पी.) नीति को तैयार किया है। विभिन्न अवशिष्ट जोखिमों का निर्धारण किया जाता है तथा जहाँ अपेक्षित हो वहाँ अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान तथा अनुमानित वित्तीय/पूंजीगत स्थिति के विश्लेषण तथा गुंजाइश के आधार पर बैंक की पूंजीगत पर्याप्तता का निर्धारण किया जाता है।

विभिन्न स्ट्रेस परिस्थितियों से होने वाले सम्भावित प्रभावों का बैंक की लाभप्रदता की क्षमता के संदर्भ में आघात सहन करने तथा बैंक की पूंजी पर इसके परवर्ती प्रभाव के मूल्यांकन के लिए स्ट्रेस टेस्ट अभ्यास भी किया जाता है। आई.सी.ए.पी. परिणाम तिमाही आधार पर तैयार किया जा है तथा जोखिम प्रबंधन समिति (आर.एम.सी.) द्वारा इसकी समीक्षा की जाती है।

Exchange profit in Forex transactions for the year 2013-14 was Rs 26.91crores (Forex Treasury).

RISK MANAGEMENT

The Bank has put in place a robust and integrated Risk Management system to ensure that the risks assumed by the Bank are within the defined risk appetites and are adequately monitored. The overall responsibility of setting the Bank's risk appetite and effective risk management rests with the Board and apex level management of the Bank. The implementation of Integrated Risk Management System in the Bank is monitored by HO Risk Management Department (RMD) which is headed by General Manager.

Risk is managed through following Apex committees viz.

- Risk Management Committee (RMC)- a Board level Committee
- Credit Risk Management Committee (CRMC)
- Asset and Liabilities Management Committee (ALCO)
- Operational Risk Management Committee (ORMC) and
- Capital Planning Committee as per ICAAP

These committees work within the overall guidelines and policies approved by the Risk Management Committee (RMC) / Board.

POLICY FRAMEWORK

The Bank has Board approved policies and procedures in place to measure, manage and control various risks that the Bank is exposed to.

Integrated Risk Management Policy has been formulated with the objective of analyzing the overall risk profile of the bank and to integrate all the risks of the Bank. The other important risk policies comprise of Asset-Liability Management (ALM) Policy, Investment Policy, Loan Policy, Risk Based Internal Audit (RBIA), Credit Audit, Country Risk Management Policy, Derivatives Policy, Operational Risk Management Policy, Business Continuity Planning (BCP) & Disaster Recovery Management (DRM) Policy, Stress Testing Policy, Policy on Utilization of Credit Risk Mitigation, ICAAP Policy. The policies are reviewed annually by the RMC / Board.

BANK'S COMPLIANCE WITH BASEL-II

In terms of Regulatory Guidelines of Reserve Bank of India, the Bank has adopted the New Capital Adequacy Framework w.e.f. 31.03.2009. Based on Basel II norms, the Bank has adopted Standardized Approach for Credit Risk, Modified Duration approach for Market Risk and Basic Indicator approach for Operational Risk for computing the capital charge. The Bank has also implemented Basel III Guidelines and has started computing CRAR w.e.f. June 2013. The CRAR position of the Bank is reviewed by the Board on a quarterly basis. Bank is geared for moving towards advanced approaches under BASEL II as suggested by RBI. Bank has also appointed a Consultant for setting up Enterprise Wide Integrated Risk Management System (EIRMS) in the Bank for moving to Advance approaches of Basel II and implementation of Basel III Guidelines.

ICAAP POLICY

In compliance with the Reserve Bank of India guidelines on Basel II & Basel III – Pillar 2- Supervisory Review and Evaluation Process (SREP), the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy has been formulated to assess the capital requirement commensurate with the size, level of complexity, risk profile and scope of operations of the Bank. Various residual risks are assessed and additional capital is provided for wherever required. The capital adequacy of the Bank is assessed based on the analysis of current and projected financial/capital position as well as the headroom available.

Stress Testing exercises are also undertaken to assess the likely impact of various stress situations in relation to capacity of Bank's profitability to absorb the shock and consequent impact on Bank's capital. The ICAAP outcome is prepared on half yearly basis and is reviewed by RMC.

DISCLOSURE

In compliance with the Reserve Bank of India guidelines on Basel II & Basel III – Pillar 3 – Market Discipline, the Bank has put in place a Disclosure Policy duly approved by the Board and the disclosures on quarterly / Half yearly / Annual basis, as per the policy, are displayed on the Bank's Website / Annual Report.

प्रकटीकरण

बेसल-II व बेसल-III एपिलर -3-“बाज़ार अनुशासन” विषयक भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी-निर्देशों के अनुपालन में बैंक के निदेशक-मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित प्रकटीकरण नीति लागू की है और इस नीति के अनुसार तिमाही/छमाही/वार्षिक आधार पर इन्हें बैंक की वैंबसाईट/वार्षिक रिपोर्ट में प्रदर्शित किया जाता है।

ऋण-जोखिम

ऋण-जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में इसकी पहचान, आकार, ऋण-कारोबार पर निगरानी व नियंत्रण शामिल है। ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सी.आर.एम.सी.) द्वारा ऋण जोखिम तथा नीति-निर्माण का प्रबंधन किया जाता है। इस समिति द्वारा उद्योग, कारपोरेट, रिटेल तथा व्यक्ति/समूह ऋणकर्ताओं की विवेकपूर्ण सीमाओं की निगरानी नियमित रूप से की जाती है।

एक व्यापक ऋण रेटिंग फ्रेमवर्क जिसमें ऋण रेटिंग जोखिम माडलों को कार्पोरेट तथा रिटेल ऋणों के लिए जोखिम निर्धारण से संबंधित ऋणों का मूल्यांकन तथा ऋण रेटिंग के लिए, उद्योगों/पोर्टफोलियो का अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए और ऋण रेटिंग के उत्पन्नवासों के लिए प्रयोग किया जा रहा है।

बाज़ार जोखिम

ब्याज-दरों तथा मुद्रा-दरों में परिवर्तन के फलस्वरूप बैंक का पोर्टफोलियो बाज़ार जोखिम से प्रभावित होता है।

आस्ति देयता समिति (एलको) बाज़ार जोखिम से संबंधित काम काज की निगरानी करती है। बैंक ने विभिन्न बाज़ार जोखिम माप-प्रणाली व साधनों को लागू किया है। विभिन्न परिसीमाओं का सख्ती से पालन तथा उल्लंघनों में वृद्धि, यदि कोई हो, का उचित अनुसरण किया जाता है।

तरलता प्रबंधन तंत्र सुस्थापित है, जोकि देय होने पर, बैंक के समस्त भुगतान दायित्वों को पूरा करने के सामर्थ्य को संरक्षित करता है। यह बैंक की तरलता जोखिम स्थिति को पहचानने, मापने तथा संचालन करने के लिए बनाया गया है।

बैंक, विनियामक दिशा-निर्देशानुसार रूपांतरित अवधि पद्धति का उपयोग करके मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार बाज़ार जोखिम प्रभार की संगणना करता है। बैंक अपने विदेशी विनिमय पोर्टफोलियो पर भी जोखिम मूल्य (वी.ए.आर.) की गणना करता है।

बैंक, सम्भाव्य घटनाओं से उत्पन्न तरलता और ब्याज-दर जोखिमों से होने वाले सम्भावित जोखिमों को उजागर करने के लिए, समय-समय पर स्ट्रेस टेस्ट अभ्यास करता है। किसी भी एक जोखिम कारक के आघात के प्रभाव से पैदा होने वाली बदतर स्थिति का अध्ययन किया जाता है और उसके प्रभाव को दूर करने के लिए संभावित हल निकाले जाते हैं।

परिचालनगत जोखिम

परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओ.आर.एम.सी.) परिचालनों से जुड़े जोखिमों से संबंधित मामलों पर निगरानी रखती है और आकस्मिक/अनिवार्य स्थितियों में व्यवसाय की सतत/पुनः स्थापना सुनिश्चित करती है। वर्तमान में परिचालनगत जोखिम संबंधी पूंजी प्रभार मूल संकेतक दृष्टिकोण के अनुसार संगणित किया जाता है। बैंक परिचालनगत जोखिम की संरचना को मज़बूत करने की दिशा में कार्य कर रहा है ताकि परिचालनगत ऋण जोखिम (ओआरएम) प्रणाली परिचालनगत जोखिम पूंजी की गणना के उन्नत दृष्टिकोण की ओर अग्रसर होने में समर्थ हो सके।

बैंक न सभी आंचलिक कार्यलयों तथा 10 बड़ी शाखाओं में, पूंजी के अनुकूल और आदर्श परिचालन के उद्देश्य से बासेल मापदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित कराने हेतु जोखिम प्रबंधकों की नियुक्ति की है।

मानव संसाधन विकास

31.03.2014 को बैंक में संवर्ग अनुसार स्टाफ सदस्यों की संख्या निम्नानुसार है :

श्रेणी	31 मार्च, 2013	31 मार्च, 2014
अधिकारी	5932	6062
लिपिक	1640	2029
अधीनस्थ स्टाफ	961	779
कुल	8533	8870

महिला कार्मिक :-

दिनांक 31.03.2014 को कुल 8870 कार्मिकों में से 1738 महिला कार्मिक हैं जो कुल संख्या का 19.60% है।

CREDIT RISK

Credit risk management processes involve identification, measurement, monitoring and control of credit exposures. Credit risk and its policy formulation is managed by Credit Risk Management Committee (CRMC). The Committee regularly monitors prudential caps in different loan segments including industry, corporate, retail and individual/group borrowers.

Comprehensive credit rating framework comprising of Credit Risk Rating Models for Corporate and Retail Loans, pricing of loans linked to risk assessment and credit rating, study & analysis of industries/portfolio, migration of credit ratings is undertaken.

MARKET RISK

The Bank's portfolio is exposed to Market Risk on account of change of Interest rates and Currency rates.

The Asset and Liabilities Management Committee (ALCO) is overseeing the functions relating to market risk. The Bank has put in place a variety of market risk measurement systems and tools including a Mid office in Treasury Department. Strict adherence to various limits and proper escalation of breaches, if any, are followed.

The Liquidity Management Framework is well established, which safeguards the ability of the Bank to meet all payment obligations when they become due. It is designed to identify measure and manage the liquidity risk position of the Bank.

The Bank is computing the Market Risk Capital charge as per the Modified Duration approach, by using Modified duration method, as per the guidelines received from the regulator. The Bank also calculates Value at Risk (VaR) on its foreign exchange portfolio at prescribed intervals.

The Bank periodically undertakes stress test exercise to highlight the potential risks, on account of liquidity and Interest rate risk that may arise due to events that are rare but conceivable. The impacts of shock on account of different risk factors that may generate worst case scenario are studied and to counter the impact possible solutions are derived.

OPERATIONAL RISK

The Operational Risk Management Committee (ORMC) oversees on matters relating to risks associated with operations and ensures the continuity / restoration of business in the event of contingency / exigencies. Presently, capital charge on operational risk is calculated as per Basic Indicator Approach. The Bank is in the process of strengthening its ORM Framework & ORM systems to migrate to advance approaches for calculation of Operational Risk Capital.

Bank has posted Risk Managers in all the Zonal Offices and also at Top 10 branches for ensuring compliance of Basel norms at the operating level and with the aim of conservation and optimum use of capital.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

The cadre wise staff strength as on 31.03.2014 is as under:-

Category	31st March 2013	31st March 2014
Officers	5932	6062
Clerks	1640	2029
Sub-staff	961	779
Total	8533	8870

WOMEN IN EMPLOYMENT:- Out of the total strength of 8870 as on 31.03.2014, the women employees are 1738 constituting 19.60% of the total strength.

आरक्षित श्रेणी के कार्मिकों को रोज़गार :-

बैंक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा समाज के अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के कल्याण एवं उनके विकास के लिए सामाजिक लक्ष्यों तथा संवैधानिक संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है। बैंक सम्पूर्ण भारत व स्थानीय भर्ती में पदों के आरक्षण हेतु भारत सरकार की आरक्षण नीति का अनुसरण करता है।

बैंक में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों के आरक्षण एवं अन्य प्रावधानों की निगरानी हेतु एक विशेष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विशेष कक्ष स्थापित किया गया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों के लिए महाप्रबंधक स्तर के उच्चाधिकारी को मुख्य सम्पर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों से सम्बन्धित विभिन्न दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व बैंक के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों की शिकायत निवारण सम्बन्धी मामलों को देखेगा।

31.03.2014 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 1382 तथा 436 है। विभिन्न आरक्षित श्रेणियों जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग/भूतपूर्व सैनिक/शारीरिक अक्षम के अंतर्गत कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है :

श्रेणी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	भूतपूर्व सैनिक	शारीरिक अक्षम
अधिकारी	813	348	692	43	71
लिपिक	342	60	334	121	44
अधीनस्थ स्टाफ	227	28	32	173	15
कुल	1382	436	1058	337	130

मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को आर्थिक सहायता

बैंक ने वर्ष 2013-14 के दौरान मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को योजना के अंतर्गत अनुकम्पा के आधार पर नौकरी प्रदान करने के स्थान पर अनुग्रह राशि के भुगतान के सम्बन्ध में प्राप्त हुए 09 मामलों में कुल 55,06,108/- लाख रुपये की राशि का भुगतान किया।

पदोन्नतियाँ

बैंक सभी संवर्गों के कार्मिकों के कार्य-सम्पादन को उच्च स्तरीय बनाए रखने एवं उनके द्वारा उच्च दायित्वों को ग्रहण करने हेतु वर्ष दर वर्ष पदोन्नतियाँ प्रदान कर रहा है। वर्ष के दौरान समीक्षा के तहत, कार्मिकों को उच्च उत्पादन हेतु प्रेरित करने के कारण व तीव्र कैरियर विकास हेतु उनकी बढ़ती महत्वकाक्षाओं की पूर्ति के लिए विशेष मुहिम चलाई गई।

वर्ष के दौरान निम्नलिखित पदोन्नतियाँ की गई :-

पदोन्नति स्तर	उ.म.प्र.से म.प्र.	सहा.म.प्र.से उ.म.प्र.	मु.प्र.से स.म.प्र.	वरि. प्र.से मु प्र.	प्र.से वरि. प्र.	अधि.से प्र.	कुल
सामान्य	06	05	03	95	59	128	296
विशेषज्ञ	—	—	01	04	02	05	12
कुल	06	05	04	99	61	133	308

प्रशिक्षण तथा मानव संसाधन विकास

प्रशिक्षण, मानव संसाधन विकास का एक अभिन्न अंग है। बैंकिंग उद्योग में वर्तमान में मौजूदा प्रतिस्पर्धा के माहौल में प्रौद्योगिकी प्रणाली में विकास और प्रक्रियाओं तथा कानूनी पहलुओं पर जानकारी देना अति महत्वपूर्ण है ताकि स्टाफ विशेष रूप से सहयोगियों के बीच कदम से कदम मिलाकर चल सके।

जीवंत संगठनात्मक संस्कृति के सृजन में प्रशिक्षण एवं अभ्यास महत्वपूर्ण कदम है जिससे कार्मिक अच्छे प्रदर्शन हेतु प्रेरित एवं उत्साहित होते हैं। यह कार्मिकों की योग्यता में वृद्धि करने एवं उचित दक्षता युक्त होने तथा विभिन्न खण्डों में निरन्तर परिवर्तित होने वाली ग्राहक की व्यवसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है। बैंक द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम बैंक में नए भर्ती हुए कार्मिकों की कार्य-कुशलता में वृद्धि, ज्ञान तथा संगठनात्मक उद्देश्यों के लिए इसकी वर्तमान कार्य-शक्ति की स्थिति के पुनर्विन्यास में सहायक सिद्ध हुए, जिससे कि बैंक देश के पूर्णतया तकनीकी एवं सेवा प्रदाता बैंक के रूप में परिवर्तित हो सके।

वित्त-वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने अपने 50 प्रतिशत कार्मिकों को प्रशिक्षण देने का प्रयास किया। इस सन्दर्भ में 1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 के बीच सामान्य बैंकिंग एवं कम्प्यूटर व इससे सम्बन्धित 236 प्रशिक्षण कार्यक्रम पीएसबी सेंटर फॉर बैंकिंग रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, चण्डीगढ़ में तथा अन्य क्षेत्रों से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रम निब्सकॉम नोएडा में आयोजित किए गए। जिस दौरान विभिन्न संवर्गों के 4654 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया।

EMPLOYMENT TO RESERVED CATEGORY EMPLOYEES:- Bank is committed to the constitutional safeguard and social objectives for the development and welfare of persons belonging to SC, ST and other backward classes of the society. The Bank observes all guidelines stipulated by the Govt. of India in respect of Reservation Policy for reservation of Posts in all India and local recruitments.

A special SC/ST cell has been set up in the Bank to monitor the Reservation and other provisions for SC/ST employees. An executive at the rank of General Manager has been designated as Chief Liaison Officer for SC/ST employees who ensures compliance of various guidelines pertaining to SC/ST employees and takes care of all matters of grievance redressal of SC/ST employees of the Bank.

The staff strength of SC/ST employees stood at 1382 and 436 respectively on 31.03.2014. The staff strength under various reserved categories viz OBC/EX-SM/PH is as under:-

CATEGORY	SC	ST	OBC	EX-SM	PH
OFFICERS	813	348	692	43	71
CLERKS	342	60	334	121	44
SUB-STAFF	227	28	32	173	15
TOTAL	1382	436	1058	337	130

FINANCIAL ASSISTANCE TO THE DEPENDENTS OF DECEASED EMPLOYEES

During the Financial year 2013-14 the Bank made total payment of Rs.55,06,108/- in 9 cases received from the dependants of the deceased employees under the scheme for the payment of ex-Gratia in lieu of appointment on compassionate grounds.

PROMOTIONS

Bank is regularly promoting employees almost in all cadres year after year to keep rewarding its top performers and make them assume higher responsibilities. Special drive was made during the year under review to fulfill the growing aspirations of the employees for fast career progression thereby motivating employees for higher productivity.

Following promotions have been effected during the year:

Promotions from	DGM to GM	AGM to DGM	CM to AGM	SRM to CM	MGR to SRM	OFFICER to MGR	Total
General	6	5	3	95	59	128	296
Specialist	-	-	1	4	2	5	12
Total	6	5	4	99	61	133	308

TRAINING

Training is an integral part of Human Resource development. In the current competitive environment in the Banking Industry, it is all the more important to keep the staff abreast of the latest developments in technology, system and procedures, legal aspects etc., especially amongst the peers.

The training programs organized by the Bank are focused towards integrating the new recruits into the Bank and in enhancing the skills, knowledge and for reorienting the attitude of its existing work force to achieve the organizational objectives.

The Bank endeavoured to provide training to 50% of its employees during the Financial Year 2013-14. With this in view, 236 programmes were conducted by PSB Centre for Banking Research & Training at Chandigarh in General Banking & Computer related programmes at NIBSCOM, NOIDA in various fields from 1st April 2013 to 31st March 2014, in which training was imparted to 4654 employees of different cadres.

निब्सकॉम में ऋण मूल्यांकन, विदेशी विनिमय तथा सुरक्षा कार्यशाला पर 07 विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए जिनमें कुल 219 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

इसके अतिरिक्त 213 अधिकारियों को शीर्ष स्तर पर प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। विभिन्न संवर्गों के 4 अधिकारियों को विदेश में प्रशिक्षण हेतु भी प्रतिनियुक्त किया गया।

औद्योगिक संबंध

बैंक में औद्योगिक संबंध वर्ष पर्यंत सौहार्दपूर्ण रहे हैं। कामगार और अधिकारी यूनियनों के प्रतिनिधियों ने विकास एवं अन्य मुद्दों पर विभिन्न स्तरों पर प्रबंधन तंत्र के साथ विचार-विमर्श में भाग लिया तथा इनके समाधान के लिए प्रयत्न भी किए गए।

सीबी भर्ती

वित्तीय-वर्ष 2013-14 में सेवा-निवृत्ति की चुनौतियों, निरन्तर व्यापार वृद्धि तथा शाखाओं के तीव्र विस्तार को ध्यान में रखते हुए विशेष भर्ती अभियान चलाया गया। बैंक की विविध मानवशक्ति की आवश्यकता को देखते हुए विशेषज्ञ एवं परिवीक्षाधीन, दोनों ही संवर्ग के अधिकारियों की भर्ती की गई।

वर्ष के दौरान, बैंक के भर्ती परियोजना में 1 मुख्य सुरक्षा अधिकारी, स्केल-V, 3 सनदी लेखाकार, स्केल-III, 22 सनदी लेखाकार स्केल - II, 08 विधि अधिकारी, स्केल- II, 722 परिवीक्षाधीन अधिकारी, 38 एएफओ स्केल- I, तथा लिपिकीय संवर्ग में 495 सिंगल विंडो ऑपरटर, नियुक्त हुए।

बैंक कार्मिकों के कल्याण हेतु -

बैंक के विकास में, बैंक स्टाफ की प्रभावशाली सहभागिता के लिए बैंक ने अपने स्टाफ के हित में बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं बनायी हैं। वर्ष 2013.14 के दौरान, बैंक स्टाफ के कल्याण के लिए, स्थापित योजनाओं जैसे कि हाउसिंग लोन, सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों के लिए मेडीक्लेम योजना आदि में सुधार भी किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी :

- दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार सभी 1330 शाखाएं कोर बैंकिंग सुविधायुक्त हैं।
- प्र.का.धोखाधड़ी निगरानी विभाग में दिनांक 30.08.2013 को धन शोधन निवारणन लागू किया गया है, जिसमें नकद लेन-देन रिपोर्ट (सीटीआर), संदेहास्पद लेन-देन रिपोर्ट (एसटीआर) और गैर लाभ लेन-देन रिपोर्ट (एनटीआर) बनाने की सुविधा है।
- देश भर में दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी गिड में चेक ट्रंक्शन सिस्टम ऑपरेशन लागू किया गया है तथा बैंक सभी गिडों जैसे दक्षिणी गिड, पश्चिमी गिड व उत्तरी गिड में सहभाग कर रहा है।
- सीबीएस उपयोगकर्ताओं के पासवर्ड चोरी/साझा करने के कारण धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने के लिए सीबीएस प्रोग्राम में कर्मचारियों के प्रवेश के लिए स्थिति के अनुसार 445 शाखाओं में रोलआउट पूरा हो चुका है। शेष शाखाओं में रोलआउट प्रोग्राम जून, 2014 तक पूरा कर लिया जाएगा।
- 74 केन्द्रों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा बढ़ा दी गई है जिसमें प्रधान कार्यालय, आंचलिक कार्यालय और शीर्ष व्यापारिक शाखाएं शामिल हैं।

आंतरिक नियंत्रण

बैंक के सुस्थापित निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा विभाग (आईएडी) के द्वारा प्रबंधन के अन्य कार्यों जैसे अनेक आंतरिक नियंत्रण के कार्य संभाले गए हैं जो कि बैंक की कार्य प्रणाली, योजनाओं तथा प्रक्रियाओं के अनुपालन संबंधी परीक्षण व प्रमाण सुनिश्चित करता है। निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा विभाग का निरंतर लक्ष्य इसके प्रभावी आंतरिक क्रियाविधि के द्वारा बैंक के पाँच आंचलिक निरीक्षणालयों के माध्यम से बल देते हुए, बैंक की लेखा समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक लेखा परीक्षा योजना (एएपी) प्राथमिक जोखिम के अनुसार शाखाओं/कार्यालयों के निरीक्षण व आरबीआईए संचालन के द्वारा धोखाधड़ियों को रोकते हुए बैंक के लाभ और उद्यम की सुरक्षा हेतु अंतर्निहित जोखिम की जांच करना है।

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति ने सुव्यवस्थित नियंत्रण में कार्य कुशलता के लिए बैंक आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य का निरीक्षण करता है। एसीबी जिसने वर्ष 2013-14 के दौरान निरीक्षण किया, ने प्रबंधकर्ताओं की लेखा परीक्षा समिति के कार्यों का भी निरीक्षण किया, जो कि बैंक में निरीक्षण व लेखा परीक्षा कार्य के निरीक्षण हेतु प्रथम श्रेणी समिति है।

वित्तीय वर्ष 2013:14 के दौरान बैंक की 876 शाखाओं में जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा निरीक्षण किए, 496 शाखाओं को समवर्ती लेखा परीक्षा प्रक्रिया के अंतर्गत लाया गया, 288 शाखाओं में सूचना प्रणाली का लेखा परीक्षण किए गए, 600 शाखाओं तथा आंचलिक कार्यालयों व प्रधान कार्यालय होने पर विभागों प्रबंधन लेखा परीक्षण व निरीक्षण में स्थानांतरण उपरांत लेखा परीक्षण किए गए।

7 Special Training Programmes were conducted at NIBSCOM on Credit Appraisal, Foreign Exchange and Security Workshop in which 219 officials were imparted training.

Besides 213 officers were also imparted training at Apex Level. Bank also deputed four officials in various cadres for overseas trainings.

INDUSTRIAL RELATIONS:- The industrial relations in the Bank remained cordial throughout the year. The representatives from Workers and Officers unions participated in various discussions on developmental and other issues with the management at various levels and efforts were made to resolve the same.

DIRECT RECRUITMENT:- The Bank launched a special recruitment drive to cater to the challenges of superannuation, sustained business growth and rapid branch expansion in the FY 2013-14. Recruitment of both the Specialist Officers and Probationary Officers was done to address the diverse manpower requirement of the Bank.

During the year, 1 Chief Security Officer in Scale –V, 3 CAs in Scale –III, 22 CAs in Scale II, 8 Law Officers in Scale –II, 772 Probationary Officers, 38 AFO in Scale –I, 10 HR/IR Officers in Scale I and 495 Single Window Operators-A in Clerical cadre have joined the Bank under Bank's Recruitment Projects.

STAFF WELFARE

In order to motivate and encourage the staff for effective participation in development activities, the Bank is maintaining various welfare schemes for the staff.

During 2013-14, Bank introduced new schemes for the welfare of staff. Also improvement / betterment in the existing schemes of Housing Loans, Medclaim Policy for retired employees etc. have been made for the welfare of staff.

INFORMATION TECHNOLOGY

- As on 31.03.14, all 1330 branches of the Bank are on Core Banking Solution.
- Bank has implemented Anti Money Laundering Solution which facilitates generation of Cash Transaction Report (CTR), Suspicious Transaction Reports (STR) and Non-profit Transaction Report (NTR).
- Cheque Truncation System has been implemented across the country and bank is participating in all the grids i.e. Southern, Western and Northern Grids.
- Biometric based Authentication for employees' login into CBS application has been introduced to prevent the incidence of frauds taking place on account of password theft/sharing of password. As on 31.03.2014, rollout in 445 branches has been completed. Rollout in the remaining branches shall be completed by June 2014.
- Video Conferencing Facility has been extended to 74 centers, which includes Head Office, Zonal Offices and top Business Branches.

INTERNAL CONTROL

The Internal control function like many other functions of the management is carried out in the Bank through a well-established Inspection & Audit Dept.(IAD), which ensures examination & verification of adherence to systems, policies and procedures of the Bank. The IAD constantly aims at checking the inherent risks through its effective control mechanism, enforced through five Zonal Inspectorates, to protect Bank's interest and endeavours to prevent frauds by conducting RBIA and Inspection of branches/ offices as per risk prioritised Annual Audit Plan (AAP) approved by the Audit Committee of the Bank.

The Audit Committee of the Board (ACB) oversees the internal Audit function of the Bank for improving the efficiency of systemic controls. The ACB, which met 8 times during FY 2013-14, also monitors the functioning of the Audit Committee of Executives (ACE), which is a first tier Committee to oversee Inspection and Audit function in the bank.

During FY 2013-14, Risk Based Internal Audit was conducted in 876 branches of the Bank; 496 branches were brought under Concurrent Audit System; the Information System audit was conducted in 288 branches; Post migration audit was conducted in 600 branches, and Zonal Offices and Departments at Head Office have been subjected to Management Audit & Inspection.

निरीक्षण व लेखा परीक्षा विभाग ग्राहकों के कष्टों/शिकायतों में सुधार निगरानी के उत्तरदायित्व के लिए भी निर्दिष्ट है। बैंक ने वेब आधारित ग्राहक शिकायत सुधार मापदंड की एक मानकीकृत लोक शिकायत सुधार प्रणाली (एसपीजीआरएस) कार्यान्वित की है। वर्ष 2013-14 के दौरान 1810 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से 1775 शिकायतें का समाधान कर दिया गया है। बैंकिंग लोकपाल ने 5 निर्णय बैंक के विरुद्ध दिए हैं, जिनमें से 2 के विरुद्ध बैंक ने अपील की है।

वर्ष के दौरान निरीक्षण व लेखा परीक्षा विभाग ने जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा योजना निरूपित की है तथा जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा व समवर्ती लेखा परीक्षा की कंप्यूटर की सहायता से ली गई रिपोर्ट फॉर्मेट पर विचार किया गया तथा संशोधित किया गया।

संक्षेप में निरीक्षण व लेखा परीक्षा विभाग ने भारत सरकार तथा बैंक बोर्ड के द्वारा अपनाई गई कार्य-प्रणाली व प्रक्रिया के अनुपालन की प्रभावी निगरानी की है।

अनुपालन कार्य

वित्तीय-वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने अनुपालन योजना की समीक्षा की। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान सभी आंचलिक कार्यालयों तथा प्रधान कार्यालय के विभागों के अनुपालन निर्देशिका प्रारूपित/अद्यतन की गई। बैंक की कार्य-निर्देशिका को बैंक की इंटरनेट साईट पर भी अपलोड किया गया है।

बैंक ने अनुपालन कार्यों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए सभी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया है। अनुपालन विभाग ने यह सुनिश्चित करता है कि प्रधान कार्यालय, आंचलिक कार्यालयों तथा शाखाओं की कार्य-पद्धति उनके कार्य-निर्देशिका से जुड़ी है। शाखाओं/कार्यालयों में इस कार्य-पद्धति के नियमित अंतराल पर वार्षिक अनुपालन ऑडिट किए जाते हैं।

जन-सम्पर्क एवं प्रचार

‘वित्तीय-वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने जन-सामान्य के बीच तथा कॉर्पोरेट स्तर पर अच्छी छवि बनाने के लिए एक सुनियोजित नीति अपनाई है तथा बैंक ने सम्पूर्ण भारतवर्ष के नागरिकों को ध्यान में रखते हुए प्रिंट मीडिया द्वारा अपने उत्पादों, संविदाओं, वित्तीय तथा अन्य डिस्प्ले/सूचनाओं को विभिन्न समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं, स्मारिकाओं में प्रकाशित करवाकर ख्याति प्राप्त की है।

आउटडोर मीडिया के माध्यम से चण्डीगढ़ व अमृतसर हवाई अड्डों पर विज्ञापन वाले गुब्बारों के प्रदर्शन से उल्लेखनीय प्रचार-प्रसार किया गया। अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में बैंक के बैनरों तथा होर्डिंग्स के प्रदर्शन से बैंक की पहुँच का विस्तार किया गया।

बैंक को क्लैंडर व टेबल क्लैंडर के माध्यम से भी अत्यधिक ख्याति प्राप्त हुई, जिसे बैंक के ग्राहकों तथा इसके शुभचिन्तकों के मध्य वितरित किया गया।

बैंक को प्रिंट मीडिया द्वारा प्रेस-विज्ञप्तियों के कवरेज से भी अत्यधिक ख्याति प्राप्त हुई।

इन सभी कार्यों द्वारा बैंक को पुनः राष्ट्र सेवा हेतु स्वयं को समर्पित करने का सुअवसर मिला तथा प्रचार-प्रसार के स्तर पर आशातीत ख्याति प्राप्त हुई।

सतर्कता

सुरक्षात्मक सतर्कता:

वर्ष के दौरान सतर्कता विभाग ने सतर्कता प्रशासन को मज़बूत करने तथा संस्था में निरंतर अनुपालन को बनाए रखने के लिए हाल ही में सुरक्षात्मक सतर्कता के साथ-साथ दंडात्मक सतर्कता पर कई प्रयास किए हैं।

- पूरी संस्था में लोगों को निष्कपटता, पूर्ण ईमानदारी तथा पूर्ण पारदर्शिता में एकरूपता से कार्य करने तथा सतर्कता प्रशासन को मज़बूत करने व दृढ़ अनुपालन के लिए जागरुकता फैलाने के लिए कार्यक्रम श्रृंखला/कॉन्फ़ेंस/कार्यशाला आयोजित की गई। इन कार्यक्रमों में बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने सहभागिता की तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग एवं सीबीआई के उच्चाधिकारियों ने इन कार्यक्रमों की अध्यक्षता की। इनमें कुछ कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है:

संगठन का अतिरिक्त महत्व:

माननीय केंद्रीय सतर्कता आयुक्त द्वारा सतर्कता जागरुकता सप्ताह के अवलोकन में इस वर्ष के विषय ‘उत्तम अभिशासन को बढ़ावा देने में सतर्कता का सकारात्मक योगदान’ के समान तथा बड़े ऋण खातों में राजस्व चोरी संबंधी तिमाही/विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचना के आधार पर हमने हमारे सतर्कता अधिकारी द्वारा नमूना आधार पर बड़े ऋण खातों की स्वीकृति हेतु अनुपालन नियमों एवं शर्तों की जाँच के लिए ‘मिशन कंप्लायंस’ के नाम से एक विशेष अभियान की शुरुआत की है:

The Inspection and Audit Department is also assigned the responsibility of monitoring redressal of the customer grievances/ complaints. The Bank has implemented Standardized Public Grievances Redressal System (SPGRS), a web-based customer complaint redressal module. During FY 2013-14, 1810 complaints were received, of which 1775 complaints have been disposed off. The Banking Ombudsman passed 5 awards against the Bank out of which against 2 awards bank has gone into appeal.

During the year, the Inspection and Audit Department formulated 'Risk Based Internal Audit Policy' and revised & devised computer aided reporting formats of Risk Based Internal Audit & Concurrent Audit.

To summarize, Bank's Inspection and Audit Dept. has been effectively monitoring the compliance of systems and procedures laid down by Board, the Regulator and the Government of India.

COMPLIANCE FUNCTION

During the financial year 2013-14, Bank reviewed the Compliance-policy. Compliance Manuals of Zonal Offices and various HO Departments were drafted /updated during the year. Functional Manual of the bank has also been placed on the Intranet site of the bank.

Bank complied with the various guidelines issued by the RBI on Compliance functions. The Compliance Department ensures that the functioning of Zonal Offices, Branches and Departments is synchronized with their Functional Manuals. Annual Compliance Audits of branches/offices are conducted at regular intervals.

PR and PUBLICITY

During the financial year 2013-14, the Bank adopted a multi-media strategy to build up its image in Public and at the corporate level and accordingly publicity was made through the print media by release of its product, tender, financial and other display/notice ads in different newspapers, magazines and souvenirs targeting various audiences all over the country.

Bank also used effective outdoor media signifying display of Balloon at Chandigarh and Amritsar Airports. Bank's banners, hoardings displayed on events of high publicity value facilitated extension of outreach of the Bank.

Bank also received immense publicity through Bank's Wall Calendar & Table Calendar 2014 which was widely distributed among clients and well wishers of Bank.

Bank got huge publicity by way of coverage of its press releases by the print media.

All these activities facilitated the Bank to rededicate itself to the service of the Nation and enabled it to earn a well deserved mileage on the publicity front.

VIGILANCE

PREVENTIVE VIGILANCE

During the year, the Vigilance Department has taken number of initiatives on Preventive as well as on Punitive Vigilance to strengthen the vigilance administration and also to instill compliance culture within the organization.

To educate staff across the organization to work with utmost sincerity, honesty and uniformity in a most transparent manner and to spread awareness about stronger compliance culture and strengthening vigilance administration, series of programmes, conferences and workshops were organized. These programmes were participated by senior officials of the Bank and also presided over by the Top officials of the Central Vigilance Commission and CBI.

VALUE ADDITION TO THE ORGANIZATION

In line with this year's theme observing Vigilance Awareness Week by Hon'ble CVC "Promoting Good Governance – Positive Contribution of Vigilance" and on the basis of information received from various sources, quarters regarding Revenue Leakages in Big Borrowal Accounts, Bank started a special drive under the name "Mission Compliance" i.e. checking of the compliance of terms and conditions of sanction in big borrowal accounts on sample basis.

दिनांक 28.10.2013 से 02.11.2013 तक सतर्कता जागरुकता सप्ताह पर्यवेक्षण:

माननीय आयोग की अपेक्षानुरूप दिनांक 28.10.2013 से 02.11.2013 तक आयोजित सतर्कता जागरुकता सप्ताह के दौरान हमने उपयुक्त तरीके से पर्यवेक्षण के लिए कई प्रयास किए। इसके अतिरिक्त दिल्ली स्थित आंचलिक कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। जिसका शुभारंभ, सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने किया।

सुरक्षा व्यवस्था :

बैंक की संगठनात्मक संरचना में सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था स्थापित है। प्र.का.सुरक्षा विभाग ने बैंक की सभी करेंसी चेस्टों तथा शाखाओं में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया एवं इसका निरीक्षण किया। बैंक में प्रबल सुरक्षा परिदृश्य बनाने हेतु सुरक्षा प्रबंधनों की गति को तेज किया गया है। बैंक की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, आधुनिक तथा अबाधित सुरक्षा प्रणाली बनाने के लिए मजबूत किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय बैंकिंग संघ के दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक एवं अनिवार्य व्यवस्था प्रबंधनों को लगभग सभी शाखाओं में उपलब्ध करवा दिया गया है।

अंचल सुरक्षा अधिकारियों ने प्रचलित सुरक्षा प्रबंधनों का मूल्यांकन करने के लिए नियमित अंतराल पर शाखाओं के सिक्योरिटी ऑडिट किए तथा इन सुरक्षा प्रबंधनों को मजबूत करने के लिए परामर्श दिए। उन्होंने कानून प्रवर्तन एजेंसियों से गहरा सम्बन्ध बनाया है। बैंक में सुदृढ़ सुरक्षा परिदृश्य हेतु सुरक्षा प्रबंधनों की गति को तेज किया गया है। प्रधान कार्यालय से मुख्य सुरक्षा अधिकारी प्रधान कार्यालय के अन्य अधिकारियों ने भी अतिसंवेदनशील शाखाओं के साथ सभी करेंसी चेस्टों का भी सिक्योरिटी ऑडिट किया।

सभी करेंसी चेस्टों तथा शाखाओं में सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम इंस्टॉल कर दिए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप एक्सेस कंट्रोल सिस्टम सभी कोष-कक्ष शाखाओं में उपलब्ध है।

बैंक की सभी करेंसी चेस्ट तथा शाखाओं में गार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। बैंक ने बाहरी स्रोतों से, डीजीआर द्वारा प्रायोजित एक निजी सुरक्षा एजेंसी से सुरक्षा सेवाएं ली हैं।

करेंसी चेस्ट/शाखाओं में तैनात शस्त्रधारी गार्डों को वार्षिक आधार पर फायरिंग अभ्यास सहित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। सभी सुरक्षा अधिकारियों को वर्ष में एक बार सुरक्षा सम्बन्धी नया प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

प्रथम चरण में, समस्त करेंसी चेस्टों तथा चिन्हित की गई 237 उच्च जोखिम व अतिसंवेदनशील शाखाओं में सीसीटीवी निगरानी पद्धति संस्थापित करवा दी गई है, आतंक बोध, नकदी राशि तथा कीमती दस्तावेज एवं निरन्तर निगरानी की आवश्यकता के मद्देनजर शेष शाखाओं में भी चरणबद्ध रूप से सीसीटीवी निगरानी पद्धति संस्थापित कर दी जाएगी।

राजभाषा कार्यान्वयन :

वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक में भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन एवं राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के प्रचार-प्रसार में आशातीत प्रगति की गई। वित्तीय-वर्ष 2013-14 के दौरान कुल 75 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिनमें कुल 1039 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त 705 शाखाओं में हिंदी डेस्क प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा 3203 कार्मिकों को हिंदी के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया गया तथा 286 कार्मिकों को यूनिकोड प्रशिक्षण दिया गया। बैंक में राजभाषा के प्रयोग की स्थिति की समीक्षा करने के उद्देश्य से कुल 705 शाखाओं/कार्यालयों के राजभाषा के प्रयोग संबंधी निरीक्षण किए गए।

इस वर्ष 'बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति', दिल्ली के तत्वावधान में विभिन्न बैंकों द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में हमारे बैंक के 05 कार्मिकों ने 08 पुरस्कार प्राप्त किए। बैंक नराकास, दिल्ली की ओर से हमारी गृह-पत्रिका 'पी.एस.बी. राजभाषा अंकुर' को प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुआ।

खेलकूद :

बैंक की सीनियर हॉकी टीम की उपलब्धियाँ :

बैंक की एक खेल अकादमी है जो कि 15-18 वर्ष आयु वर्ग की हॉकी अकादमी के अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर पर बैंक की हॉकी टीम का शिक्षण देती है। वर्ष के दौरान बैंक की हॉकी टीम ने निम्नलिखित तीन प्रतियोगिताएं जीतीं :-

- अखिल भारतीय गुरुमीत हॉकी टूर्नामेंट
- अखिल भारतीय सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट
- अखिल भारतीय नेहरू हॉकी टूर्नामेंट

बैंक की हॉकी अकादमी ने अखिल भारतीय स्तरीय प्रतियोगिताओं में विजय प्राप्त करके बैंक को सम्मान दिलाया।

वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक की हॉकी अकादमी तथा हॉकी टीम निम्नलिखित खिलाड़ियों ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया।

OBSERVANCE OF VIGILANCE AWARENESS WEEK FROM 28.10.2013 TO 02.11.2013

As desired by Hon'ble Commission, the Bank undertook number of initiatives during "Vigilance Awareness Week" w.e.f. 28.10.2013 to 02.11.2013 for observing the same in a befitting manner. Besides, a programme for all the senior functionaries of Delhi based Zones was also organized. The programme was inaugurated by Vigilance Commissioner, Central Vigilance Commission.

SECURITY ARRANGEMENT

The Bank has a well established Security set-up within the Bank's organizational structure. Security department of the Bank has been regularly reviewing the security arrangements at all Currency Chests and branches and accordingly strengthening the security arrangements to meet prevailing security scenario with effective, modern and unobstructed Security Systems. All the essential and mandatory security arrangements in terms of RBI/ IBA guidelines are provided at most of the branches.

The Zonal Security Officers periodically carry-out Security audit of branches to assess the security arrangements in vogue and recommend implementation of additional preventive security measures wherever desired. They maintain close liaison with the law enforcing and administrative authorities. Besides, the Chief Security Officer, other officials from Head Office are also carrying out the security audit of the Currency Chests and also undertake random visits of the vulnerable branches of the Bank.

The Access Control System at all Banks' Currency Chests has been strengthened in terms of RBI guidelines. Security Alarm Systems are installed at all branches and currency chests.

All the branches of Bank are provided armed guards and all the cash remittances are escorted by armed guard. Training, including firing practice, for Armed Guards deployed at currency chests / branches is imparted on an annual basis. Also, all the security officers undergo refresher training on security once in a year.

CCTV Surveillance System has been installed at all the Currency chest branches and 237 identified High Risk and vulnerable branches in the first phase, keeping in view the threat perception, volume of cash and valuables handled and need for continuous surveillance. CCTV systems shall be installed at remaining branches in a phased manner.

IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

During the financial year 2013-14, Bank made significant progress in implementation of Official Language Policy for promoting and propagating the use of Official Language in the Bank. During the year 2013-14, a total of 84 workshops were organized, in which 1039 personnel were trained. Besides, 3203 personnel were trained during 705 Hindi Desk Training Programmes and 286 personnel were imparted training for using Unicode on Computers. With the aim of reviewing the progress of Official Language, inspections were conducted in 705 Branches/Offices.

This year 'Delhi Town Official Language Implementation Committee' (TOLIC), awarded 'Consolation Prize' to our Bank In-House Hindi Magazine 'Rajbhasha Ankur'. Apart from this five employees of our Bank won eight prizes in various competitions organized by different banks under the auspices of Delhi Bank TOLIC.

SPORTS

The Bank has a Sports Academy which nurtures Bank's Hockey Team at National Level, besides Hockey Academy for age group of 15-18 years. During the year, Bank's Hockey Team won the following three National Tournaments:

- All India Gurmit Hockey Tournament
- All India Surjit Hockey Tournament
- All India Nehru Hockey Tournament

The Bank's Hockey Academy also brought laurels to the Bank by winning All India Level Tournaments.

The following players of the Bank's Hockey Team and Hockey Academy have represented Indian Hockey Team in various International Tournaments during the year 2013-14:

श्री हर्षबीर सिंह
श्री गुरमैल सिंह

श्री हरजोत सिंह
श्री प्रभदीप सिंह

श्री सतबीर सिंह
श्री तलविंदर सिंह

श्री रमनदीप सिंह

श्री बलजीत सिंह सैनी, ओलम्पियन को भारतीय हॉकी टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया तथा श्री राजिंदर सिंह ओलम्पियन को भारतीय विश्वविद्यालय का कोच नियुक्त किया गया।

इन उपलब्धियों के अतिरिक्त इस वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक की हॉकी टीम के अधिकारियों ने जमा संघटन हेतु कार्य किया।

समायोजन

वित्तीय वर्ष 2013-14 की समाप्ति पर आई.बी.आर. एवं ड्राफ्ट में बकाया राशि को पिछले वर्ष की तुलना में 99% तक कम किया गया।

सामान्य प्रशासन

बैंक की बहुत सी निर्माण योजनाएं जैसे कि स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज दिल्ली, फोर्ट मुम्बई, गुडगाँव, नोयडा आदि में प्रक्रिया में हैं तथा इस वर्ष में संभवतः इन्हें पूरा कर लिया जाएगा। वर्ष के दौरान, तीन वर्षों के पश्चात, बैंक ने अपनी संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया है।

बोर्ड निदेशकों का नियोजन

31 मार्च, 2014 के अनुसार बैंक बोर्ड में 10 अन्य निदेशकों— वित्त-मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधियों, गैर-आधिकारिक निदेशक (सनदी लेखाकार श्रेणी), 2 शेयर धारक निदेशकों तथा 5 अंश-कालिक गैर-आधिकारिक निदेशकों के अतिरिक्त तीन पूर्ण कालिक निदेशकों जैसे— अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा दो कार्यकारी निदेशकों को सम्मिलित किया गया।

बैंक मामलों के नियंत्रण एवं कार्य निगरानी हेतु नियोजित बोर्ड की विभिन्न समितियों सूची नीचे दी गई है:

- प्रबंधन समिति
- लेखा परीक्षा समिति
- जोखिम प्रबंधन समिति
- बड़ी राशियों की धोखाधड़ियों की निगरानी हेतु समिति
- सतर्कता समिति
- ग्राहक सेवा समिति
- शेयरधारकों/निवेशक शिकायत समिति
- सूचना प्रौद्योगिकी योजना समिति
- नामांकन समिति
- मानव संसाधन समिति
- पुनर्विचार समिति
- पारिश्रमिक समिति
- प्रबंधकों की पदोन्नति पर निदेशक समिति
- वसूली पर्यवेक्षण समिति
- समरूपी लेखा परीक्षा समिति
- शेयरधारक निदेशक चुनाव समिति (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा वोटिंग)

वर्ष 2013-14 के दौरान बोर्ड निदेशकों की 16 बैठकें, बोर्ड की प्रबंधन समिति की 21 बैठकें तथा लेखा परीक्षा समिति की 8 बैठकें आयोजित की गईं। इसके अतिरिक्त बोर्ड की अन्य समितियों की भी बैठकें आयोजित की गईं।

वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक के बोर्ड निदेशकों के नियोजन में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

समावेशन

- भारत सरकार, वित्त-मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 31.05.2013 के विज्ञापन सं. एफ.नं. 6/34/2013-बी.ओ.1 के अनुसार श्री प्रदीप के जेना को बैंक के भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक के रूप में नामित किया गया।
- भारत सरकार, वित्त-मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 05.08.2013 के विज्ञापन सं. एफ.नं. 4/5/2012-बी.ओ.1 के अनुसार श्री किशोर कुमार साँसी को पंजाब एण्ड सिंध बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

Sh. Harbir Singh	Sh. Harjot Singh	Sh. Satbir Singh	Sh. Ramandeep Singh
Sh. Gurmail Singh	Sh. Prabhdeep Singh	Sh. Talwinder Singh	

Sh. Baljit Singh Saini Olympian was appointed as coach of the Indian Hockey Team and

Sh. Rajinder Singh Olympian was appointed as coach of Indian University Team.

In addition to the above said achievements, the officials attached with Bank's Hockey Team have also worked for the deposit mobilization during this financial year.

RECONCILIATION

Total outstanding in Inter Bank Reconciliation (IBR) & Demand Draft as on 31.03.2014 has been reduced by 99% from the level as on 31-03-2013.

GENERAL ADMINISTRATION

Various building projects viz Staff Training College, Delhi, Fort Mumbai, Gurgaon, Noida etc. are in progress and are likely to be completed this year. During the year, Bank has gone for revaluation of Bank owned properties after a gap of three years.

CONSTITUTION OF BOARD OF DIRECTORS

As on 31st March 2014, the Board comprised of three Whole time Directors viz Chairman & Managing Director and two Executive Directors besides ten other Directors including representatives from Ministry of Finance, Reserve Bank of India, Non Official Director (Chartered Accountant Category), two Share Holders Directors and five Part Time Non Official Directors.

Various Committees constituted under the Board as listed below, oversee the functioning and control the affairs of the bank:

- Management Committee
- Audit Committee
- Risk Management Committee
- Committee for Monitoring of Large Value Frauds
- Vigilance Committee
- Customer Service Committee
- Shareholders'/Investors Grievance Committee
- IT Strategy Committee
- Nomination Committee
- HR Committee
- Appellate Committee
- Remuneration Committee
- Committee of Directors on Executives' Promotion
- Committee for Monitoring of Recovery
- Concurrent Audit Committee

During the year 2013-14, sixteen meetings of the Board of Directors, twenty one meetings of the Management Committee and eight meetings of the Audit Committee of the Board were held besides meetings of other Committees of the Board.

The constitution of Bank's Board of Directors underwent following changes during the year 2013-14:

INCLUSIONS

- Sh. Pradipta K Jena was nominated as RBI Nominee Director of the Bank vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No.F.No. 6/34/2013-BO.1 dated 31.05.2013.
- Sh. Kishore Kumar Sansi was appointed as Executive Director of Punjab & Sind Bank, vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No.F.No. 4/5/2012-BO.1 dated 05.08.2013.

- भारत सरकार, वित्त-मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 05.08.2013 के विज्ञापन सं. एफ.नं. 4/5/2012-बी.ओ.1 के अनुसार श्री मुकेश कुमार जैन को पंजाब एण्ड सिंध बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- भारत सरकार, वित्त-मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 12.08.2013 के विज्ञापन सं. एफ.नं. 6/16/2011-बी.ओ.1 के अनुसार श्री संजय वर्मा को बैंक के गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया।
- भारत सरकार, वित्त-मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 22.10.2013 के विज्ञापन सं. एफ.नं. 6/3/2012-बी.ओ.1 के अनुसार श्री एस.सी.दास को वित्त-मंत्रालय नामांकित निदेशक नामित किया गया।
- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 04.07.2013 के विज्ञापन सं. एफ. नं. 6/56/2013-बीओ. 1 के अनुसार श्रीमती अनीता कर्णावर को बैंक के गैर-सरकारी निदेशक मनोनित किया गया।
- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 31.01.2014 की अधिसूचना सं. एफ. नं. 4/7/2013-बीओ. 1 के अनुसार श्री जतिंदरबीर सिंह को पंजाब एण्ड सिंध बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

सेवानिवृत्तियाँ

बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री देविंदर पाल सिंह अपनी सेवानिवृत्ति की आयु पूरी करते हुए दिनांक 31.01.2014 को सेवानिवृत्त हुए। श्री रजत सच्चर, वित्त-मंत्रालय द्वारा नामित निदेशक ने बैंक के बोर्ड में दिनांक 21.10.2013 को अपनी सेवा अवधि पूरी की। श्री कर्णपाल सिंह सेखों ने बैंक के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में दिनांक 04.07.2013 को अपनी सेवा अवधि पूरी की। श्री बी.पी.कानूनगो, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक दिनांक 30.05.2013 तक बैंक के बोर्ड में रहे। कार्यकारी निदेशक श्री पी.के.आनंद अपनी सेवानिवृत्ति की आयु पूरी करते हुए दिनांक 31.05.2013 को सेवानिवृत्त हुए।

संगठित प्रशासन :

बैंक अच्छे संगठित प्रशासन के लिए प्रतिबद्ध है तथा इसे और अधिक मज़बूत करने का निरंतर प्रयास कर रहा है ताकि संगठन में सभी स्तर पर और अधिक पारदर्शिता व बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। बैंक की कार्य-प्रणाली, बैंक के पारदर्शी स्वामित्व संरचनाएं जोखिम प्रबंधन कार्य-प्रणाली में सुधार, सुनियोजित तरीके से शक्तियों को सौंपना, जवाबदेही तथा निरीक्षण एवं लेखा-परीक्षा प्रभाग तथा सांविधिक केन्द्रीय लेखा-परीक्षकों द्वारा किए गए विस्तृत लेखा कार्यों को दर्शाती है। इनके कार्यों में बोर्ड द्वारा की जाने वाली संतोषजनक बोर्ड प्रक्रियाओं तथा निरीक्षण कार्य सम्मिलित है।

बैंक निगमित प्रशासन के मामले में सम्बन्धित सेबी तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों का पालन करता है जिसकी जांच सांविधिक केन्द्रीय लेखा-परीक्षकों द्वारा की जाती है।

निदेशकों की जिम्मेदारियाँ :

- निदेशकों ने पुष्टि की है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखाबंदी की तैयार करने में –
- लागू लेखा-मानकों के साथ-साथ मानक सामग्री से सम्बन्धित उचित व्याख्या, यदि कोई है तो, का पालन किया गया है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप बनाई गई लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया गया है।
- वित्तीय-वर्ष के अंत में तथा 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के कार्यकलापों का वास्तविक तथा उचित विवरण प्रस्तुत करने हेतु यथोचित निर्णय तथा पूर्वानुमान लगाए गए।
- भारत में बैंकों पर लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार लेखा अभिलेखों के उचित एवं पर्याप्त अनुरक्षण हेतु उचित तथा पर्याप्त ध्यान रखा गया तथा खातों को चालू संस्थान के आधार पर तैयार किया जाता है।

सांविधिक लेखा परीक्षा

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अनुसार, मार्च, 2014 को समाप्त लेखा वर्ष हेतु मैसर्स आर.एम. लाल एण्ड कंपनी, लखनऊ और मैसर्स ओ.पी. तुलसियान एण्ड कंपनी, नई दिल्ली, मैसर्स बी.के. श्रॉफ एण्ड कम्पनी, कोलकाता तथा मैसर्स कोठारी एण्ड कंपनी, कोलकाता को केन्द्रीय सांविधिक लेखाकारों के रूप में नियुक्त किया है।

- Sh. Mukesh Kumar Jain was appointed as Executive Director of Punjab & Sind Bank, vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No.F.No. 4/5/2012-BO.1 dated 05.08.2013.
- Sh. Sanjay Verma was nominated as Non-official Director of the Bank vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No.F.No. 6/16/2011-BO.1 dated 12.08.2013.
- Sh. S C Das was nominated as Ministry of Finance Nominee Director of the Bank vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No.F.No. 6/3/2012-BO.1 dated 22.10.2013.
- Smt. Anita Karnavar was nominated as Non-official Director of the Bank vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No.F.No. 6/56/2013-BO.1 dated 30.01.2014.
- Sh. Jatinderbir Singh-IAS was appointed as Chairman & Managing Director of Punjab & Sind Bank vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No.F.No. 4/7/2013-BO.1 dated 31.01.2014.

CESSATIONS

Sh. Devinder Pal Singh, Chairman & Managing Director attained the age of superannuation and thus retired on 31.01.2014.

Sh. Rajat Sachar, MOF Nominee Director was on the Board of the Bank up to 21.10.2013.

Sh. Karanpal Singh Sekhon completed his term as Non-Official Director on the Board of the Bank on 04.07.2013.

Sh. B P Kanungo, RBI Nominee Director was on the Board of the Bank up to 30.05.2013.

Sh. P K Anand, Executive Director attained the age of superannuation and thus retired from the service of the bank on 31.05.2013.

CORPORATE GOVERNANCE

The Bank is committed to good Corporate Governance and is constantly striving to further strengthen the same to ensure greater transparency and better coordination at all levels in the Organization. The working of the Bank reflects transparent ownership structure, improved risk management practices, well defined delegation of powers, accountability and an elaborate audit function carried out by both its Inspection & Audit Division and by independent Statutory Central Auditors.

Bank has complied with the guidelines of RBI and SEBI on the matters relating to Corporate Governance which have been examined by the Statutory Central Auditors.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENTS

- The Directors confirm that in the preparation of the Annual Accounts for the year ended 31st March, 2014:
- The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any.
- The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied.
- Reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the bank for the year ended on 31st March, 2014
- Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws Governing Banks in India and the accounts have been prepared on going concern basis.

STATUTORY AUDIT

As approved by Reserve Bank of India, Bank has appointed M/s.R.M.Lall & Co., Lucknow, M/s.O.P Tulsyan & Co, New Delhi; M/s B K Shroff & Co., Kolkata; and M/s R Kothari & Co., Kolkata as Statutory Central Auditors for the accounting year ended March 2014.

अभिस्वीकृतियाँ :

- बैंक का निदेशक मण्डल मूल्यवान ग्राहकों, शेयर धारकों, शुभचिंतकों और बैंक के भारत तथा विदेशों में उनके संवाददाताओं के संरक्षण, सद्भावना एवं समर्थन के लिए धन्यवाद देता है।
- निदेशक मण्डल बैंक के कामकाज के लिए भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड(सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, विभिन्न राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों और बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा-परीक्षकों से प्राप्त मूल्यवान और समय पर सलाह, मार्गदर्शन तथा सहयोग को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करता है।
- निदेशक मण्डल वर्ष के दौरान सभी स्तरों पर बैंक की प्रगति हेतु स्टाफ-सदस्यों के बहुमूल्य योगदान के लिए भरपूर सराहना करता है तथा आशा करता है कि आने वाले वर्षों में बैंक को निगमित लक्ष्यों की प्राप्ति में इनका सतत् सहयोग प्राप्त होता रहेगा।

कृते निदेशक मण्डल की ओर से

ह0/—

(जतिंदरबीर सिंह)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक 19 मई, 2014

ACKNOWLEDGEMENTS

The Board of Directors of the Bank thanks valued customers, shareholders, well-wishers and correspondents of the Bank in India and abroad for their goodwill, patronage and continued support.

The Directors also acknowledge with gratitude the valuable and timely advice, guidance and support received from Government of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, various State Governments, Financial Institutions and the Statutory Central Auditors of the Bank in the functioning of the Bank.

The Directors place on record their deep appreciation for the valuable contribution of the members of the staff at all levels for the progress of the Bank during the year and look forward to their continued co-operation in realization of the Corporate goals in years ahead.

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-

(Jatinderbir Singh)

Chairman & Managing Director

Place: New Delhi

Dated:10.05.2014

आचार संहिता

1. प्रबंधन संहिता के संबंध में बैंक - दर्शन

बैंक उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु संसाधनों के इष्टतम उपयोग के साथ अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करने तथा सभी स्तरों पर कार्य-निष्पादन को सुनिश्चित करते हुए, शेयरधारकों के हितों की रक्षा करते हुए तथा उनके मूल्यों में अभिवृद्धि के लिए अपने सतत् प्रयास जारी रखेगा। बैंक न केवल सांविधिक अनिवार्यताओं का अनुपालन करेगा अपितु स्वेच्छापूर्वक कड़ी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पद्धतियों को निष्पादित करते हुए उनका पालन भी करेगा। बैंक प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने हेतु नैतिक मूल्यों के उच्च मानकों, पारदर्शिता तथा अनुशासित दृष्टिकोण अपनाने में विश्वास रखता है। बैंक सर्वोत्तम कार्यशैली को अपनाने के लिए वचनबद्ध है। बैंक अपने सभी जॉखिम उठाने वालों के हित में जिनमें शेयरधारक, ग्राहक, सरकार तथा तथा बड़े पैमाने पर समाज भी शामिल हैं, को अधिकतम लाभ पहुँचाने हेतु सघन प्रयास करता रहेगा।

बैंक एक सूचीबद्ध निकाय है जो एक कंपनी नहीं है लेकिन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत कॉर्पोरेट निकाय है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित होता है। अतः बैंक, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीयन करार के संशोधित उपखंड 49 के प्रावधानों का उस सीमा तक पालन करेगा जहां तक बैंककारी कंपनी उपक्रमों का (अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 के प्रावधानों और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन नहीं होता है।

2. निदेशक मंडल

2.1 निदेशक मंडल का स्वरूप:

निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 यथा संशोधित तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980, यथा संशोधित, के प्रावधानों द्वारा शासित होता है।

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुरूप निदेशक मंडल का स्वरूप निम्नानुसार है:

क्रम सं.	नम	पदनाम	31.03. 2014 को धारित बैंक के शेयरों की संख्या	बैंक की उपसमितियों की सदस्यता की संख्या	बैंक के अलावा कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाओं की संख्या	अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप-समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता की संख्या	टिप्पणियां (बैंक/अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप)
1.	श्री जतिंदरबीर सिंह, आई.ए.एस.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	शून्य	10	शून्य	शून्य	+
2.	श्री के.के.साँसी	कार्यकारी निदेशक	शून्य	9	शून्य	शून्य	*
3.	श्री एम.के.जैन	कार्यकारी निदेशक	शून्य	10	शून्य	शून्य	*
4.	श्री एस.सी.दास	निदेशक-वित्त-मंत्रालय द्वारा नामित	शून्य	9	शून्य	शून्य	**
5.	श्री पी.के. जेना	निदेशक-भा.रि.बैंक द्वारा नामित	शून्य	6	शून्य	शून्य	@
6.	श्री एस.पी.एस. विर्क	कामगार कर्मचारी निदेशक	शून्य	2	शून्य	शून्य	+++++
7.	श्री महेश कुमार गुप्ता	गैर-आधिकारिक निदेशक (सीए-श्रेणी)	शून्य	4	शून्य	शून्य	***
8.	श्री सुखेन पाल बबूता	गैर-आधिकारिक निदेशक (अंशधारक निदेशक)	499	5	2	शून्य	\$
9.	श्री संजीव कुमार अरोड़ा	गैर-आधिकारिक निदेशक	शून्य	5	शून्य	शून्य	#

Report on Corporate Governance (2013-14)

1. BANK'S PHILOSOPHY ON CODE OF GOVERNANCE :

The Bank shall continue its endeavor to enhance its shareholders' value by protecting their interest by ensuring performance at all levels, and maximizing returns with optimal use of resources in its pursuit of excellence. The Bank shall comply with not only the statutory requirements, but also voluntarily formulate and adhere to a set of strong Corporate Governance practices. The Bank believes in setting high standards of ethical values, transparency and a disciplined approach to achieve excellence in all its sphere of activities. The Bank is also committed to follow the best practices. The Bank shall strive hard to best serve the interests of its stakeholders comprising shareholders, customers, Government and society at large.

The Bank is a listed entity, which is not a company but body corporate under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and is regulated by Reserve Bank of India. Therefore, the Bank shall comply with the provisions of Revised Clause 49 of the Listing Agreement entered into with Stock Exchanges to the extent it does not violate the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and the Guidelines issued by Reserve Bank of India in this regard.

2. BOARD OF DIRECTORS

2.1 Composition of the Board:

The composition of Board of Directors of the Bank is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, as amended and the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, as amended.

The composition of Board of Directors of the Bank as on 31st March, 2014 is as under:

Sr. No	Name	Position Held	No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2014	No. of membership in Sub Committees of the Bank	No. of Directorship held in other Companies i.e. Other than the Bank.	No of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of the Board in Other Companies	Remarks (nature of appointment in the Bank / other Companies)
1	Sh. Jatinderbir Singh, IAS	Chairman & Managing Director	NIL	10	NIL	NIL	+
2.	Sh K.K. Sansi	Executive Director	NIL	9	NIL	NIL	*
3.	Sh M.K.Jain	Executive Director	NIL	10	NIL	NIL	*
4.	Sh S.C.Das	Director –MOF Nominee Director	NIL	9	NIL	NIL	**
5.	Sh P.K. Jena	Director – RBI Nominee Director	NIL	6	NIL	NIL	@
6.	Sh. S.P.S. Virk	Workmen Employee Director	NIL	2	NIL	NIL	+++++
7.	Sh.Mahesh Kumar Gupta	Non-Official Director (CA-Cat)	NIL	4	NIL	NIL	***
8.	Sh.Sukhen Pal Babuta	Non-Official Director (Shareholder Director)	499	5	2	NIL	\$
9.	Sh. Sanjiv Kumar Arora	Non-Official Director	NIL	5	NIL	NIL	#

क्रम सं.	नम	पदनाम	31.03. 2014 को धारित बैंक के शेयरों की संख्या	बैंक की उपसमितियों की सदस्यता की संख्या	बैंक के अलावा कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाओं की संख्या	अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप-समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता की संख्या	टिप्पणियां (बैंक/अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप)
10.	श्री संजय वर्मा	गैर-आधिकारिक निदेशक	शून्य	5	शून्य	शून्य	++
11.	श्री सुरेश ठाकुर	गैर-आधिकारिक निदेशक	शून्य	3	2	शून्य	+++
12.	श्री एन.राजेन्द्रन	गैर-आधिकारिक निदेशक (अंशधारक निदेशक)	500	3	शून्य	शून्य	++++
13.	श्रीमती अनीता कर्णावर	गैर-आधिकारिक निदेशक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	+++++

- + भारत सरकार, वित्त-मंत्रालय के दिनांक 31 जनवरी, 2014 के पत्र सं.एफ.न. 4/7/2013-बीओ-I की शर्तों के अनुरूप पूर्णकालिक निदेशक (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पदासीन) 01.02.2014 की प्रभावी तिथि पर अथवा उसके बाद कार्यभार संभालनें और दिनांक 31.12.2017 तक अर्थात् अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि तक या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो।
- * भारत सरकार, वित्त-मंत्रालय के दिनांक 05 अगस्त, 2013 के पत्र सं. एफ.नं. 4/5/2012-बीओ- I की शर्तों के अनुरूप अपने पदग्रहण करने की प्रभावी तिथि से तथा दिनांक 31.08.2017 तक अर्थात् अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि तक या आगामी आदेशों तक अथवा इनमें से जो भी पहले हो, कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त।
- * भारत सरकार, वित्त-मंत्रालय के दिनांक 05 अगस्त, 2013 के पत्र सं. एफ.नं. 4/5/2012-बीओ- I की शर्तों के अनुरूप अपने पदग्रहण करने की प्रभावी तिथि से पाँच वर्ष तक या आगामी आदेशों तक अथवा इनमें से जो भी पहले हो, तक कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त।
- ** भारत सरकार, वित्त-मंत्रालय के दिनांक 22 अक्टूबर, 2013 के पत्र सं. एफ.नं. 6/3/2012-बीओ- I बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 उपधारा (3) के खंड (बी) के तहत तुरंत प्रभाव से एवं आगामी आदेश तक निदेशक नियुक्त।
- @ भारत सरकार, वित्त-मंत्रालय के दिनांक 31मई, 2013 के पत्र सं. एफ.नं. 6/34/2013-बीओ- I बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 उपधारा 3 के खंड (सी) के तहत तुरंत प्रभाव से एवं आगामी आदेश तक निदेशक नियुक्त।
- ++++ भारत सरकार, वित्त-मंत्रालय के दिनांक 23 नवंबर, 2011 के पत्र सं. एफ.नं. 9/35/2009-बीओ-I बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 उपधारा 3 के खंड (ई) के तहत सूचना की तारीख से एवं पाँच वर्ष की अवधि हेतु या समाप्ति तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक पंजाब एण्ड सिंध बैंक के कामगार कर्मचारी निदेशक रहेंगे।
- *** भारत सरकार, वित्त-मंत्रालय के दिनांक 30 जनवरी, 2013 के पत्र सं. एफ.नं. 6/16/2013-बीओ- I बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 उपधारा (3जी) के तहत अधिसूचना से तीन वर्ष तक या आगामी आदेश, जो भी पहले हो, तक सांविधिक लेखाकार श्रेणी के अंतर्गत अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक नियुक्त।
- \$ शेयरधारकों के मध्य से, केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3)(आई) जोकि राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विभिन्न प्रावधानों) योजना 1980 तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयरों एवं बैठकों) से संबंधित अधिनियम 66(आई), अधिनियम, 2008 खंड 9 (4) के तहत अधिसूचना से 3 वर्ष तक की अवधि अर्थात् दिनांक 03.06.2011 से निदेशक नियुक्त।
- # भारत सरकार, वित्त-मंत्रालय के दिनांक 15 जुलाई, 2011 के पत्र सं. एफ.नं. 6/59/2010-बीओ- I बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 उपधारा (3एच) तथा (3-ए) के तहत अधिसूचना से तीन वर्ष तक या आगामी आदेश, जो भी पहले हो, तक अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक नियुक्त।

Sr. No	Name	Position Held	No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2014	No. of membership in Sub Committees of the Bank	No. of Directorship held in other Companies i.e. Other than the Bank.	No of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of the Board in Other Companies	Remarks (nature of appointment in the Bank / other Companies)
10.	Sh. Sanjay Verma	Non-Official Director	NIL	5	NIL	NIL	++
11.	Sh. Suresh Thakur	Non-Official Director	NIL	3	2	NIL	+++
12.	Sh.N. Rajendran	Non-Official Director (Shareholder Director)	500	3	NIL	NIL	++++
13.	Smt. Anita Karnavar	Non-Official Director	NIL	NIL	NIL	NIL	+++++

- + Appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.4/7/2013-BO-I dated 31st January 2014 as a whole time Director (designated as Chairman & Mg. Director) w.e.f. the date of taking charge on or after 01.02.2014 and upto 31.12.2017 i.e. the date of his attaining the age of superannuation or until further orders, whichever is earlier.
- * Appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.4/5/2012-BO-I dated 5th August 2013 as Executive Director w.e.f. the date of his taking over charge of the post and upto 31.08.2017 i.e. the date of his attaining the age of superannuation or until further orders, whichever is earlier.
- * Appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.4/5/2012-BO-I dated 5th August 2013 as Executive Director for a period of five years from the date of his taking over charge of the post, or until further orders, whichever is earlier.
- ** Appointed as Director in terms of GOI MOF letter No F.No.6/3/2012-BO-I dated 22nd October 2013 under clause (b) of sub section (3) of section 9 of the The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 with immediate effect and until further orders.
- @ Appointed as Director in terms of GOI MOF letter No F.No.6/34/2013-BO-I dated 31st May 2013 under clause (c) of sub section 3 of Section 9 of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 with immediate effect and until further orders.
- ++++ Appointed as Workmen Employee Director in terms of GOI MOF letter No F.No.9 /35/2009-BO-I dated 23rd November 2011 under Clause (e) of sub section 3 of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of three years from the date of notification or till he ceases to be a Workmen employee of Punjab & Sind Bank or until further orders, whichever is earlier.
- *** Appointed as part-time non-official Director under chartered accountant category in terms of GOI MOF letter No F.No 6/16/2013-BO-I dated 30th January 2013 under of sub section (3g) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of three years from the date of notification and / or until further orders, whichever is earlier.
- \$ Elected from amongst the shareholders, other than the Central Government, in terms of Section 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with Clause 9 (4) of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1980 and Regulation 66 (i) of Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008 for a period of 3 years, i.e. from 03.06.2011.
- # Appointed as part-time non-official Director in terms of GOI MOF letter No F.No.6/59/2010-BO-I dated 15th July 2011 under of sub section (3h) and (3-A) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of three years from the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier.

- + + भारत सरकार, वित्त-मंत्रालय के दिनांक 12 अगस्त, 2013 के पत्र सं. एफ.नं. 6/16/2011-बीओ-I बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 उपधारा (3एच) तथा (3-ए) के तहत अधिसूचना से तीन वर्ष तक या आगामी आदेश, जो भी पहले हो, तक अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक नियुक्त।
- + + + भारत सरकार, वित्त-मंत्रालय के दिनांक 13 जुलाई, 2011 के पत्र सं. एफ.नं. 6/57/2010-बीओ-I बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 उपधारा (3एच) तथा (3-ए) के तहत अधिसूचना से तीन वर्ष तक या आगामी आदेश, जो भी पहले हो, तक अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक नियुक्त।
- + + + + शेयरधारकों के मध्य से, केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3)(आई) जोकि राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विभिन्न प्रावधानों) योजना 1980 तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयरों एवं बैठकों) से संबंधित अधिनियम 66(आई), अधिनियम, 2008 खंड 9 (4) के तहत अधिसूचना से 3 वर्ष तक की अवधि अर्थात दिनांक 03.06.2011 से निदेशक नियुक्त।
- + + + + + भारत सरकार, वित्त-मंत्रालय के दिनांक 30 जनवरी, 2014 के पत्र सं. एफ.नं. 6/56/2013-बीओ-I बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 उपधारा (3एच) तथा (3-ए) के तहत उनकी नियुक्ति की अधिसूचना से तीन वर्ष तक या आगामी आदेश, जो भी पहले हो, तक अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक नियुक्त।

2.2 वर्ष के दौरान निदेशकों की नियुक्ति/कार्य-समाप्ति

वर्ष 2013-2014 के दौरान बैंक के निदेशक मंडल के गठन में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :

(क) नियुक्तियाँ :

- भारत सरकार, वित्त-मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली की दिनांक 31.01.2014 की अधिसूचना सं. एफ.नं. 4/7/2013-बीओ.1 के अंतर्गत श्री जतिंदरबीर सिंह आई.ए.एस. को पंजाब एण्ड सिंध बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- भारत सरकार, वित्त-मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली की दिनांक 30.01.2014 की अधिसूचना सं. एफ.नं. 6/56/2013-बीओ.1 के अंतर्गत श्रीमती अनिता कर्णावर को पंजाब एण्ड सिंध बैंक के गैर-आधिकारिक निदेशक के रूप में नामित किया गया।
- भारत सरकार, वित्त-मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली की दिनांक 22.10.2013 की अधिसूचना सं. एफ.नं. 6/3/2012-बीओ.1 के अंतर्गत श्री एस.सी.दास को पंजाब एण्ड सिंध बैंक के वित्त-मंत्रालय के नामित निदेशक के रूप में नामित किया गया।
- भारत सरकार, वित्त-मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली की दिनांक 05.08.2013 की अधिसूचना सं. एफ.नं. 4/5/2012-बीओ.1 के अंतर्गत श्री मुकेश कुमार जैन को पंजाब एण्ड सिंध बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- भारत सरकार, वित्त-मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली की दिनांक 05.08.2013 की अधिसूचना सं. एफ.नं. 4/5/2012-बीओ.1 के अंतर्गत श्री किशोर कुमार साँसी को पंजाब एण्ड सिंध बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- भारत सरकार, वित्त-मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली की दिनांक 12.08.2013 की अधिसूचना सं. एफ.नं. 6/16/2011-बीओ.1 के अंतर्गत श्री संजय वर्मा को पंजाब एण्ड सिंध बैंक के गैर-आधिकारिक निदेशक के रूप में नामित किया गया।
- भारत सरकार, वित्त-मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली की दिनांक 31.05.2013 की अधिसूचना सं. एफ.नं. 6/34/2013-बीओ.1 के अंतर्गत श्री प्रदीप्ता के. जेना को पंजाब एण्ड सिंध बैंक के भार.रि.बैंक नामित निदेशक के रूप में नामित किया गया।

(ख) वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त/त्याग-पत्र देने वाले निदेशक :

- श्री दविंदर पाल सिंह बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में दिनांक 31.01.2014 को माह के अंतिम दिन अपना कार्यकाल पूरा कर सेवानिवृत्त हुए।



- + + Appointed as part-time non-official Director in terms of GOI MOF letter No F.No.6/16/2011-BO-I dated 12th August 2013 under of sub section (3h) and (3-A) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of three years from the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier.
- + + + Appointed as part-time non-official Director in terms of GOI MOF letter No F.No.6/57/2010-BO-I dated 13th July 2011 under of sub section (3h) and (3-A) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of three years from the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier.
- + + + + Elected from amongst the shareholders, other than the Central Government, in terms of Section 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with Clause 9 (4) of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1980 and Regulation 66 (i) of Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008 for a period of 3 years, i.e. from 03.06.2011.
- + + + + + Appointed as part-time non-official Director in terms of GOI MOF letter No F.No.6/56/2013-BO-I dated 30th January 2014 under of sub section (3h) and (3-A) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of three years from the date of notification of her appointment or until further orders, whichever is earlier.

2.2 Appointment / Cessation of Directors During The Year

The constitution of Bank's Board of Directors underwent the following changes during the year 2013-2014:

[A] Appointment:

- Sh. Jatinderbir Singh, IAS was appointed as Chairman & Managing Director of Punjab & Sind Bank vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No.F.No. 4/7/2013-BO.1 dated 31.01.2014.
- Smt. Anita Karnavar was nominated as Non-official Director of the Bank vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No.F.No. 6/56/2013-BO.1 dated 30.01.2014.
- Sh. S C Das was nominated as Ministry of Finance Nominee Director of the Bank vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No.F.No. 6/3/2012-BO.1 dated 22.10.2013.
- Sh. Mukesh Kumar Jain was appointed as Executive Director of Punjab & Sind Bank, vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No.F.No. 4/5/2012-BO.1 dated 05.08.2013.
- Sh. Kishore Kumar Sansi was appointed as Executive Director of Punjab & Sind Bank, vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No.F.No. 4/5/2012-BO.1 dated 05.08.2013.
- Sh. Sanjay Verma was nominated as Non-official Director of the Bank vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No.F.No. 6/16/2011-BO.1 dated 12.08.2013.
- Sh. Pradipta K Jena was nominated as RBI Nominee Director of the Bank vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No.F.No. 6/34/2013-BO.1 dated 31.05.2013

[B] Directors out going / resigned during the year:

- Sh. Devinder Pal Singh completed his term as Chairman & Managing Director of the Bank on 31.01.2014 i.e. the last day of the month in which he attained the age of superannuation.

- श्री रजत सच्चर वित्त-मंत्रालय द्वारा नामित निदेशक बैंक के बोर्ड में दिनांक 21.10.2013 तक रहे।
- श्री करनपाल सिंह सेखों ने बैंक बोर्ड में गैर-आधिकारिक निदेशक के रूप में दिनांक 04.07.2013 को अपना कार्यकाल पूरा किया।
- भा.रि.बैंक द्वारा नामित निदेशक श्री बी.पी. कानूनगो दिनांक 30.05.2013 तक बैंक के निदेशक मंडल में रहे।
- श्री पी.के. आनंद बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में, अर्थात् दिनांक 31.05.2013 को माह के अंतिम दिन अपना कार्यकाल पूरा कर सेवानिवृत्त हुए।

2.3 वर्ष 2013-14 के दौरान नियुक्त निदेशकों का परिचय :

(क) श्री जतिंदरबीर सिंह-आई.ए.एस.

क.सं.	ब्यौरा	विस्तृत विवरण
1.	पूरा नाम	श्री जतिंदरबीर सिंह
2.	पिता का नाम	सरदार बलवंत सिंह
3.	जन्म तिथि एवं आयु	12.12.1957— 56वर्ष
4.	वर्तमान पता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक, बैंक हाऊस, 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली
5.	ई-मेल पता	CMD@PSB.ORG.IN
6.	शैक्षिक योग्यता	एम.बी.ए., स्नातकोत्तर-अंग्रेजी, स्नातक
7.	निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक
8.	अनुभव	अपनी 30 वर्ष की लंबी कार्यावधि के दौरान ये असम, मेघालय तथा केंद्र सरकार के गृह मामलों, रसायन व उर्वरक, रक्षा तथा जल संसाधन मंत्रालयों में प्रतिष्ठित पदों पर कार्यरत रहे।
9.	अन्य निदेशकीय पदों का विवरण (यदि कोई हो तो)	—

(ख) श्री मुकेश कुमार जैन

क.सं.	ब्यौरा	विस्तृत विवरण
1.	पूरा नाम	श्री मुकेश कुमार जैन
2.	पिता का नाम	स्वर्गीय श्री मदन लाल जैन
3.	जन्म तिथि एवं आयु	01.08.1960— 53वर्ष
4.	वर्तमान पता	501, टॉवर 1, कॉमनवेल्थ खेल गाँव, अक्षरधाम, नई दिल्ली
5.	ई-मेल पता	MKJAIN@PSB.CO.IN
6.	शैक्षिक योग्यता	दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से स्नातकोत्तर, सनदी लेखाकार
7.	निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	कार्यकारी निदेशक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक
8.	अनुभव	पूर्व महाप्रबंधक, देना बैंक
9.	अन्य निदेशकीय पदों का विवरण (यदि कोई हो तो)	—

- Sh. Rajat Sachar MOF Nominee Director was on the Board of the Bank up to 21.10.2013.
- Sh. Karanpal Singh Sekhon completed his term as Non-Official Director on the Board of the Bank on 04.07.2013.
- Sh. B P Kanungo RBI Nominee Director was on the Board of the Bank up to 30.05.2013.
- Sh. P K Anand completed his term as Executive Director of the Bank on 31.05.2013 i.e. the last day of the month in which he attained the age of superannuation.

2.3 Profiles of Directors appointed during 2013-14:

[A] Shri Jatinderbir Singh-IAS

SNO.	PARTICULARS	DETAIL
1.	FULL NAME	SHRI JATINDERBIR SINGH
2.	FATHER'S NAME	SARDAR BALWANT SINGH
3.	DATE OF BIRTH & AGE	12.12.1957 - 56YEARS
4.	PRESENT ADDRESS	PUNJAB & SIND BANK, BANK HOUSE,21, RAJENDRA PLACE,NEW DELHI
5.	EMAIL ADDRESS	CMD@PSB.ORG.IN
6.	EDUCATIONAL QUALIFICATION	MBA, PG-ENGLISH, GRADUATION
7.	NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR, PUNJAB & SIND BANK
8.	EXPERIENCE	DURING HIS 30 YEARS LONG SERVICE SPAN HE HAD MANY PRESTIGIOUS ASSIGNMENTS IN ASSAM, MEGHALAYA AND IN DIFFERENT CENTRAL GOVERNMENT MINISTRIES SUCH AS HOME AFFAIRS, CHEMICALS & FERTILIZERS, DEFENCE AND WATER RESOURCES.
9.	PARTICULARS OF OTHER DIRECTORSHIP (if any)	—

[B] Shri Mukesh Kumar Jain

SNO.	PARTICULARS	DETAIL
1.	FULL NAME	SHRI MUKESH KUMAR JAIN
2.	FATHER'S NAME	LT. SHRI MADAN LAL JAIN
3.	DATE OF BIRTH & AGE	01.08.1960 – 53 YEARS
4.	PRESENT ADDRESS	501, TOWER 1, COMMONWEALTH GAMES VILLAGE, AKSHARDHAM, NEW DELHI.
5.	EMAIL ADDRESS	MKJAIN@PSB.CO.IN
6.	EDUCATIONAL QUALIFICATION	POST GRADUATE, DELHI SCHOOL OF ECONOMICS; CHARTERED ACCOUNTANT
7.	NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	EXECUTIVE DIRECTOR, PUNJAB & SIND BANK
8.	EXPERIENCE	EX GENERAL MANAGER, DENA BANK
9.	PARTICULARS OF OTHER DIRECTORSHIP (if any)	—

(ग) श्री किशोर कुमार साँसी

क.सं.	ब्यौरा	विस्तृत विवरण
1.	पूरा नाम	श्री किशोर कुमार साँसी
2.	पिता का नाम	श्री भीम सेन साँसी
3.	जन्म तिथि एवं आयु	19.08.1957— 56वर्ष
4.	वर्तमान पता	डी-1 / 5, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली
5.	ई-मेल पता	KISHORESANSI@PSB.CO.IN
6.	शैक्षिक योग्यता	एम.एस.सी, एम.टेक
7.	निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	कार्यकारी निदेशक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक
8.	अनुभव	पूर्व महाप्रबंधक, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
9.	अन्य निदेशकीय पदों का विवरण (यदि कोई हो तो)	—

(घ) श्री संजय वर्मा

क.सं.	ब्यौरा	विस्तृत विवरण
1.	पूरा नाम	श्री संजय वर्मा
2.	पिता का नाम	स्वर्गीय श्री श्यामलाल वर्मा
3.	जन्म तिथि एवं आयु	17.08.1968— 45वर्ष
4.	वर्तमान पता	425, आईआईएम, वस्त्रपुर, अहमदाबाद
5.	ई-मेल पता	SVERMA@IIMAHD.ERNET.IN
6.	शैक्षिक योग्यता	पी.एच.डी., एम.बी.ए., बी.एस.सी.
7.	निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक,
8.	अनुभव	प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान में अध्यापन का 22 वर्षों से भी अधिक का अनुभव। मई, 1999 से आईआईएम अहमदाबाद में अध्यापन कार्य कर रहे हैं।
9.	अन्य निदेशकीय पदों का विवरण (यदि कोई हो तो)	—

[C] Shri Kishore Kumar Sansi

SNO.	PARTICULARS	DETAIL
1.	FULL NAME	SHRI KISHORE KUMAR SANSI
2.	FATHER'S NAME	SHRI BHIM SAIN SANSI
3.	DATE OF BIRTH & AGE	19.08.1957- 56 YEARS
4.	PRESENT ADDRESS	D-1/5, RAJOURI GARDEN, NEW DELHI
5.	EMAIL ADDRESS	KISHORESANSI@PSB.CO.IN
6.	EDUCATIONAL QUALIFICATION	M.SC, M.TECH.
7.	NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	EXECUTIVE DIRECTOR, PUNJAB & SIND BANK
8.	EXPERIENCE	EX GENERAL MANAGER, OBC
9.	PARTICULARS OF OTHER DIRECTORSHIP (if any)	—

[D] Shri Sanjay Verma

SNO.	PARTICULARS	DETAIL
1.	FULL NAME	SHRI SANJAY VERMA
2.	FATHER'S NAME	LT. SHRI SHYAMLAL VERMA
3.	DATE OF BIRTH & AGE	17.08.1968- 45 Years
4.	PRESENT ADDRESS	425, IIM VASTRAPUR, AHMEDABAD.
5.	EMAIL ADDRESS	SVERMA@IIMAHD.ERNET.IN
6.	EDUCATIONAL QUALIFICATION	PhD. , MBA, BSc.
7.	NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	PART-TIME NON-OFFICIAL DIRECTOR
8.	EXPERIENCE	MORE THAN 22 YEARS TEACHING EXPERIENCE IN PRESTIGIOUS EDUCATIONAL INSTITUTES. HAS BEEN TEACHING IN IIM AHMEDABAD SINCE MAY-1999.
9.	PARTICULARS OF OTHER DIRECTORSHIP (if any)	—

(ड.) श्री एस.सी.दास

क.सं.	ब्यौरा	विस्तृत विवरण
1.	पूरा नाम	श्री एस.सी.दास
2.	पिता का नाम	श्री राज कृष्ण दास
3.	जन्म तिथि एवं आयु	01.05.1954— 59वर्ष
4.	वर्तमान पता	23 / 177, टाईप IV, फ्लैट्स, लोधी रोड, नई दिल्ली
5.	ई-मेल पता	SC.DAS@NIC.IN
6.	शैक्षिक योग्यता	स्नातक
7.	निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक, उप सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग
8.	अनुभव	केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में 38 वर्षों का अनुभव
9.	अन्य निदेशकीय पदों का विवरण (यदि कोई हो तो)	—

(च) श्रीमती अनीता कर्णावर

क.सं.	ब्यौरा	विस्तृत विवरण
1.	पूरा नाम	श्रीमती अनिता कर्णावर
2.	पिता का नाम	श्री टी के आर कुरुप
3.	जन्म तिथि एवं आयु	09.10.1957— 56वर्ष
4.	वर्तमान पता	पीरुम्पीत्ताथु हाउस, नेदुवरमकोड़, पी.ओ. एल्लीपी (डी टी), केरला. पिन— 689508
5.	ई-मेल पता	ANITAKARNAVAR@GMAIL.COM
6.	शैक्षिक योग्यता	दो बार स्नातकोत्तर
7.	निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक
8.	अनुभव	उद्यमी, गैर-सरकारी संगठन में कियाशील तथा दूरदर्शन में न्यूज़ रीडर
9.	अन्य निदेशकीय पदों का विवरण (यदि कोई हो तो)	—

(छ) श्री प्रदीप्त कुमार जेना

क.सं.	ब्यौरा	विस्तृत विवरण
1.	पूरा नाम	श्री प्रदीप्त कुमार जेना
2.	पिता का नाम	श्री दशरथी जेना
3.	जन्म तिथि एवं आयु	09.01.1959— 55वर्ष
4.	वर्तमान पता	26, मधुसूदन नगर, यूनिट-4, भुवनेश्वर— 751001
5.	ई-मेल पता	PKJENA@RBI.ORG.IN

[E] Shri S C Das

SNO.	PARTICULARS	DETAIL
1.	FULL NAME	SHRI S C DAS
2.	FATHER'S NAME	SHRI RAJ KRISHAN DAS
3.	DATE OF BIRTH & AGE	01.05.1954 – 59 YEARS
4.	PRESENT ADDRESS	23/177, TYPE IV FLATS, LODHI ROAD, NEW DELHI.
5.	EMAIL ADDRESS	SC.DAS@NIC.IN
6.	EDUCATIONAL QUALIFICATION	B.A.
7.	NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	GOVERNMENT NOMINEE DIRECTOR, DY. SECTARY, DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES
8.	EXPERIENCE	38 YEARS EXPERIENCE IN DIFFERENT CENTRAL GOVERNMENT MINISTRIES.
9.	PARTICULARS OF OTHER DIRECTORSHIP (if any)	—

[F] Smt. Anita Karnavar

SNO.	PARTICULARS	DETAIL
1.	FULL NAME	SMT. ANITA KARNAVAR
2.	FATHER'S NAME	SHRI T K R KURUP
3.	DATE OF BIRTH & AGE	09.10.1957- 56 YEARS
4.	PRESENT ADDRESS	PERUMPITTATHU HOUSE, NEDUVARAMCOD, P.O. ALLEPPEY (DT), KERALA. PIN-689508
5.	EMAIL ADDRESS	ANITAKARNAVAR@GMAIL.COM
6.	EDUCATIONAL QUALIFICATION	DOUBLE POST GRADUATE
7.	NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	PART-TIME NON-OFFICIAL DIRECTOR
8.	EXPERIENCE	ENTREPRENEUR, NEWS READER IN DOORDARSHAN AND RUNNING A NGO.
9.	PARTICULARS OF OTHER DIRECTORSHIP (if any)	—

[G] Shri Pradipta Kumar Jena

SNO.	PARTICULARS	DETAIL
1.	FULL NAME	SHRI PRADIPTA KUMAR JENA
2.	FATHER'S NAME	SHRI DASARATHI JENA
3.	DATE OF BIRTH & AGE	09.01.1959- 55 YEARS
4.	PRESENT ADDRESS	26, MADHUSUDAN NAGAR, UNIT-4, BHUBANESHWAR-751001
5.	EMAIL ADDRESS	PKJENA@RBI.ORG.IN

क.सं.	ब्यौरा	विस्तृत विवरण
6.	शैक्षिक योग्यता	स्नातकोत्तर, एम.फिल
7.	निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक
8.	अनुभव	मुख्य महा प्रबंधक क्षेत्रीय निदेशक, भा.रि.बैंक, भुवनेश्वर
9.	अन्य निदेशकीय पदों का विवरण (यदि कोई हो तो)	—

2.4 बोर्ड बैठकें

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान बोर्ड की निम्नलिखित तिथियों को कुल 16 बैठकें हुई जबकि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 के खंड 12 में निर्धारित शर्त के अनुसार न्यूनतम 6 बैठकें के अनिवार्य हैं।

06.04.2013	01.05.2013	21.05.2013	31.05.2013	14.06.2013
26.06.2013	27.07.2013	19.08.2013	25.09.2013	05.10.2013
11.11.2013	21.12.2013	02.01.2014	16.01.2014	28.01.2014
26.02.2014				

समिति की आयोजित पूर्वकथित बैठकों में निदेशकों की उनके संबंधित कार्यकाल के दौरान उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की गई
श्री डी.पी.सिंह-भूपू- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2013 से 31.01.2014	15	14
श्री जतिंदरबीर सिंह- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	04.02.2014 से 31.03.2014	1	1
श्री पी.के.आनंद-भूपू-कार्यकारी निदेशक	01.04.2013 से 31.05.2013	4	4
श्री के.के.साँसी-कार्यकारी निदेशक	05.08.2013 से 31.03.2014	9	9
श्री एम.के.जैन-कार्यकारी निदेशक	05.08.2013 से 31.03.2014	9	9
श्री रजत सच्चर- वित्त-मंत्रालय द्वारा नामित निदेशक	01.04.2013 से 21.10.2013	10	8
श्री एस.सी.दास- वित्त-मंत्रालय द्वारा नामित निदेशक	22.10.2013 से 31.03.2014	6	4
श्री बी.पी.कानूनगो- भा.रि.बैंक द्वारा नामित निदेशक	01.04.2013 से 30.05.2013	3	1
श्री पी.के.जेना- भा.रि.बैंक द्वारा नामित निदेशक	31.05.2013 से 31.03.2014	13	7
श्री महेश कुमार गुप्ता- गैर-आधिकारिक निदेशक	01.04.2013 से 31.03.2014	16	15
श्री करनपाल सिंह सेखों-गैर-आधिकारिक निदेशक	01.04.2013 से 04.07.2013	6	5
श्री सुखेन पाल बबूता- गैर-आधिकारिक निदेशक	01.04.2013 से 31.03.2014	16	16

SNO.	PARTICULARS	DETAIL
6.	EDUCATIONAL QUALIFICATION	M.A. M.PHIL
7.	NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	RBI NOMINEE DIRECTOR
8.	EXPERIENCE	CGM REGIONAL DIRECTOR, RBI, BHUBANESHWAR
9.	PARTICULARS OF OTHER DIRECTORSHIP (if any)	—

2.4 Board Meetings:

During the Financial Year 2013-14, total 16 Board Meetings were held on the following dates as against minimum of 6 meetings prescribed under Clause 12 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980.

06.04.2013	01.05.2013	21.05.2013	31.05.2013	14.06.2013
26.06.2013	27.07.2013	19.08.2013	25.09.2013	05.10.2013
11.11.2013	21.12.2013	02.01.2014	16.01.2014	28.01.2014
26.02.2014				

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Board Meetings held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Sh D.P. Singh – Ex.CMD	01.04.2013 to 31.01.2014	15	14
Sh Jatinderbir Singh-CMD	04.02.2014 to 31.03.2014	1	1
Sh P.K. Anand – Ex.ED	01.04.2013 to 31.05.2013	4	4
Sh. K.K.Sansi-ED	05.08.2013 to 31.03.2014	9	9
Sh M.K.Jain-ED	05.08.2013 to 31.03.2014	9	9
Sh Rajat Sachar – MOF Nominee Director	01.04.2013 to 21.10.2013	10	8
Sh S C Das– MOF Nominee Director	22.10.2013 to 31.03.2014	6	4
Sh B.P. Kanungo –RBI Nominee Director	01.04.2013 to 30.05.2013	3	1
Sh. P.K.Jena- RBI Nominee Director	31.05.2013 to 31.03.2014	13	7
Sh. Mahesh Kumar Gupta- Non-Official Director	01.04.2013-31.03.2014	16	15
Sh. Karanpal Singh Sekhon- Non Official Director	01.04.2013 to 04.07.2013	6	5
Sh. Sukhen Pal Babuta- Non Official Director	01.04.2013 to 31.03.2014	16	16

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की गई
श्री एन.राजेन्द्रन- गैर-आधिकारिक निदेशक	01.04.2013 से 31.03.2014	16	13
श्री सुरेश ठाकुर- गैर-आधिकारिक निदेशक	01.04.2013 से 31.03.2014	16	13
श्री संजीव कुमार अरोड़ा-गैर-आधिकारिक निदेशक	01.04.2013 से 31.03.2014	16	16
श्री एस.पी.एस विर्क- गैर-आधिकारिक निदेशक	01.04.2013 से 31.03.2014	16	16
श्री संजय वर्मा- गैर-आधिकारिक निदेशक	12.08.2013 से 31.03.2014	9	7
श्रीमती अनिता कर्णावर- गैर-आधिकारिक निदेशक	30.01.2014 से 31.03.2014	1	1

2.5. आचार संहिता

निदेशक मंडल तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिक अर्थात् निदेशकों एवं निदेशक से एक पद नीचे जिनमें सभी महाप्रबंधक सम्मिलित हैं, हेतु स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्धता करार के खंड 49 की अनुपालना में आचार संहिता को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। उक्त आचार संहिता का बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com पर अवलोकन किया जा सकता है। निदेशक मंडल के सभी सदस्यों एवं महाप्रबंधकों ने आचार संहिता के प्रति सहमति व्यक्त कर दी है।

3. सामान्य बैठक

3.1 वार्षिक सामान्य बैठक:

बैंक के शेयरधारकों की तीसरी वार्षिक सामान्य बैठक बुधवार दिनांक 26 जून, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित की गई, जहां निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे :

1..	श्री डी.पी.सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री रजत सच्चर	निदेशक
3.	श्री महेश कुमार गुप्ता	निदेशक
4.	श्री करनपाल सिंह सेखों	निदेशक
5.	श्री सुखेन पाल बबूता	निदेशक
6.	श्री एन. राजेन्द्रन	निदेशक
7.	श्री सुरेश ठाकुर	निदेशक
8.	श्री संजीव अरोड़ा	निदेशक
9.	श्री एस.पी.एस.विर्क	निदेशक

3.2 असाधारण सामान्य बैठक

भारत सरकार के माध्यम से कार्य करते हुए भारत के राष्ट्रपति को इक्विटी शेयरों के अधिमान आबंटन करने पर विचार करने हेतु दिनांक 21.12.2013 को असाधारण सामान्य बैठक आयोजित की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि रु. 10/- मूल्य के 2,12,63,023 इक्विटी शेयरों को अधिमान आधार पर रु. 47.03/- (रु. 37.03 के प्रीमियम सहित) पर भारत सरकार के माध्यम से कार्य करते हुए भारत के राष्ट्रपति को जारी एवं आबंटित किए जाएं।

4. निदेशकों की समितियाँ

बैंक के निदेशक मंडल ने कॉरपोरेट गवर्नेंस तथा जोखिम प्रबंधन प्रणाली पर भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार कार्यनीति के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर निगरानी रखने के लिए निदेशकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है। बोर्ड कमेटी की बैठकों के दौरान प्रबंधन वर्ग मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध के परिचालन, निष्पादन विकास पर विचार-विमर्श के साथ-साथ क्षेत्रीय विकास, उत्पादन के कार्य-निष्पादन, अवसरों, चुनौतियों, जोखिमों और उससे संबंधित आवश्यकताओं के विश्लेषण पर जोर दिया है। निदेशक मंडल द्वारा गठित महत्वपूर्ण समितियाँ निम्नानुसार हैं :

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Sh. N.Rajendran- Non Official Director	01.04.2013 to 31.03.2014	16	13
Sh Suresh Thakur -Non Official Director	01.04.2013 to 31.03.2014	16	13
Sh Sanjiv Kumar Arora -Non Official Director	01.04.2013 to 31.03.2014	16	16
Sh. S.P.S. Virk-Non Official Director	01.04.2013 to 31.03.2014	16	16
Sh. Sanjay Verma -Non Official Director	12.08.2013 to 31.03.2014	9	7
Smt. Anita Karnavar- Non-Official Director	30.01.2014 to 31.03.2014	1	1

2.5 Code of Conduct:

The Code of Conduct for Board of Directors and key Management Personnel i.e. Directors & one rank below Director comprising all General Managers has been approved by the Board of Directors in compliance of Clause 49 of the Listing Agreement with Stock Exchanges. The said Code of Conduct is posted on Bank's website www.psbindia.com. All the Board Members and General Managers have since affirmed the compliance of the Code.

3. General Meeting

3.1. Annual General Meeting:

The Third Annual General Meeting of the shareholders of the Bank was held on Wednesday, 26th June, 2013 at New Delhi, where the following Directors were present :

1.	Sh. D.P. Singh	Ex.Chairman and Managing Director
2.	Sh. Rajat Sachar	Director
3.	Sh. Mahesh Kumar Gupta	Director
4.	Sh. Karanpal Singh Sekhon	Director
5.	Sh. Sukhen Pal Babuta	Director
6.	Sh. N Rajendran	Director
7.	Sh. Suresh Thakur	Director
8.	Sh. Sanjiv Arora	Director
9.	Sh. S.P.S.Virk	Director

3.2. Extra Ordinary General Meeting :

Extra Ordinary General Meeting of the Bank was held on 21.12.2013 to consider the allotment of preferential issue of equity shares to The President of India acting through the Government of India [GOI] and it was resolved to issue and allot 2,12,63,023 equity shares of Rs.10/- each to The President of India acting through the Government of India [GOI] on preferential basis at a price of Rs.47.03 (including premium of Rs.37.03).

4. COMMITTEES OF DIRECTORS:

The Board of Directors of the Bank has constituted various Committees of Directors to look into different areas of strategic importance in terms of Reserve Bank of India and Government of India guidelines on Corporate Governance and Risk Management. The Management lays emphasis on the analysis of sectoral development, segment / product performance, opportunities, threats, risks & associated concern besides operational performance & development of HR / IR in the discussions during the Board / Committee Meetings. The important Committees of the Board are as under:

क्र.सं.	समिति का नाम
1.	निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति (एमसी)
2.	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)
3.	बड़ी राशि की धोखाधड़ी निगरानी संबंधी समिति
4.	सतर्कता समिति
5.	जोखिम प्रबंधन समिति
6.	ग्राहक सेवा समिति
7.	पारिश्रमिक समिति
8.	शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत निवारण समिति
9.	नामांकन समिति
10.	सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति
11.	कार्यपालकों के प्रमोशन पर निदेशकों की समिति
12.	अपील/समीक्षा प्राधिकारी पर निदेशकों की समिति
13.	मानव संसाधन विकास समिति
14.	वसूली निगरानी समिति
15.	समवर्ती लेखा परीक्षा समिति
16.	शेयरधारक निदेशक चुनाव समिति— सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा वोटिंग

4.1 निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति :

बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन भारत सरकार, वित्त-मंत्रालय द्वारा किए गए संशोधनों के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 (यथासंशोधित) के खंड- 13 के अनुसरण में किया गया है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण कारोबारी मामले जैसे अधिक राशि के ऋण प्रस्ताव मंजूर करने, समझौता/बट्टा खाता प्रस्ताव, पूंजीगत एवं राजस्व व्यय की स्वीकृति, परिसर, निवेश, दान आदि पर विचार करती है।

समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक (को) और धारा 9(3)(सी) एवं 9(3)(जी) के तहत भारत सरकार द्वारा नामित निदेशकों तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3) की उपधारा (ई) (एफ)(एच) व (आई) के अधीन नियुक्त निदेशकों में से तीन निदेशकों का समावेश है।

31 मार्च, 2014 को समिति की संरचना निम्नानुसार है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री जतिंदरबीर सिंह— अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री के.के.साँसी— कार्यकारी निदेशक
3.	श्री एम.के.जैन— कार्यकारी निदेशक
4.	श्री प्रदीप्त के जेना— भा.रि.बैंक द्वारा नामित निदेशक
5.	श्री महेश कुमार गुप्ता— गैर-आधिकारिक निदेशक (चार्टर्ड अकाउंटेंट श्रेणी)
6.	श्री सुखेन पाल बबूता— गैर-आधिकारिक निदेशक
7.	श्री संजीव कुमार अरोड़ा— गैर-आधिकारिक निदेशक
8.	श्री सुरेश ठाकुर— गैर-आधिकारिक निदेशक
9.	श्री संजय वर्मा— गैर-आधिकारिक निदेशक

SNo	Name of the Committee
1.	Management Committee of the Board (MC)
2.	Audit Committee of Board (ACB)
3.	Committee for Monitoring of Large Value Frauds
4.	Vigilance Committee
5.	Risk Management Committee
6.	Customer Service Committee
7.	Remuneration Committee
8.	Shareholders' / Investors' Grievance Committee
9.	Nomination Committee
10.	I T Strategy Committee
11.	Committee of Directors on Executives' Promotions
12.	Committee of Directors on Appellate / Reviewing Authority
13.	HR Committee
14.	Committee for Monitoring of Recovery
15.	Concurrent Audit Committee
16.	Election of Shareholder Director Committee-Voting by Public Sector Bank

4.1. Management Committee of the Board:

In pursuance of Clause 13 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (as amended) read with the amendments made by the Ministry of Finance, Government of India, a Management Committee of the Board has been constituted to consider various business matters of material significance like sanction of high value credit proposals, compromise / write-off proposals, sanction of capital and revenue expenditure, premises, investments, donations etc.

The Committee mandate to consist of Chairman and Managing Director , Executive Director (s)and Directors nominated by Government of India under Section 9 (3) (c) and 9 (3) (g) besides three Directors from amongst those appointed under sub section (e) (f) (h) and (i) of section 9(3) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980.

The composition of the committee as on 31st March 2014 is as under:

SNo	Name of the Director
1.	Sh. Jatinderbir Singh- Chairman & Managing Director
2.	Sh K.K. Sansi – Executive Director
3.	Sh. M.K.Jain – Executive Director
4.	Sh Pradipta.K. Jena – RBI Nominated Director
5.	Sh Mahesh Kumar Gupta –Non-Official Director (CA Category)
6.	Sh Sukhen Pal Babuta – Non-Official Director
7.	Sh. Sanjiv Kumar Arora- Non-official Director
8.	Sh. Suresh Thakur– Non-Official Director
9.	Sh. Sanjay Verma– Non-Official Director

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान बोर्ड की प्रबंधन समिति की निम्नांकित तिथियों पर 21 बैठकों का आयोजन किया गया :

06.04.2013	21.05.2013	26.06.2013	26.07.2013	19.08.2013
23.08.2013	07.09.2013	17.09.2013	25.09.2013	05.10.2013
26.10.2013	11.11.2013	07.12.2013	21.12.2013	02.01.2014
11.01.2014	28.01.2014	26.02.2014	12.03.2014	22.03.2014
29.03.2014				

समिति की आयोजित पूर्वकथित बैठकों में निदेशकों की उनके संबंधित कार्यकाल के दौरान उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की गई
श्री डी.पी.सिंह-भूपू-अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2013 से 31.01.2014	17	16
श्री जतिंदरबीर सिंह-अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	04.02.2014 से 31.03.2014	4	4
श्री पी.के.आनंद-भूपू-कार्यकारी निदेशक	01.04.2013 से 31.05.2013	2	2
श्री के.के.साँसी-कार्यकारी निदेशक	05.08.2013 से 31.03.2014	17	17
श्री एम.के.जैन-कार्यकारी निदेशक	05.08.2013 से 31.03.2014	17	17
श्री बी.पी.कानूनगो-भारि.बैंक द्वारा नामित निदेशक	01.04.2013 से 30.05.2013	2	1
श्री पी.के.जेना-भारि.बैंक द्वारा नामित निदेशक	31.05.2013 से 31.03.2014	19	12
श्री महेश कुमार गुप्ता-गैर- अधिकारिक निदेशक	01.04.2013 से 31.03.2014	21	20
श्री सुखेन पाल बबूता-गैर- अधिकारिक निदेशक	14.06.2013 से 13.12.2013	11	11
	01.01.2014 से 31.03.2014	7	6
श्री संजीव कुमार अरोड़ा-गैर- अधिकारिक निदेशक	01.04.2013 से 13.06.2013	2	2
	01.07.2013 से 31.12.2013	11	11
	15.01.2014 से 31.03.2014	5	5
श्री करनपाल सिंह सेखों-गैर- अधिकारिक निदेशक	01.04.2013 से 04.07.2013	3	3
श्री संजय वर्मा-गैर- अधिकारिक निदेशक	14.12.2013 से 31.03.2014	8	6
श्री सुरेश ठाकुर-गैर- अधिकारिक निदेशक	01.04.2013 से 14.07.2013	3	3
	11.01.2014 से 31.03.2014	5	5
श्री एस.पी.एस.विक्र-कामगार निदेशक	15.07.2013 से 14.01.2014	13	13

4.2 बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति (एसीबी) :

बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नंस के मूल सिद्धांतों के अनुरूप और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति गठित की है। एक गैर-कार्यकारी निदेशक जो कि सनदी लेखाकार हैं, समिति के अध्यक्ष हैं।

31 मार्च, 2014 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

During the Financial Year 2013-14, the Management Committee of the Board met on 21 occasions on the following dates:

06.04.2013	21.05.2013	26.06.2013	26.07.2013	19.08.2013
23.08.2013	07.09.2013	17.09.2013	25.09.2013	05.10.2013
26.10.2013	11.11.2013	07.12.2013	21.12.2013	02.01.2014
11.01.2014	28.01.2014	26.02.2014	12.03.2014	22.03.2014
29.03.2014				

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Sh D.P. Singh – Ex.CMD	01.04.2013 to 31.01.2014	17	16
Sh. Jatinderbir Singh– CMD	04.02.2014 to 31.03.2014	4	4
Sh P.K. Anand – Ex.ED	01.04.2013 to 31.05.2013	2	2
Sh. K.K.Sansi– ED	05.08.2013 to 31.03.2014	17	17
Sh. M.K.Jain– ED	05.08.2013 to 31.03.2014	17	17
Sh B.P. Kanungo-RBI Nominee	01.04.2013 to 30.05.2013	2	1
Sh. P K Jena-RBI Nominee	31.05.2013 to 31.03.2014	19	12
S. Mahesh Kumar Gupta – Non official Director	01.04.2013 to 31.03.2014	21	20
Sh. Sukhen Pal Babuta–Non official Director	14.06.2013 to 13.12.2013	11	11
	01.01.2014 to 31.03.2014	7	6
Sh. Sanjiv Kumar Arora– Non official Director	01.04.2013 to 13.06.2013	2	2
	01.07.2013 to 31.12.2013	11	11
	15.01.2014 to 31.03.2014	5	5
Sh. Karanpal Singh Sekhon– Non official Director	01.04.2013 to 04.07.2013	3	3
Sh. Sanjay Verma– Non official Director	14.12.2013 to 31.03.2014	8	6
Sh. Suresh Thakur– Non official Director	01.04.2013 to 14.07.2013	3	3
	11.01.2014 to 31.03.2014	5	5
Sh. S.P.S.Virk–Workmen Employee Director	15.07.2013 to 14.01.2014	13	13

4.2. Audit Committee of Board (ACB):

The Bank, in consonance with the fundamentals of Corporate Governance and in pursuance of directives of the Reserve Bank of India, has constituted an Audit Committee of the Board. A Non-Executive Director, who is a Chartered Accountant, is the Chairman of the Committee.

The composition of the Committee as on 31st March, 2014 is as under:

1) श्री महेश कुमार गुप्ता – सनदी लेखाकार निदेशक (अध्यक्ष)
2) श्री के.के. साँसी – कार्यकारी निदेशक
3) श्री एम.के.जैन – कार्यकारी निदेशक
4) श्री एस.सी.दास – वित्त-मंत्रालय द्वारा नामित निदेशक
5) श्री पी.के.जेना – भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक
6) श्री संजीव कुमार अरोड़ा – गैर-आधिकारिक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान निम्नांकित तिथियों को लेखा-परीक्षा समिति ने 08 मौकों पर मिलकर बैठकों का आयोजन किया:

17.04.2013	01.05.2013	27.07.2013	03.09.2013	11.11.2013	07.12.2013	28.01.2014	26.02.2014
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

समिति की आयोजित बैठकों में निदेशकों की उनके संबंधित कार्यकाल के दौरान उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की गई
1.	श्री सुखेन पाल बबूता स.लेखा. दिनांक 20.12.2013 तक अध्यक्ष	01.04.2013 से 20.12.2013	6	6
2.	श्री पी.के.आनंद-भू.पू.-कार्यकारी निदेशक	01.04.2013 से 31.05.2013	2	2
3.	श्री के.के.साँसी-कार्यकारी निदेशक	05.08.2013 से 31.03.2014	5	5
4.	श्री एम.के.जैन-कार्यकारी निदेशक	05.08.2013 से 31.03.2014	5	5
5.	श्री एस.सी.दास-वित्त-मंत्रालय द्वारा नामित निदेशक	22.10.2013 से 31.03.2014	4	3
6.	श्री रजत सच्चर-वित्त-मंत्रालय द्वारा नामित निदेशक	01.04.2013 से 21.10.2013	4	4
7.	श्री बी.पी.कानूनगो-भा.रि.बैंक द्वारा नामित निदेशक	01.04.2013 से 30.05.2013	2	0
8.	श्री पी.के.जेना-भा.रि.बैंक द्वारा नामित निदेशक	31.05.2013 से 31.03.2014	6	4
9.	श्री महेश कुमार गुप्ता –गैर- अधिकारिक निदेशक (दिनांक 21.12.2013 से अध्यक्ष)	05.03.2013 से 31.03.2014	8	6
10.	श्री संजीव कुमार अरोड़ा-गैर- अधिकारिक निदेशक	21.12.2013 से 31.03.2014	2	2

अन्य बातों के साथ-साथ लेखा-परीक्षा समिति का प्रमुख कार्य बैंक की वित्तीय सूचना प्रणाली की समीक्षा और आकलन करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरणियाँ सही, उपयुक्त और विश्वसनीय हैं। यह समिति इसे बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही/वार्षिक वित्तीय विवरणियों की प्रबंधन के साथ समीक्षा करती है।

लेखा-परीक्षा समिति दिशा-निर्देश देती है तथा बैंक के समग्र लेखा-परीक्षा कार्यों की समीक्षा करती है जिसमें संगठन परिचालन तथा आंतरिक लेखा-परीक्षा की गुणवत्ता नियंत्रण, कार्य आंतरिक नियंत्रण दोष और बैंक की आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था, बैंक की सांविधिक व बाह्य लेखा-परीक्षा संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण सम्मिलित हैं।

समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग की संरचना, इसकी स्टाफ संरचना की समीक्षा भी करती है और किसी महत्वपूर्ण खोज के संबंध में आंतरिक लेखा-परीक्षकों/निरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श तथा उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है। यह बैंक की वित्तीय व जोखिम प्रबंधन नीतियों की भी समीक्षा करती है।

1	Sh Mahesh Kumar Gupta - CA Director (Chairperson)
2	Sh K.K. Sansi – Executive Director
3	Sh M.K.Jain – Executive Director
4	Sh S C Das – MOF Nominee Director
5	Sh P. K.Jena – RBI Nominee Director
6	Sh Sanjiv Kumar Arora – Non Official Director

During the Financial Year 2013-14, the Audit Committee of the Board (ACB) met on 08 occasions on the dates given below:

17.04.2013	01.05.2013	27.07.2013	03.09.2013	11.11.2013	07.12.2013
28.01.2014	26.02.2014				

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Sr. No	Name of the Director	Period	Meeting held during their tenure	Meeting attended
1.	Sh Sukhen Pal Babuta CA Chairperson upto 20.12.2013	01.04.2013 to 20.12.2013	6	6
2.	Sh P.K. Anand - Ex.ED	01.04.2013 to 31.05.2013	2	2
3.	Sh. K K Sansi - ED	05.08.2013 to 31.03.2014	5	5
4.	Sh. M K Jain - ED	05.08.2013 to 31.03.2014	5	5
5.	Sh. S C DAS-MoF Nominee Director	22.10.2013 to 31.03.2014	4	3
6.	Sh Rajat Sachar – MoF Nominee Director	01.04.2013 to 21.10.2013	4	4
7.	Sh B.P. Kanungo - RBI Nominee Director	01.04.2013 to 30.05.2013	2	0
8.	Sh P.K.Jena- RBI Nominee Director	31.05.2013 to 31.03.2014	6	4
9.	Sh Mahesh Kumar Gupta (Chairperson w.e.f. 21.12.2013)– Non official Director	05.03.2013 to 31.03.2014	8	6
10.	Sh.Sanjiv Kumar Arora– Non official Director	21.12.2013 to 31.03.2014	2	2

The main functions of Audit Committee inter-alia include assessing and reviewing the financial reporting system of the Bank to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible. It reviews and recommends to the Management the quarterly / annual financial statements before their submission to the Board.

The Audit Committee provides directions and oversees the operations of total audit functions of the Bank including the organization, operation and quality control of internal audit, internal control weaknesses and inspection within the Bank and follow-up of the suggestions of Statutory/External audit of the Bank and RBI inspections.

The Committee also reviews the adequacy of internal control systems, structure of internal audit department, its staffing pattern and hold discussions with the internal auditors / inspectors on any significant finding and follow-up action thereon. It further reviews the financial and risk management policies of the Bank.

सांविधिक लेखा-परीक्षा के संदर्भ में लेखा-परीक्षा समिति, वार्षिक/तिमाही वित्तीय खातों एवं रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पूर्व केंद्रीय सांविधिक लेखा-परीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करती है। यह समिति लॉग फार्म ऑडिट रिपोर्ट (एल.एफ.ए.आर.) की विभिन्न मदों पर अनुवर्ती कार्रवाई भी करती है।

4.3 बड़ी राशि के धोखाधड़ी मामलों की निगरानी समिति :

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने दिनांक 14 जनवरी, 2004 के पत्र सं. आरबीआई/2004.5.डीबीएस.एफजीवी (एफ) नं.1004/23.04.01ए/2003-4 के माध्यम से धोखाधड़ी के विभिन्न पहलुओं जैसे धोखाधड़ी पता लगाने, नियामक तथा प्रवर्तन एजेंसियों को उनकी सूचना प्रदान करने और धोखाधड़ी के अपराधी पर कृत्य के विरुद्ध कार्रवाई आदि के बारे में विलंब से सूचित किया था। अतः यह सुझाव दिया गया कि बोर्ड की एक उपसमिति गठित की जाए जो कि केवल 1 करोड़ रुपये और उससे ऊपर की राशि की धोखाधड़ी संबंधी मामलों की निगरानी तथा अनुवर्ती कार्रवाई का ही कार्य करेगी। बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति सामान्यतः धोखाधड़ी के सभी मामलों की निगरानी जारी रखेगी।

समिति के मुख्य कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ 1 करोड़ रुपये और उसके ऊपर की राशि की धोखाधड़ी की निगरानी तथा समीक्षा सम्मिलित है ताकि:

- क. धोखाधड़ी के आपराधिक कृत्य में प्रणालीगत खामियों का पता लगाने और उन पर नियंत्रण करने के उपाय किए जा सकें।
- ख. धोखाधड़ी के बारे में पता लगाने में विलंब के कारणों की पहचान तथा बैंक एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के उच्च प्रबंधकों को उसकी रिपोर्टिंग।
- ग. सीबीआई/पुलिस जांच-पड़ताल की प्रगति तथा वसूली की स्थिति।
- घ. सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में सभी स्तरों पर स्टाफ उत्तरदायित्व का परीक्षण हो और स्टाफ पर कार्रवाई यदि अपेक्षित हो तो अविलंब हो।
- ड. धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति के निवारण हेतु की गई उपचारात्मक कार्रवाई की प्रभावोत्पादकता की समीक्षा यथा आंतरिक नियंत्रण को सशक्त करना एवं
- च. धोखाधड़ी के खिलाफ निवारक उपायों को सशक्त करने हेतु यथावश्यक अन्य उपायों को करना।
- छ. निदेशक मंडल के पांच सदस्यों की गठित विशेष समिति में; (क) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (ख) एसीबी के दो सदस्य (ग) भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित को शामिल नहीं करते हुए, 2 अन्य सदस्यों का समावेश है।

31 मार्च, 2014 को समिति की संरचना निम्नानुसार है :

- 1) श्री जतिंदरबीर सिंह— अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- 2) श्री एस.सी.दास — वित्त-मंत्रालय द्वारा नामित निदेशक
- 3) श्री सुखेन पाल बबूता — गैर-आधिकारिक निदेशक
- 4) श्री महेश कुमार गुप्ता — गैर-आधिकारिक निदेशक
- 5) श्री संजय वर्मा — गैर-आधिकारिक निदेशक

वर्ष 2013-14 के दौरान समिति की 3 बैठकें आयोजित की गईं जिनका विवरण निम्नानुसार है :

14.06.2013	25.09.2013	21.12.2013
------------	------------	------------

निदेशकों के उनके कार्यकाल के दौरान उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की गई
श्री डी.पी.सिंह-भू.पू.-अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2013 से 31.01.2014	3	3
श्री जतिंदरबीर सिंह-अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	04.02.2014 से 31.03.2014	0	0
श्री रजत सच्चर-वित्त-मंत्रालय नामित निदेशक	01.04.2013 से 21.10.2013	2	1
श्री एस.सी.दास-वित्त-मंत्रालय नामित निदेशक	22.10.2013 से 31.03.2014	1	1

As for Statutory Audit, the Audit Committee interacts with the Statutory Central Auditors before finalization of Quarterly / Year to date / Annual Financial Results and Reports. It also maintains follow up on various issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).

4.3 Committee for Monitoring of Large Value Frauds:

Reserve Bank of India vide its letter No.RBI/2004.5.DBS.FGV(F)No.1004/23.04.01A/2003-4 dated 14th January, 2004 informed about the delay in various aspects of frauds like detection, reporting to regulatory and enforcement agencies and action against the perpetrators of the frauds. It was therefore, suggested to constitute a Sub-committee of the Board, which would be exclusively dedicated to monitor and follow up of fraud cases of Rs.1.00 crore and above. The Audit Committee of the Board will continue to monitor all the cases of frauds in general.

The major functions of the Committee, inter-alia, include monitoring and review of all the frauds of Rs.1.00 crore and above so as to:

- Identify the systemic lacunae if any that facilitated perpetration of the fraud and put in place measures to plug the same
- Identify the reasons for delay in detection, if any, reporting to top management of the Bank and RBI
- Monitor progress of CBI/Police investigation and recovery position
- Ensure that staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is completed quickly without loss of time
- Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls; and
- Put in place other measures as may be considered relevant to strengthen Preventive measures against frauds.

The Special Committee is constituted with five members of the Board of Directors consists of: (a) Chairman and Managing Director (b) Two members from ACB and (c) Two other members from the Board excluding RBI Nominee.

The composition of the Committee as on 31st March, 2014 is as under:

- Shri Jatinderbir Singh- CMD
- Shri S C Das – MOF Director
- Shri Sukhen Pal Babuta- Non- Official Director
- Shri Mahesh Kumar Gupta- Non- Official Director
- Shri Sanjay Verma- Non- Official Director

The Committee met three times during the Financial Year 2013-14 as per the details below:

14.06.2013	25.09.2013	21.12.2013
------------	------------	------------

The details of attendance of directors during their tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Shri D.P. Singh-Ex.CMD	01.04.2013 to 31.01.2014	3	3
Shri Jatinderbir Singh-CMD	04.02.2014 to 31.03.2014	0	0
Shri Rajat Sachar – M.O.F. Nominee Director	01.04.2013 to 21.10.2013	2	1
Shri S C Das – M.O.F. Nominee Director	22.10.2013 to 31.03.2014	1	1

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की गई
श्री सुखेन पाल बबूता-गैर-आधिकारिक निदेशक	01.04.2013 से 31.03.2014	3	3
श्री महेश कुमार गुप्ता-गैर-आधिकारिक निदेशक	01.04.2013 से 31.03.2014	3	3
श्री करनपाल सिंह सेखों-गैर-आधिकारिक निदेशक	01.04.2013 से 04.07.2013	1	1
श्री संजय वर्मा-गैर-आधिकारिक निदेशक	11.11.2013 से 31.03.2014	1	1

अभी कुछ ही समय पूर्व, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र दिनांक 16.09.2009 सं. डीबीएस.सीओ.एफआरएमसी. नं. 7/23.04.001/2009-10 द्वारा सूचित किया है कि धोखाधड़ी के मामलों में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रभावी जांच की जाए और इसकी तुरंत सूचना सही प्राधिकारी को दी जाए। भारतीय रिज़र्व बैंक की सलाह पर, बैंक ने प्रधान कार्यालय निरीक्षण विभाग के अंतर्गत 1 करोड़ रुपये और उससे ऊपर के मामलों का विशेष कार्य करने हेतु केंद्रीय सघन परिचालन इकाई की स्थापना की है।

दिनांक 12.12.2012 के बोर्ड संकल्प संख्या 20214 के अनुसार एक स्वतंत्र नए विभाग 'धोखाधड़ी निगरानी विभाग' दिनांक 07.02.2013 से एक स्थान पर कार्य कर रहा है ताकि किए प्रयासों में किसी प्रकार की ओवरलैपिंग या डुप्लीसिटी न हो सके। पूर्व में धोखाधड़ी के मामलों की दो स्थानों पर निगरानी की जाती थी अर्थात् रु. 1 करोड़ एवं उससे ऊपर के मामलों को प्रधान कार्यालय निरीक्षण विभाग जबकि 1 करोड़ रु. से कम की राशि के मामलों की निगरानी प्रधान कार्यालय सतर्कता विभाग द्वारा की जाती थी। नए प्रावधान से धोखाधड़ी के मामलों की नजदीक से निगरानी, धोखाधड़ी के पुराने मामलों पर तुरंत कार्रवाई, प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई के साथ बार-बार होने वाली धोखाधड़ी को रोकने हेतु निरोधात्मक उपाय किए जाने के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक को समय से धोखाधड़ी की सूचना दी जा सकेगी।

बोर्ड की विशेष समिति(एस.सी.बी.) के निर्देशों के अनुसार, धोखाधड़ी के मामलों में हो रही वृद्धि के कारण विशेषकर जहाँ संपत्ति को प्रतिभूति के रूप में रखा जाता है, एक समिति का गठन किया गया है। संपत्ति का मूल्यांकन, हक विलेख की वास्तविकता और बहुविध बंधीकरण ऐसे पहचाने गए भेद्य क्षेत्र हैं।

4.4 सतर्कता समिति:

वित्त मंत्रालय के पत्र दिनांक 24.10.1990 सं. 10/12/90/विज/सीवीओ की शर्तों के अनुरूप, बैंक ने सतर्कता संबंधी कार्य की समीक्षा के दृष्टिकोण से, सतर्कता अनुशासन संबंधी मामलों के तुरंत निपटान हेतु प्रभावी निगरानी औजार के रूप में बोर्ड की समिति का निम्न सदस्यों के साथ गठन किया है।

श्री जतिंदरबीर सिंह- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री के.के.साँसी- कार्यकारी निदेशक
श्री एम.के.जैन- कार्यकारी निदेशक
श्री एस.सी.दास- वित्त-मंत्रालय निदेशक
श्री पी.के.जेना- भा.रि.बैंक नामित निदेशक

वित्तीय वर्ष 2013-14 में समिति की निम्न तिथियों पर 4 बैठकें हुई:

14.06.2013	19.08.2013	21.12.2013	28.01.2014
------------	------------	------------	------------

समिति की आयोजित बैठकों में निदेशकों की उनके संबंधित कार्यकाल के दौरान उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री डी.पी.सिंह- भू.पू.-अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2013 से 31.01.2014	4	4

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Shri Sukhen Pal Babuta – Non Official Director	01.04.2013 to 31.03.2014	3	3
Sh. Mahesh Kumar Gupta- Non-Official Director	01.04.2013 to 31.03.2014	3	3
Shri Karanpal Singh Sekhon- Non-Official Director	01.04.2013 to 04.07.2013	1	1
Sh. Sanjay Verma – Non official Director	11.11.2013 to 31.03.2014	1	1

RBI, vide letter No. DBS. CO. FrMC. No. 7/23.04.001/2009-10 dated 16.09.2009 had advised to initiate necessary action in respect of effective investigation in fraud cases and prompt reporting to appropriate authority. The Bank has since then set up a Centralized Dedicated Operating Unit under the aegis of HO Inspection Department to undertake distinct functions relating to frauds above Rs. 1.00 crore as advised by RBI.

In terms of Board Resolution no. 20214 dated 12.12.2012, a new independent Deptt named 'Fraud Monitoring Department' has been working since 07.02.2013 at one place, leaving no scope to overlapping and duplicity of effort. Earlier, fraud cases were dealt at two places viz the large value fraud of Rs. one crore & above at HO. Inspection Deptt, where as frauds below the amount of Rs. one crore were being dealt by HO. Vigilance Deptt. The new set up resulted in close monitoring of fraud cases, faster closure of old fraud cases, effective follow up and implementation of preventive measures to check the recurrence of frauds alongwith improvement in timely reporting of frauds to RBI.

In terms of the directions of Special Committee of Board (SCB), a Committee has also been formed in view of increasing trend of frauds particularly in those cases where property is kept as security. The identified vulnerable areas are valuation of property, genuineness of the title deeds and multiple mortgages.

4.4 Vigilance Committee

With a view to make the review of vigilance work an effective instrument of monitoring the speedy disposal of vigilance disciplinary cases, a Vigilance Committee of the Board has been set up in the Bank in terms of Ministry of Finance letter No.10/12/90/VIG/CVOs dated 24.10.1990 with following members:

1. Shri Jatinderbir Singh- CMD
2. Shri K.K. Sansi – Executive Director
3. Shri M.K. Jain – Executive Director
4. Shri S.C.Das- M.O.F. Nominee Director
5. Shri P.K.Jena - RBI Nominee Director

The Committee met on the following dates during the FY – 2013-14

14.06.2013	19.08.2013	21.12.2013	28.01.2014
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Shri D.P. Singh –Ex.CMD	01.04.2013 to 31.01.2014	4	4
Shri Jatinderbir Singh–CMD	04.02.2014 to 31.03.2014	0	0

श्री जतिंदरबीर सिंह— अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	04.02.2013 से 31.03.2014	0	0
श्री पी.के.आनंद— भू.पू.—कार्यकारी निदेशक	01.04.2013 से 31.05.2013	0	0
श्री के.के.साँसी— कार्यकारी निदेशक	05.08.2013 से 31.03.2014	3	3
श्री एम.के.जैन— कार्यकारी निदेशक	05.08.2013 से 31.03.2014	3	3
श्री रजत सच्चर— वित्त—मंत्रालय नामित निदेशक	01.04.2013 से 21.10.2013	2	2
श्री एस.सी.दास— वित्त—मंत्रालय नामित निदेशक	22.10.2013 से 31.03.2014	2	2
श्री पी.के.जेना— भा.रि.बैंक नामित निदेशक	31.05.2013 से 31.03.2014	4	2

4.5 जोखिम प्रबंधन समिति:

बैंक ने समस्त जोखिमों की समीक्षा एवं मूल्यांकन करने के लिए बोर्ड स्तर की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है।

समिति मुख्य तीन जोखिम क्रियाओं जैसे ऋण जोखिम, बाजार जोखिम एवं परिचालन जोखिम की समीक्षा करती है और विषय पर समुचित विचार करती है एवं यदि आवश्यक हो तो सही निर्देश जारी करती है।

दिनांक 31 मार्च, 2014 को समिति की संरचना निम्नानुसार है:

1) श्री जतिंदरबीर सिंह— अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2) श्री एम.के.जैन — कार्यकारी निदेशक
3) श्री के.के. साँसी — कार्यकारी निदेशक
4) श्री संजीव कुमार अरोड़ा— गैर—आधिकारिक निदेशक
5) श्री एन.राजेन्द्रन— गैर—आधिकारिक निदेशक
6) श्री संजय वर्मा — गैर—आधिकारिक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2013—14 के दौरान निम्नलिखित तिथियों को बैठकें हुई :

14.06.2013	25.09.2013	21.12.2013	16.01.2014
------------	------------	------------	------------

समिति की आयोजित बैठकों में निदेशकों की उनके संबंधित कार्यकाल के दौरान उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री डी.पी.सिंह— भू.पू.—अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2013 से 31.01.2014	4	4
श्री जतिंदरबीर सिंह— अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	04.02.2014 से 31.03.2014	0	0
श्री के.के.साँसी— कार्यकारी निदेशक	05.08.2013 से 31.03.2014	3	3
श्री एम.के.जैन— कार्यकारी निदेशक	05.08.2013 से 31.03.2014	3	3
श्री पी.के.आनंद—भू.पू.—कार्यकारी निदेशक	01.04.2013 से 31.05.2013	0	0
श्री संजीव कुमार अरोड़ा— गैर—आधिकारिक निदेशक	01.04.2013 से 31.03.2014	4	4

Shri P.K. Anand– Ex.ED	01.04.2013 to 31.05.2013	0	0
Shri K.K.Sansi– ED	05.08.2013 to 31.03.2014	3	3
Shri M.K.Jain– ED	05.08.2013 to 31.03.2014	3	3
Shri Rajat Sachar– MOF Nominee Director	01.04.2013 to 21.10.2013	2	2
Shri S.C.Das– MOF Nominee Director	22.10.2013 to 31.03.2014	2	2
Shri P.K.Jena– RBI Nominee Director	31.05.2013 to 31.03.2014	4	2

4.5. Risk Management Committee:

The Bank has constituted a Board level Risk Management Committee to review and evaluate the overall risks assumed by the Bank.

The Committee reviews three important risk functions viz. Credit Risks, Market Risks and Operational Risks and takes an integrated view of the subject and impart suitable directions if required.

The composition of the Committee as on 31st March, 2014 is as under:

1.	Shri Jatinderbir Singh- Chairman & Managing Director
2.	Shri M.K.Jain – Executive Director
3.	Shri K.K.Sansi – Executive Director
4.	Shri Sanjiv Kumar Arora – Non-Official Director
5.	Shri N. Rajendran – Non Official Director
6.	Shri Sanjay Verma – Non Official Director

The Committee met on the following dates during the FY – 2013-14

14.06.2013	25.09.2013	21.12.2013	16.01.2014
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Shri D.P. Singh-Ex.CMD	01.04.2013 to 31.01.2014	4	4
Shri Jatinderbir Singh-CMD	04.02.2014 to 31.03.2014	0	0
Shri K.K.Sansi-ED	05.08.2013 to 31.03.2014	3	3
Shri M.K.Jain-ED	05.08.2013 to 31.03.2014	3	3
Shri P.K. Anand-Ex.ED	01.04.2013 to 31.05.2013	0	0
Shri Sanjiv Kumar Arora– Non Official Director	01.04.2013 to 31.03.2014	4	4
Shri N Rajendran– Non Official Director	01.04.2013 to 31.03.2014	4	4

श्री एन राजेन्द्रन — गैर-आधिकारिक निदेशक	01.04.2013 से 31.03.2014	4	4
श्री संजय वर्मा— गैर-आधिकारिक निदेशक	11.11.2013 से 31.03.2014	2	2
श्री करनपाल सिंह सेखों— गैर-आधिकारिक निदेशक	01.04.2013 से 04.07.2013	1	1

बैंक ने एक वास्तविक जोखिम प्रबंधन के ढाँचे का गठन किया है जिसमें जोखिम प्रबंधन संगठन ढांचा, जोखिम सिद्धांत, जोखिम नियंत्रण एवं जोखिम लेखा परीक्षण सम्मिलित हैं जो कि सभी ऋण जोखिम, बाजार जोखिम एवं परिचालन जोखिम आदि को पहचानने, प्रबंधन, निगरानी करने के दृष्टिकोण से है। इसके पीछे मूल लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक के परिचालन में स्थायित्व एवं कार्यक्षमता बनी रहे और बैंक के हितों की सुरक्षा की देख-भाल होती रहे।

4.6 ग्राहक सेवा समिति:

(क) बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति:

बैंक ने बोर्ड की एक उप समिति का गठन किया है जो कि 'बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति' के नाम से जानी जाती है। 31 मार्च, 2014 को समिति के निम्न सदस्य हैं।

श्री जतिंदरबीर सिंह— अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री के.के.साँसी— कार्यकारी निदेशक
श्री एम.के.जैन— कार्यकारी निदेशक
श्री एस.पी.एस.विक्रम— कामगार निदेशक
श्री सुरेश ठाकुर— गैर-आधिकारिक निदेशक

समिति के कार्यों में ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सुझाव तथा नवोन्मेषी उपायों के लिए प्लेटफार्म का सृजन करना तथा सभी संवर्ग के ग्राहकों हेतु संतुष्टि के स्तर में सुधार करना शामिल है जिसमें निम्नलिखित का समावेश है:

1. यह समिति ग्राहक सेवा पर शीर्षस्थ समिति के रूप में कार्य करती है और सार्वजनिक सेवाओं की प्रक्रिया एवं लेखा-परीक्षा कार्य-निष्पादन संबंधी स्थायी समिति के कार्यों की देख-रेख करना तथा लोक सेवाओं की प्रक्रिया एवं निष्पादन की संपरीक्षा की समिति (सीपीपीएपीएस) की सिफारिशों के अनुपालन को सुनिश्चित करना।
2. अधिनिर्णय की तारीख से तीन महीने से अधिक अवधि के बीत जाने पर भी लागू न किए गए शेष अधिनिर्णयों तथा बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में पाई गई कमियों की स्थिति की समीक्षा करना।
3. ग्राहक सेवा में गुणवत्ता में वृद्धि लाने हेतु नवोन्मेषी उपाय करना और सभी स्तरों पर ग्राहक संतुष्टि में सुधार करना।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान समिति की निम्न तिथियों पर बैठकें हुईं:

27.07.2013	11.11.2013
------------	------------

निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है :

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री डी.पी.सिंह— भू.पू.—अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2013 से 31.01.2014	2	2
श्री जतिंदरबीर सिंह— अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	04.02.2014 से 31.03.2014	0	0
श्री के.के.साँसी— कार्यकारी निदेशक	05.08.2013 से 31.03.2014	1	1

Shri Sanjay Verma – Non Official Director	11.11.2013 to 31.03.2014	2	2
Shri Karanpal Singh Sekhon– Non Official Director	01.04.2013 to 04.07.2013	1	1

The Bank has set up an appropriate risk management architecture, comprising Risk Management Organizational Structure, Risk Principles, Risk Processes, Risk Control and Risk Audit, all with a view to ideally identify, manage, monitor and control various categories of risks, viz. Credit Risk, Market Risk and Operational Risk, etc. The underlying objective is to ensure continued stability and efficiency in the operations of the Bank and to look after the safety of the Bank.

4.6 Customer Service Committee:

(a) Customer Service Committee of the Board

The Bank has constituted a sub-committee of Board, known as 'Customer Service Committee of the Board'. The Committee has the following members as on 31st March, 2014:

1.	Shri. Jatinderbir Singh-Chairman & Managing Director
2.	Shri K.K. Sansi – Executive Director
3.	Shri M.K.Jain – Executive Director
4.	Shri S.P.S. Virk – Workmen Director
5.	Shri Suresh Thakur- Non-Official Director

The functions of the Committee include creating a platform for making suggestions and innovative measures for enhancing the quality of customer service and improving the level of satisfaction for all categories of clientele at all times, which inter-alia comprises the following:

- Act as apex Committee on Customer Service and oversees the functioning of the Standing Committee on Customer Service and also compliance with the recommendations of the Committee on Procedure and Performance Audit on Public Service (CPPAPS).
- Review the status of the Awards remaining unimplemented for more than 3 months from the date of Awards and also deficiencies in providing banking services as observed by the Banking Ombudsman.
- Mount innovative measures for enhancing the quality of customer service and improving level of customer satisfaction for all categories of clientele.

During the Financial Year 2013-14, the Committee met on the following dates:

27.7.2013	11.11.2013
-----------	------------

The details of attendance of the Directors are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Shri D.P. Singh - Ex.CMD	01.04.2013 to 31.01.2014	2	2
Shri Jatinderbir Singh - CMD	04.02.2014 to 31.03.2014	0	0
Shri K.K. Sansi - ED	05.08.2013 to 31.03.2014	1	1

श्री एम.के.जेन- कार्यकारी निदेशक	05.08.2013 से 31.03.2014	1	1
श्री पी.के.आनंद- भू.पू.-कार्यकारी निदेशक	01.04.2013 से 31.05.2013	0	0
श्री एस.पी.एस.विक्र- कामगार कर्मचारी निदेशक	01.04.2013 से 31.03.2014	2	2
श्री सुरेश ठाकुर - गैर-आधिकारिक निदेशक	01.04.2013 से 31.03.2014	2	1

(ख) ग्राहक सेवा संबंधी स्थायी समिति:

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार, बैंक के निदेशकों की गठित उप समिति के अतिरिक्त ग्राहक सेवाओं पर एक स्थायी समिति का गठन किया गया है जिसमें बैंक के 2 महाप्रबंधक एवं समाज के 3 अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति सदस्यों के रूप में सम्मिलित हैं। बैठक की अध्यक्षता, बैंक के कार्यकारी निदेशक द्वारा की जाती है।

समिति के मुख्य कार्य हैं-

1. बैंक द्वारा ग्राहक केंद्रित उपायों पर विचार करना।
2. आंचलिक कार्यालयों से जानकारी प्राप्त कर, उस को बोर्ड की ग्राहक समिति के समक्ष आवश्यक नीति/प्रक्रियात्मक कार्रवाई करने हेतु प्रस्तुत करना जिससे हो रहे परिवर्तनों की सुविधा दी जा सके।

4.7 पारिश्रमिक समिति:

भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 09 मार्च, 2007 संख्या एफ नं.20/1/2005-बीओ. I द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों के लिए कार्यनिष्पादन संबंधित प्रोत्साहन की घोषणा की है। यह प्रोत्साहन विगत वर्ष के दौरान विभिन्न अनुपालना रिपोर्टों पर आधारित लक्ष्यों एवं बेंचमार्क के अनुरूप कार्य-निष्पादन मूल्यांकन जिसमें गुणवत्ता एवं मात्रा, दोनों का समावेश है, पर आधारित है। उक्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन में वर्ष के दौरान कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन एवं देय/अवार्ड हेतु भुगतान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि के लिए निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है।

31.03.2014 को वर्तमान समिति की संरचना इस प्रकार है:

श्री एस.सी.दास- वित्त मंत्रालय द्वारा नामित
श्री पी.के.जेना- भा.रि.बैंक द्वारा नामित निदेशक
श्री सुखेन पाल बबूता - गैर-आधिकारिक निदेशक
श्री संजय वर्मा - गैर-आधिकारिक निदेशक

4.8 शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत निवारण समिति

बैंक ने शेयरधारकों एवं निवेशकों की शिकायतों, यदि कोई हो, के निवारण के लिए शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति का गठन किया है।

31 मार्च, 2014 को समिति की संरचना निम्नानुसार है:

1.	श्री सुखेन पाल बबूता, गैर आधिकारिक निदेशक -अध्यक्ष
2.	श्री जतिंदरबीर सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक -सदस्य
3.	श्री एम.के.जेन, कार्यकारी निदेशक - सदस्य
4.	श्री एन राजेन्द्रन - गैर आधिकारिक निदेशक - सदस्य

वित्तीय वर्ष 2013-14 में समिति की निम्नलिखित तिथियों को बैठकें हुई :

01.05.2013	27.07.2013	11.11.2013	28.01.2014
------------	------------	------------	------------

समिति की आयोजित पूर्वकथित बैठकों में निदेशकों की उनके संबंधित कार्यकाल के दौरान उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

Shri M.K. Jain - ED	05.08.2013 to 31.03.2014	1	1
Shri P.K. Anand - Ex.ED	01.04.2013 to 31.05.2013	0	0
Shri S.P.S. Virk – Workmen Employee Director	01.04.2013 to 31.03.2014	2	2
Shri Suresh Thakur- Non-Official Director	01.04.2013 to 31.03.2014	2	1

(b) Standing Committee on Customer Service:

Besides, the Sub Committee of the Board as aforesaid, the Bank has also set up a Standing Committee on Customer Service having two General Managers of the Bank and three other eminent public personalities as members, as per the guidelines of Reserve Bank of India. The Committee is chaired by the Executive Director of the Bank.

Main functions of the committee are:

- (i) To take stock of the customer centric measures taken by the Bank.
- (ii) To get feedback from the Zonal Offices and put up the same on customer service committee of the Board for necessary Policy / Procedural action facilitate change on an ongoing basis.

4.7 Remuneration Committee:

Government of India announced Performance Linked Incentives for Whole Time Directors of Public Sector Banks vide Notification No.F No.20/1/2005-BO.I dated 9th March, 2007. The incentive is based on certain qualitative as well as quantitative parameters fixed for Performance Evaluation Matrix on the basis of the statement of intent on goals and benchmarks based on various compliance reports during the previous financial year. In compliance of the said directives, a Remuneration Committee of the Board was constituted for evaluation of the performance and incentive amount to be awarded / paid during the year.

The composition of the present Committee as on 31st March, 2014 is as under:

1. Shri.S. C. Das, MOF Nominee Director
2. Shri P.K. Jena, RBI Nominee Director
3. Shri Sukhen Pal Babuta, Non-Official Director
4. Shri Sanjay Verma, Non-Official Director

4.8 Shareholders' / Investors' Grievances Committee:

The Shareholders' / Investors' Grievances Committee has been constituted to redress shareholders and investors complaints, if any.

The composition of the Committee as on 31st March 2014 is as under:

1. Shri Sukhen Pal Babuta, Non Official Director - Chairman
2. Shri Jatinderbir Singh, Chairman & Managing Director - Member
3. Shri M.K.Jain, Executive Director - Member
4. Shri N Rajendran, Non Official Director-Member

The Committee met on the following dates during the FY – 2013-14

01.05.2013	27.07.2013	11.11.2013	28.01.2014
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री सुखेन पाल बबूता – अध्यक्ष	01.04.2013 से 31.03.2014	4	4
श्री पी.के.आनंद– भू.पू.–कार्यकारी निदेशक	01.04.2013 से 31.05.2013	1	1
श्री डी.पी. सिंह– भू.पू.–अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2013 से 31.01.2014	4	4
श्री एम.के.जैन–कार्यकारी निदेशक	05.08.2013 से 31.03.2014	2	2
श्री एन राजेन्द्रन	01.04.2013 से 31.03.2014	4	3

समिति निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए समयबद्ध रूप से निगरानी करती है। वर्ष के दौरान प्राप्त एवं निवारण की गई शिकायतों/निवेदनों की संख्या का सारांश निम्न प्रकार से है:

01.04.2013 को लंबित	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के दौरान निवारण	31.03.2014 को लंबित
शून्य	25	24	01

वर्ष 2013–14 के अंत में, दिनांक 31.03.2014 को लाभांश से संबंधित एक मामला सेबी के स्कोर पोर्टल पर लंबित था तथा बैंक द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट ऑन-लाईन प्रेषित किए जाने के आधार पर इसे सेबी द्वारा दिनांक 03.04.2014 बंद कर दिया गया। स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध समझौते के खंड 47 (ए) के तहत कंपनी सचिव को बैंक के 'अनुपालन अधिकारी' के रूप में पदस्थ किया गया है।

4.9 मानव संसाधन विकास समिति

विभिन्न संघों एवं संस्थाओं के साथ पारस्परिक अंतर्क्रिया तथा प्रगतिशील मानव संसाधन योजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए दिनांक 05.05.2012 के बोर्ड संकल्प संख्या 19841 द्वारा मानव संसाधन विकास समिति का गठन किया गया है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक तथा अन्य सदस्यों में कोई एक बैठक के लिए कोरम है। बैठक तिमाही में कम से कम एक बार तथा जब भी आवश्यकता हो, आयोजित की जाती है।

31 मार्च, 2014 के अनुसार समिति की संरचना निम्नानुसार है:

- 1) श्री जतिंदरबीर सिंह–आईएस–अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- 2) श्री एम.के.जैन–कार्यकारी निदेशक–सदस्य
- 3) श्री के.के.साँसी–कार्यकारी निदेशक–सदस्य
- 4) श्री एस.सी.दास, वित्त–मंत्रालय द्वारा नामित निदेशक– सदस्य
- 5) श्री संजीव कुमार अरोड़ा– गैर आधिकारिक निदेशक– सदस्य

वर्ष 2013–14 के दौरान निम्नलिखित तिथियों को समिति की बैठकें हुई:

14.06.2013

25.09.2013

21.12.2013

समिति की आयोजित पूर्वकथित बैठकों में निदेशकों की उनके संबंधित कार्यकाल के दौरान उपस्थिति का ब्योरा निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की गई
श्री डी.पी.सिंह– भू.पू.–अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2013 से 31.02.2014	3	3
श्री जतिंदरबीर सिंह–अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	04.02.2014 से 31.03.2014	0	0
श्री पी.के.आनंद–भू.पू.–कार्यकारी निदेशक	01.04.2013 से 31.05.2013	0	0
श्री एम.के.जैन– कार्यकारी निदेशक	05.08.2013 से 31.03.2014	2	2
श्री के.के.साँसी– कार्यकारी निदेशक	05.08.2013 से 31.03.2014	2	2

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Shri Sukhen Pal Babuta - Chairperson	01.04.2013 to 31.03.2014	4	4
Shri P.K. Anand - Ex.Executive Director	01.04.2013 to 31.05.2013	1	1
Shri D.P.Singh Ex.CMD	01.04.2013 to 31.01.2014	4	4
Shri M.K.Jain- Executive Director	05.08.2013 to 31.03.2014	2	2
Shri N Rajendran	01.04.2013 to 31.03.2014	4	3

The Committee monitors the redressal of investors' complaints in a time bound manner. The summary of number of requests/complaints received and resolved during the year are as under

Pending as on 01.04.2013	Received during the year	Resolved during the year	Pending as on 31.03.2014
NIL	25	24	01

One case pertaining to dividend, received on 31.03.2014 on SCORES portal of SEBI was outstanding at the end of the year 2013-14 and the same was closed by SEBI on 03.04.2014 on the basis of Action Taken Report submitted On-line by the Bank. Company Secretary has been designated as the "Compliance Officer" of the Bank under Clause 47 (a) of the Listing Agreement with Stock Exchanges.

4.9 HR Committee

The HR Committee has been constituted vide BR No.19841 dated 05.05.2012 for promoting progressive HR plans and to have interaction with various unions and associations. CMD, ED and anyone among the other members is the quorum for meeting. Meeting may be held as and when required but at least once in a quarter.

The composition of the Committee as on 31st March 2014 is as under:

1. Shri Jatinderbir Singh –IAS-Chairman & Managing Director
2. Shri M.K. Jain - Executive Director - Member
3. Shri K.K. Sansi - Executive Director - Member
4. Shri S C Das , MOF Nominee Director-Member
5. Sh. Sanjiv Kumar Arora- Non- Official Director- Member

The Committee met on the following dates during the Financial Year 2013-14\

14.06.2013	25.09.2013	21.12.2013
------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Shri D.P. Singh- Ex.CMD	01.04.2013 to 31.01.2014	3	3
Shri Jatinderbir Singh-Chairman & Managing Director	04.02.2014 to 31.03.2014	0	0
Shri P.K. Anand - Ex.Executive Director	01.04.2013 to 31.05.2013	0	0
Shri M.K. Jain - Executive Director	05.08.2013 to 31.03.2014	2	2
Shri K.K. Sansi - Executive Director	05.08.2013 to 31.03.2014	2	2

श्री रजत सच्चर-वित्त-मंत्रालय द्वारा नामित निदेशक	01.04.2013 से 21.10.2013	2	1
श्री एस.सी.दास-वित्त-मंत्रालय द्वारा नामित निदेशक	22.10.2013 से 31.03.2014	1	1
श्री संजीव कुमार अरोड़ा- गैर आधिकारिक निदेशक	01.04.2013 से 31.03.2014	3	3

4.10 नामांकन समिति :

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/80 की धारा 9(3) (प) के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में चयन हेतु 'फिट एण्ड प्रॉपर' मानदंड निर्धारित किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप नामांकन समिति गठित करना अपेक्षित है जिसमें निदेशक मंडल में से कम से कम तीन निदेशक (सभी स्वतंत्र/गैर कार्यपालक निदेशक) शामिल हों। उक्त दिशा-निर्देशों की अनुपालना में एक 'नामांकन समिति' का गठन किया गया है।

4.11 बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति

सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयासों में तीव्रता लाने तथा तकनीकी के अन्य लाभ उठाने के लिए दिनांक 31.03.2014 को बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं :

श्री के.के.साँसी- कार्यकारी निदेशक
श्री एम.के.जैन- कार्यकारी निदेशक
श्री एस.सी.दास- वित्त-मंत्रालय द्वारा नामित निदेशक
श्री संजय वर्मा- गैर आधिकारिक निदेशक
श्री एन राजेन्द्रन- गैर आधिकारिक निदेशक- समिति अध्यक्ष

वर्ष 2013-14 के दौरान निम्नलिखित तिथियों को समिति की बैठकें हुईं:

14.06.2013 25.09.2013 21.12.2013

समिति की आयोजित पूर्वकथित बैठकों में निदेशकों की उनके संबंधित कार्यकाल के दौरान उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की गई
श्री पी.के.आनंद-भू.पू.-कार्यकारी निदेशक	01.04.2013 से 31.05.2013	0	0
श्री एम.के.जैन- कार्यकारी निदेशक	11.11.2013 से 31.03.2014	1	1
श्री के.के.साँसी- कार्यकारी निदेशक	11.11.2013 से 31.03.2014	1	1
श्री रजत सच्चर-वित्त-मंत्रालय द्वारा नामित निदेशक	01.04.2013 से 21.10.2013	2	1
श्री एस.सी.दास-वित्त-मंत्रालय द्वारा नामित निदेशक	22.10.2013 से 31.03.2014	1	1
श्री एन राजेन्द्रन- गैर आधिकारिक निदेशक	01.04.2013 से 31.03.2014	3	3
श्री करनपाल सिंह सेखों- गैर आधिकारिक निदेशक	01.04.2013 से 04.07.2013	1	1
श्री संजय वर्मा- गैर आधिकारिक निदेशक	11.11.2013 से 31.03.2014	1	1

Shri Rajat Sachar-MOF Nominee Director	01.04.2013 to 21.10.2013	2	1
Shri S C Das-MOF Nominee Director	22.10.2013 to 31.03.2014	1	1
Shri Sanjiv Kumar Arora- Non- Official Director	01.04.2013 to 31.03.2014	3	3

4.10 Nomination Committee:

Reserve Bank of India has laid down “Fit and Proper” criteria to be fulfilled by persons to be elected as directors on the Boards of the Nationalized Banks under the provisions of Section 9(3)(i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/80. In terms of the guidelines issued by Reserve Bank of India, a Nomination Committee is required to be constituted consisting of a minimum of three directors (all independent/non executive directors) from amongst the Board of Directors. In compliance of the said directives, a “Nomination Committee” had been constituted.

4.11 IT Strategy Committee of the Board

With a view to take forward IT initiatives and drive other benefits of technologies, IT Strategy Committee of the Board comprising of the following members is in place as on 31.03.2014.

1. Shri K.K. Sansi - Executive Director
2. Shri M.K. Jain - Executive Director
3. Shri S.C.Das - M.O.F. Nominee Director
4. Shri Sanjay Verma- Non Official Director
5. Shri N Rajendran – Non Official Director-Chairman of the Committee

The Committee met on the following dates during the Financial Year 2013-14

14.06.2013	25.09.2013	21.12.2013
------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Shri P.K. Anand - Ex.Executive Director	01.04.2013 to 31.05.2013	0	0
Shri M.K. Jain - Executive Director	11.11.2013 to 31.03.2014	1	1
Shri K.K. Sansi - Executive Director	11.11.2013 to 31.03.2014	1	1
Shri Rajat Sachar-MOF Nominee Director	01.04.2013 to 21.10.2013	2	1
Shri S C Das-MOF Nominee Director	22.10.2013 to 31.03.2014	1	1
Shri N Rajendran-Non-Official Director	01.04.2013 to 31.03.2014	3	3
Shri Karanpal Singh Sekhon - Non-Official Director	01.04.2013 to 04.07.2013	1	1
Shri Sanjay Verma – Non- Official Director	11.11.2013 to 31.03.2014	1	1

4.12 कार्यपालकों की पदोन्नतियों पर बोर्ड की समिति:

वरिष्ठ स्तर पर पदोन्नतियों का कार्य देखने के लिए, निदेशकों की समिति जिसमें कार्यकारी निदेशक (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अनुपस्थिति में) और भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशकों की समिति का गठन किया गया है। महाप्रबंधक के पद के साक्षात्कार के लिए दिनांक 19.04.2013 तथा 29.03.2014 को समिति की बैठकें हुईं।

31.03.2014 को समिति की संरचना निम्नानुसार है :

- 1) श्री जतिंदरबीर सिंह— अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- 2) श्री एस.सी.दास— वित्त—मंत्रालय द्वारा नामित निदेशक
- 3) श्री पी.के.जेना— भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक

समिति की उक्त बैठकों में निदेशकों की उनके कार्यकाल के अनुसार उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है :

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की गई
श्री जतिंदरबीर सिंह—अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	04.02.2014 से 31.03.2014	1	1
श्री डी.पी.सिंह— भूपू—अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2013 से 31.01.2014	1	1
श्री रजत सच्चर—वित्त—मंत्रालय द्वारा नामित निदेशक	01.04.2013 से 21.10.2013	1	1
श्री एस.सी.दास—वित्त—मंत्रालय द्वारा नामित निदेशक	22.10.2013 से 31.03.2014	1	1
श्री बी.पी.कानूनगो— भा.रि.बैंक द्वारा नामित निदेशक	01.04.2013 से 30.05.2014	1	1
श्री पी.के.जेना— भा.रि.बैंक द्वारा नामित निदेशक	31.05.2013 से 31.03.2014	1	1

4.13 समीक्षा/अपील प्राधिकरण हेतु बोर्ड की समिति :

उच्च प्रबंधन स्तर पर अनुशासन से संबंधित मामलों की अपील/समीक्षा करने के संबंध में अपील/समीक्षा प्राधिकारी हेतु बोर्ड की एक समिति का गठन किया गया है। दिनांक 31.03.2014 के अनुसार जिसके सदस्य निम्नलिखित हैं :

- 1) श्री पी.के.जेना — भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक
- 2) श्री एस.सी.दास — वित्त—मंत्रालय द्वारा नामित निदेशक
- 3) श्री महेश कुमार गुप्ता — गैर आधिकारिक निदेशक

4.14 वसूली की निगरानी करने हेतु समिति :

भारत सरकार, वित्त—मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के दिनांक 21.11.2012 के पत्र संख्या एफ.नं. 7/112/2012बी.ओ.ए. के निर्देशानुसार, बैंक की वसूली की प्रगति की निगरानी करने के लिए निदेशकों की एक समिति, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक तथा वित्त—मंत्रालय के नामित निदेशक शामिल हैं, का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2014 के अनुसार समिति की संरचना निम्नानुसार है :

- 1) श्री जतिंदरबीर सिंह, — अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- 2) श्री एम.के.जैन — कार्यकारी निदेशक
- 3) श्री के.के.साँसी — कार्यकारी निदेशक
- 4) श्री एस.सी.दास — वित्त—मंत्रालय द्वारा नामित निदेशक

वर्ष 2013—14 के दौरान निम्नलिखित तिथियों को समिति की बैठकें हुईं:

13.05.2013 13.06.2013 18.07.2013 17.09.2013 13.03.2014

4.12 Committee of the Board on Executives' Promotions:

A Committee of Directors consisting of Executive Director (in the absence of CMD) and the nominee Directors of Government of India and Reserve Bank of India has been formed for dealing with the promotions at senior level. The Committee met on 19.04.2013 and 29.03.2014 for conducting interview for the post of General Managers.

The composition of the Committee as on 31st March 2014 is as under:

1. Shri Jatinderbir Singh- Chairman & Managing Director
2. Shri S.C.Das -MOF Nominee Director
3. Shri P.K.Jena-RBI Nominee Director

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Shri Jatinderbir Singh- Chairman & Managing Director	04.02.2014 to 31.03.2014	1	1
Shri. D.P.Singh-Ex - Chairman & Managing Director	01.04.2013 to 31.01.2014	1	1
Shri Rajat Sachar-MOF Nominee Director	01.04.2013 to 21.10.2013	1	1
Shri S C Das-MOF Nominee Director	22.10.2013 to 31.03.2014	1	1
Sh B.P. Kanungo –RBI Nominee Director	01.04.2014 to 30.05.2013	1	1
Sh. P.K.Jena- RBI Nominee Director	31.05.2013 to 31.03.2014	1	1

4.13 Committee of the Board on Appellate / Reviewing Authority:

A committee of the Board on Appellate / Reviewing Authority is constituted to consider appeal / review in respect of Disciplinary cases at senior Management level, with the following members as on 31.03.2014:

1. Sh. P.K.Jena - RBI Nominee Director
2. Sh. S.C.Das - MOF Nominee Director
3. Sh. Mahesh Kumar Gupta - Non-Official Director

4.14 Committee for Monitoring of Recovery:

A Committee of Directors consisting of Chairman & Managing Director, Executive Director and the nominee Director of Ministry of Finance has been formed to monitor the progress in recovery of the Bank in terms of directions received from Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi, vide their letter no.F.No. 7/112/2012- BOA letter dated 21.11.2012.

The composition of the Committee as on 31st March 2014 is as under:

1. Shri Jatinderbir Singh- Chairman & Managing Director
2. Shri M.K. Jain - Executive Director
3. Shri K.K. Sansi - Executive Director
4. Shri S.C.Das -MOF Nominee Director

The Committee met on following dates during the financial year 2013-14.

13.05.2013	13.06.2013	18.07.2013	17.09.2013	13.03.2014
------------	------------	------------	------------	------------

समिति की उक्त बैठकों में निदेशकों की उनके कार्यकाल के अनुसार उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है :

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की गई
श्री डी.पी.सिंह- भू.पू.-अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2013 से 31.01.2014	4	4
श्री जतिंदरबीर सिंह-अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	04.02.2014 से 31.03.2014	1	1
श्री पी.के.आनंद-भू.पू.-कार्यकारी निदेशक	01.04.2013 से 31.05.2013	1	1
श्री एम.के.जैन- कार्यकारी निदेशक	05.08.2013 से 31.03.2014	2	2
श्री के.के.साँसी- कार्यकारी निदेशक	05.08.2013 से 31.03.2014	2	2
श्री रजत सच्चर-वित्त-मंत्रालय द्वारा नामित निदेशक	01.03.2013 से 21.10.2013	4	4
श्री एस.सी.दास-वित्त-मंत्रालय द्वारा नामित निदेशक	22.10.2013 से 31.03.2014	1	0

4.15 बोर्ड की समवर्ती लेखा परीक्षा समिति

दिनांक 31.03.2014 के अनुसार बोर्ड की समवर्ती लेखा परीक्षा समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं :

श्री संजीव कुमार अरोड़ा - गैर आधिकारिक निदेशक

श्री सुखेन पाल बबूता - गैर आधिकारिक निदेशक

वर्ष 2013-14 के दौरान समिति की निम्नलिखित तिथियों को बैठकें हुई :

26.07.2013 19.08.2013 30.08.2013 04.09.2013 11.09.2013

समिति की उक्त बैठकों में निदेशकों की उनके कार्यकाल के अनुसार उपस्थिति निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की गई
श्री संजीव कुमार अरोड़ा- गैर आधिकारिक निदेशक	14.06.2013 से 31.03.2014	5	5
श्री सुखेन पाल बबूता - गैर आधिकारिक निदेशक	14.06.2013 से 31.03.2014	5	4

4.16 शेयरधारक निर्देशकों की समिति का निर्वाचन- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा वोटिंग

भारत सरकार, वित्त-मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के दिनांक 03.04.2012 के पत्र की शर्तों के अनुसार, बोर्ड के दिनांक 05.05.2012 के प्रस्ताव संख्या 19840 के अनुसार विभिन्न कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शेयरधारक निदेशकों के रूप में प्रतिनिधियों के निर्वाचन में सहायतार्थ बोर्ड की एक समिति का गठन किया गया है :

31 मार्च, 2014 को समिति की संरचना निम्नानुसार है :

श्री जतिंदरबीर सिंह,आई.ए.एस.- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री एम.के.जैन- कार्यकारी निदेशक
श्री के.के.साँसी- कार्यकारी निदेशक
श्री सुरेश ठाकुर- गैर-आधिकारिक निदेशक
श्री सुरिंदर पाल सिंह विर्क- कामगार कर्मचारी निदेशक

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Shri. D.P.Singh Ex.CMD	01.04.2013 to 31.01.2014	4	4
Shri Jatinderbir Singh- Chairman & Managing Director	04.02.2014 to 31.03.2014	1	1
Shri P.K. Anand - Ex. Executive Director	01.04.2013 to 31.05.2013	1	1
Shri M.K. Jain - Executive Director	05.08.2013 to 31.03.2014	2	2
Shri K.K. Sansi - Executive Director	05.08.2013 to 31.03.2014	2	2
Shri Rajat Sachar – MOF Nominee Director	01.03.2013 to 21.10.2013	4	4
Shri S C Das-MOF Nominee Director	22.10.2013 to 31.03.2014	1	0

4.15 Concurrent Audit Committee of the Board

Concurrent Audit Committee of the Board comprising of the following members is in place as on 31.03.2014.

Shri Sanjiv Kumar Arora – Non-Official Director

Shri Sukhen Pal Babuta Non-Official Director

The Committee met on the following dates during the Financial Year 2013-14

26.07.2013

19.08.2013

30.08.2013

04.09.2013

11.09.2013

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Shri Sanjiv Kumar Arora – Non-Official Director	14.06.2013 to 31.03.2014	5	5
Shri Sukhen Pal Babuta Non-Official Director	14.06.2013 to 31.03.2014	5	4

4.16. Election of Shareholder Directors Committee-Voting by Public Sector Bank:

In terms of Ministry of Finance, Department of Financial Services letter date 03.04.2012 a committee of Board for taking decision on supporting the candidates in election as Shareholder Directors in various companies, Financial institutions and PSU Banks was constituted as per Board resolution number 19840 dated 05.05.2012.

The composition of the Committee as on 31st March, 2014 is as under:

1.	Shri Jatinderbir Singh- IAS- Chairman & Managing Director
2.	Shri M.K.Jain – Executive Director
3.	Shri K.K.Sansi – Executive Director
4.	Shri Suresh Thakur – Non-Official Director
5.	Shri Surinder Pal Singh Virk –Workmen Employee Director

4.17 शेयर अंतरण समिति :

पांच अधिकारियों की एक समिति जिसमें एक मुख्य महाप्रबंधक, दो महाप्रबंधक, एक सहायक महाप्रबंधक हैं एवं एक पखवाड़े में शेयरों का विप्रेषण/अंतरण/प्रेषण का अनुमोदन कंपनी सचिव द्वारा किया जाता है। बोर्ड की होने वाली बैठक में शेयर अंतरण समिति के कार्यवृत्त आगामी बैठक में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान शेयर अंतरण समिति की 27 बैठकें आयोजित की गईं। बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी शेयरों का अंतरण शेयरों के प्रस्तुतिकरण की दिनांक से एक महीने की अवधि के भीतर हो जाए।

5. निदेशकों का पारिश्रमिक:

गैर-कार्यकारी निदेशकों की यात्रा तथा ठहरने पर होने वाले व्यय सहित पारिश्रमिक का भुगतान, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (यथा संशोधित) की धारा 17 में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप, समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से जारी किए गए निर्धारणों के अनुसार किया जा रहा है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक को वेतन के रूप में पारिश्रमिक का भुगतान भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाता है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक को भुगतान किए गए पारिश्रमिक और कार्य निष्पादन संबंध प्रोत्साहन का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

क) वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान वेतन एवं बकाया का भुगतान :

(राशि रु में)

क्र.सं.	नाम	पदनाम	राशि (रु.)
1.	श्री जतिंदरबीर सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	2,84,117.85
2.	श्री एम.के. जैन	कार्यकारी निदेशक	10,67,048.38
3.	श्री के.के.साँसी	कार्यकारी निदेशक	10,12,322.57
4.	श्री डी.पी.सिंह	सेवानिवृत्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	15,05,393.53
5.	श्री पी.के.आनंद	सेवानिवृत्त कार्यकारी निदेशक	2,86,961.2

वर्ष 2013-14 के दौरान गैर-कार्यकारी निदेशकों को दिया गया बैठक सहभागिता शुल्क निम्नानुसार है: (पूर्ण कालिक निदेशकों एवं भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे निदेशक को किसी प्रकार का बैठक सहभागिता शुल्क देय नहीं है):—

क्र.सं.	निदेशक का नाम	भुगतान की गई राशि (रु.)
1.	श्री सुखेन पाल बबूता	3,30,000
2.	श्री महेश कुमार गुप्ता	2,95,000
3.	श्री संजीव कुमार अरोड़ा	3,25,000
4.	श्री के.पी.एस. सेखों	80,000
5.	श्री सुरेश ठाकुर	1,70,000
6.	श्री एन. राजेन्द्रन	1,80,000
7.	श्री एस.पी.एस.विक्र	2,35,000
8.	श्री संजय वर्मा	1,20,000
9.	श्री अनीता कर्णावर	10,000
	कुल योग	17,45,000

4.17 Share Transfer Committee:

A committee of officials comprising of one CGM, two GMs, one AGM and the Company Secretary approved the demat/ transfer/transmission of shares at least once in a fortnight. The minutes of the Share Transfer Committee are placed before the Board in the forthcoming meetings. 27 meetings of the Share Transfer Committee were held during 2013-14. The Bank ensures that all transfer of shares is affected within a period of one month from the date of their lodgment.

5. REMUNERATION OF DIRECTORS:

The remuneration including traveling and halting expenses to Non-Executive Directors which are being paid as stipulated by the Central Government in consultation with Reserve Bank of India from time to time in terms of Clause 17 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended).

The Chairman & Managing Director and Executive Directors are being paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Government of India. The details of remuneration and Performance Linked Incentives paid to Chairman and Managing Director and Executive Director/s is detailed below:

A. Salary including Arrears paid during the Financial Year 2013-14:

(Amount in Rupees)

Sr. No	Name	Designation	Amount (Rs.)
1	Shri Jatinderbir Singh	Chairman & Managing Director	2,84,117.85
2	Shri M.K. Jain	Executive Director	10,67,048.38
3	Shri K.K. Sansi	Executive Director	10,12,322.57
4	Shri D.P. Singh	Ex. Chairman & Managing Director	15,05,393.53
5	Shri P.K. Anand	Ex.Executive Director	2,86,961.2

The Sitting Fee paid to the Non-Executive Directors during the Year 2013-14 is as under: (No sitting fee is payable to whole time directors and director representing Government. of India):

Sr.No	Name of the Director	Amount Paid in Rs.
1	Sh Sukhen Pal Babuta	3,30,000
2.	S. Mahesh Kumar Gupta	2,95,000
3	Sh Sanjiv Kumar Arora	3,25,000
4	Sh K P S Sekhon	80,000
5	Sh Suresh Thakur	1,70,000
6	Sh N. Rajendran	1,80,000
7	Sh S.P.S. Virk	2,35,000
8	Sh. Sanjay Verma	1,20,000
9	Smt. Anita Karnavar	10,000
	TOTAL	17,45,000

6. सामान्य सभा की बैठकें :

विगत तीन वर्षों के दौरान अंशधारियों की सामान्य सभा की आयोजित बैठकों का विवरण निम्नानुसार है :

प्रकृति	दिन व दिनांक	समय	स्थान
एजीएम	गुरुवार 16.06.2011	प्रातः 11:00 बजे	एयर फोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली- 110010
एजीएम	शनिवार 23.06.2012	प्रातः 9:00 बजे	एयर फोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली- 110010
एजीएम	बुधवार 26.06.2013	प्रातः 9:00 बजे	इंडिया इंटरनैशनल सेंटर, 40-मैक्समूलर मार्ग, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली- 110003
ईजीएम	मंगलवार 27.03.2012	प्रातः 9:00 बजे	एयर फोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली- 110010
ईजीएम	सोमवार 11.03.2013	प्रातः 9:00 बजे	एयर फोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली- 110010
ईजीएम	शनिवार 21.12.2013	प्रातः 9:00 बजे	इंडिया इंटरनैशनल सेंटर, 40-मैक्समूलर मार्ग, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली- 110003

7. प्रकटीकरण :

- (क) बैंक का ऐसा कोई विशेष संबंधित पार्टी से लेन-देन नहीं है जहाँ बैंक के व्यापक हितों के टकराव की संभावना बनती हो।
- (ख) सरकारी कारोबार के इतर शुल्क, कमीशन, गारंटियों पर कमीशन, साख-पत्र, विनिमय, दलाली, अतिदेय बिलों पर ब्याज, अग्रिम बिल तथा कर वापसियों पर कमाए ब्याज की गणना वास्तविक वसूली के आधार पर की जाती है।
- (ग) संयुक्त उद्यमों एवं एसोसिएट के शेयरों पर लाभांश की गणना वास्तविक प्राप्ति के आधार पर की जाती है।
- (घ) बैंक पर विगत तीन वर्षों के दौरान पूँजी बाजार से सम्बद्ध किसी भी मामले में किसी भी विनियामक प्राधिकारी अर्थात् स्टॉक एक्सचेंज और/अथवा सेबी द्वारा किसी नियम, निर्देशों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए न तो कोई दंड लगाया गया है और न ही किसी प्रकार की भर्त्सना की गई है।
- (ड.) वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग की 'विसल ब्लोअर पॉलिसी' पूर्ण रूप से परिचालित है।
- (च) निदेशकों ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 2014 तक निदेशकों के मध्य किसी प्रकार का पारस्परिक संबंध नहीं है।

8. अनिवार्य एवं गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं:-

बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध है, के साथ किए गए सूचीयन करार के संशोधित खंड 49 में यथा उपबंधित सभी लागू अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	अध्यक्ष के कार्यालय का रखरखाव, गैर-कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के खर्च पर करेंगे।	लागू नहीं, क्योंकि अध्यक्ष का पद कार्यपालक का पद है।
2.	निदेशक मंडल एक पारिश्रमिक समिति गठित करेगा जो कार्यकारी निदेशकों के लिए कंपनी की विशिष्ट पारिश्रमिक पैकेज संबंधी नीति तैयार करेगी।	लागू नहीं, जैसा की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं कार्यपालक निदेशक, भारत सरकार द्वारा नियत वेतन प्राप्त करते हैं। तथापि, केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य-निष्पादन संबंध प्रोत्साहन पर विचार करने के लिए एक पारिश्रमिक समिति परिचालन में है।
3.	अंतिम 6 माह के दौरान, महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्य-निष्पादन की छमाही घोषणा को शेयर धारकों को भेजना।	शेयरधारकों की सूचना हेतु अर्ध-वार्षिक/तिमाही वित्तीय परिणामों को प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया गया था और बैंक की वेबसाईट पर भी उपलब्ध कराया गया था।
4.	कंपनी को अनक्वालिफाइड वित्तीय विवरणियों की व्यवस्था की ओर जाना चाहिए।	बैंक ने अनक्वालिफाइड वित्तीय विवरणियों की ओर अग्रसर होने हेतु कई कदम उठाए हैं।

6. GENERAL BODY MEETINGS

Details of last three General Body Meetings of the shareholders held are given below:

Nature	Day & Date	Time	Venue
AGM	Thursday 16.06.2011	11.00 a.m.	Air Force Auditorium, Subroto Park, New Delhi-110 010
AGM	Saturday 23.06.2012	9.00 a.m.	Air Force Auditorium Subroto Park, New Delhi-110 010
AGM	Wednesday 26.06.2013	9.00 a.m.	India International Centre, 40-Max Mueller Marg, Lodhi Estate, New Delhi-110003
EGM	Tuesday 27.03.2012	9.00 a.m.	Air Force Auditorium Subroto Park, New Delhi-110 010
EGM	Monday 11.03.2013	9.00 a.m.	Air Force Auditorium Subroto Park, New Delhi-110 010
EGM	Saturday 21.12.2013	9.00 a.m.	India International Centre, 40-Max Mueller Marg, Lodhi Estate, New Delhi-110003

7. DISCLOSURES:

- There is no materially significant Related Party Transaction that may have potential conflict with the interests of the Bank at large.
- Income by way of Fees, Commission other than on Government Business, Commission on Guarantees, LCs, Exchange, Brokerage, Interest on overdue Bills, Advance Bills and Interest earned on Tax Refunds are accounted for on realization basis.
- Dividend on Shares in Joint Ventures and Associates is accounted on actual realization basis.
- No penalties and strictures have been imposed on the Bank by the Stock Exchange and /or SEBI for non-compliance of any law, guidelines and directives, on any matters related to capital markets, during the last three years.
- As on date, the Central Vigilance Commission's Whistle Blower Policy is in place.
- Directors have disclosed that they have no relationship between directors inter se as on 31st March 2014.

8. MANDATORY AND NON-MANDATORY REQUIREMENTS:

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in Revised Clause 49 of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges where Bank's shares are listed.

The extent of implementation of non-mandatory requirements is as under:

Sr. No	Non-mandatory requirement	Status of Implementation
1.	Non-executive Chairman to maintain Chairman's Office at company's expense.	Not Applicable, since the Chairman's position is Executive.
2.	Board to set-up a Remuneration Committee to formulate company's remuneration policy on specific remuneration package for Executive Directors.	Not applicable, as Chairman & Managing Director and Executive Directors draw salary as fixed by the Government of India. However a Remuneration Committee is in operation to consider Performance Linked Incentive in terms of guidelines issued by the Central Government.
3.	Half-yearly declaration of financial performance including summary of significant events in last six months to be sent to shareholders.	Half yearly/Quarterly financial results were published in leading newspapers and were also placed on the website of the Bank for the information of the shareholders.
4.	Company may move towards regime of unqualified financial statements.	The Bank has initiated steps for moving towards achieving unqualified financial statements.

5.	कंपनी निदेशक मंडल के सदस्यों को निदेशक के रूप में जिम्मेदारी वहन करने और उसका सर्वोत्तम ढंग से निर्वहन करने के लिए कंपनी के व्यवसायिक मॉडल में प्रशिक्षित करने के साथ-साथ, कंपनी के व्यवसायिक मानदंडों की जोखिम प्रोफाइल के विषय में प्रशिक्षित करे।	निदेशक मंडल द्वारा अपनाए गए व्यवसायिक मॉडल और जोखिम प्रोफाइल के साथ-साथ आचार संहिता की संपूर्ण जानकारी बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को संप्रेषित की गई है।
6.	निदेशक मंडल के अन्य सदस्यों द्वारा गैर-कार्यपालक निदेशकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन और गैर-कार्यपालक निदेशकों के निदेशक पद पर बने रहना या अन्यथा निर्णय लेना।	भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, एक नामांकन समिति का गठन किया गया है एवं चयनित/नामित निदेशकों पर बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3)(आई) के अधीन फिट एण्ड प्रोपर दिशा-निर्देश लागू होते हैं।
7.	कंपनी अनैतिक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदेहास्पद धोखाधड़ी आदि के संदर्भ में प्रबंधन की चिंताओं के विषय में रिपोर्ट करने के लिए पूर्व संकेत देने वाली (विसल ब्लोअर) नीति बनाए।	वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता कमीशन की पूर्व संकेत (विसल ब्लोअर) नीति पूर्णतया परिचालित है।

9. संप्रेषण के साधन:

बैंक, विकसित सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार के साधनों के माध्यम से अपने सदस्यों और हितधारकों को उनके हितों से संबद्ध जानकारी के विषय में सूचित करने की आवश्यकता को समझता है।

बैंक के वित्तीय परिणामों को निदेशक मंडल की बैठक में उनके अनुमोदन के पश्चात्, बैठक की समाप्ति पर तत्काल उन स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया जाता है जहां पर बैंक की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं। यह परिणाम दो या अधिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करवाए जाते हैं जिनमें से एक समाचार पत्र ऐसा होता है जिसका प्रसार संपूर्ण भारत में हो और दूसरा समाचार पत्र ऐसा होता है जिसका प्रसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हो जहां बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है। बैंक के तिमाही/इयर टू इयर/वार्षिक परिणाम बैंक की वेबसाइट <http://www.psbindia.com> पर उपलब्ध है।

- बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड,
फिरोज जीजाभाई टावर्स, 25वां तल,
दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई-400001
बीएसई कोड - 533295
- नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
एक्सचेंज प्लाजा
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा पूर्व, मुम्बई 400051
एनएसई कोड: पीएसबी-ईक्यू

एक्सचेंजों में सूचीबद्ध, सभी प्रतिभूतियों के संबंध में अब तक के वार्षिक शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

10.1 प्रतिभूतियों का अभौतिकीकरण:

सेबी की अनिवार्य अभौतिक सूची के अंतर्गत बैंक के शेयर आते हैं और बैंक ने अपने शेयरों के अभौतिकीकरण हेतु नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लि. (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के साथ करार किया है। शेयरधारक, एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल के पास अपने शेयरों को अभौतिकीकृत करवा सकते हैं।

31 मार्च, 2014 को बैंक के पास 275284212 इक्विटी शेयर हैं जिनमें से 275281524 शेयर अभौतिक रूप में धारित हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:

धारिता का स्वरूप	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
भौतिक	2688	0.0009
अभौतिक		
एनएसडीएल	42321308	15.3737
सीडीएसएल	232960216	84.6254
कुल	275284212	100.0000

‘ इसमें भारत सरकार द्वारा धारित 22,41,32,212 इक्विटी शेयर शामिल हैं।

5.	Company may train Board Members in the Business Model of the Company as well as risk profile of the business parameters of the company, the responsibilities as Director and the best way to discharge them.	A complete overview of the Business Model and risk profile along with Code of Conduct adopted by the Board of Directors has been communicated to each member of the Board.
6.	The evaluation of performance of non-executive Directors by other members of the Board and to decide to continue or otherwise of the Directorship of the non-executive Directors.	A Nomination Committee has been constituted in terms of Reserve Bank of India Guidelines and the directors to be elected under clause 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 shall be subject to determination of their fit & proper status.
7.	The Company to establish the Whistle Blower Policy for reporting management concerns about unethical behaviors, actual or suspected fraud, etc.	As on date, the Central Vigilance Commission's Whistle Blower Policy is in place.

9. MEANS OF COMMUNICATION:

The Bank recognizes the need for keeping its members and stakeholders informed of the events of their interests through present advanced information technology and means of communication.

The financial results of the Bank are submitted to the stock exchanges, where the securities of the Bank are listed, immediately after the conclusion of the Board Meeting approving the same. The results are also published in minimum two or more newspapers, one circulating in the whole or substantially the whole of India and the other circulating in the NCT of Delhi where the Head Office of the Bank is situated.

The quarterly/year to year/Annual Financial results of the bank are posted on the Bank's website <http://www.psbindia.com>.

1. Bombay Stock Exchange Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 25th Floor,
Dalal Street, Fort,
Mumbai-400001
BSE CODE : 533295
2. National Stock Exchange of India Ltd.
"Exchange Plaza"
Bandra Kurla Complex
Bandra,(East)
Mumbai 400 051
NSE CODE : PSB-EQ

The annual listing fees in respect of all the securities listed with the exchange(s) have been paid till date.

10.1 Dematerialisation of Securities:

The shares of the Bank are under compulsory demat list of SEBI and the Bank has entered in to Agreements with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL.

As on March 31, 2014 the Bank has 275284212 Number of Equity Shares of which 275281524 Shares are held in dematerialized form, as per the detail given below.

Nature of Holding	Number of shares	Percentage
Physical	2688	0.0009
Dematerialized		
NSDL	42321308	15.3737
CDSL *	232960216	84.6254
Total	275284212	100.0000

* includes 22,41,32,212 equity shares held by the Government of India.

10.2 इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं(ई.सी.एस.)

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (ई.सी.एस.) भुगतान की आधुनिक प्रणाली है जिसमें संबंधित निवेशक के खाते में लाभांश/ब्याज आदि की राशि सीधे तौर पर जमा की जाती है। बैंक ने शेयरधारकों को सभी केंद्रों, जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक के अधीन राष्ट्रीय ई.सी.एस./ई.सी.एस.सुविधा उपलब्ध हैं, पर सेवा का लाभ उठाने का विकल्प दिया है।

10.3 इलेक्ट्रॉनिक शेयर अंतरण प्रणाली तथा निवेशकों की शिकायतों का निवारण:

बैंक सुनिश्चित करता है कि सभी शेयरों का अंतरण संबंधी समस्त कार्य, उनकी प्रस्तुति की तारीख से एक माह के अंदर विधिवत रूप से संपन्न हो जाए। बोर्ड ने शेयरों के अंतरण एवं अन्य संबंधित मामलों की निगरानी एवं समीक्षा करने हेतु शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति एवं शेयर अंतरण समिति का गठन किया है। ये समितियां नियमित अंतराल पर बैठके आयोजित करती हैं और निवेशकों की शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करती हैं।

बैंक ने मैसर्स लिंक इन्टाईम इंडिया प्रा. लि. को अपने रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट के रूप में नियुक्त किया है जिसका कार्य शेयर अंतरण, लाभांश भुगतान, शेयरधारकों के अनुरोध को अभिलेखित करना, निवेशकों की शिकायतों का समाधान के अलावा शेयर/बांड जारी करने संबंधी अन्य गतिविधियों को सुनिश्चित करना है। निवेशक अपने अंतरण विलेख/अनुरोध/शिकायतों को निम्न पते पर रजिस्ट्रार को प्रेषित कर सकते हैं:

मैसर्स लिंक इन्टाईम इंडिया प्रा. लि.

(इकाई: पंजाब एण्ड सिंध बैंक)

44, कम्युनिटी सेंटर, द्वितीय तल,

नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज-I,

नजदीक पीवीआर नारायणा,

नई दिल्ली-110028

दूरभाष: (011) 41410592 से 0594

फैक्स: (011) 41410591

ई मेल: delhi@linkintime.co.in

बैंक ने शेयर कक्ष की स्थापना प्रधान कार्यालय, 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 में की है, जहां शेयरधारक अपने अंतरण विलेख/अनुरोधों/शिकायतों को समाधान हेतु निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं:

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

प्रधान कार्यालय शेयर कक्ष,

प्रथम तल, 21, राजेंद्र प्लेस,

नई दिल्ली -110008

दूरभाष: (011) 25782926, 25728930, 25812922

फैक्स: (011) 25781639

ई-मेल: complianceofficer@psb.co.in

(उक्त ई-मेल आई.डी. को निवेशकों की शिकायतों हेतु स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्ध करार के खंड 47 (एफ) के अधीन नामित किया गया है।)

10.4 निलंब खाते में आबंटियों के अदावी शेयरों के संबंध में स्थिति की रिपोर्ट:

क.सं.	विवरण	एनएसडीएल इन 301330-21335661	सीडीएसएल 1601010000399414
1.	वर्ष के प्रारंभ में पीएसबी में अदावी संदिग्ध खातों में पड़े शेयरों की संख्या	1272	1230

10.2 Electronic Clearing Services (ECS) :

Electronic Clearing Services (ECS) is a modern method of payment where the amounts of dividend/interest etc., are directly credited to the bank accounts of the Investors concerned. The Bank has offered the services to the shareholders with an option to avail the facility at all the centers covered by Reserve Bank of India under its National ECS/ ECS facility.

10.3 Electronic Share Transfer System & Redressal of Investors' Grievances:

The Bank ensures that all transfers of Shares are duly affected within a period of one month from the date of their lodgment. The Board has constituted Shareholders'/ Investors' Grievances Committee to monitor and review the progress in redressal of shareholders'/ investors' grievances and Shares Transfer Committee to consider transfer of Shares and other related matters. The Committees meet at regular intervals and review the status of Investors' Grievances.

The Bank has appointed M/s. Link Intime India Pvt Ltd as its Registrars and Transfer Agent with a mandate to process transfer of Shares, dividend payments, recording of Shareholders' requests, solution of investors' grievances amongst other activities connected with the issue of Shares / Bonds. The Investors may lodge their transfer deeds / requests / complaints with the Registrars at following address:

M/s Link Intime India Pvt Ltd
(Unit: Punjab & Sind Bank)
44, Community Centre, IInd floor,
Naraina Indl. Area, Phase-I,
Near PVR Naraina,
New Delhi-110 028.
Phone : (011) 41410592 to 0594
Fax : (011) 41410591
E Mail : delhi@linkintime.co.in

The Bank has also established Shares Cell at Head Office, 21-Rajendra Place, New Delhi - 110008 wherein the shareholders can mail their requests / complaints for resolution at the address given below:

Punjab & Sind Bank
Head Office : Shares Cell,
21-Rajendra Place, 1st Floor,
New Delhi-110 008.
Telephone : (011) 25782926, 25728930, 25812922
Fax : (011) 25781639
E-mail : complianceofficer@psb.co.in

(The aforesaid e-mail ID is exclusively designated for investors' complaints pursuant to Clause 47(F) of the listing agreement with Stock Exchanges)

10.4 Status report in respect of unclaimed shares of the allottees held in Escrow A/c :

S. No.	Particulars	NSDL IN301330-21335661	CDSL 1601010000399414
1.	No. of shares lying in PSB Unclaimed Suspense Account in beginning of the year	1272	1230

2.	शेयर अंतरण के लिए आए शेयरधारकों की संख्या और शेयरधारकों की संख्या जिनके शेयरों को उचित खाते से अंतरित किया गया	---	---
3.	वर्ष के अंत में पीएसबी में अदावी संदिग्ध खातों में पड़े शेयरों की संख्या	1272*	1230*

* प्रमाणित किया जाता है इन शेयरों का वोटिंग अधिकार तब तक निश्चल रखा जाएगा जब तक वास्तविक मालिक इन शेयरों का दावा नहीं करता।

11. कॉर्पोरेट गवर्नेंस

बैंक ने उन पद्धतियों, परंपराओं एवं संहिताओं को अपनाया है और उनका पालन कर रहा है जो बैंक के हितधारकों एवं जमाकर्ताओं को गुणवत्तापूर्ण कॉर्पोरेट गवर्नेंस का आश्वासन प्रदान करता है। बैंक की पारदर्शी स्वामित्व संरचना, सुव्यवस्थित कार्यपालक प्रबंधन संरचना, संतोषजनक जोखिम प्रबंधन पद्धतियां, बोर्ड एवं वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्तियों में पारदर्शिता, विस्तृत एवं परिष्कृत लेखा कार्यविधि जो कि निरीक्षण प्रभाग तथा स्वतंत्र लेखाकर्मों द्वारा अपनाई जाती है, को परिलक्षित करती है।

12. वित्तीय कैलेंडर (अनंतिम)

वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014	
खातों एवं लाभांश संबंधी सिफारिशों पर विचार-विमर्श करने हेतु निदेशक मंडल की बैठक	10.05.2014
भारतीय रिज़र्व बैंक को खातों की लेखा परीक्षित विवरणी की प्रस्तुति	20.05.2014
चौथी सामान्य बैठक की तारीख, चौथी सामान्य बैठक का समय चौथी सामान्य बैठक का स्थान	30.06.2014 सोमवार 9:00 बजे प्रातः इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, 40-मैक्समूलर मार्ग, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली- 110003
वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण	02.06.2014 से 04.06.2014
बहियों को बंद करने की तारीख	14.06.2014 से 30.06.2014
रिकार्ड तारीख (अनंतिम लाभांश हेतु पात्रता)	13.06.2014
प्रॉक्सी फार्म प्राप्त करने की अंतिम तारीख	25.06.2014 सांय 05:00 बजे तक
लाभांश हेतु वारंट प्रेषित करने की संभावित तारीख	07.07.2014 से 08.07.2014
लाभांश भुगतान की तारीख	11.07.2014

13. 31 मार्च, 2014 को शेयरधारिता स्वरूप

क्र.सं.	विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयर	इक्विटी का प्रतिशत
1.	भारत सरकार (प्रवर्तक)	1	224132212	81.42
2.	म्यूच्युअल फंड/यूटीआई	0	00	0.00
3.	वित्तीय संस्थाएं/बैंक	22	12824131	4.65
4.	बीमा कंपनियां	0	0	0

2.	No. of shareholders who approached for transfer of shares and to whom shares were transferred from Suspense A/c	--	--
3.	No. of shares lying in PSB Unclaimed Suspense Account at the end of the year	1272*	1230*

Certified that voting rights on these shares shall remain frozen till the rightful owner claims the said shares.

11. Corporate Governance

The Bank has adopted and follows such practices, convention and codes as would provide its financial stakeholders including the depositors, a high level of assurance on the quality of Corporate Governance. The Bank has transparent ownership structure, well-defined executive management structure, satisfactory risk management practices, transparency in appointment and functioning of the Board and Senior Management and an elaborate audit function, carried out both by its Inspection Division and independent audit firms.

12. Financial Calendar (tentative):

Financial Year 1st April, 2013 to 31st March, 2014

Board Meeting for considering of Accounts and recommendation of dividend.	10.05.2014
Submission of audited statement of accounts to RBI.	20.05.2014
Date of Fourth Annual General Meeting. Time of Fourth Annual General Meeting Venue of Fourth Annual General Meeting	30.06.2014 Monday 9 A.M. India International Centre, 40-Max Mueller Marg, Lodhi Estate, New Delhi-110003
Posting of Annual Report	02.06.2014 to 04.06.2014
Book Closure dates	14.06.2014 to 30.06.2014
Record date (for entitlement of final dividend)	13.06.2014
Last Date for receipt of Proxy Forms	25.06.2014 upto 5 pm
Probable date of dispatch of warrants for Dividend	07.07.2014 - 08.07.2014
Payment date – Dividend	11.07.2014

13. Shareholding Pattern as on 31st March 2014

Sr. No.	Description	No. of Share Holders	Shares	% To Equity
1.	Govt. of India (Promoters)	1	224132212	81.42
2.	Mutual Funds/UTI	0	00	0.00
3.	Financial Institutions / Banks	22	12824131	4.65
4.	Insurance Companies	0	0	0

5.	विदेशी संस्थागत निवेशक	15	7921591	2.88
6.	कॉर्पोरेट निकाय	872	4576428	1.66
7.	वैयक्तिक निवासी	159790	24250948	8.81
8.	अनिवासी भारतीय	1286	992437	0.36
9.	विदेशी कॉर्पोरेट निकाय	0	0	0
10.	न्यास	13	293986	0.11
11.	समाशोधन सदस्य	195	292479	0.11
	कुल	162194	275284212	100.00

13.1 भारत के राष्ट्रपति जो कि भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, को इक्विटी शेयरों का अधिमान आधार पर आबंटन :

दिनांक 21.12.2013 को बैंक के शेयरधारकों की ई.जी.एम. में विशेष संकल्प के अनुमोदन अनुसार भारत के राष्ट्रपति जो कि भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, को 10/-रु. अंकित मूल्य के 2,12,63,023 इक्विटी शेयरों को दिनांक 24.12.2013 को अधिमान आधार पर 37.03रु. पर आबंटित किया गया जो कि कुल 99,99,99,971.69रु. राशि के थे।

14. 31 मार्च, 2014 को शेयर धारकों का श्रेणी-वार वितरण

संवर्ग	मामलों की संख्या	मामलों का प्रतिशत	कुल शेयर	राशि (अंकित मूल्य)	राशि का प्रतिशत
1 — 2500	148075	91.29	9281338	92813380	3.37
2501 — 5000	7514	4.63	2848093	28480930	1.04
5001 — 10000	3628	2.24	2784032	27840320	1.01
10001 — 20000	1647	1.02	2364549	23645490	0.86
20001 — 30000	446	0.28	1127631	11276310	0.41
30001 — 40000	197	0.12	703059	7030590	0.25
40001 — 50000	154	0.09	724395	7243950	0.26
50001 — 100000	295	0.18	2138010	21380100	0.78
100001 और उससे अधिक	238	0.15	253313105	2533131050	92.02
कुल योग	162194	100.00	275284212	2752842120	100.00

15. 31 मार्च, 2014 को शेयरधारकों का भौगोलिक दृष्टि से (राज्यवार) वितरण

क्र.सं.	राज्य	मामले	शेयर	%(शेयरों की संख्या)
1.	अंडमान एंड निकोबार	4	333	0.00012
2.	आंध्र प्रदेश	6547	1648588	0.59887
3.	अरुणाचल प्रदेश	2	550	0.00020
4.	असम	706	117948	0.04285
5.	बिहार	1547	266972	0.09698
6.	चंडीगढ़	1108	289205	0.10506
7.	छत्तीसगढ़	770	119975	0.04358
8.	दादरा एवं नगर हवेली	24	1831	0.00067

5.	Foreign Institutional Investors	15	7921591	2.88
6.	Bodies Corporate	872	4576428	1.66
7.	Resident Individuals	159790	24250948	8.81
8.	Non Resident Indians	1286	992437	0.36
9.	Overseas Corporate Bodies	0	0	0
10.	Trusts	13	293986	0.11
11.	Clearing Members	195	292479	0.11
	Total	162194	275284212	100.00

13.1. Allotment of Equity Shares to The President of India acting through the Government of India [GOI] on Preferential basis.

As approved by Special Resolution in the EGM of shareholders of the Bank, held on 21.12.2013, 2,12,63,023 equity shares of Rs. 10/- each for cash at a premium of Rs. 37.03 per share aggregating to Rs. 99,99,99,971.69 were issued to GOI on preferential allotment basis on 24.12.2013.

14. Distribution of Shareholders – Category-wise as on 31st March 2014

Category	No. of Cases	% of Cases	Total Shares	Amount(Face Value)	% of Amount
1 – 2500	148075	91.29	9281338	92813380	3.37
2501 – 5000	7514	4.63	2848093	28480930	1.04
5001 – 10000	3628	2.24	2784032	27840320	1.01
10001 – 20000	1647	1.02	2364549	23645490	0.86
20001 – 30000	446	0.28	1127631	11276310	0.41
30001 – 40000	197	0.12	703059	7030590	0.25
40001 – 50000	154	0.09	724395	7243950	0.26
50001 – 100000	295	0.18	2138010	21380100	0.78
100001 & Above	238	0.15	253313105	2533131050	92.02
TOTAL	162194	100.00	275284212	2752842120	100.00

15. Geographical (State Wise) Distribution of Shareholders as at 31st March 2014

Sr. No.	State	Cases	Shares	% (No. of Shares)
1.	ANDAMAN & NICOBAR	4	333	0.00012
2.	ANDHRA PRADESH	6547	1648588	0.59887
3.	ARUNACHAL PRADESH	2	550	0.00020
4.	ASSAM	706	117948	0.04285
5.	BIHAR	1547	266972	0.09698
6.	CHANDIGARH	1108	289205	0.10506
7.	CHATTISGARH	770	119975	0.04358
8.	DADRA & NAGAR HAVELI	24	1831	0.00067

9.	दमन और दीव	8	1735	0.00063
10.	दिल्ली	15245	229002219	83.18756
11.	गोआ	197	26803	0.00974
12.	गुजरात	31979	3827410	1.39035
13.	हरियाणा	5238	835110	0.30336
14.	हिमाचल प्रदेश	300	50548	0.01836
15.	जम्मू और कश्मीर	254	57341	0.02083
16.	झारखंड	1436	180277	0.06549
17.	कर्नाटक	7203	1503306	0.54609
18.	केरल	1663	413902	0.15035
19.	मध्य प्रदेश	4269	799156	0.29030
20.	महाराष्ट्र	33481	26618498	9.66946
21.	मणिपुर	9	1099	0.00040
22.	मेघालय	31	3192	0.00116
23.	नागालैंड	21	7830	0.00284
24.	उड़ीसा	983	171998	0.06248
25.	पांडिचेरी	110	20378	0.00740
26.	पंजाब	4990	1273528	0.46262
27.	राजस्थान	14213	1491478	0.54180
28.	सिक्किम	6	500	0.00018
29.	तमिलनाडु	7995	1588467	0.57703
30.	त्रिपुरा	19	4420	0.00161
31.	उत्तर प्रदेश	8101	1447398	0.52578
32.	उत्तराखंड	937	192898	0.07007
33.	पश्चिम बंगाल	11498	2325797	0.84487
34.	एपीओ / अन्य	14	1085	0.00039
	कुल	16098	274291775	99.63949
35.	एन.आर.आई.	1286	992437	0.36051
	कुल योग	162194	275284212	100.00000

16. स्टॉक एक्सचेंजों में शेयरों के सौदों की मात्रा तथा शेयर कीमत (दिनांक 01.04.2013 से 31.03.2014)

माह	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई)			बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि. (बीएसई)		
	उच्चतम (रु.)	न्यूनतम (रु.)	सौदों की मात्रा (संख्या)	उच्चतम (रु.)	न्यूनतम (रु.)	सौदों की मात्रा (संख्या)
अप्रैल, 2013	63.80	57.50	1314577	63.50	57.70	326657
मई, 2013	63.20	57.00	1422175	63.70	57.00	380577
जून, 2013	60.50	51.85	941001	60.50	52.00	287578

9.	DAMAN & DIU	8	1735	0.00063
10.	DELHI	15245	229002219	83.18756
11.	GOA	197	26803	0.00974
12.	GUJARAT	31979	3827410	1.39035
13.	HARAYANA	5238	835110	0.30336
14.	HIMACHAL PRADESH	300	50548	0.01836
15.	JUMMU & KASHMIR	254	57341	0.02083
16.	JHARKHAND	1436	180277	0.06549
17.	KARNATAKA	7203	1503306	0.54609
18.	KERALA	1663	413902	0.15035
19.	MADHYA PRADESH	4269	799156	0.29030
20.	MAHARASHTRA	33481	26618498	9.66946
21.	MANIPUR	9	1099	0.00040
22.	MEGHALAYA	31	3192	0.00116
23.	NAGALAND	21	7830	0.00284
24.	ORISSA	983	171998	0.06248
25.	PONDICHERRY	110	20378	0.00740
26.	PUNJAB	4990	1273528	0.46262
27.	RAJASTHAN	14213	1491478	0.54180
28.	SIKKIM	6	500	0.00018
29.	TAMIL NADU	7995	1588467	0.57703
30.	TRIPURA	19	4420	0.00161
31.	UTTAR PRADESH	8101	1447398	0.52578
32.	UTTARAKHAND	937	192898	0.07007
33.	WEST BENGAL	11498	2325797	0.84487
34.	APO/ OTHERS	14	1085	0.00039
	Total	16098	274291775	99.63949
35.	NRI	1286	992437	0.36051
	GRAND TOTAL	162194	275284212	100.00000

16. Share Price, Volume of Shares Traded in Stock Exchanges

(From 01.04.2013 to 31.03.2014)

Month	National Stock Exchange of India Limited (NSE)			Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE)		
	Highest (Rs.)	Low	Volume Traded (Nos.)	Highest (Rs.)	Lowest (Rs.)	Volume Traded (Nos.)
APR 2013	63.80	57.50	1314577	63.50	57.70	326657
MAY 2013	63.20	57.00	1422175	63.70	57.00	380577
JUN 2013	60.50	51.85	941001	60.50	52.00	287578

जुलाई, 2013	54.55	45.25	1107263	54.50	45.15	356002
अगस्त, 2013	48.80	36.65	1743556	48.70	36.75	528466
सितंबर, 2013	44.70	37.50	2675983	44.65	37.45	622730
अक्टूबर, 2013	44.75	39.25	1816286	44.80	39.45	494631
नवंबर, 2013	54.50	43.50	3038928	54.30	43.30	1002806
दिसंबर, 2013	47.50	42.95	1389964	47.90	43.00	473662
जनवरी, 2014	47.50	42.80	1817811	47.25	42.65	639818
फरवरी, 2014	44.95	40.50	758389	44.35	40.70	197703
मार्च, 2014	45.65	40.40	3043499	45.50	40.30	616852

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन से संबंधित लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र

पंजाब एण्ड सिंध बैंक के सदस्यों हेतु

हमने पंजाब एण्ड सिंध बैंक के स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के साथ सूचीबद्ध करने संबंधी करार के खंड 49 में विनिर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस के शर्तों के प्रसंग में बैंक द्वारा 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष हेतु कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी अनुपालन स्थिति की जांच की है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है। हमारी जांच, कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी बाध्यताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही बैंक की वित्तीय विवरणियों के विषय में हमारा अभिमत है।

हम अपनी राय तथा सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपरोक्त सूचीबद्ध करार में विनिर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी बाध्यताओं का अनुपालन किया है।

हमारा यह भी अभिकथन है कि उक्त अनुपालन का अभिप्राय बैंक की भविष्य की सक्षमता के प्रति यह कोई आश्वासन नहीं है और न ही यह बैंक के कार्यपालकों के संचालन में प्रबंधन की कुशलता एवं प्रभावपूर्णता के विषय में आश्वासन है।

कृते आर.एम.लाल एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

(आर.पी.तिवारी)
पार्टनर
एम.नं. 071448
एफआरएन : 000932सी

कृते बी.के.श्राफ एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

(एल.के.श्राफ)
पार्टनर
एम.नं. 060742
एफआरएन : 302166ई

दिनांक : 10मई, 2014
स्थान : नई दिल्ली

कृते ओ.पी.तुलसीयान एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

(राकेश अग्रवाल)
पार्टनर
एम.नं. 081808
एफआरएन : 500028एन

कृते आर.कोठारी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

(राजेश कुमार)
पार्टनर
एम. नं. 090865
एफआरएन : 307069ई

JUL 2013	54.55	45.25	1107263	54.50	45.15	356002
AUG 2013	48.80	36.65	1743556	48.70	36.75	528466
SEP 2013	44.70	37.50	2675983	44.65	37.45	622730
OCT 2013	44.75	39.25	1816286	44.80	39.45	494631
NOV 2013	54.50	43.50	3038928	54.30	43.30	1002806
DEC 2013	47.50	42.95	1389964	47.90	43.00	473662
JAN 2014	47.50	42.80	1817811	47.25	42.65	639818
FEB 2014	44.95	40.50	758389	44.35	40.70	197703
MAR 2014	45.65	40.40	3043499	45.50	40.30	616852

Auditors' Certificate on Compliance of Conditions of Corporate Governance

To: The Members of Punjab & Sind Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Punjab & Sind Bank, for the year ended on 31st March 2014, as stipulated in Clause-49 of the Listing Agreement of the Bank with Stock Exchanges. i.e. National Stock Exchange of India Limited and Bombay Stock Exchange Limited.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement.

We state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For R. M. Lall & Co.
Chartered Accountants

(R. P. Tewari)
Partner
M. No. 071448
FRN : 000932C

For O. P. Tulsyan & Co.
Chartered Accountants

(Rakesh Agarwal)
Partner
M. No. 081808
FRN : 500028N

For B. K. Shroff & Co.
Chartered Accountants

(L. K. Shroff)
Partner
M. No. 060742
FRN : 302166E

For R. Kothari & Co.
Chartered Accountants

(Rajesh Kumar)
Partner
M. No. 090865
FRN : 307069E

Dated: May 10, 2014
Place : New Delhi

निदेशक मंडल,
पंजाब एण्ड सिंध बैंक,
नई दिल्ली
महोदय,

विषय: खंड 49 (I) (डी) के अंतर्गत घोषणा

यह घोषित किया जाता है कि बैंक के निदेशक मंडल के सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध करने संबंधी करार के खंड 49 (I) (डी) में विनिर्दिष्ट आचार संहिता के प्रसंग में बैंक द्वारा 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तदनुसार अनुपालना की पुष्टि कर दी है। उक्त आचार संहिता को बैंक की वेबसाइट पर भी दर्शाया गया है।

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(जतिंदरबीर सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10.05.2014

निदेशक मंडल,
पंजाब एण्ड सिंध बैंक,
नई दिल्ली

महोदय,

विषय: वर्ष 2013-14 के लिए सी.ई.ओ./सी.एफ.ओ. प्रमाण-पत्र।

सूचीबद्धता करार के खंड 49 की अनुपालना में, हम एतद् द्वारा प्रमाणित करते हैं कि

क. हमने 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणी तथा नकदी प्रवाह विवरणी (समेकित) की संमीक्षा की है तथा हमारी अधिमतम जानकारी और विश्वास के अनुसार :

- (1.) इन विवरणियों में कोई विषयगत यथार्थ अभिकथन नहीं है अथवा कोई विषयगत तथ्य छिपाया नहीं गया है अथवा इनमें कोई भ्रामक अभिकथन शामिल नहीं किया गया है।
- (2.) ये अभिकथन/विवरण बैंक के कार्यकलापों का सही एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा विद्यमान लेखा मानकों, लागू नियमों एवं विनियमों के अनुरूप हैं।

ख. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसे कोई संव्यवहार नहीं किए गए जो धोखाधड़ी में लिप्त हो, गैर कानूनी हो अथवा बैंक की आचार संहिता के विरुद्ध हो।

ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रणों का पूर्ण दायित्व स्वीकार करते हैं। हम यह भी स्वीकार करते हैं कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग की आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन/आकलन किया है तथा हमने लेखा परीक्षकों और लेखा समिति को आंतरिक नियंत्रणों के परिचालन एवं स्वरूप से सम्बद्ध कमियों, यदि कोई है अथवा जो हमारे अभिज्ञान में है एवं हमने इन्हें दूर करने के जो उपाय किए हैं या प्रस्तावित हैं, की जानकारी दे दी है।

घ. हमने लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित से अवगत कराया है:

- (1) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन
- (2) वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा इनका उल्लेख वित्तीय विशिष्टियों के नोट्स/टिप्पणियों में कर दिया गया है।
- (3) हमारी जानकारी में आए धोखाधड़ी संबंधी विशिष्ट मामले तथा उनमें प्रबंधन अथवा किसी कर्मचारी की संलिप्तता जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग भी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में अहम भूमिका हो।

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(जतिंदरबीर सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10.05.2014

नोट: यह मूल अंग्रेजी पाठ का हिन्दी अनुवाद है।



The Board of Directors

Punjab & Sind Bank

New Delhi

Dear Sirs,

Re: Declaration under Clause 49(I)(D) 2013-14

It is to declare that all the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance of the Code of Conduct for the Financial Year ended on 31st March, 2014 in accordance with clause 49 (I) (D) of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges. The said Code of conduct has been posted on the Bank's website.

For Punjab & Sind Bank

Place: New Delhi

Dated:10.05.2014

Jatinderbir Singh

Chairman & Managing Director

The Board of Directors

Punjab & Sind Bank

New Delhi

Dear Sirs,

Re: CEO/CFO Certification for the year 2013-14

Pursuant to clause 49 of the Listing Agreements, we hereby certify that:

- (a) We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year ended 31st March 2014 and that to the best of our knowledge and belief:
 - (i) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
 - (ii) these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- (b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.
- (c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- (d) We have indicated to the auditors and the Audit committee:
 - (i) significant changes in internal control over financial reporting during the year;
 - (ii) significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
 - (iii) instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

For Punjab & Sind Bank

Place: New Delhi

Dated:10.05.2014

Jatinderbir Singh

Chairman & Managing Director

बासल II के लिए प्रकटीकरण 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष

तालिका डी एफ 1— अनुप्रयोग का विषय क्षेत्र

गुणात्मक प्रकटीकरण इस वर्ग के सर्वोत्तम बैंक का नाम जिस पर रूपरेखा लागू होती है।	बैंक ऐसे किसी वर्ग में नहीं आता है।
नियामक उद्देश्यों के आधार पर तथा लेखों के समेकन में भिन्नताओं का सारांश वर्ग के अंतर्गत आने वाली प्रविष्टियों का संक्षिप्त ब्यौरा (i) जिनका पूर्ण रूप से समेकन किया गया है, (ii) जिनका समानुपातिक आधार पर समेकन किया गया है, (iii) जिन्हें छूट दी गयी है, तथा (iv) जिन्हें न तो समेकित किया गया है और न ही छूट दी गयी है। (जैसे कोई जोखिम भारित निवेश)	लागू नहीं
मात्रात्मक प्रकटीकरण सभी सहायक कंपनियों की पूंजी में कमियों की कुल राशि जिसे समेकन में सम्मिलित नहीं किया गया अर्थात् जिन्हें घटाया गया है तथा जिनके नाम ऐसी सहायक कम्पनियों से हटाए गए हैं।	लागू नहीं
बैंक की कुल राशि (अर्थात् चालू बही मूल) जो बीमा कम्पनियों में लगी है, उनमें से जो जोखिम भारित हैं, उनके नाम, उनके निगमन का संस्थान या आवास, स्वामित्व का अंश तथा यदि भिन्न है तो इन संस्थानों में उनके मताधिकार शक्ति का अंश। इसके अतिरिक्त नियामक पूंजी बनाम छूट के तरीके के प्रयोग से होने वाले मात्रात्मक प्रभाव भी सूचित करें।	लागू नहीं

तालिका डी एफ 2— पूंजी संरचना

गुणात्मक प्रकटीकरण

लोअर टियर II पूंजी हेतु नियम एवं शर्तें :

बैंक ने लोअर टियर II के माध्यम से गौण ऋणों के रूप में वचन-पत्र के कूपन जारी किए हैं, जिनका भुगतान वार्षिक/अर्धवार्षिक आधार पर किया जाना है। इन बॉण्ड को देशी दर-निर्धारण एजेंसियों से विधिवत् श्रेणी निर्धारित करवाने के बाद जारी किया गया है। सभी बकाया बॉण्ड सिवाय सिरीज 6 व सिरीज 7 के अंतर्गत जारी, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, मुम्बई में सूचीबद्ध हैं। इन बॉण्ड की अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं :—

- बॉण्ड की अवधि इनके जारी करने की तिथि से 109 माह से 127 माह के बीच होती है।
- यह प्रपत्र पूर्णतः चुकता, प्रतिभूति रहित तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण है, प्रतिबंधी खण्ड से मुक्त हैं और धारक के कहने पर या भारतीय रिज़र्व बैंक की सहमति के बिना भुनाए नहीं जा सकते हैं।
- यह प्रपत्र अपनी अवधि के अंतिम पाँच वर्षों के दौरान 20% प्रतिवर्ष की दर से क्रमिक भुगतान के अधीन है। इस प्रकार किए गए भुगतान की राशि को पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों हेतु टियर II पूंजी में शामिल नहीं किया गया है।
- इन प्रपत्रों के निवेशकों के दावों को टियर I पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र प्रपत्रों के निवेशकों के दावों से वरीयता प्रदान की गई है तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण माना गया है।
- गौण ऋण प्रपत्र, बैंक की टियर I पूंजी के 50% तक सीमित होंगे तथा इन प्रपत्रों के साथ टियर II पूंजी के अन्य संगठक टियर I पूंजी के 100% से अधिक नहीं होंगे।

बैंक ने ऐसी कोई भी अपर टियर II पूंजी तथा नवोन्मेष प्रपत्र जारी नहीं किए हैं, जोकि टियर I पूंजी में समावेश के योग्य हैं।

रु./करोड़

क) टियर I पूंजी की राशिएं निम्न का अलग से प्रकटीकरण	राशि
प्रदत्त अंश पूंजी;	475.28
आरक्षितियाँ;	3705.24
नवोन्मेषी प्रपत्र;	160.00
अन्य पूंजी प्रपत्र;	0.00
उप योग	4340.52

BASEL II DISCLOSURES – YEAR ENDED 31ST MARCH 2014

Table DF 1 – SCOPE OF APPLICATION

Qualitative Disclosures	The Bank does not belong to any group
(a) The name of the top bank in the group to which the Framework applies.	
(b) An outline of differences in the basis of consolidation for accounting and regulatory purposes, with a brief description of the entities within the group (i) that are fully consolidated; (ii) that are pro-rata consolidated; (iii) that are given a deduction treatment; and (iv) that are neither consolidated nor deducted (e.g. where the investment is risk-weighted).	Not Applicable
Quantitative Disclosures	
(c) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries.	Not Applicable
(d) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities. In addition, indicate the quantitative impact on regulatory capital of using this method versus using the deduction.	Not Applicable

Table DF 2 – CAPITAL STRUCTURE

Qualitative disclosures

TERMS & CONDITIONS OF LOWER TIER II CAPITAL:

The Bank has issued Lower Tier II Bonds by way of Subordinated Debts in the form of Promissory Notes at Coupon payable annually / semi-annually. These bonds have been issued after getting them duly rated by the Domestic Rating Agencies. All the outstanding Bonds except issued under series VI & VII are listed at the National Stock Exchange Ltd. Mumbai. The other important features of these bonds are :

- The bonds have a tenor ranging from 109 months to 127 months from date of the issue.
- The instruments are fully paid up, unsecured and subordinated to the claims of other creditors, free of restrictive clauses and not redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the RBI.
- The instruments are subjected to progressive discounting @ 20% per year over the last five years of their tenor. Such discounted amounts are not included in Tier – II Capital for Capital Adequacy purposes.
- The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier I Capital and subordinate to the claims of all other creditors.
- Subordinated debt instruments shall be limited to 50% of Tier I capital of the Bank and these instruments, together with other components of Tier II Capital shall not exceed 100% of Tier I Capital.

The Bank has not issued any upper Tier II capital and innovative instruments that qualify for inclusion in Tier I capital.

(₹/ Crores)

(a) The amount of Tier 1 capital, with separate disclosure of	Amount
Paid-up share capital;	475.28
Reserves;	3705.24
Innovative instruments;	160.00
Other capital instruments;	0.00
SUB-TOTAL	4340.52

घटाएं: टियर I पूंजी से कम की गई राशियाँ जिसमें साख और ख्याति शामिल हैं	0.1265
कुल टियर I पूंजी	4340.40
ख) टियर II पूंजी की कुल राशि ; टियर II पूंजी से घटाने के बाद बची कुल राशियाँ)	2141.62
ग) उच्च टियर II पूंजी में सम्मिलित होने योग्य ऋण पूंजी प्रपत्र	शून्य
कुल बकाया राशि	लागू नहीं
इसमें से चालू वर्ष में उगाही गई राशि	लागू नहीं
पूंजीगत निधियों के रूप में माने जाने हेतु पात्र राशि	लागू नहीं
घ) न्यून टियर II पूंजी में सम्मिलित होने योग्य गौण ऋण	
कुल बकाया राशि	1365.00
इसमें से चालू वर्ष में उगाही गई राशि	शून्य
पूंजीगत निधियों के रूप में माने जाने हेतु पात्र राशि	1215.00
ड) पूंजी से अन्य कटौतियाँ, यदि कोई हैं तो	शून्य
च) कुल पात्र पूंजी	6482.02

तालिका डी एफ 3 – पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने जोखिम प्रबंधन अनुबंध का क्रियान्वयन करते समय उच्च-कोटि की वैश्विक कार्य-प्रणाली को अपनाने की प्रक्रिया पहले से ही आरम्भ कर दी है जोकि बासल II की रूपरेखा के अनुरूप है।

बासल II से संबंधित विभिन्न मामलों पर ध्यान देने के लिए व्यापक जोखिम प्रबंधन का गठन किया गया है। जोखिम भारित आस्तियों, बाजार जोखिम तथा प्रचालन जोखिम में प्रत्याशित वृद्धि के मद्देनजर बैंक की पूंजीगत आवश्यकताओं को आंकने के लिए तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है।

बैंक जोखिम उठाने वाले (मालिकों), खासकर जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा हेतु अनावृत्त, कारोबार आदि के मूल्य में हानि की जोखिम से सुरक्षा के रूप में पूंजी रखता है।

वर्तमान एवं भावी कारोबार कार्यकलापों के आधार पर पूंजी आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए बैंक में उचित प्रणाली कार्यरत है तथा निरंतर उसका अनुश्रवण किया जाता है। बैंक का मानना है कि पूंजी उपलब्धता संपूर्ण प्रक्रिया का केंद्रीय विशय है और इसकी गणना को नीति, रणनीति, कारोबार स्तर/संघटन, पर्यवेक्षी सरोकार एवं प्रकटन मुद्दों से जोड़ा जा सकता है। इस दिशा में बैंक ने आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) का एक अच्छा ढांचा तैयार किया है तथा स्तम्भ 1 पूंजी गणना के अलावा बासल II के स्तम्भ 2 के अंतर्गत भी आवधिक अंतराल पर पूंजी गणना की जाती है। बैंक ने पूंजी पर्याप्तता पर प्रतिकूल दबाव परिदृश्यों के प्रभाव को आवधिक आधार पर मापने के लिए दबाव जांच नीति बनायी है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, बैंक ने नये पूंजी पर्याप्तता ढांचा – बासल II को लागू करने के लिए निम्नलिखित अवधारणाओं को अपनाया है :-

- ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत अवधारणा
- परिचालनात्मक जोखिम के लिए मूल सूचक अवधारणा
- बाजार जोखिम के लिए मानक अवधि अवधारणा

यद्यपि बैंक ने वर्तमान में उपरोक्त अवधारणाओं को अपनाया है पर इनके आगे की अवधारणाओं की तरफ अग्रसर होने की तैयारी भी शुरू कर दी है।

ऋण जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं

	राशि- रु./करोड़
9 % की दर से मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो	4308.66
प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	शून्य

LESS: amounts deducted from Tier 1 capital, including goodwill & investments.	0.1265
TOTAL TIER I CAPITAL	4340.40
(b) The total amount of Tier 2 capital (net of deductions from Tier 2 capital)	2141.62
(c) Debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier 2 capital.	NIL
Total amount outstanding.	NA
Of which amount raised during the current year	NA
Amount eligible to be reckoned as capital funds	NA
(d) Subordinated debt eligible for inclusion in Lower Tier 2 capital	
Total amount outstanding	1365.00
Of which amount raised during the current year.	NIL
Amount eligible to be reckoned as capital funds	1215.00
(e) Other deductions from capital, if any.	NIL
(g) Total eligible capital.	6482.02

Table DF 3 - CAPITAL ADEQUACY

Qualitative disclosures

Bank is already geared up to adopt global best practices while implementing risk management stipulations that are in conformity with the Basel II framework.

Comprehensive risk management architecture is in place to address various issues concerning Basel II. A quarterly review is carried out to assess the capital need of the Bank, keeping in view the anticipated growth in Risk Weighted Assets, Market Risk and Operational Risk.

Bank maintains capital as a cushion towards the risk of loss in value of exposure, businesses, etc., to protect the interest of stake holders, more particularly, depositors.

Bank has system in place for assessing the capital requirements based on current and future business activities and monitoring the same on an ongoing basis. The bank considers that capital availability is the central theme in the whole process and its computation is relatable to policy, strategy, business level/composition, and Supervisory concern and Disclosure issues. Towards this, bank has evolved a well laid down Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) framework and carries out capital calculation under Pillar-2 also of Basel-II at periodical intervals besides Pillar 1 Capital calculation. The bank has formulated Stress Testing policy to measure impact of adverse stress scenarios on the adequacy of capital at periodical intervals.

In line with RBI guidelines, the bank has adopted following approaches for implementation of New Capital Adequacy Framework – Basel II.

- Standardised Approach for credit risk
- Basic Indicator Approach for operational risk
- Standardised Duration Approach for market risk

Though the bank is presently implementing the above Approach, it has started its preparation for moving towards advance approaches.

Capital requirements for credit risk:

	Amt. - ₹/ Crores
Portfolios subject to standardised approach @ 9%	4308.66
Securitisation exposures	Nil

बाज़ार जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण

सामान्य बाज़ार जोखिम पर पूंजी प्रभार	राशि-रु./करोड़
ब्याज दर जोखिम	107.15
विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित) :	0.77
इक्विटी जोखिम	16.70

परिचालन जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं :

	राशि-रुपए/करोड़
मूल सूचक दृष्टिकोण	298.78

बैंक हेतु कुल तथा टियर I पूंजी अनुपात:

बासल II के अनुसार कुल पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	12.10%
बासल II के अनुसार टियर I पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	8.10:

तालिका डी एफ 4 - ऋण जोखिम : सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

क. पिछला बकाया एवं अनर्जक खातों की परिभाषा

बैंक ने गैर-निष्पादित आस्तियों (एन.पी.ए.) के वर्गीकरण पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मूल विवेकपूर्ण दिशा-निर्देशों का निम्नानुसार अनुपालन किया है:

- जहां मियादी ऋण के मामले में ब्याज तथा /अथवा मूलधन की किश्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो।
- स्वीकृत सीमा में आहरण अधिकार के संबंध में यदि खाता लगातार 90 दिनों से अधिक समय के लिए अनियमित बना रहता है, तथा/अथवा अधिविकर्ष /नकद ऋण ओ.डी. सी.सी. के संबंध में तुलन-पत्र की तिथि तक लगातार कोई राशि जमा नहीं होती है अथवा जमा की गयी राशि उतनी पर्याप्त नहीं है कि इस अवधि के दौरान नामे किए गए ब्याज को वसूल किया जा सके तो खाता 'अनियमित' हो जाता है।
- बैंक द्वारा खरीदे गए और भुनाए गए बिलों के मामले में जहां बिल 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहे हों।
- अल्प अवधि की फसलों के लिए मूलधन की किश्त अथवा उस पर ब्याज के लिए दो फसली मौसम तक अतिदेय रहा हो।
- दीर्घ अवधि की फसलों के लिए मूलधन की किश्त अथवा उस पर ब्याज के लिए एक फसली मौसम तक अतिदेय रहा हो।
- प्रतिभूतिकरण के दिनांक 7 मई 2012 के दिशा-निर्देशों की शर्तों के अनुसार प्रतिभूतिकरण लेन-देन के संबंध में यदि नकदी सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक बकाया रहती है।
- व्युत्पन्न सौदों के मामले में, अतिदेय प्राप्तियां जोकि व्युत्पन्न संविदा के सकारात्मक बाजार अंकित मूल्य को प्रदर्शित करती हैं, यदि चुकौती की विनिर्दिष्ट देय तिथि से 90 दिनों तक बकाया रहते हैं।

यहां 'अतिदेय राशि' से अभिप्राय किसी भी ऋण सुविधा के अधीन कोई भी देय राशि से है, यदि बैंक को निर्धारित देय तिथि पर इसका भुगतान नहीं होता है।

जहां कहीं किसी तिमाही के दौरान लगाया गया ब्याज उस तिमाही समाप्ति के 90 दिनों के भीतर पूर्ण रूप से अदा नहीं हो जाता और बैंक के लिए अर्जित होने वाली आय रुक जाए तो ऐसे खाते को गैर-निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त बैंक आस्तियों के वर्गीकरण के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निम्न दिशा-निर्देशों का भी पालन कर रहा है। (क) पुनर्संचित खाते (ख) अधिक चले समय के अंतः ग्रस्त कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजना (ग) पोत लदानोत्तर आपूर्ति कर्ता ऋण (घ) निर्यात परियोजना वित्त (ङ) अधिग्रहण वित्त (च) सरकारी गारंटीकृत अग्रिम (छ) बी.एफ.आई.आर. /टी.एल.आई. द्वारा अनुमोदित पुनर्वास के अंतर्गत अग्रिम (झ) ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना 2009 के अधीन लिया गया ऋण (ट) वित्तीय आस्तियों को प्रतिभूतिकरण कंपनी /पुनर्निर्माण कंपनी को बेचना (ठ) गैर-निष्पादित वित्तीय आस्तियों का क्रय-विक्रय (ड) खातों का उन्नयन (ण) तुलन-पत्र की तिथि के समीप नियमित किए गए खाते, आदि।

Capital requirements for market risk: Standardised duration approach

Capital Charge on account of General Market Risk	Amt. - ₹/ Crores
Interest rate risk	107.15
Foreign exchange risk (including gold)	0.77
Equity risk	16.70

Capital requirements for operational risk:

	Amt. - ₹/ Crores
Basic indicator approach	298.78

Total and Tier 1 capital ratio for the Bank:

Total Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel II	12.10%
Tier I Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel II	8.10%

Table DF 4 - CREDIT RISK : GENERAL DISCLOSURES**Qualitative Disclosures****A. DEFINITIONS OF PAST DUE AND IMPAIRED:**

The Bank follows the basic prudential guidelines issued by the RBI on classification of Non-Performing Asset (NPA) as under :

- Interest and / or instalment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan.
- The account remains 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of sanctioned limit / DP for more than 90 days and / or there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, in respect of Overdraft/Cash Credit (OD/CC).
- The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted.
- The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops.
- The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.
- The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of guidelines on securitization dated May 7, 2012.
- In respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark-to-market value of a derivative contract, if these remains unpaid for a period of 90 days from the specified due date for repayment.

Here, 'Overdue' mean any amount due to the Bank under any credit facility, if it is not paid on the due date fixed by the Bank.

Where the interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter, the account is classified as Non-performing asset and ceases to generate income for the bank.

Besides above, Bank also follows the guidelines issued by RBI in respect of classification of assets under a) Restructured accounts, b) Project under implementation involving time overrun, c) Post shipment Suppliers' Credit, d) Export Project Finance, e) Take over Finance, f) Govt. guaranteed Advance, g) Advance under Rehabilitation approved by BFIR / TLI, h) Advances under Debt Waiver & Debt Relief Scheme 2009, i) Sale of Financial Assets to Securitization Company / Reconstruction Company, j) Purchase/ Sale of Non-Performing Financial Assets, k) Up-gradation of accounts, l) Accounts regularized near about the Balance Sheet date etc.

ख. ऋण जोखिम प्रबंधन तथा उद्देश्य :

बैंक के ऋण जोखिम कारोबार की प्रभावी पहचान, मूल्यांकन, परिमाणन तथा प्रबंधन के लिए, बैंक की जोखिम क्षमता के संबंध में अपेक्षित सीमा तक इसे नियंत्रित करना तथा उपलब्ध पूंजी के अनुरूप लाना है। इस प्रक्रिया को करते हुए बैंक के ऋण जोखिम दर्शन का लक्ष्य जोखिम में कमी लाना तथा उसे उस स्तर के भीतर बनाए रखना है जोकि स्टॉकधारकों को इक्विटी सहित बैंक के वित्तीय संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ बैंक का सतत् एवं सुदृढ़ विकास भी सुनिश्चित करता है।

बैंक की योजनागत नीति - ऋण जोखिम

बैंक की विस्तृत एवं सुपरिभाषित ऋण नीति है, जिसमें नीतिगत योजना के विभिन्न आयाम शामिल हैं। ऋण कारोबार तथा सामान्य आर्थिक एवं बाजार परिदृश्य के अनुरूप अग्रिम निवेश सूची में परिवर्तनों की अपेक्षाओं पर निर्भर करते हुए बैंक समय-समय पर ऋण-नीति की पुनरीक्षा करता है। बैंक की ऋण-नीति वर्ष में कम से कम एक बार निदेशक मण्डल द्वारा व्यापक समीक्षा के भी अध्याधीन है। बैंक की ऋण नीति में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित घटकों का भी ध्यान रखा जाता है:-

- विभिन्न उद्योग घटकों तथा ऋणकर्ता श्रेणियों में तर्कसंगत सीमा का निर्धारण एवं नियंत्रण।
- ऋण रेटिंग तथा/अथवा रिटेल घटकों से संबंधित जोखिम रूपरेखा पर आधारित मूल्यांकन।
- ऋणों के मूल्यांकन, स्वीकृति तथा निगरानी एवं ऋण के संवितरण की प्रविधियों के लिए प्रक्रिया एवं प्रणाली से संबंधित मार्गदर्शी निर्देश।
- ऋण रेटिंग फ्रेमवर्क।
- निरीक्षण-तंत्र तथा विनियामक एवं नीतिगत मार्गदर्शी निर्देशों का अनुपालन।

ऋण-जोखिम प्रबंधन संगठनात्मक ढाँचा:

- ऋण जोखिम प्रबंधन कार्यों के लिए बैंक के संगठनात्मक ढाँचे के शीर्षस्थ स्तर पर निदेशक-मण्डल है, जो जोखिम प्रबंधन कारोबार पर पूरी निगरानी रखता है।
- जोखिम प्रबंधन समिति (आर.एम.सी.) जो कि निदेशक मण्डल की एक उप-समिति है, ऋण जोखिम सहित समन्वित जोखिम प्रबंधन के लिए नीति एवं रणनीति तैयार करती है।
- परिचालन स्तर पर, ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सी.आर.एम.सी.) ऋण जोखिम का प्रबंधन करती है। इसके मुख्य कार्यों में निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियों का बैंक व्यापी आधार पर कार्यान्वयन तथा निदेशक मण्डल को ऋण जोखिम प्रबंधन संबंधित, ऋण जोखिम की विवेकपूर्ण सीमाएं, पोर्टफोलियो प्रबंधन, ऋण-उत्पादों आदि से संबंधित सभी नीतियों के अनुमोदन हेतु संस्तुति शामिल है। बैंक में ऋण अनुमोदन की प्रक्रिया का ढाँचा बना हुआ है और यह मानकीकृत है, जिसमें ऋण आकलन की व्यापक प्रक्रिया शामिल है। किसी भी वित्त पोषण प्रस्ताव के साथ जुड़े ऋण जोखिम के आकलन करने हेतु बैंक ऋणी तथा प्रासंगिक उद्योगों के विविध ऋण जोखिमों का आकलन करता है।
- महाप्रबंधक की अध्यक्षता में जोखिम प्रबंधन विभाग (आर.एम.डी.) निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर बैंक व्यापी आधार पर ऋण जोखिम का परिमाणन, नियंत्रण एवं प्रबंधन करता है और निदेशक मण्डल/जोखिम प्रबंधन समिति/ऋण जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित जोखिम मापदण्डों के अनुपालन को लागू करता है। इस दायित्व के निर्वाहन में जोखिम प्रबंधन विभाग के विभिन्न कक्ष यथा ऋण जोखिम प्रबंधन कक्ष, बाजार जोखिम प्रबंधन कक्ष (ए.एल.एम.) तथा संचालनगत जोखिम प्रबंधन कक्ष इसकी मदद करते हैं।
- महाप्रबंधक के नियंत्रणाधीन निरीक्षण विभाग के साथ-साथ जोखिम प्रबंधन विभाग, ऋणों की गुणवत्ता पर निगरानी, समस्याओं की पहचान करना तथा कामियों को दूर करने का उपाय करता है। ऋणों का पुनरीक्षण/ऋणों की लेखा परीक्षा का कार्य ऋण लेखा परीक्षा के रूप में अलग से किया जाता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन /अल्पीकरण के लिए प्रयुक्त साधन

- ऋण अनुमोदन कर्ता प्राधिकारी - शक्तियों का प्रत्यायोजन। बैंक की बहुविध जोखिम आधारित अनुमोदन प्रणाली के भीतर शक्तियों के प्रत्यायोजन की एक सुपरिभाषित योजना विद्यमान है, जिसकी जब कभी आवश्यकता हो, व्यवसायिक आवश्यकताओं की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है।
- विभिन्न स्वरूप के ऋणकर्ताओं के लिए एकल/समूह ऋण सुविधाओं जैसी ऋण/निवेश के विभिन्न पहलुओं पर तर्कसंगत ऋण सीमाएं प्रचलन में हैं।
- जोखिम, रेटिंग/मूल्यांकन - बैंक ने विभिन्न घटकों के लिए रेटिंग मॉडल लागू किए हुए हैं, जो प्रतिपक्ष के बहुविध जोखिम कारकों के एकल बिन्दु सूचक के रूप में कार्य करते हैं तथा ऋण मूल्यांकन निर्णयों में मददगार होते हैं।
- ऋण बही की गुणवत्ता के सतत् मूल्यांकन तथा ऋण प्रशासन में गुणात्मक सुधार के लिए ऋण लेखा परीक्षा/ ऋण पुनरीक्षण पद्धति एक प्रभावी उपकरण है।
- संविभाग प्रबंधन - शुरुआती दौर में बैंक ने एक साधारण संविभाग निगरानी फ्रेमवर्क लागू किया है। भविष्य में बैंक अत्याधुनिक संविभाग प्रबंधन मॉडल को लागू करेगा।

B. CREDIT RISK MANAGEMENT AND OBJECTIVES:

To effectively identify, assess, measure, and manage the credit risk exposure of the Bank, with a view to contain it within desired limits in relation to the risk appetite of the Bank and commensurate with the availability of Capital. In doing so, the Bank's Credit Risk philosophy aims at minimising risk and maintaining it within the levels which shall ensure safety of the Bank's financial resources, including stakeholders' equity and, at the same time, also ensure a steady and healthy financial growth.

STRATEGIC POLICY OF THE BANK - CREDIT RISK:

The Bank has a comprehensive and well defined Loan Policy which covers various aspects of strategic planning. The loan policy of the Bank is reviewed from time to time, depending on requirements of the changes in loan portfolio and general economic and market scenario. The loan policy is also subjected to a comprehensive review by the Board at least once a year. The loan policy of the Bank addresses, among other things:

- Exposure ceilings and prudential caps in different industry segments and borrower categories.
- Pricing based on risk profile linked to credit ratings and/or retail segments.
- Guidelines relating to procedures and systems for appraisal, sanction, and monitoring of loans and modes of dispensation of credit.
- Credit Rating framework.
- Inspection mechanism and compliance of regulatory and policy guidelines.

CREDIT RISK MANAGEMENT ARCHITECTURE:

- The organizational structure of the Bank for Credit Risk Management function has the Board of Directors at the Apex level that has the overall oversight of management of risks.
- The Risk Management Committee (RMC) which is the sub-committee of the Board headed by the Chairman & Managing Director devises the policy and strategy for integrated risk management including credit risk.
- At the operational level, the Credit Risk Management Committee (CRMC) manages the credit risk. The main function includes implementation of credit risk management policies approved by the Board, monitoring credit risk on a bank wide basis, recommending to the board for its approval all policies relating to credit risk management, prudential limits on credit exposures, portfolio management, loan products etc. There is a structured and standardized credit approval process including a comprehensive credit appraisal procedure. In order to assess the credit risk associated with any financing proposal, the Bank assesses a variety of risks relating to the borrower and the relevant industry.
- The Risk Management Department (RMD) headed by the General Manager, measures, controls and manages credit risk on bank wide basis within the limits set by the Board and enforces compliance with risk parameters set by Board/RMC/CRMC. The RMD is duly supported by Credit Risk Management Cell, Asset Liability Management Cell and Operations Risk Management Cell.
- The Inspection Department as well as Credit Monitoring Department headed by a General Manager, monitors the quality of loan portfolio, identifies problems and takes steps to correct deficiencies. Loan review / credit audit is undertaken by the Credit Audit function.

TOOLS USED FOR CREDIT RISK MANAGEMENT / MITIGATION

- Credit Approving Authority – Delegation of Powers. The Bank has a well-defined scheme of delegation of powers with a multi-tier risk based approving system, which is reviewed periodically and revised as and when necessary to meet the compulsions of business environment.
- Prudential Limits on various aspects of credit / investment like Single / Group borrower limits for various types of borrowers are in place.
- Risk Rating/Pricing - The bank has introduced rating models for various segments, which serve as a single point indicator of diverse risk factors of a counter party and support credit and pricing decisions.
- Credit Audit/Loan review mechanism is an effective tool for constantly evaluating the quality of loan book and to bring about qualitative improvements in credit administration
- Portfolio Management - to start with, the bank has introduced a simple portfolio-monitoring framework. Going forward the bank will be graduating to a more sophisticated Portfolio Management model.

जोखिम आंकलन: -

वर्तमान में ऋण जोखिम को व्यक्तिगत स्तर पर ऋण दर तथा पोर्टफोलियो स्तर पर जोखिम भारित आस्तियों के माध्यम से निर्धारित किया गया है तथा पूंजी को जोखिम भार आधार पर व्यवस्थित किया गया है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

कुल निवल ऋण जोखिम का प्रकटीकरण

	श्रेणी	राशि- रूपए / करोड़
1.	निधि-आधारित ऋण राशि	57857.74
2.	गैर-निधि आधारित ऋण राशि	3433.43

ऋण जोखिम का भौगोलिक वितरण

	श्रेणी	राशि- रूपए / करोड़
1	विदेशी	
	निधि आधारित ऋण जोखिम	शून्य
	गैर निधि आधारित ऋण जोखिम	शून्य
2	देशी	57857.74
	निधि आधारित ऋण जोखिम	
	गैर निधि आधारित ऋण जोखिम	3433.43

ऋण जोखिम का उद्योग वार वितरण राशि

रूपए /- करोड़

क्र.स.	उद्योग	निधि आधारित	गैर निधि आधारित	कुल
1	खाद्यान एवं उत्खनन	837.53	107.98	945.51
2	खाद्य प्रसंस्करण	1176.84	26.43	1203.27
3	बेवरेज एवं तम्बाकू	484.77	18.04	502.81
4	कपड़ा उद्योग	1412.67	58.35	1471.02
5	चमड़ा-चमड़ाउत्पाद	136.02	3.46	139.48
6	काश्ठ एवं काश्ठ उत्पाद	93.19	3.19	96.38
7	कागज तथा कागज उत्पाद	102.27	1.29	103.56
8	पेट्रोल/ कोयला/ नाभकीय ईंधन	60.81	0.29	61.10
9	रसायन-रसायन उत्पादन	520.11	17.12	537.23
10	रबड़, प्लास्टिक एवं इसके उत्पादन	196.54	20.57	217.10
11	कांच एवं इसके बने उत्पादन	12.11	0.31	12.42
12	सीमेंट-सीमेंट उत्पादन	252.13	14.36	266.48
13	मूल धातु-धातु उत्पादन	2433.65	195.70	2629.35
14	समस्त इंजीनियरिंग	672.24	135.53	807.77
15	वाहन/ वाहन कलपूर्ज एवं टीपीटी औजार	300.00	127.40	427.40
16	रतन और आभूषण	67.88	225.43	293.30
17	निर्माण	828.69	329.55	1158.24
18	बुनियादी सुविधायें	18164.82	895.95	19060.78
19	अन्य उद्योग	185.62	29.78	215.40
20	अवशिष्ट	29919.88	1222.70	31142.58
	कुल योग	57857.74	3433.43	61291.17

RISK MEASUREMENT

At present Credit Risk is assessed through Risk rating at the individual level and through Risk Weighting of the assets at the portfolio level and capital is maintained based on Risk Weights.

Total gross credit risk exposures

	Category	Amt. - ₹/ Crores
1	Fund Based Credit Exposures	57857.74
2	Non Fund Based Credit Exposures	3433.43

Geographic distribution of exposures

	Category	Amt. - ₹/ Crores
1	Overseas	
	Fund Based Credit Exposures	NIL
	Non Fund Based Credit Exposures	NIL
2	Domestic	
	Fund Based Credit Exposures	57857.74
	Non Fund Based Credit Exposures	3433.43

INDUSTRY TYPE DISTRIBUTION OF EXPOSURES

Amt. - ₹/ Crores

Industry	Fund Based	Non- Fund Based	Total
A.MINING & QUARRYING	837.53	107.98	945.51
B.FOOD PROCESSING	1176.84	26.43	1203.27
C.BEVERAGES & TOBACCO	484.77	18.04	502.81
D.TEXTILES	1412.67	58.35	1471.02
E.LEATHER & LEATHER PRODUCTS	136.02	3.46	139.48
F.WOOD & WOOD PRODUCTS	93.19	3.19	96.38
G.PAPER & PAPER PRODUCTS	102.27	1.29	103.56
H.PETRO./COAL/NUCLEAR FUELS	60.81	0.29	61.10
I.CHEMICALS & CHEMICAL PROD.	520.11	17.12	537.23
J.RUBBER,PLASTIC & ITS PROD.	196.54	20.57	217.10
K.GLASS & GLASSWARE	12.11	0.31	12.42
L.CEMENT AND CEMENT PROD.	252.13	14.36	266.48
M.BASIC METAL & METAL PROD.	2433.65	195.70	2629.35
N.ALL ENGINEERING	672.24	135.53	807.77
O.VEHCLES/V.PARTS/TPT.EQPM.	300.00	127.40	427.40
P.GEMS & JEWELLARY	67.88	225.43	293.30
Q.CONSTRUCTIONS	828.69	329.55	1158.24
R.INFRASTRUCTURE	18164.82	895.95	19060.78
S.OTHER INDUSTRIES	185.62	29.78	215.40
T.RESIDUARY	29919.88	1222.70	31142.58
Grand Total	57857.74	3433.43	61291.17

उल्लेखनीय प्रकटीकरण

उद्योग जहां कुल प्रकटीकरणए कुल आधारित निधि तथा गैर निधि आधारित प्रकटीकरण के 5%से अधिक है:

क्रम संख्या	उद्योग	प्रकटीकरण राशि- रु/करोड़
1.	बुनियादी सुविधायें	19060.78
2.	अवशिष्ट	31142.58

आस्तियों का अवभाषित सविदाग तपरिपक्वता विकार रूराशिदू रु/करोड़

अवधि पूर्ण होने का स्वरूप (समयावधि)	ऋण एव अग्रिम	निवेश (बहीमूल्य)	विदेशी मुद्रा		जमा राशियां	उधार
			देयताएं	आस्तियां		
1 दिन	547.63	0.39	30.18	221.23	584.18	0.00
2.7 दिन	1044.21	346.32	0.74	17.80	1547.94	380.00
8.14 दिन	1473.68	292.94	5.08	24.86	2016.91	0.00
15.28 दिन	2270.23	480.30	12.12	50.09	3564.36	0.00
29 दिनों से 3 माह	6617.49	4076.32	29.91	191.97	11947.63	40.00
3 माह से अधिक से 6 माह तक	3844.42	36.69	32.33	73.03	10739.15	200.04
6 माह से अधिक से 1 वर्ष तक	7320.15	899.81	94.68	0.00	27745.45	0.00
1 वर्ष से अधिक से 3 वर्षों तक	14495.39	2417.71	92.77	0.00	13121.22	150.00
3 वर्षों से अधिक से वर्षों क	9011.54	5874.52	8.70	0.00	4321.80	100.00
5 वर्षों से अधिक	10614.33	13869.11	0.00	0.00	9141.52	1435.00
कुल	57239.07	28294.11	306.51	578.98	84730.17	2305.04

एन.पी.ए.की राशि (सकल)

	श्रेणी	राशि-रु-/करोड़
1.	अवस्तरीय	1494.81
2.	संदिग्ध 1	672.15
3.	संदिग्ध 2	346.99
4.	संदिग्ध 3	13.33
5.	हानि	26.24

निवल एन.पी.ए

राशि- रु/करोड़

निवल.पी.ए	1918.60
-----------	---------

एन.पी.ए.अनुपात

	श्रेणी	प्रतिशत
1.	सकल अग्रिम का सकल एन.पी.ए	4.41:
2.	निवल अग्रिम का निवल एन.पी.ए	3.35:

एन.पी.ए (सकल) मेंउतार.चढाव

राशि.रु. /करोड़

अथशेष	1536.90
जमां	1619.61
कमी	602.99
इतिशेष	2553.52

Significant exposure:

Industry where the Total Exposure is more than 5% of Total Fund based and Non-fund based exposure:

Amt. - ₹/ Crores

S.No.	Industry	Exposure
1	Infrastructure	19060.78
2	Residuary	31142.58

RESIDUAL CONTRACTUAL MATURITY BREAKDOWN OF ASSETS

Amt. - ₹/ Crores

Maturity Pattern (Time Buckets)	Loans & Advances	Investments (Book Value)	Foreign Currency		Deposits	Borrowings
			Liabilities	Assets		
1 day	547.63	0.39	30.18	221.23	584.18	0.00
2-7 days	1044.21	346.32	0.74	17.80	1547.94	380.00
8-14 days	1473.68	292.94	5.08	24.86	2016.91	0.00
15-28 days	2270.23	480.30	12.12	50.09	3564.36	0.00
29 days to 3 months	6617.49	4076.32	29.91	191.97	11947.63	40.00
Over 3 months to 6 months	3844.42	36.69	32.33	73.03	10739.15	200.04
Over 6 months to 1 year	7320.15	899.81	94.68	0.00	27745.45	0.00
Over 1 year to 3 years	14495.39	2417.71	92.77	0.00	13121.22	150.00
Over 3 years to 5 years	9011.54	5874.52	8.70	0.00	4321.80	100.00
Over 5 years	10614.33	13869.11	0.00	0.00	9141.52	1435.00
TOTAL	57239.07	28294.11	306.51	578.98	84730.17	2305.04

Amount of NPAs (Gross)

	Category	Amt. - ₹/ Crores
1	Substandard	1494.81
2	Doubtful 1	672.15
3	Doubtful 2	346.99
4	Doubtful 3	13.33
5	Loss	26.24

Net NPAs

Amt. - ₹/ Crores

Net NPAs	1918.60
----------	---------

NPA Ratios

	Category	Percent
1	Gross NPAs to Gross advances	4.41%
2	Net NPAs to Net advances	3.35%

Movement of NPAs (Gross)

	Amt. - ₹/ Crores
Opening Balance	1536.90
Additions	1619.61
Reductions	602.99
Closing Balance	2553.52

अथशेष	412.56
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	564.68
बटटे खाते डालना	
अधिक प्रावधानों का पुनरांकन	358.57
इतिशेष	618.67

गैर निष्पादित निवेशों की राशि

	राशि-रु./करोड़
गैर निष्पादित निवेशों की राशि	59.04

गैर निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधानों की राशि

	राशि-रु / करोड़
गैर निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान	33.45

निवेधों पर मूल्य घास हेतु प्रावधानों में उतार चढ़ाव

	राशि-रु./करोड़
अथशेष	22.73
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	9.55
बटटे खाते डालना	शून्य
अधिक प्रावधानों का पुनरांकन	13.23
इतिशेष	19.05

तालिका डी.एफ. 5 – ऋण जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत संविभाग का प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

- बैंक ने सी.आर.ए.आर. परिकलन हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार निर्धारण करने के लिए निम्न श्रेणी निर्धारक एजेन्सियों की सामान्य रेटिंग का उपयोग करना अनुमोदित किया है। घरेलू दावों के लिए किसिल, आईसीआरए, इंडिया रेटिंग, ब्रिकवर्क, एसएमईआरए तथा केयर एवं अनिवासी कॉरपोरेट, विदेशी बैंकों तथा विदेशी सरकार के दावों के लिए एस एण्ड पी, फिच तथा मूडीज को अनुमोदित किया है।
भारतीय रिजर्व बैंक की परिभाषा के अनुसार इन समस्त एजेन्सियों का श्रेणी निर्धारण समस्त प्रकार के ऋण जोखिमों के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। बासल-II के अंतर्गत सीआरएआर परिकलन हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार के लिए श्रेणी का निर्धारण किया जा रहा है।
- बैंकिंग बहियों में तुलनात्मक आस्तियों पर आधारित श्रेणी निर्धारण के आधार पर सार्वजनिक निर्गम के अंतरण के लिए प्रयोग में लाई गई प्रक्रिया भारतीय रिजर्व बैंक की विलियामक अनिवार्यता के अनुरूप है। श्रेणी निर्धारक एजेन्सियों द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक श्रेणी निर्धारण उनकी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, जिसका उद्देश्य हेतु उपयोग किया गया है। सम्बन्धित श्रेणी निर्धारक एजेन्सी के मासिक बुलेटिन के अनुसार लागू श्रेणी तथा जिसकी कम से कम गत 15 माह में एक बार समीक्षा की जा चुकी है, का इस उद्देश्य हेतु प्रयोग किया गया है।
- जहाँ प्रत्येक ऋण जोखिम का श्रेणी निर्धारण केवल एक अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सी द्वारा किया गया है, के अपवाद को छोड़कर प्रतिपक्ष विशेष पर समस्त ऋण जोखिम के लिए बैंक ने केवल एक एजेन्सी के श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया है यद्यपि इन ऋण जोखिमों का एक से अधिक एजेन्सियों द्वारा श्रेणीकरण किया गया है।
- जोखिम भार हेतु पात्रता के लिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि बाहरी ऋण मूल्यांकन तथा बैंक द्वारा उसे प्रदत्त समस्त भुगतान अर्थात् मूल राशि तथा ब्याज के सम्बन्ध में, ऋण जोखिम एक्सपोजर की पूरी राशि शामिल करता है तथा प्रतिबिंबित करता है। जोखिम भार के लिए कॉरपोरेट ग्रुप में एक कम्पनी के लिए बाहरी निर्धारण का प्रयोग उसी ग्रुप की अन्य कम्पनियों के बाहरी निर्धारण के लिए प्रयोग नहीं किया गया है।
- आस्तियां जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष या उससे कम है, के लिए अल्पावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है जबकि अन्य आस्तियों के लिए दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है। नकद उधार एक्सपोजर के लिए दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है।
- जहाँ जारीकर्ता का एक दीर्घावधि एक्सपोजर है जिस पर बाहरी दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण के अनुसार 150 प्रतिशत जोखिम भार अभीष्ट होता है, उसी प्रतिपक्ष के समस्त गैर-श्रेणीगत दावे चाहे वे अल्पावधि हों या दीर्घावधि पर 150 प्रतिशत जोखिम भार माना जाएगा, सिवाय ऐसे दावों में जहाँ जोखिम कम करने की तकनीक प्रयोग में लाई गई हो अल्पावधि श्रेणी निर्धारण पर भी यही लागू होगा।
- अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सियों द्वारा दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण को दीर्घावधि ऋण जोखिम भार के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार में प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जाता है। इसके विपरीत प्रतिपक्ष पर गैर निर्धारित अल्पावधि दावे, उस प्रतिपक्ष

Movement of Provisions for NPAs

	Amt. - ₹/ Crores
Opening Balance	412.56
Provisions made during the period	564.68
Write-off	358.57
Write-back of excess provisions	
Closing Balance	618.67

Amount of Non-Performing Investments

	Amt. - ₹/ Crores
Amount of Non-Performing Investments	59.04

Amount of provisions held for non-performing investments

	Amt. - ₹/ Crores
Provisions held for non-performing investments	33.45

Movement of provisions for depreciation on investments

	Amt. - ₹/ Crores
Opening Balance	22.73
Provisions made during the period	9.55
Write-off	Nil
Write-back of excess provisions	13.23
Closing Balance	19.05

Table DF 5 - CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH

Qualitative Disclosures

- The Bank has approved using the general rating of the following credit rating agencies for risk weighting under the standardized approach for CRAR calculations CRISIL, ICRA, India Rating, SMERA, BRICKWORK and CARE for domestic claims and S&P, FITCH and Moody's for claims on non-resident corporates, foreign banks and foreign sovereigns.

The ratings of all these agencies are being used for all exposures subjected to rating for risk weighting purposes under the standardized approach for CRAR calculations under Basel-II as defined by RBI.
- The process used to transfer public issue ratings on to comparable assets in the banking book is as per regulatory requirements of RBI. The public ratings published by the rating agencies on their website are used for this purpose. Only, ratings which are in force as per monthly bulletin of the concerned rating agency and which have been reviewed at least once during the previous 15 months are used.
- For all the exposures on a particular counterparty, bank uses the rating of only one agency, even though these exposures are rated by more than one with exception being where each of the exposures is rated by only one of the approved rating agencies.
- To be eligible for risk-weighting purposes, it is ensured that the external credit assessment takes into account and reflects the entire amount of credit risk exposure the bank has with regard to all payments owed to it i.e., both principal and interest. External assessments for one entity within a corporate group is not used to risk weight other entities within the same group.
- For assets that have contractual maturity less than or equal to one year, short term ratings are used while for other assets, long term ratings are used. For Cash Credit exposures long term ratings are taken.
- Where an issuer has a long-term exposure with an external long term rating that warrants a risk weight of 150%, all unrated claims on the same counterparty, whether short-term or long-term, also receive a 150% risk weight, except incases where credit risk mitigation techniques are used for such claims. Similar is the case with short-term rating.

8. अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सियों द्वारा दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण को दीर्घावधि ऋण जोखिम भार के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार में प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जाता है। इसके विपरीत प्रतिपक्ष पर गैर निर्धारित अल्पावधि दावे, उस प्रतिपक्ष पर श्रेणीगत अल्पावधि दावे के लिए जोखिम भार से कम से कम एक स्तर ऊपर का जोखिम भार लागू होगा। बैंक के विरुद्ध दर निर्धारण सुविधा से उत्पन्न जोखिम भार दावों के आकलन हेतु विशिष्ट रूप से जारी कम अवधि वाली प्रतिभूतियों को प्रयोग किया जाता है तथा कम अवधि वाली कॉरपोरेट दर निर्धारित प्रतिभूतियों को गैर-निर्धारित दीर्घावधि दावों हेतु जोखिम भार समर्थन के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता।
9. यदि पात्र ऋण निर्धारण एजेन्सियों द्वारा दो श्रेणी निर्धारण की गई हैं जिसमें दो अलग-अलग जोखिम भार अंकित किए गए हैं, वहां उच्चतर जोखिम भार लागू किया जाता है। यदि पात्र ऋण श्रेणी निर्धारण एजेन्सियों द्वारा तीन या अधिक श्रेणी निर्धारित की गई है जिसमें जोखिम भार अंकित किए गए हैं, वहाँ दो न्यूनतम जोखिम भार में से दूसरा उच्चतर जोखिम भार लागू किया गया है।
10. जहाँ विशेष निर्धारित मामलों में दावा निवेश नहीं है, निवेश दावों पर जोखिम भार चयनित ऋण श्रेणी वर्गीकरण एजेन्सी द्वारा विशेष श्रेणी निर्धारण पर आधारित हैं।
 - I) ऋण विशेष के लिए लागू श्रेणी निर्धारण (जहाँ श्रेणी वर्गीकरण के जोखिम भार गैर-श्रेणीकृत मामलों पर लागू जोखिम भार से कम है) बैंक के केवल गैर-निर्धारित दावों पर लागू है, जहाँ वर्गीकृत मामला एक अल्पावधि अनिवार्यता है यदि वह दावा समरूप वर्गीकृत है या हर प्रकार से विशिष्ट वर्गीकृत ऋण से अधिक है तथा गैर -निर्धारित मामलों की परिपक्वता निर्धारित मामलों की परिपक्वता के बाद नहीं है, को छोड़कर बैंक के केवल गैर-निर्धारित मामले पर लागू है।
 - II) यदि जारीकर्ता या एकल निर्गम के लिए गैर-निर्धारित मामलों के लिए लागू जोखिम भार से अधिक या उसके बराबर जोखिम भार निर्धारण किया गया है तो उस प्रतिपक्ष पर गैर-निर्धारित मामलों के लिए वही जोखिम भार निर्धारित होगा जोकि ऋण जोखिम भार पर लागू होगा, यदि यह दावा उसके साथ-साथ या हर प्रकार से निर्धारित ऋण जोखिम भार से कम है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

मानकीकृत दृष्टिकोण रखते हुए जोखिम कम करने के बाद जोखिम भार राशि

राशि-रु./करोड़

जोखिम भार श्रेणी	निर्धारित ऋण जोखिम	गैर निर्धारित ऋण जोखिम	ऋण जोखिम कम करने के बाद जोखिम भार
100% जोखिम भार से कम	32263.37	21754.30	10509.08
100%जोखिम भार	20142.59	14377.32	5765.27
100%जोखिम भार से अधिक	6121.57	1539.32	4582.26
कटौती	0.00	0.00	0.00
कुल	58527.53	37670.94	20856.61

तालिका डी.एफ. 6. -ऋण जोखिम कम करना : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

1. संस्था के अर्जन के घाटे से बचाने के लिए, ऋण जोखिम कम करके राजस्व वृद्धि करना प्रबंधन का प्रमुख उपकरण है। बैंक अपने दैनिक परिचालन के दौरान ऋण जोखिमों को कम करने के लिए अनेक तरीके और तकनीक अपनाते हैं। परिपक्वता असंतुलन, मुद्रा असंतुलन और मूल्य समायोजन के पश्चात्, पूंजी प्रभार को कम करने हेतु पर्यवेक्षक ने ऋण जोखिम कम करने के उपायों की अनुमति दी है। नए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बासल-II) के अंतर्गत पहचाने गए ऋण जोखिम कम करने के विभिन्न कारक (सी.आर.एम.) निम्न हैं :-

सम्पाश्विक संचालन

ऑन-बैलेंस-शीट-नेटिंग

गारंटियाँ

2. पात्र वित्तीय सम्पाश्विक प्रतिभूतियाँ

मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत सभी सम्पाश्विकों को ऋण जोखिम कम करने हेतु नहीं माना गया है। पहचानी गई वित्तीय सम्पाश्विकों निम्नलिखित हैं:-

8. The long-term ratings assigned by the approved rating agencies are directly mapped to the risk weights under the Standardised Approach for long-term exposures. On the contrary, the unrated short-term claim on counter-party attracts a risk weight of at least one level higher than the risk weight applicable to the rated short-term claim on that counter-party. Issue-specific short-term ratings are used to derive risk weights for claims arising from the rated facility against banks and a corporate's short-term rating is not used to support a risk weight for an unrated long-term claim.
9. If there are two ratings accorded by eligible credit rating agencies, which map into different risk weights, the higher risk weight is applied. If there are three or more ratings accorded by eligible credit rating agencies with different risk weights, the ratings corresponding to the two lowest risk weights are referred to and the higher of those two risk weights are applied, i.e., the second lowest risk weight.
10. The RW of the investment claim is based on specific rating by a chosen credit rating agency, where the claim is not an investment in a specific assessed issue:
 - i) the rating applicable to the specific debt (where the rating maps into a risk weight lower than that which applies to an unrated claim) is applied to the bank's un-assessed claim only if this claim ranks *pari passu* or senior to the specific rated debt in all respects and the maturity of the un-assessed claim is not later than the maturity of the rated claim, except where the rated claim is a short term obligation.
 - ii) if either the issuer or single issue has been assigned a rating which maps into a risk weight equal to or higher than that which applies to unrated claims, an unrated claim on the same counterparty, is assigned the same risk weight as is applicable to the rated exposure, if this claim ranks *pari passu* or junior to the rated exposure in all respects.

Exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach

Amt. - ₹/ Crores

Risk Weight Category	Exposure After Credit Risk Mitigation	Un-Rated Exposure	Rated Exposure
Below 100 % risk weight	32263.37	21754.30	10509.08
100 % risk weight	20142.59	14377.32	5765.27
More than 100 % risk weight	6121.57	1539.32	4582.26
Deducted	0.00	0.00	0.00
TOTAL	58527.53	37670.94	20856.61

Table DF 6 - CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACHES

Qualitative Disclosures

1. Credit Risk Mitigation is a proactive management tool designed to enhance revenue growth, while protecting an entity's earnings from loss. Banks employ various methods and techniques to reduce the impact of the credit risks they are exposed to in their daily operations. Some of the credit risk mitigation techniques are permitted to be used by the supervisor for reducing the capital charge after adjustment for value, currency mismatch and maturity mismatch. Various Credit Risk Mitigants (CRM) recognized under the New Capital Adequacy Framework (Basel II) are as follows:
 - Collateralised transactions
 - On-balance-sheet-netting
 - Guarantees
2. **Eligible financial collateral:**

All collaterals are not recognised as credit risk mitigants under the Standardised Approach. The following are the financial collaterals recognized:

- 3.) केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ ।
- 4.) किसान विकास-पत्र और राष्ट्रीय बचत-पत्र ।
- 5.) जीवन-बीमा पॉलिसियाँ ।
- 6.) ऋण-प्रतिभूतियाँ : शर्तों के अनुसार वर्गीकृत ।
- 7.) बैंक द्वारा शर्तों अनुसार जारी अवर्गीकृत ऋण-प्रतिभूतियाँ ।
- 8.) शर्तों अनुसार म्यूचुअल फंडों के यूनिट्स ।

सम्पाश्विक संचालन में पूंजी राहत प्राप्त करने के लिए कुछ अतिरिक्त मानदंड हैं जिनका सीधे तौर पर सम्पाश्विक प्रबंधन पर प्रभार पड़ता है और सम्पाश्विक प्रबंधन के दौरान इन पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है ।

3. ऑन-बैलेंस-शीट-नेटिंग

ऑन-बैलेंस-शीट-नेटिंग केवल ऋण/अग्रिमों (ऋण जोखिम के रूप में मान्य) और जमाओं (सम्पाश्विक के रूप में मान्य) तक ही सीमित है जहाँ बैंक के पास कानूनी रूप से लागू नेटिंग प्रबंध है जिसमें विशेष ग्रहणाधिकार प्रलेखों की जाँच की जाती है और जिनका निवल आधार पर प्रबंधन किया जाता है ।

4. गारंटियाँ:— जहाँ गारंटियाँ सीधे तौर से, सुनिश्चित, अविकल्पी और शर्तरहित हैं, बैंक पूंजी पर्याप्तता की संगणना करते समय ऐसे ऋण संरक्षण को ध्यान में रखता है । पात्र गारंटियों/प्रति गारंटियों के वर्ग में सम्मिलित हैं :

- I) सम्प्रभु, सम्प्रभुता प्राप्त संस्थाएं (बी.आई.एस., आई.एम.एफ., यूरोपियन सेंट्रल बैंक और यूरोपियन समुदाय के साथ उल्लेखित एम.डी.बी. एस., ई.सी.जी.सी. एवं सी.जी.टी.एस.एम, ई सम्मिलित हैं), बैंक और प्राइमरी डीलर जो प्रति पक्ष से कम भारित जोखिमयुक्त हैं ।
- II) अन्य संस्थाएं जिनको एए या उससे बेहतर रेटिंग प्राप्त है ।

बैंक अभिमुखीकरण के प्रति सभी प्रकार की प्रतिभूतियाँ स्वीकार करता है । फिर भी बासल-II के नियमों के अनुसार, ऋण जोखिमों का समंजन से पूर्व, पात्र सम्पाश्विकों पर विचार किया जाता है और उनका उचित उपचार किया जाता है । बैंक के पास ऋण जोखिम कम करने की एक विस्तृत पॉलिसी है और प्रतिभूतियों के मूल्यांकन करने के दिशा-निर्देश उपलब्ध हैं । बैंक गारंटियों की रेटिंग करते समय प्रति पार्टी से बेहतर गारंटीकर्ताओं की रेटिंग के मामलों में, पात्र गारंटियों का संज्ञान करता है । इसके अतिरिक्त ऋण सुरक्षा के लिए केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, ई.सी.जी.सी. और सी.जी.टी. कवर को भी उपयुक्त जोखिम भार लगाते समय ध्यान में रखा जाता है ।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम संविभाग का प्रकटीकरण, कवर किया गया कुल ऋण जोखिम पात्र वित्तीय प्रतिभूति कटौती करने के उपरांत-**2491.56** करोड़ रुपए

तालिका डी.एफ. 7. प्रतिभूतिकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

संसाधनों को बढ़ाने हेतु

- 1.1 उचित मूल्य पर (आस्ति आधारित प्रतिभूतिकरण/बंधक के माध्यम से) बैंक के संसाधनों को बढ़ाना ।
- 1.2 जरूरत पड़ने पर, परिपक्वता अंतर को कम करने के लिए, उत्तम आस्ति देयता प्रबंधन हेतु लम्बी समयावधि की आस्तियों को बेचा जा सकता है ।
- 1.3 बैंक की संवृद्धि को प्रभावित किए बिना दक्षता से पूंजी कोष की व्यवस्था करने के लिए । पूंजी की दुर्लभता के बावजूद व्यवसाय की निरंतरता तथा आस्तियों के आवर्तन हेतु ।
- 1.4 निधियों के नए स्रोतों का उपयोग तथा वर्तमान निधियों के साधनों का विविधीकरण ।
- 1.5 प्रतिलाभ को बढ़ाने के लिए आस्तियों का जल्दी जल्दी क्रय-विक्रय ।
- 1.6 ऋण संविभाग के उचित प्रबंधन के लिए उच्च संक्रेन्द्रण के क्षेत्रों में आस्तियों को किराए पर लेकर, बैंक इन क्षेत्रों में अतिरिक्त व्यवसाय करना जारी रखने की स्थिति में होगा और इस तरह बाजार में अपना हिस्सा, ग्राहक संबंध इत्यादि बरकरार रख सकता है ।
2. अधिशेष निधियों का अभिनियोजन :पीटीसी के लिए अभिदान करके या फिर उचित प्रतिलाभ दर वाले ऋणों के द्विपक्षीय आवंटन के माध्यम से आस्तियों की खरीद द्वारा अधिशेष निधियों के थोक अभिनियोजन का भी एक साधन ।

- i) Cash and Deposits including deposits in foreign currency.
- ii) Gold: benchmarked to 99.99% purity.
- iii) Securities issued by Central and State Governments
- iv) Kisan Vikas Patra and National Savings Certificates
- v) Life insurance policies
- vi) Debt securities -Rated subject to conditions.
- vii) Debt securities not rated issued by banks subject to conditions
- viii) Units of mutual funds subject to conditions

There are certain additional standards for availing capital relief for collateralized transactions, which have direct bearing on the management of collaterals, and these aspects are taken into account during Collateral Management.

3. On-balance-sheet-netting

On-balance sheet netting is confined to loans/advances (treated as exposure) and deposits (treated as collateral), where Bank has legally enforceable netting arrangements, involving specific lien with proof of documentation and which are managed on a net basis.

4. Guarantees

Where guarantees are direct, explicit, irrevocable and unconditional, bank takes account of such credit protection in calculating capital requirements. The range of eligible guarantors / counter guarantors include:

Sovereigns, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank and European Community as well as certain specified MDBs, ECGC and CGTSME), banks and primary dealers with a lower risk weight than the counterparty;

Other entities rated AA or better.

The Bank accepts all types of collaterals against exposures. However, for Basel-II norms, the eligible collaterals are considered and given appropriate treatment before they are set-off against exposures. The bank has a well laid-out Credit Risk Mitigation & Collateral management Policy and also guidelines for valuation of collaterals. The Bank also takes cognizance of eligible guarantees and substitution of rating of guarantor(s) in cases where these are better than that of the counter-party. Besides, for purposes of credit protection, Central Govt., State Govt., ECGC and CGFT coverages are also taken into account to apply appropriate risk weights.

Disclosed credit risk portfolio under the standardised approach, the total exposure that is covered by: Eligible financial collateral; after the application of haircuts – ₹ **2491.56 crore**

Table DF 7- SECURITISATION: DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH

Qualitative Disclosures

Objective of Policy on Securitization of Assets

1. For Raising Resources
 - 1.1 To raise resources for the Bank (through mortgage/ asset backed securitization) at a reasonable cost.
 - 1.2 For better asset liability management as long tenure assets can be disposed off, IN CASE OF NEED, to reduce the maturity mismatches.
 - 1.3 To manage the capital funds efficiently without effecting the growth of the Bank. To rotate assets and to continue to book business even while capital availability is scarce.
 - 1.4 To access to new source of funding and diversify the existing funding sources.
 - 1.5 To maximize the returns by churning assets fast.
 - 1.6 For better managing the credit portfolio. By hiring of assets in sectors of high concentration, the Bank would be in a position to continue to book additional business in these sectors and hence maintain market share, client relationship etc.

बैंक ने प्रतिभूतिकरण के अंतर्गत ऋण संविभाग को किसी अन्य संस्था (ओं) को नहीं बेचा है।

मानक समूह आस्तियों का समनुदेशन. 78.69 करोड़ रुपए

तालिका डी.एफ. 8. ट्रेडिंग बुक में बाज़ार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बाज़ार जोखिम का आशय ब्याज दरों में परिवर्तन, विदेशी मुद्रा दरों, बाज़ार मूल्यों एवं परिवर्तनीयता से होने वाले भविष्य की आय की अनिश्चितता से है। बैंक यह मानता है कि बाज़ार जोखिम में उसके उधार / ऋण देने तथा जमा लेने जैसे व्यवसायों और निवेश गतिविधियों तथा स्थान ग्रहण करना एवं व्यापार करना भी शामिल है। बाज़ार जोखिम का निवेश नीतियों के अनुसार प्रबंधन किया जाता है, जिसका अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया जाता है। ये नीतियों, प्रतिभूतियों के प्रचालन, विदेशी मुद्रा तथा अन्य उत्पादों को सुदृढ़ एवं स्वीकार्य व्यापार / कार्य प्रक्रियाओं के अनुसार होना सुनिश्चित करती है और जहां तक हो सके ये विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय प्रतिभूतियों के अंतरण को शासित करने वाले विधानों तथा वित्तीय परिवेश के अनुसरण में कार्य करते हैं। व्यापार की पुस्तकों में बाज़ार जोखिम का आकलन मानकीकृत आवधिक अभिरूख के अनुसार किया जाता है। ट्रेडिंग (व्यापार) के आयोजन हेतु तथा विक्रय के लिए उपलब्ध पोर्टफोलियो के अनुसार पूंजीगत चार्ज की संगणना भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रूडेंशियल दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाती है।

बाज़ार जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य :

बाज़ार जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य निम्न प्रपत्र हैं:

- परिसमाप्ति का प्रबंधन
- ब्याज दर जोखिम एवं विनिमय दर जोखिम का प्रबंधन
- निवेश पोर्टफोलियो का उचित वर्गीकरण एवं मूल्यांकन
- निवेशों तथा व्युत्पादों पदार्थों की पर्याप्त एवं उचित रिपोर्टिंग
- विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन

मात्रात्मक प्रकटीकरण

पूंजी आवश्यकता	राशि- रु/- करोड़
ब्याज दर जोखिम	68.40
शेयर स्थिति जोखिम	20.96
विदेशी विनिमय जोखिम	0.77

तालिका डी.एफ. 9. परिचालनगत जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने परिचालनगत जोखिम प्रबंधन तथा व्यवसाय निरंतरता आयोजन व आपदा वसूली प्रबंधन पर नीतियों तैयार की हैं। बैंक का निदेशक—मण्डल वार्षिक आधार पर इन नीतियों की समीक्षा करता है। बैंक जोखिम, हानि आंकड़ों के संग्रहण की प्रक्रिया में लगा है।

परिचालनात्मक जोखिम सम्बन्धी नीति के अनुसार कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति (ओ. आर. एम. सी) गठित की गई है। ओ.आर.एम.सी. की नियमित बैठकें प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाती है। शाखाओं की ऑन साईट जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आर.बी.आई.ए.) बैंक का निरीक्षण सम्पन्न करता है। 3 करोड़ रुपये से ऊपर के सभी ऋण प्रस्तावों, सीमाओं की नियमित रूप से ऋण लेखा-परीक्षा भी की जाती है।

हाउस कीमिंग, समाधान एवं धोखाधड़ी आदि से सम्बन्धित मामलों में क्रमशः निरीक्षण विभाग, समाधान विभाग एवं सतर्कता विभाग इनकी रिपोर्टिंग समय-समय पर ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड (ए.सी.बी.) को करते हैं। परिचालनात्मक जोखिम तथा व्यवसाय निरंतरता आयोजन से सम्बन्धित विनियामक रिपोर्ट को समयबद्ध एवं नियमित किया जाता है। परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की संगणना हेतु वर्तमान में बैंक मूलभूत सूचकांक पद्धति का अनुपालन कर रहा है। तथापि परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की संगणना उन्नत पद्धतियों की ओर उन्मुख होने की तैयारी भी बैंक के साथ-साथ कर रहा है।

तालिका डी.एफ. 10. बैंक की बहियों में ब्याज दर जोखिम (आई. आर. आर. बी. बी.)

गुणात्मक प्रकटीकरण

2. For Deploying Surplus Funds: Avenue for bulk deployment of surplus funds either by subscribing to the PTCs or by purchase of assets through bilateral assignment of debts with reasonable rate of return.

However, Bank has not sold out any standard credit portfolio under securitization to any other entities

Assignment of Standard Pool Assets- ₹ 78.69 crores

Table DF 8 - MARKET RISK IN TRADING BOOK

Qualitative disclosures

Market risk refers to the uncertainty of future earnings resulting from changes in interest rates, foreign exchange rates, market prices and volatilities. The Bank assumes market risk in its lending and deposit taking businesses and in its investment activities, including position taking and trading. The market risk is managed in accordance with the investment policies, which are approved by the Board. These policies ensure that operations in securities, foreign exchange and derivatives are conducted in accordance with sound and acceptable business practices and are as per the extant regulatory guidelines, laws governing transactions in financial securities and the financial environment. Market Risk in Trading Book is assessed as per the Standardized Duration approach. The capital charge for Held for Trading (HFT) and Available for Sale (AFS) portfolios is computed as per Reserve Bank of India prudential guidelines.

Market risk management objectives:

The objectives of market risk management are as follows:

- Management of liquidity
- Management of interest rate risk and exchange rate risk.
- Proper classification and valuation of investment portfolio
- Adequate and proper reporting of investments and derivative products
- Compliance with regulatory requirements

Quantitative Disclosures

The capital requirements for:	Amt. - ₹/ Crores
Interest rate risk;	68.40
Equity position risk;	20.96
Foreign exchange risk;	0.77

Table DF 9 - OPERATIONAL RISK

Qualitative disclosures

The Bank has formulated Policies on 'Operational Risk Management' and the 'Business Continuity Plan & Disaster Recovery Management'. These policies are being reviewed by the Board of the Bank on annual basis. Bank is in process of collecting 'Loss Data'.

As per the policy on Operational Risk, the Operational Risk Management Committee (ORMC) has been set up which is headed by the Executive Director. Regular meetings of the ORMC are convened at least on quarterly basis. Inspection Deptt of the bank undertakes onsite 'Risk Based Internal Audit' (RBIA) of the branches. Credit Proposals / Limits beyond ₹ 3 Crores are subjected to Regular Credit Audit also.

Inspection, Reconciliation and Vigilance Departments are reporting matters relating to Housekeeping, Reconciliation and Frauds etc. periodically to ACB. Regulatory reporting with regard to Operational Risk and Business Continuity Plan is made timely & regularly. Bank is presently following 'Basic Indicator Approach' for calculating Capital Charge on Operational Risk. However, the bank is preparing to move to advance approaches of calculating capital charge for Operational Risk.

बैंक बही में ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन तथा मूल्य निर्धारण आय पर जोखिम दृष्टिकोण हेतु परम्परात्मक अंतर तथा आर्थिक मूल्य दृष्टिकोण हेतु संशोधित अवधि अंतर के माध्यम से किया गया है। बैंक बही में ब्याज दर जोखिम के अन्तर्गत सभी अग्रिम तथा परिपक्वता तक रखे जाने वाले निवेश शामिल हैं। ऋण नीतियाँ तथा प्रक्रियाएँ/संरचना और संगठन/विषय-क्षेत्र तथा जोखिम सूचना-तंत्र की प्रकृति/नीतियाँ आदि डी.एफ.-8 के अन्तर्गत बताए अनुसार ही हैं। बैंकिंग बुक (आईआरआरबीबी) में ब्याज दर जोखिम के मापदण्डों की कार्य-पद्धति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्देशित दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।

- 1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्धारित किया है कि ब्याज दर संवेदनशीलता (पुनर्मूल्य निर्धारण अंतर) विवरण जिसे मासिक अंतराल पर तैयार किया जाता है, के जरिए ब्याज दर जोखिम की निगरानी की जाए। तदनुसार, आस्ति देयता प्रबंधन समिति मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता की समीक्षा करती है तथा जोखिम अर्जन (ईएआर) की निगरानी करता है जो आस्तियों व देयताओं दोनों में ब्याज दर में समान परिवर्तन के कारण बैंक की शुद्ध ब्याज आय में होने वाले परिवर्तन का आकलन करती है।
- 1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अवधि अंतर विश्लेषण के दौरान ब्याज दर संवेदनशीलता के माध्यम से आस्तियों व देयताओं के आर्थिक मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान लगाने का भी निर्धारण किया है। बैंक तिमाही/मासिक अंतराल पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित अवधि अंतर विश्लेषण भी करता है। ईक्विटी के बाज़ार मूल्य (एमवीई) पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभावों का आवधिक अंतराल विश्लेषण के माध्यम से निरीक्षण किया जाता है। उपरोक्त का प्रयोग करते हुए, प्रत्येक बकेट हेतु आस्तियों एवं देयताओं की परिवर्तित अवधि की गणना की जाती है तथा उपरोक्त द्वारा देयताओं व आस्तियों की संशोधित अवधि की संगणना प्रत्येक कालचक्र पर परिकलित की जाती है और ब्याज दर के 200 बीपीएस के परिवर्तन को जोड़ने के बाद मूल्य पर पड़े प्रभाव का परिकलन कर शुद्ध स्थिति प्राप्त की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मूल्य में सकारात्मक वृद्धि हुई है या नहीं।
- 1.3 आस्तियों तथा देयताओं के विवेकपूर्ण उपाय हेतु ईएआर तथा शुद्ध आवधिक अंतर की सीमा का निर्धारण किया जाता है तथा नियमित अंतराल पर इसकी निगरानी की जाती है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

क) जोखिम पर आय

एक साल अन्तराल तक औसतन 100 आधार अंक परिवर्तन का प्रभाव	81.71 करोड़ रुपए
--	------------------

ख) आर्थिक मूल्य हेतु संशोधित अवधि अंतर: एम.वी.ई.— 6.81 प्रतिशत

Table DF 10 -INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

Qualitative disclosures

The Interest rate risk in banking book is measured and managed by the bank through Traditional Gap for Earnings at Risk (EaR) approach and modified Duration Gap for Economic Value (MVE) Approach. Interest rate risk in banking book includes all advances and investments kept under Held to Maturity (HTM) portfolio. The strategies and process/structure of organization /scope and nature of risk reporting/policies etc., are the same as reported under DF – 8. The methodology adopted to measure the interest rate risk in banking book (IRRBB) is based on RBI suggested guidelines.

- 1.1 RBI has stipulated monitoring of interest rate risk through a Statement of Interest Rate Sensitivity (Reprising Gaps) to be prepared at monthly intervals. Accordingly, ALCO reviews Interest Rate Sensitivity statement on monthly basis and monitors the Earnings at Risk (EaR) which measures the change in net interest income of the Bank due to parallel change in interest rate on both the assets and liabilities.
- 1.2 RBI has also stipulated to estimate the impact of change in interest rates on economic value of bank's assets and liabilities through Interest Rate Sensitivity under Duration Gap Analysis (IRSD). Bank also carries out Duration Gap analysis as stipulated by RBI at monthly/quarterly intervals. The impact of interest rate changes on the Market Value of Equity (MVE) is monitored through Duration Gap Analysis. Using the above, Modified Duration of liabilities and assets for each bucket is calculated and the impact on their value for a change in interest rate by 200 bps is reckoned by adding up the net position is arrived to determine as to whether there will be a positive increase in the value or otherwise.
- 1.3 As a prudential measure limit has been fixed for EaR as well as for Net Duration Gap of the assets and liabilities and the same is monitored at regular intervals.

Quantitative Disclosures

a) Earning at Risk

At 100 bps change for gaps upto 1 year on average basis	₹ 81.71 Crores
---	----------------

Modified Duration Gap for Economic Value (MVE) - 6.81%

बासल-III के लिए प्रकटीकरण 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष

तालिका डी एफ 1-अनुप्रयोग का विषय क्षेत्र

गुणात्मक प्रकटीकरण	
क) गुप संस्थाओं की सूची, जो समेकन के लिए विचारणीय है।	बैंक ऐसे किसी वर्ग में नहीं आता है।
ख) गुप संस्थाओं की सूची, जो लेखा और समेकन के विनियामक विषय क्षेत्र दोनों में समेकन के लिए विचारणीय नहीं है।	लागू नहीं
मात्रात्मक प्रकटीकरण	
ग) ऐसी गुप संस्थाओं की सूची, जो समेकन के लिए विचारणीय है	लागू नहीं
घ) सभी सहायक संस्थाओं की पूंजी की कमी की कुल राशि जिन्हें समेकन के विनियामक विषय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया अर्थात जिन्हें घटाया गया है	लागू नहीं
ड.) बीमा संस्थाओं में लगी बैंक के समस्त हितों की वह कुल राशि (अर्थात चालू बही मूल्य द्व जो जोखिम भारित हैं)	लागू नहीं
च) बैंकिंग समूह के भीतर फंड या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधा	लागू नहीं

तालिका डी एफ 2 - पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने जोखिम प्रबंधन अनुबंध का क्रियान्वयन करते समय वैश्विक उच्च-कोटि की कार्य-प्रणाली को अपनाने की प्रक्रिया पहले से ही आरम्भ कर दी है जोकि बासल II तथा बासल III की रूपरेखा के अनुरूप है।

बासल II तथा बासल III से संबंधित विभिन्न मामलों पर ध्यान देने के लिए जोखिम प्रबंधन की व्यापक संरचना कार्यरत है। जोखिम भारित आस्तियों, बाजार जोखिम तथा प्रचालन जोखिम में वृद्धि के आसार के मद्देनजर बैंक की पूंजीगत आवश्यकताओं को आंकने के लिए तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है।

बैंक सभी जोखिम उठाने वालों (मालिकों), विशेषकर जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा हेतु ऋण जोखिम, कारोबार आदि के मूल्य में हानि होने के खतरे की गुंजाईश के लिए पूंजी रखता है।

वर्तमान एवं भावी कारोबार कार्यकलापों के आधार पर पूंजी आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए बैंक में उचित प्रणाली कार्यरत है तथा निरंतर उसकी निगरानी की जाती है। बैंक का मानना है कि पूंजी उपलब्धता संपूर्ण प्रक्रिया का केंद्रीय विषय है और इसकी गणना को नीति, रणनीति, कारोबार स्तर/संघटन, पर्यवेक्षी सरोकार एवं प्रकटन मुद्दों से जोड़ा जा सकता है। इस दिशा में बैंक ने आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आइकैप) का एक अच्छा ढांचा विकसित कर लिया है तथा स्तम्भ 1 के अंतर्गत पूंजी गणना के अलावा बासल II के स्तम्भ 2 एवं बासल III के अंतर्गत भी आवधिक अंतराल पर पूंजी गणना की जाती है। बैंक ने पूंजी पर्याप्तता पर प्रतिकूल दबाव परिदृश्यों के प्रभाव को आवधिक आधार पर मापने के लिए दबाव जांच नीति बनायी है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, बैंक ने नये पूंजी पर्याप्तता ढांचा - बासल II को लागू करने के लिए निम्नलिखित अवधारणाओं को अपनाया है :-

- ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत अवधारणा
- परिचालनात्मक जोखिम के लिए मूल सूचक अवधारणा
- बाजार जोखिम के लिए मानक अवधि अवधारणा

यद्यपि बैंक ने वर्तमान में उपरोक्त अवधारणाओं को अपनाया है पर इनके आगे की अवधारणाओं की तरफ अग्रसर होने की तैयारी भी शुरू कर दी है।

ऋण जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं:-

	राशि-रु0/-करोड़
9 की दर से मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो	4310.88
प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	शून्य

BASEL- III DISCLOSURES – FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2014

Table DF 1 – SCOPE OF APPLICATION

Qualitative Disclosures	
(a) List of group entities considered for consolidation	The Bank does not belong to any group
(b) List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation	Not Applicable
Quantitative Disclosures	
(c) List of group entities considered for consolidation	Not Applicable
(d) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted	Not Applicable
(e) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted.	Not Applicable
(f) Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group	Not Applicable

Table DF 2 - CAPITAL ADEQUACY

Qualitative disclosures

Bank is already geared up to adopt global best practices while implementing risk management stipulations that are in conformity with the Basel II and Basel III framework.

Comprehensive risk management architecture is in place to address various issues concerning Basel II and Basel III. A quarterly review is carried out to assess the capital need of the Bank, keeping in view the anticipated growth in Risk Weighted Assets, Market Risk and Operational Risk.

Bank maintains capital as a cushion towards the risk of loss in value of exposure, businesses, etc., to protect the interest of stake holders, more particularly, depositor's.

Bank has system in place for assessing the capital requirements based on current and future business activities and monitoring the same on an ongoing basis. The bank considers that capital availability is the central theme in the whole process and its computation is relatable to policy, strategy, business level/composition, and Supervisory concern and Disclosure issues. Towards this, bank has evolved a well laid down Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) framework and carries out capital calculation under Pillar-2 of Basel II and also of Basel-III at periodical intervals besides Pillar 1 Capital calculation. The bank has formulated Stress Testing policy to measure impact of adverse stress scenarios on the adequacy of capital at periodical intervals.

In line with RBI guidelines, the bank has adopted following approaches for implementation of New Capital Adequacy Framework –

- Standardised Approach for credit risk
- Basic Indicator Approach for operational risk
- Standardised Duration Approach for market risk

Though the bank is presently implementing the above Approach, it has started its preparation for moving towards advance approaches.

Capital requirements for credit risk:

	Amt. - ₹/Crores
Portfolios subject to standardised approach @ 9%	4310.88
Securitisation exposures	Nil

बाजार जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं—मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण

सामान्य बाजार जोखिम पर पूंजी प्रभार	राशि रु0.करोड़
ब्याज दर जोखिम	175.54
विदेशी विनिमय जोखिम (सोने सहित)	0.77
इक्विटी जोखिम	37.25

परिचालन जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं

	राशि रु0.करोड़
मूल सूचक दृष्टिकोण	298.78

बैंक हेतु कुल तथा टीयर-1 पूंजी अनुपात :

बासल . III के अनुसार कुल पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	11.04%
बासल . III के अनुसार कामन इक्विटी के अनुसार कुल पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	7.27%
बासल . III के अनुसार टीयर.1 पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	7.62%

तालिका डी एफ 3 – ऋण जोखिम : सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

क. पिछला बकाया एवं अनर्जक खातों की परिभाषा

बैंक ने गैर-निष्पादित आस्तियों (एन.पी.ए.) के वर्गीकरण पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मूल विवेकपूर्ण दिशा-निर्देशों का निम्नानुसार अनुपालन किया है:

(क) जहां मियादी ऋण के मामले में ब्याज तथा /अथवा मूलधन की किश्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो।

(ख) स्वीकृत सीमा में आहरण अधिकार के संबंध में यदि खाता लगातार 90 दिनों से अधिक समय के लिए अनियमित बना रहता है, तथा /अथवा अधिविकर्ष /नकद ऋण ओ.डी. सी.सी. के संबंध में तुलन-पत्र की तिथि तक लगातार कोई राशि जमा नहीं होती है अथवा जमा की गयी राशि उतनी पर्याप्त नहीं है कि इस अवधि के दौरान नामे किए गए ब्याज को वसूल किया जा सके तो खाता 'अनियमित' हो जाता है।

(ग) बैंक द्वारा खरीदे गए और भुनाए गए बिलों के मामले में जहां बिल 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहे हों।

(घ) अल्प अवधि की फसलों के लिए मूलधन की किश्त अथवा उस पर ब्याज के लिए दो फसली मौसम तक अतिदेय रहा हो।

(ङ) दीर्घ अवधि की फसलों के लिए मूलधन की किश्त अथवा उस पर ब्याज के लिए एक फसली मौसम तक अतिदेय रहा हो।

(च) प्रतिभूतिकरण के दिनांक 7 मई 2012 के दिशा-निर्देशों की शर्तों के अनुसार प्रतिभूतिकरण लेन-देन के संबंध में यदि नकदी सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक बकाया रहती है।

(छ) व्युत्पन्न सौदों के मामले में, अतिदेय प्राप्तियां जोकि व्युत्पन्न संविदा के सकारात्मक बाजार अंकित मूल्य को प्रदर्शित करती हैं, यदि चुकौती की विनिर्दिष्ट देय तिथि से 90 दिनों तक बकाया रहते हैं।

यहाँ 'अतिदेय राशि' से अभिप्राय किसी भी ऋण सुविधा के अधीन कोई भी देय राशि से है, यदि बैंक को निर्धारित देय तिथि पर इसका भुगतान नहीं होता है।

जहां कहीं किसी तिमाही के दौरान लगाया गया ब्याज उस तिमाही समाप्ति के 90 दिनों के भीतर पूर्ण रूप से अदा नहीं हो जाता और बैंक के लिए अर्जित होने वाली आय रुक जाए तो ऐसे खाते को गैर-निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त बैंक आस्तियों के वर्गीकरण के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निम्न दिशा-निर्देशों का भी पालन कर रहा है। (क) पुनर्संचित खाते (ख) अधिक चले समय के अंतः ग्रस्त कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजना (ग) पोत लदानोत्तर आपूर्ति कर्ता ऋण (घ) निर्यात परियोजना वित्त (ङ) अधिग्रहण वित्त (च) सरकारी गारंटीकृत अग्रिम (छ) बी.आई.एफ.आर./टी.एल.आई. द्वारा अनुमोदित पुनर्वास के अंतर्गत अग्रिम (झ) ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना 2009 के अधीन लिया गया ऋण (ट) वित्तीय आस्तियों को प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी को बेचना (ठ) गैर-निष्पादित वित्तीय आस्तियों का क्रय-विक्रय (ड) खातों का उन्नयन (ण) तुलन-पत्र की तिथि के समीप नियमित किए गए खाते, आदि।

Capital requirements for market risk: Standardised duration approach

Capital Charge on account of General Market Risk	Amt. - ₹/ Crores
Interest rate risk	175.54
Foreign exchange risk (including gold)	0.77
Equity risk	37.25

Capital requirements for operational risk:

	Amt. - ₹/ Crores
Basic indicator approach	298.78

Total and Tier 1 capital ratio for the Bank:

Total Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel III	11.04%
Common Equity Tier I Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel III	7.27%
Tier I Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel III	7.62%

Table DF 3 - CREDIT RISK : GENERAL DISCLOSURES**Qualitative Disclosures****A. DEFINITIONS OF PAST DUE AND IMPAIRED:**

The Bank follows the basic prudential guidelines issued by the RBI on classification of Non-Performing Asset (NPA) as under :

- Interest and / or instalment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan.
- The account remains 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of sanctioned limit / DP for more than 90 days and / or there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, in respect of Overdraft/Cash Credit (OD/CC).
- The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted.
- The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops.
- The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.
- The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of guidelines on securitization dated May 7, 2012.
- In respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark-to-market value of a derivative contract, if these remains unpaid for a period of 90 days from the specified due date for repayment.

Here, 'Overdue' mean any amount due to the Bank under any credit facility, if it is not paid on the due date fixed by the Bank.

Where the interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter, the account is classified as Non-performing asset and ceases to generate income for the bank.

Besides above, Bank also follows the guidelines issued by RBI in respect of classification of assets under a) Restructured accounts, b) Project under implementation involving time overrun, c) Post shipment Suppliers' Credit, d) Export Project Finance, e) Take over Finance, f) Govt. guaranteed Advance, g) Advance under Rehabilitation approved by BFIR / TLI, h) Advances under Debt Waiver & Debt Relief Scheme 2009, i) Sale of Financial Assets to Securitization Company /Reconstruction Company, j) Purchase/ Sale of Non-Performing Financial Assets, k) Up-gradation of accounts, l) Accounts regularized near about the Balance Sheet date etc.

ख. ऋण जोखिम प्रबंधन तथा उद्देश्य :

बैंक के ऋण जोखिम कारोबार की प्रभावी पहचान, मूल्यांकन, परिमाणन तथा प्रबंधन के लिए, बैंक की जोखिम क्षमता के संबंध में अपेक्षित सीमा तक इसे नियंत्रित करना तथा उपलब्ध पूंजी के अनुरूप लाना है। इस प्रक्रिया को करते हुए बैंक के ऋण जोखिम दर्शन का लक्ष्य जोखिम में कमी लाना तथा उसे उस स्तर के भीतर बनाए रखना है जोकि स्टॉकधारकों को इक्विटी सहित बैंक के वित्तीय संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ बैंक का सतत् एवं सुदृढ़ विकास भी सुनिश्चित करता है।

बैंक की योजनागत नीति – ऋण जोखिम :

बैंक की विस्तृत एवं सुपरिभाषित ऋण नीति है, जिसमें नीतिगत आयोजना के विभिन्न आयाम शामिल हैं। ऋण कारोबार तथा सामान्य आर्थिक एवं बाजार परिदृश्य के अनुरूप अग्रिम निवेश सूची में परिवर्तनों की अपेक्षाओं पर निर्भर करते हुए बैंक समय-समय पर ऋण नीति की पुनरीक्षा करता है। बैंक की ऋण नीति वर्ष में कम से कम एक बार निदेशक मण्डल द्वारा व्यापक समीक्षा के भी अध्याधीन है। बैंक की ऋण नीति में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित घटकों का भी ध्यान रखा जाता है:-

- विभिन्न उद्योग घटकों तथा ऋणकर्ता श्रेणियों में तर्कसंगत सीमा का निर्धारण एवं नियंत्रण।
- ऋण रेटिंग तथा/अथवा रिटेल घटकों से संबंधित जोखिम रूपरेखा पर आधारित मूल्यांकन।
- ऋणों के मूल्यांकन, स्वीकृति तथा निगरानी एवं ऋण के संवितरण की प्रविधियों के लिए प्रक्रिया एवं प्रणाली से संबंधित मार्गदर्शी निर्देश।
- ऋण रेटिंग फ्रेमवर्क।
- निरीक्षण तंत्र तथा विनियामक एवं नीतिगत मार्गदर्शी निर्देशों का अनुपालन।

ऋण-जोखिम प्रबंधन संगठनात्मक ढाँचा:

- ऋण जोखिम प्रबंधन कार्यों के लिए बैंक के संगठनात्मक ढाँचे के शीर्षस्थ स्तर पर निदेशक-मण्डल है, जो जोखिम प्रबंधन कारोबार पर पूरी निगरानी रखता है।
- जोखिम प्रबंधन समिति (आर.एम.सी.) जो कि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में मण्डल की एक उप समिति है, ऋण जोखिम सहित समन्वित जोखिम प्रबंधन के लिए नीति एवं रणनीति तैयार करती है।
- परिचालन स्तर पर, ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सी.आर.एम.सी.) ऋण जोखिम का प्रबंधन करती है। इसके मुख्य कार्यों में निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियों का बैंक व्यापी आधार पर कार्यान्वयन तथा निदेशक-मण्डल को ऋण जोखिम प्रबंधन संबंधित, ऋण जोखिम की विवेकपूर्ण सीमाएं, पोर्टफोलियो प्रबंधन, ऋण उत्पादों आदि से संबंधित सभी नीतियों के अनुमोदन हेतु संस्तुति शामिल है। बैंक में ऋण अनुमोदन की प्रक्रिया का ढाँचा बना हुआ है और यह मानकीकृत है, जिसमें ऋण आकलन की व्यापक प्रक्रिया शामिल है। किसी भी वित्त पोषण प्रस्ताव के साथ जुड़े ऋण जोखिम के आकलन करने हेतु बैंक ऋणी तथा प्रासंगिक उद्योगों के विविध ऋण जोखिमों का आकलन करता है।
- महाप्रबंधक की अध्यक्षता में जोखिम प्रबंधन विभाग (आर.एम.डी.) निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर बैंक व्यापी आधार पर ऋण जोखिम का परिमाणन, नियंत्रण एवं प्रबंधन करता है और निदेशक मण्डल/जोखिम प्रबंधन समिति/ऋण जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित जोखिम मापदण्डों के अनुपालन को लागू करता है। इस दायित्व के निर्वहन में जोखिम प्रबंधन विभाग के विभिन्न कक्ष यथा ऋण जोखिम प्रबंधन कक्ष, बाजार जोखिम प्रबंधन कक्ष (ए.एल.एम.) तथा संचालनगत जोखिम प्रबंधन कक्ष इसकी मदद करते हैं।
- महाप्रबंधक के नियंत्रणाधीन निरीक्षण विभाग के साथ-साथ जोखिम प्रबंधन विभाग, ऋणों की गुणवत्ता पर निगरानी, समस्याओं की पहचान करना तथा कामियों को दूर करने का उपाय करता है। ऋणों का पुनरीक्षण/ऋणों की लेखा परीक्षा का कार्य ऋण लेखा परीक्षा के रूप में अलग से किया जाता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन/अल्पीकरण के लिए प्रयुक्त साधन

- ऋण अनुमोदन कर्ता प्राधिकारी शक्तियों का प्रत्यायोजन। बैंक की बहुविध जोखिम आधारित अनुमोदन प्रणाली के भीतर शक्तियों के प्रत्यायोजन की एक सुपरिभाषित योजना विद्यमान है, जिसकी जब कभी आवश्यकता हो, व्यवसायिक आवश्यकताओं की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है।
- विभिन्न स्वरूप के ऋणकर्ताओं के लिए एकल/समूह ऋण सुविधाओं जैसी ऋण/निवेश के विभिन्न पहलुओं पर तर्कसंगत ऋण सीमाएं प्रचलन में हैं।
- जोखिम, रेटिंग/मूल्यांकन – बैंक ने विभिन्न घटकों के लिए रेटिंग मॉडल लागू किए हुए हैं, जो प्रतिपक्ष के बहुविध जोखिम कारकों के एकल बिन्दु सूचक के रूप में कार्य करते हैं तथा ऋण मूल्यांकन निर्णयों में मददगार होते हैं।
- ऋण बही की गुणवत्ता के सतत् मूल्यांकन तथा ऋण प्रशासन में गुणात्मक सुधार के लिए ऋण लेखा परीक्षा/ऋण पुनरीक्षण पद्धति एक प्रभावी उपकरण है।

B. CREDIT RISK MANAGEMENT AND OBJECTIVES:

To effectively identify, assess, measure, and manage the credit risk exposure of the Bank, with a view to contain it within desired limits in relation to the risk appetite of the Bank and commensurate with the availability of Capital. In doing so, the Bank's Credit Risk philosophy aims at minimising risk and maintaining it within the levels which shall ensure safety of the Bank's financial resources, including stakeholders' equity and, at the same time, also ensure a steady and healthy financial growth.

STRATEGIC POLICY OF THE BANK - CREDIT RISK:

The Bank has a comprehensive and well defined Loan Policy which covers various aspects of strategic planning. The loan policy of the Bank is reviewed from time to time, depending on requirements of the changes in loan portfolio and general economic and market scenario. The loan policy is also subjected to a comprehensive review by the Board at least once a year. The loan policy of the Bank addresses, among other things:

- Exposure ceilings and prudential caps in different industry segments and borrower categories.
- Pricing based on risk profile linked to credit ratings and/or retail segments.
- Guidelines relating to procedures and systems for appraisal, sanction, and monitoring of loans and modes of dispensation of credit.
- Credit Rating framework.
- Inspection mechanism and compliance of regulatory and policy guidelines.

CREDIT RISK MANAGEMENT ARCHITECTURE:

- The organizational structure of the Bank for Credit Risk Management function has the Board of Directors at the Apex level that has the overall oversight of management of risks.
- The Risk Management Committee (RMC) which is the sub-committee of the Board headed by the Chairman & Managing Director devises the policy and strategy for integrated risk management including credit risk.
- At the operational level, the Credit Risk Management Committee (CRMC) manages the credit risk. The main function includes implementation of credit risk management policies approved by the Board, monitoring credit risk on a bank wide basis, recommending to the board for its approval all policies relating to credit risk management, prudential limits on credit exposures, portfolio management, loan products etc. There is a structured and standardized credit approval process including a comprehensive credit appraisal procedure. In order to assess the credit risk associated with any financing proposal, the Bank assesses a variety of risks relating to the borrower and the relevant industry.
- The Risk Management Department (RMD) headed by the General Manager, measures, controls and manages credit risk on bank wide basis within the limits set by the Board and enforces compliance with risk parameters set by Board/RMC/CRMC. The RMD is duly supported by Credit Risk Management Cell, Asset Liability Management Cell and Operations Risk Management Cell.
- The Inspection Department as well as Credit Monitoring Department headed by a General Manager monitor the quality of loan portfolio identifies problems and takes steps to correct deficiencies. Loan review / credit audit is undertaken by the Credit Audit function.

TOOLS USED FOR CREDIT RISK MANAGEMENT / MITIGATION

- Credit Approving Authority-Delegation of Powers. The Bank has a well-defined scheme of delegation of powers with a multi-tier risk based approving system, which is reviewed periodically and revised as and when necessary to meet the compulsions of business environment.
- Prudential Limits on various aspects of credit / investment like Single / Group borrower limits for various types of borrowers are in place.
- Risk Rating/Pricing - The bank has introduced rating models for various segments, which serve as a single point indicator of diverse risk factors of a counter party and support credit and pricing decisions.
- Credit Audit/Loan review mechanism is an effective tool for constantly evaluating the quality of loan book and to bring about qualitative improvements in credit administration

- संविभाग प्रबंधन – शुरूआती दौर में बैंक ने एक साधारण संविभाग निगरानी फ्रेमवर्क लागू किया है। भविष्य में बैंक अत्याधुनिक संविभाग प्रबंधन मॉडल को लागू करेगा।

जोखिम आंकलन : -

वर्तमान में ऋण जोखिम को व्यक्तिगत स्तर पर ऋण दर तथा पोर्टफोलियो स्तर पर जोखिम भारित आस्तियों के माध्यम से निर्धारित किया गया है तथा पूंजी को जोखिम भार आधार पर व्यवस्थित किया गया है।

कुल निवल ऋण जोखिम का प्रकटीकरण

	श्रेणी	राशि रु./करोड़
1	निधि आधारित ऋण राशि का प्रकटीकरण	57857.74
2	गैर निधि आधारित ऋण राशि का प्रकटीकरण	3433.43

ऋण राशि का भौगोलिक वितरण

	श्रेणी	राशि रु./करोड़
1	विदेशी निधि आधारित ऋण राशि का प्रकटीकरण	शून्य
	गैर निधि आधारित ऋण राशि का प्रकटीकरण	शून्य
2	देशी निधि आधारित ऋण राशि का प्रकटीकरण	57857.74
	गैर निधि आधारित ऋण राशि का प्रकटीकरण	3433.43

जोखिम का उद्योगवार वितरण

राशि रु./करोड़

उद्योग	निधिक	गैर-निधिक	कुल
क. खाद्यान्न तथा उत्खनन	837.53	107.98	945.51
क.1 कोयला/हार्ड लिगनाईट/पीट	2.04	86.19	88.23
क.2 अन्य खाद्यान्न	835.49	21.79	857.28
ख. खाद्य प्रसंस्करण	1176.84	26.43	1203.27
ख.1 चीनी	187.80	18.37	206.16
ख.2 खाद्य तेल और वनस्पति	112.57	0.57	113.14
ख.3 चाय	0.28	0.00	0.28
ख.4 कॉफी	0.00	0.00	0.00
ख.5 अन्य खाद्य प्रसंस्करण	876.19	7.49	883.68
ग. बेवरेज एवं तंबाकू	484.77	18.04	502.81
ग.1 तंबाकू एवं तंबाकू उत्पाद	0.59	0.00	0.59
ग.2 बेवरेज एवं तंबाकू अन्य	484.18	18.04	502.22
घ. कपड़ा उद्योग	1412.67	58.35	1471.02
घ.1 कॉटन	633.38	43.20	676.58
घ.1.1 स्पनिंग	570.63	32.70	603.33
घ.2 जूट	2.93	0.00	2.93
घ.2.1 स्पनिंग	1.17	0.00	1.17
घ.3 हैंडीक्राफ्ट/खादी (एनपीएस)	21.12	0.08	21.20
घ.3.1 स्पनिंग	3.07	0.00	3.07
घ.4 सिल्क	39.97	5.11	45.08
घ.4.1 स्पनिंग	31.24	0.59	31.83

- Portfolio Management - to start with, the bank has introduced a simple portfolio-monitoring framework. Going forward the bank will be graduating to a more sophisticated Portfolio Management model.

RISK MEASUREMENT

At present Credit Risk is assessed through Risk rating at the individual level and through Risk Weighting of the assets at the portfolio level and capital is maintained based on Risk Weights.

Total gross credit risk exposures

	Category	Amt. - ₹/ Crores
1	Fund Based Credit Exposures	57857.74
2	Non Fund Based Credit Exposures	3433.43

Geographic distribution of exposures

	Category	Amt. - ₹/ Crores
1	Overseas	NIL
	Fund Based Credit Exposures	
	Non Fund Based Credit Exposures	NIL
2	Domestic	57857.74
	Fund Based Credit Exposures	
	Non Fund Based Credit Exposures	3433.43

INDUSTRY TYPE DISTRIBUTION OF EXPOSURES

Amt. - ₹/ Crores

INDUSTRY	FUNDED	NON FUND	TOTAL
A.MINING & QUARRYING	837.53	107.98	945.51
A.1 COAL/HARD LIGNITE/PEAT	2.04	86.19	88.23
A.2 MINING OTHERS	835.49	21.79	857.28
B.FOOD PROCESSING	1176.84	26.43	1203.27
B.1 SUGAR	187.80	18.37	206.16
B.2 EDIBLE OILS & VANASPATHI	112.57	0.57	113.14
B.3 TEA	0.28	0.00	0.28
B.4 COFFEE	0.00	0.00	0.00
B.5 FOOD PROC.- OTHERS	876.19	7.49	883.68
C.BEVERAGES & TOBACCO	484.77	18.04	502.81
C.1 TABACCO & TOBACCO PROD.	0.59	0.00	0.59
C.2 BEVERAGES & TOBACCO-OTHERS	484.18	18.04	502.22
D.TEXTILES	1412.67	58.35	1471.02
D.1 COTTON	633.38	43.20	676.58
D.1.1 SPINNING	570.63	32.70	603.33
D.2 JUTE	2.93	0.00	2.93
D.2.1 SPINNING	1.17	0.00	1.17
D.3 HANDICRAFT/KHADI (NPS)	21.12	0.08	21.20
D.3.1 SPINNING	3.07	0.00	3.07
D.4 SILK	39.97	5.11	45.08
D.4.1 SPINNING	31.24	0.59	31.83

घ.5 वूलन	40.30	0.07	40.37
घ.5.1 स्पिनिंग	27.30	0.05	27.35
घ.6 कपड़ा उद्योग अन्य	674.98	9.89	684.87
ङ. चमड़ा-चमड़ा उत्पाद	136.02	3.46	139.48
च.लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	93.19	3.19	96.38
छ. कागज तथा कागज उत्पाद	102.27	1.29	103.56
ज. पेट्रोल/ कोयला/नाभकीय ईंधन	60.81	0.29	61.10
झ.रसायन एवं रसायन उत्पाद	520.11	17.12	537.23
झ.1 फर्टीलाइजर	135.86	0.00	135.86
झ.2 ड्रग्स एवं फार्मा	266.17	6.04	272.21
झ.3 पेट्रोल -रसायन	64.59	6.62	71.21
झ.4 रसायन एवं रसायन उत्पाद	53.48	4.47	57.94
ट. रबर, प्लास्टिक एवं इसके उत्पाद	196.54	20.57	217.10
ठ. कांच एवं इसके बने उत्पाद	12.11	0.31	12.42
ड. सीमेंट-सीमेंट उत्पाद	252.13	14.36	266.48
ढ. मूल धातु-धातु उत्पाद	2433.65	195.70	2629.35
ढ.1 लोहा और स्टील	1662.38	35.65	1698.03
ढ.2 अन्य धातु तथा धातु उत्पाद	771.27	160.05	931.32
ण. समस्त इंजीनियरिंग	672.24	135.53	807.77
ण.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	61.66	9.35	71.01
ण.2 समस्त इंजीनियरिंग-अन्य	610.58	126.18	736.75
त. वाहन/वाहन कलपूर्ज / टीपीटी औजार	300.00	127.40	427.40
थ. रतन और आभूषण	67.88	225.43	293.30
द. निर्माण	828.69	329.55	1158.24
ध. मूलभूत आवश्यक तत्व	18164.82	895.95	19060.78
ध.1 ट्रांसपोर्ट	1740.74	338.94	2079.68
ध.1.1 रेलवे	45.82	43.80	89.61
ध.1.2 रोडवेज	1256.47	275.27	1531.74
ध.1.4 वाटरवेज	18.36	0.47	18.83
ध.1.5 अन्य	420.10	19.40	439.50
ध.2 ऊर्जा	12459.97	468.96	12928.93
ध.2.1 इलेक्ट्रॉनिक्स (सामा. / टीआरएमएन / डीटीबी)	12433.73	468.96	12902.69
ध.2.2 तेल (एसटीआरजी / पाइपलाईन)	26.23	0.01	26.24
ध.2.3 गैस एलएनजी एसटीआरजी / पाइपलाईन	0.01	0.00	0.01
ध.3 टेलीकम्यूनिकेशन	334.34	8.44	342.78
ध.4 मूलभूत आवश्यक तत्व-अन्य	3629.77	79.62	3709.39
ध.4.1 वाटर सैनिटेशन	1042.60	13.71	1056.32
ध.4.2 सामाजिक और कम्यूनिकेशन	2587.17	65.90	2653.07
न. अन्य उद्योग	185.62	29.78	215.40
प. अवशिष्ट	29919.88	1222.70	31142.58
प. क शिक्ष ऋण	231.79	0.34	232.13
प.ख विमानन क्षेत्र	870.89	0.19	871.08
कुल योग	57857.74	3433.43	61291.17

उल्लेखनीय ऋण जोखिम

उद्योग जहां कुल ऋण जोखिम, कुल आधारित निधि तथा गैर निधि आधारित ऋण जोखिम के 5% से अधिक है।

D.5 WOOLEN	40.30	0.07	40.37
D.5.1 SPINNING	27.30	0.05	27.35
D.6 TEXTILE-OTHERS	674.98	9.89	684.87
E.LEATHER & LEATHER PRODUCTS	136.02	3.46	139.48
F.WOOD & WOOD PRODUCTS	93.19	3.19	96.38
G.PAPER & PAPER PRODUCTS	102.27	1.29	103.56
H.PETRO./COAL/NUCLEAR FUELS	60.81	0.29	61.10
I.CHEMICALS & CHEMICAL PROD.	520.11	17.12	537.23
I.1 FERTILISERS	135.86	0.00	135.86
I.2 DRUGS AND PHARMA.	266.17	6.04	272.21
I.3 PETRO-CHEMICALS	64.59	6.62	71.21
I.4 CHEMICALS & CHEMICAL PROD.- O	53.48	4.47	57.94
J.RUBBER, PLASTIC & ITS PROD.	196.54	20.57	217.10
K.GLASS & GLASSWARE	12.11	0.31	12.42
L.CEMENT AND CEMENT PROD.	252.13	14.36	266.48
M.BASIC METAL & METAL PROD.	2433.65	195.70	2629.35
M.1 IRON & STEEL	1662.38	35.65	1698.03
M.2 OTHER METAL & METAL PROD.	771.27	160.05	931.32
N.ALL ENGINEERING	672.24	135.53	807.77
N.1 ELECTRONICS	61.66	9.35	71.01
N.2 ALL ENGG. - OTHERS	610.58	126.18	736.75
O.VEHCLES/V.PARTS/TPT.EQPM.	300.00	127.40	427.40
P.GEMS & JEWELLARY	67.88	225.43	293.30
Q.CONSTRUCTIONS	828.69	329.55	1158.24
R.INFRASTRUCTURE	18164.82	895.95	19060.78
R.1 TRANSPORT	1740.74	338.94	2079.68
R.1.1 -RAILWAYS	45.82	43.80	89.61
R.1.2 -ROADWAYS	1256.47	275.27	1531.74
R.1.4 -WATERWAYS	18.36	0.47	18.83
R.1.5 -OTHERS	420.10	19.40	439.50
R.2 ENERGY	12459.97	468.96	12928.93
R.2.1 -ELEC(GEN/TRMN/DTB)	12433.73	468.96	12902.69
R.2.2 -OIL (STRG/PIPELINES)	26.23	0.01	26.24
R.2.3 -GAS/LNG STRG/PIPELINE	0.01	0.00	0.01
R.3 TELECOMMUNICATION	334.34	8.44	342.78
R.4 INFRA-OTHERS	3629.77	79.62	3709.39
R.4.1 -WATER SANITATION	1042.60	13.71	1056.32
R.4.2 -SOCIAL & COMM.	2587.17	65.90	2653.07
S.OTHER INDUSTRIES	185.62	29.78	215.40
T.RESIDUARY	29919.88	1222.70	31142.58
T.a EDUCATION LOAN	231.79	0.34	232.13
T.b AVIATION SECTOR	870.89	0.19	871.08
Grand Total	57857.74	3433.43	61291.17

Significant Exposure

Industry where the Total Exposure is more than 5% of Total Fund based and Non-fund based exposure:

राशि- रु/करोड़

क्रम सं०	उद्योग	प्रकटीकरण
1	बुनियादी सुविधाएं	19060.78
2	अवशिष्ट	31142.58

आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता विकार

राशि- रु/करोड़

अवधि पूर्ण होने का स्वरूप;समयावधिद्ध	ऋण एवं जोखिम	निवेश (बही मूल्य)	विदेशी मुद्रा		जमा राशियां	उधार
			देयताएं	आस्तियां		
अगला 1 दिन	547.63	0.39	30.18	221.23	584.18	0.00
2 दिन से 7 दिन	1044.21	346.32	0.74	17.80	1547.94	380.00
8 दिन से 14 दिन	1473.68	292.94	5.08	24.86	2016.91	0.00
15 दिन से 28 दिन	2270.23	480.30	12.12	50.09	3564.36	0.00
29 दिनों से 3 माह	6617.49	4076.32	29.91	191.97	11947.63	40.00
3 माह से अधिक 6 माह तक	3844.42	36.69	32.33	73.03	10739.15	200.04
6 माह से अधिक 1 वर्ष तक	7320.15	899.81	94.68	0.00	27745.45	0.00
1 वर्ष से अधिक 3वर्षों तक	14495.39	2417.71	92.77	0.00	13121.22	150.00
3 वर्षों से अधिक 5 वर्षों तक	9011.54	5874.52	8.70	0.00	4321.80	100.00
5 वर्षों से अधिक	10614.33	13869.11	0.00	0.00	9141.52	1435.00
कुल योग	57239.07	28294.11	306.51	578.98	84730.17	2305.04

एन-पी-ए- की राशि(सकल)

	श्रेणी	राशि-रु/-करोड़
1.	अवस्तरीय	1494.81
2.	संदिग्ध 1	672.15
3.	संदिग्ध 2	346.99
4.	संदिग्ध 3	13.33
5.	हानि	26.24

निवल:- एन.पी.ए.

राशि- रु/-करोड़

निवल:- एन.पी.ए.	1918-60
-----------------	---------

एन-पी-ए-अनुपात

	श्रेणी	प्रतिशत
1.	सकल अग्रिम का सकल एन.पी.ए.	4.41%
2.	निवल अग्रिम का निवल एन.पी.ए.	3.35%

एन-पी-ए-(सकल) में उतार-चढ़ाव

	राशि. रु / करोड़
अथशेष	1536.90
जमा	1619.61
कमी	602.99
हानिशेष	2553.52

Amt. - ₹/ Crores

S.No.	Industry	Exposure
1	Infrastructure	19060.78
2	Residuary	31142.58

RESIDUAL CONTRACTUAL MATURITY BREAKDOWN OF ASSETS

Amt. - ₹/ Crores

Maturity Pattern's (Time Buckets)	Loans & Advances	Investments (Book Value)	Foreign Currency		Deposits	Borrowings
			Liabilities	Assets		
Next 1 Day	547.63	0.39	30.18	221.23	584.18	0.00
2 Days To 7 Days	1044.21	346.32	0.74	17.80	1547.94	380.00
8 Days To 14 Days	1473.68	292.94	5.08	24.86	2016.91	0.00
15 Days To 28 Days	2270.23	480.30	12.12	50.09	3564.36	0.00
29 Days To 3 Months	6617.49	4076.32	29.91	191.97	11947.63	40.00
Over 3 Months To 6 Months	3844.42	36.69	32.33	73.03	10739.15	200.04
Over 6 Months To 1 Year	7320.15	899.81	94.68	0.00	27745.45	0.00
Over 1 Year To 3 Years	14495.39	2417.71	92.77	0.00	13121.22	150.00
Over 3 Years To 5 Years	9011.54	5874.52	8.70	0.00	4321.80	100.00
Over 5 Years	10614.33	13869.11	0.00	0.00	9141.52	1435.00
GRAND TOTAL	57239.07	28294.11	306.51	578.98	84730.17	2305.04

Amount of NPAs (Gross)

	Category	Amt. - ₹/ Crores
1	Substandard	1494.81
2	Doubtful 1	672.15
3	Doubtful 2	346.99
4	Doubtful 3	13.33
5	Loss	26.24

Net NPAs

Amt. - ₹/ Crores

Net NPAs	1918.60
----------	---------

NPA Ratios

	Category	Percent
1	Gross NPAs to Gross advances	4.41%
2	Net NPAs to Net advances	3.35%

Movement of NPAs (Gross)

	Amt. - ₹/ Crores
Opening Balance	1536.90
Additions	1619.61
Reductions	602.99
Closing Balance	2553.52

एन-पी-ए- हेतु प्रावधानों में उतार-चढ़ाव

	राशि- रु/करोड़
अथ शेष	412.56
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	564.68
बट्टे खाते खोलना	
अधिक प्रावधानों का पुनरांकन	358.57
इतिशेष	618.67

गैर-निष्पादित निवेशों की राशि

	राशि. रु/करोड़
गैर-निष्पादित निवेशों की राशि	59.04

गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधानों की राशि

	राशि- रु/करोड़
गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान	33.45

निवेश पर मूल्य घास हेतु प्रावधानों में उतार-चण्ड़ाव

	राशि. रु/करोड़
अथ शेष	22.73
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	9.55
बट्टे खाते खोलना	शून्य
अधिक प्रावधानों का पुनरांकन	13.23
इतिशेष	19.05

तालिका डी.एफ. 4 – ऋण जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत संविभाग का प्रकटीकरण गुणात्मक प्रकटीकरण

1. बैंक ने सी.आर.ए.आर. परिकलन हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार निर्धारण करने के लिए निम्न श्रेणी निर्धारक एजेन्सियों की सामान्य रेटिंग का उपयोग करना अनुमोदित किया है। घरेलू दावों के लिए किसिल, आईसीआरए, इंडिया रेटिंग, ब्रिकवर्क, एसएमईआरए तथा केयर एवं अनिवासी कॉरपोरेट, विदेशी बैंकों तथा विदेशी सरकार के दावों के लिए एस एण्ड पी, फिच तथा मूडीज को अनुमोदित किया है।
2. भारतीय रिजर्व बैंक की परिभाषा के अनुसार इन समस्त एजेन्सियों का श्रेणी निर्धारण समस्त प्रकार के ऋण जोखिमों के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। बासल-II के अंतर्गत किसिल परिकलन हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार के लिए श्रेणी का निर्धारण किया जा रहा है।
3. बैंकिंग बहियों में तुलनात्मक आस्तियों पर आधारित श्रेणी निर्धारण के आधार पर सार्वजनिक निर्गम के अंतरण के लिए प्रयोग में लाई गई प्रक्रिया भारतीय रिजर्व बैंक की विनियामक अनिवार्यता के अनुरूप है। श्रेणी निर्धारक एजेन्सियों द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक श्रेणी निर्धारण उनकी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, जिसका उद्देश्य हेतु उपयोग किया गया है। सम्बन्धित श्रेणी निर्धारक एजेन्सी के मासिक बुलेटिन के अनुसार लागू श्रेणी तथा जिसकी कम से कम गत 15 माह में एक बार समीक्षा की जा चुकी है, का इस उद्देश्य हेतु प्रयोग किया गया है।
4. जहाँ प्रत्येक ऋण जोखिम का श्रेणी निर्धारण केवल एक अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सी द्वारा किया गया है, के अपवाद को छोड़कर, प्रतिपक्ष विशेष पर समस्त ऋण जोखिम के लिए बैंक ने केवल एक एजेन्सी के श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया है यद्यपि इन ऋण जोखिमों का एक से अधिक एजेन्सियों द्वारा श्रेणीकरण किया गया है।
5. जोखिम भार हेतु पात्रता के लिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि बाहरी ऋण मूल्यांकन तथा बैंक द्वारा उसे प्रदत्त समस्त भुगतान अर्थात् मूल राशि तथा ब्याज के सम्बन्ध में, ऋण जोखिम एक्सपोजर की पूरी राशि शामिल करता है तथा प्रतिबिंबित करता है। जोखिम भार के लिए कॉरपोरेट ग्रुप में एक कम्पनी के लिए बाहरी निर्धारण का प्रयोग उसी ग्रुप की अन्य कम्पनियों के बाहरी निर्धारण के लिए प्रयोग नहीं किया गया है।
6. आस्तियाँ जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष या उससे कम है, के लिए अल्पावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है जबकि अन्य आस्तियों के लिए दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है। नकद उधार एक्सपोजर के लिए दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है।

Movement of Provisions for NPAs

	Amt. - ₹/ Crores
Opening Balance	412.56
Provisions made during the period	564.68
Write-off	358.57
Write-back of excess provisions	
Closing Balance	618.67

Amount of Non-Performing Investments

	Amt. - ₹/ Crores
Amount of Non-Performing Investments	59.04

Amount of provisions held for non-performing investments

	Amt. - ₹/ Crores
Provisions held for non-performing investments	33.45

Movement of provisions for depreciation on investments

	Amt. - ₹/ Crores
Opening Balance	22.73
Provisions made during the period	9.55
Write-off	Nil
Write-back of excess provisions	13.23
Closing Balance	19.05

Table DF 4 - CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH**Qualitative Disclosures**

1. The Bank has approved using the general rating of the following credit rating agencies for risk weighting under the standardized approach for CRAR calculations CRISIL, ICRA, India Rating, SMERA, BRICKWORK and CARE for domestic claims and S&P, FITCH and Moody's for claims on non-resident corporates, foreign banks and foreign sovereigns.

The ratings of all these agencies are being used for all exposures subjected to rating for risk weighting purposes under the standardized approach for CRAR calculations under Basel-II as defined by RBI.

3. The process used to transfer public issue ratings on to comparable assets in the banking book is as per regulatory requirements of RBI. The public ratings published by the rating agencies on their website are used for this purpose. Only, ratings which are in force as per monthly bulletin of the concerned rating agency and which have been reviewed at least once during the previous 15 months are used.
4. For all the exposures on a particular counterparty, bank uses the rating of only one agency, even though these exposures are rated by more than one with exception being where each of the exposures is rated by only one of the approved rating agencies.
5. To be eligible for risk-weighting purposes, it is ensured that the external credit assessment takes into account and reflects the entire amount of credit risk exposure the bank has with regard to all payments owed to it i.e., both principal and interest. External assessments for one entity within a corporate group is not used to risk weight other entities within the same group.
6. For assets that have contractual maturity less than or equal to one year, short term ratings are used while for other assets, long term ratings are used. For Cash Credit exposures long term ratings are taken.

7. जहाँ जारीकर्ता का एक दीर्घावधि एक्सपोजर है जिस पर बाहरी दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण के अनुसार 150 प्रतिशत जोखिम भार अभिष्ट होता है, उसी प्रतिपक्ष के समस्त गैर-श्रेणीगत दावे चाहे वे अल्पावधि हों या दीर्घावधि पर 150 प्रतिशत जोखिम भार माना जाएगा, सिवाए ऐसे दावों में जहाँ जोखिम कम करने की तकनीक प्रयोग में लाई गई हो अल्पावधि श्रेणी निर्धारण पर भी यही लागू होगा।
8. अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सियों द्वारा दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण को दीर्घावधि ऋण जोखिम भार के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार में प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जाता है। इसके विपरीत प्रतिपक्ष पर गैर निर्धारित अल्पावधि दावे, उस प्रतिपक्ष पर श्रेणीगत अल्पावधि दावे के लिए जोखिम भार से कम से कम एक स्तर ऊपर का जोखिम भार लागू होगा।
बैंक के विरुद्ध दर निर्धारण सुविधा से उत्पन्न जोखिम भार दावों के आकलन हेतु विशिष्ट रूप से जारी कम अवधि वाली प्रतिभूतियों को प्रयोग किया जाता है तथा कम अवधि वाली कॉरपोरेट दर निर्धारित प्रतिभूतियों को गैर-निर्धारित दीर्घावधि दावों हेतु जोखिम भार समर्थन के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता।
9. यदि पात्र ऋण निर्धारण एजेन्सियों द्वारा दो श्रेणी निर्धारण की गई हैं जिसमें दो अलग-अलग जोखिम भार अंकित किए गए हैं, वहाँ उच्चतर जोखिम भार लागू किया जाता है। यदि पात्र ऋण श्रेणी निर्धारण एजेन्सियों द्वारा तीन या अधिक श्रेणी निर्धारित की गई है जिसमें जोखिम भार अंकित किए गए हैं, वहाँ दो न्यूनतम जोखिम भार में से दूसरा उच्चतर जोखिम भार लागू किया गया है।
10. जहाँ विशेष निर्धारित मामलों में दावा निवेश नहीं है, निवेश दावों पर जोखिम भार चयनित ऋण श्रेणी वर्गीकरण एजेन्सी द्वारा विशेष श्रेणी निर्धारण पर आधारित हैं।
 - i) ऋण विशेष के लिए लागू श्रेणी निर्धारण (जहाँ श्रेणी वर्गीकरण के जोखिम भार गैर-श्रेणीकृत मामलों पर लागू जोखिम भार से कम है) बैंक के केवल गैर-निर्धारित दावों पर लागू है, जहाँ वर्गीकृत मामला एक अल्पावधि अनिवार्यता है यदि वह दावा समरूप वर्गीकृत है या हर प्रकार से विशिष्ट वर्गीकृत ऋण से अधिक है तथा गैर -निर्धारित मामलों की परिपक्वता निर्धारित मामलों की परिपक्वता के बाद नहीं है, को छोड़कर बैंक के केवल गैर-निर्धारित मामले पर लागू है।
 - ii) यदि जारीकर्ता या एकल निर्गम के लिए गैर-निर्धारित मामलों के लिए लागू जोखिम भार से अधिक या उसके बराबर जोखिम भार निर्धारण किया गया है तो उस प्रतिपक्ष पर गैर-निर्धारित मामलों के लिए वही जोखिम भार निर्धारित होगा जोकि ऋण जोखिम भार पर लागू होगा, यदि यह दावा उसके साथ-साथ या हर प्रकार से निर्धारित ऋण जोखिम भार से कम है।

मानकीकृत दृष्टिकोण रखते हुए जोखिम कम करने के बाद भार राशि

जोखिम भार श्रेणी	निर्धारित ऋण जोखिम	गैर.निर्धारित ऋण जोखिम	ऋण जोखिम कम करने के बाद जोखिम भार
100: जोखिम भार से कम	10509.08	21754.30	32263.37
100: जोखिम भार	5765.27	14377.32	20142.59
100: जोखिम भार से अधिक	4582.26	1539.32	6121.57
कटौती	0.00	0.00	0.00
कुल	20856.61	37670.94	58527.53

तालिका डी.एफ. 5.

ऋण जोखिम कम करना : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

1. संस्था के अर्जन का घाटे से बचाने के लिए, ऋण जोखिम कम करके राजस्व वृद्धि करना प्रबंधन का प्रमुख उपकरण है। बैंक अपने दैनिक परिचालन के दौरान ऋण जोखिमों को कम करने के लिए अनेक तरीके और तकनीक अपनाते हैं। परिपक्वता असंतुलन, मुद्रा असंतुलन और मूल्य समायोजन के पश्चात्, पूंजी प्रभार को कम करने हेतु पर्यवेक्षक ने ऋण जोखिम कम करने के उपायों की अनुमति दी है। नए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल-II तथा बेसल-III) के अंतर्गत पहचाने गए ऋण जोखिम कम करने के विभिन्न कारक (सी.आर.एम.) निम्न हैं :-

- सम्पाश्विक संचालन
- ऑन-बैलेंस-शीट-नेटिंग
- गारंटियाँ

7. Where an issuer has a long-term exposure with an external long term rating that warrants a risk weight of 150%, all unrated claims on the same counterparty, whether short-term or long-term, also receive a 150% risk weight, except in cases where credit risk mitigation techniques are used for such claims. Similar is the case with short-term rating.
8. The long-term ratings assigned by the approved rating agencies are directly mapped to the risk weights under the Standardised Approach for long-term exposures. On the contrary, the *unrated short-term* claim on counterparty attracts a risk weight of at least one level higher than the risk weight applicable to the rated short-term claim on that counterparty. Issue-specific short-term ratings are used to derive risk weights for claims arising from the rated facility against banks and a corporate's short-term rating is not used to support a risk weight for an unrated long-term claim.
9. If there are two ratings accorded by eligible credit rating agencies, which map into different risk weights, the higher risk weight is applied. If there are three or more ratings accorded by eligible credit rating agencies with different risk weights, the ratings corresponding to the two lowest risk weights are referred to and the higher of those two risk weights are applied, i.e., the second lowest risk weight.
10. The RW of the investment claim is based on specific rating by a chosen credit rating agency, where the claim is not an investment in a specific assessed issue:
 - i) the rating applicable to the specific debt (where the rating maps into a risk weight lower than that which applies to an unrated claim) is applied to the bank's un-assessed claim only if this claim ranks *pari-passu* or senior to the specific rated debt in all respects and the maturity of the un-assessed claim is not later than the maturity of the rated claim, except where the rated claim is a short term obligation.
 - ii) if either the issuer or single issue has been assigned a rating which maps into a risk weight equal to or higher than that which applies to unrated claims, an unrated claim on the same counterparty, is assigned the same risk weight as is applicable to the rated exposure, if this claim ranks *pari-passu* or junior to the rated exposure in all respects.

Exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach

Amt. - ₹/ Crores

Risk Weight Category	Rated Exposure	Un-Rated Exposure	Exposure After Credit Risk Mitigation
Below 100 % risk weight	10509.08	21754.30	32263.37
100 % risk weight	5765.27	14377.32	20142.59
More than 100 % risk weight	4582.26	1539.32	6121.57
Deducted	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20856.61	37670.94	58527.53

Table DF 5 - CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACHES

1. Qualitative Disclosures

1. Credit Risk Mitigation is a proactive management tool designed to enhance revenue growth, while protecting an entity's earnings from loss. Banks employ various methods and techniques to reduce the impact of the credit risks they are exposed to in their daily operations. Some of the credit risk mitigation techniques are permitted to be used by the supervisor for reducing the capital charge after adjustment for value, currency mismatch and maturity mismatch. Various Credit Risk Mitigants (CRM) recognized under the New Capital Adequacy Framework (Basel II) and Basel III are as follows:
 - Collateralised transactions
 - On-balance-sheet-netting
 - Guarantees

2. पात्र वित्तीय सम्पार्श्विक प्रतिभूतियाँ

मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत सभी सम्पार्श्विकों को ऋण जोखिम कम करने हेतु नहीं माना गया है। पहचानी गई वित्तीय सम्पार्श्विक निम्नलिखित हैं:-

- 1.) नकदी और जमाएं जिसमें विदेशी मुद्रा सम्मिलित हैं।
- 2.) सोना : 99.99 प्रतिशत की शुद्धता प्रमाणित करना।
- 3.) केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ।
- 4.) किसान विकास-पत्र और राष्ट्रीय बचत-पत्र।
- 5.) जीवन-बीमा पॉलिसियाँ।
- 6.) ऋण-प्रतिभूतियाँ : शर्तों के अनुसार वर्गीकृत।
- 7.) बैंक द्वारा शर्तों के अनुसार जारी अवर्गीकृत ऋण-प्रतिभूतियाँ।

8.) शर्तों के अनुसार म्यूच्युअल फंडों के यूनिट्स।

9.) पुनः प्रत्याभूतन (रीसिक्यूरिटाइजेशन), क्रेडिट रेटिंग हो या न हो, वित्तीय संपार्श्विक के पात्र नहीं।

सम्पार्श्विक संचालन में पूंजी राहत प्राप्त करने के लिए कुछ अतिरिक्त मानदंड हैं जिनका सीधे तौर पर सम्पार्श्विक प्रबंधन पर प्रभार पड़ता है और सम्पार्श्विक प्रबंधन के दौरान इन पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है।

3. ऑन-बैलेंस-शीट-नेटिंग

ऑन-बैलेंस-शीट-नेटिंग केवल ऋण/अग्रिमों (ऋण जोखिम के रूप में मान्य) और जमाओं (सम्पार्श्विक के रूप में मान्य) तक ही सीमित है, जहाँ बैंक के पास कानूनी रूप से लागू नेटिंग प्रबंध है जिसमें विशेष ग्रहणाधिकार प्रलेखों की जांच की जाती है और जिनका निवल आधार पर प्रबंधन किया जाता है।

4. गारंटियाँ : जहाँ गारंटियाँ सीधे तौर से, सुनिश्चित, अविकल्पी और शर्तरहित हैं, बैंक पूंजी पर्याप्तता की संगणना करते समय ऐसे ऋण संरक्षण को ध्यान में रखता है। बासल-III के अनुसार पात्र गारंटियों/प्रति गारंटियों के वर्ग में ये शामिल हैं :

- i) सम्प्रभु, सम्प्रभुता प्राप्त संस्थाएं (बी.आई.एस., आई.एम.एफ., यूरोपियन सेंट्रल बैंक और यूरोपियन समुदाय के साथ उल्लेखित एम.डी.बी.एस., ई.सी.जी.सी. एवं सी.जी.टी.एस.आई., सी.आर.जी.एफ.टी.एल.आई. एच. सम्मिलित हैं), बैंक और प्राईमरी डीलर जो प्रति पक्ष से कम भारित जोखिम युक्त हैं।
- ii) किसी प्रत्याभूतन अवस्थिति में जब ऋण संरक्षण प्रदान किया गया हो तो उसे छोड़कर अन्य कारक बाह्य निर्धारित होते हैं। इसमें मूल, सहायक तथा संबद्ध कंपनियों द्वारा ऋण संरक्षण प्रदान किया जाना शामिल है जब वे आभारी से कम जोखिम भार पर हों।
- iii) ऋण संरक्षण किसी प्रत्याभूतन अवस्थिति में प्रदान किया जाता है, अन्य कारक, जो उस समय बाह्य निर्धारित हैं बी.बी.बी.-अथवा बेहतर और जो बाह्य रूप से ए-अथवा बेहतर निर्धारित थे, उन्हें ऋण संरक्षण प्रदान किया गया था। इसमें मूल, सहायक तथा संबद्ध कंपनियों द्वारा ऋण संरक्षण प्रदान किया जाना शामिल है जब वे आभारी से कम जोखिम भार पर हों।

बैंक अभिमुखीकरण के प्रति सभी प्रकार की प्रतिभूतियाँ स्वीकार करता है। फिर भी बासल-III के नियमों के अनुसार, ऋण जोखिमों का समंजन से पूर्व, पात्र सम्पार्श्विकों पर विचार किया जाता है और उनका उचित उपचार किया जाता है। बैंक के पास ऋण जोखिम कम करने की एक विस्तृत पॉलिसी है और प्रतिभूतियों के मूल्यांकन करने के दिशा-निर्देश उपलब्ध हैं। बैंक गारंटियों की रेटिंग करते समय प्रति पार्टी से बेहतर गारंटीकर्ताओं की रेटिंग के मामलों में, पात्र गारंटियों का संज्ञान करता है। इसके अतिरिक्त ऋण सुरक्षा के लिए केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, ई.सी.जी.सी. और सी.जी.टी. कवर को भी उपयुक्त जोखिम भार लगाते समय ध्यान में रखा जाता है।

मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम संविभाग का प्रकटीकरण कवर किया गया। कुल ऋण जोखिम: पात्र वित्तीय प्रतिभूति कटौती करने के उपरान्त **2491.56** करोड़ रुपए

तालिका डी.एफ. 6. प्रतिभूतिकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

2. Eligible financial collateral:

All collaterals are not recognised as credit risk mitigants under the Standardised Approach. The following are the financial collaterals recognized:

- i) Cash and Deposits including deposits in foreign currency.
- ii) Gold: benchmarked to 99.99% purity.
- iii) Securities issued by Central and State Governments
- iv) Kisan Vikas Patra and National Savings Certificates
- v) Life insurance policies
- vi) Debt securities -Rated subject to conditions.
- vii) Debt securities not rated issued by banks subject to conditions
- viii) Units of mutual funds subject to conditions
- ix) Re-securitisations, irrespective of any credit ratings, are not eligible financial collateral.

There are certain additional standards for availing capital relief for collateralized transactions, which have direct bearing on the management of collaterals, and these aspects are taken into account during Collateral Management.

3. On-balance-sheet-netting

On-balance sheet netting is confined to loans/advances (treated as exposure) and deposits (treated as collateral), where Bank has legally enforceable netting arrangements, involving specific lien with proof of documentation and which are managed on a net basis.

4. Guarantees

Where guarantees are direct, explicit, irrevocable and unconditional, bank takes account of such credit protection in calculating capital requirements. The range of eligible guarantors / counter guarantors as per Basel III includes:

- i) Sovereigns, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank and European Community as well as those MDBs, ECGC and CGTSI, CRGFTLIH), banks and primary dealers with a lower risk weight than the counterparty;
- ii) Other entities that are externally rated except when credit protection is provided to a securitisation exposure. This would include credit protection provided by parent, subsidiary and affiliate companies when they have a lower risk weight than the obligor.
- iii) When credit protection is provided to a securitisation exposure, other entities that currently are externally rated BBB- or better and that were externally rated A- or better at the time the credit protection was provided. This would include credit protection provided by parent, subsidiary and affiliate companies when they have a lower risk weight than the obligor.

The Bank accepts all types of collaterals against exposures. However, for Basel-III norms, the eligible collaterals are considered and given appropriate treatment before they are set-off against exposures. The bank has a well laid-out Credit Risk Mitigation & Collateral management Policy and also guidelines for valuation of collaterals. The Bank also takes cognizance of eligible guarantees and substitution of rating of guarantor(s) in cases where these are better than that of the counter-party. Besides, for purposes of credit protection, Central Govt., State Govt., ECGC and CGFT coverages are also taken into account to apply appropriate risk weights.

Disclosed credit risk portfolio under the standardised approach, the total exposure that is covered by: Eligible financial collateral; after the application of haircuts – ₹ 2491.56 crore

Table DF 6- SECURITISATION: DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH

Qualitative Disclosures

आस्तियों के प्रतिभूतिकरण की नीति के उद्देश्य

संसाधनों को बढ़ाने हेतु

- 1.1 उचित मूल्य पर (आस्ति आधारित प्रतिभूतिकरण/बंधक के माध्यम से) बैंक के संसाधनों को बढ़ाना।
- 1.2 जरूरत पड़ने पर, परिपक्वता अंतर को कम करने के लिए, उत्तम आस्ति देयता प्रबंधन हेतु लम्बी समयावधि की आस्तियों को बेचा जा सकता है।
- 1.3 बैंक की संवृद्धि को प्रभावित किए बिना दक्षता से पूंजी कोष की व्यवस्था करने के लिए।
- 1.4 पूंजी की दुर्लभता के बावजूद व्यवसाय की निरंतरता तथा आस्तियों के आवर्तन हेतु।
- 1.5 निधियों के नए स्रोतों का उपयोग तथा वर्तमान निधियों के साधनों का विविधीकरण।
- 1.6 प्रतिलाभ को बढ़ाने के लिए आस्तियों का जल्दी जल्दी क्रय-विक्रय।
- 1.7 ऋण संविभाग के उचित प्रबंधन के लिए उच्च संक्रेन्द्रण के क्षेत्रों में आस्तियों को किराए पर लेकर, बैंक इन क्षेत्रों में अतिरिक्त व्यवसाय करना जारी रखने की स्थिति में होगा और इस तरह बाजार में अपना हिस्सा, ग्राहक संबंध इत्यादि बरकरार रख सकता है।
- 2- **अधिशेष निधियों का अभिनियोजन :** पीटीसी के लिए अभिदान करके या फिर उचित प्रतिलाभ दर वाले ऋणों के द्विपक्षीय आवंटन के माध्यम से आस्तियों की खरीद द्वारा अधिशेष निधियों के थोक अभिनियोजन का भी एक साधन।
बैंक ने प्रतिभूतिकरण के अंतर्गत ऋण संविभाग को किसी अन्य संस्था (ओं) को नहीं बेचा है।
मानक समूह आस्तियों के प्रतिभूतिकरण (समनुदेशन) के अंतर्गत ऋण जोखिम (बकाया शेष) 78.69 करोड़ रुपए

तालिका डी.एफ. 7. ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बाजार जोखिम का आशय ब्याज दरों में परिवर्तन, विदेशी मुद्रा दरों, बाजार मूल्यों एवं परिवर्तनीयता से होने वाले भविष्य की आय की अनिश्चितता से है। बैंक यह मानता है कि बाजार जोखिम में उसके उधार/ऋण देने तथा जमा लेने जैसे व्यवसायों और निवेश गतिविधियों यथा स्थान ग्रहण करना एवं व्यापार करना भी शामिल है। बाजार जोखिम का निवेश नीतियों के अनुसार प्रबंधन किया जाता है जिसका अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया जाता है। ये नीतियों, प्रतिभूतियों के प्रचालन, विदेशी मुद्रा तथा अन्य उत्पादों को सुदृढ़ एवं स्वीकार्य व्यापार, कार्य प्रक्रियाओं के अनुसार होना सुनिश्चित करती है और जहां तक हो सके ये विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय प्रतिभूतियों के अंतरण को शासित करने वाले विधानों तथा वित्तीय परिवेश के अनुसरण में कार्य करते हैं। व्यापार की पुस्तकों में बाजार जोखिम का आंकलन मानकीकृत आवधिक अभिरूख के अनुसार किया जाता है। ट्रेडिंग (व्यापार) के आयोजन हेतु तथा विक्रय के लिए उपलब्ध पोर्टफोलियो के अनुसार पूंजीगत चार्ज की संगणना भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रूडेंशियल दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाती है।

बाजार जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य :

बाजार जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं :

- परिसमाप्ति का प्रबंधन
- ब्याज दर जोखिम एवं विनिमय दर जोखिम का प्रबंधन
- निवेश पोर्टफोलियो का उचित वर्गीकरण एवं मूल्यांकन
- निवेशों तथा व्युत्पादों पदार्थों की पर्याप्त एवं उचित रिपोर्टिंग
- विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन

मात्रात्मक प्रकटीकरण

पूंजी आवश्यकता	राशि. रु/करोड़
ब्याज दर जोखिम	175.54
शेयर स्थिति जोखिम	37.25
विदेशी विनिमय जोखिम	0.77

तालिका डी.एफ. 8. परिचालनगत जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

Objective of Policy on Securitization of Assets

1. For Raising Resources

- 1.1 To raise resources for the Bank (through mortgage/ asset backed securitization) at a reasonable cost.
- 1.2 For better asset liability management as long tenure assets can be disposed off, in case of need, to reduce the maturity mismatches.
- 1.3 To manage the capital funds efficiently without effecting the growth of the Bank.
- 1.4 To rotate assets and to continue to book business even while capital availability is scarce.
- 1.5 To access to new source of funding and diversify the existing funding sources.
- 1.6 To maximize the returns by churning assets fast.
- 1.7 For better managing the credit portfolio. By hiring of assets in sectors of high concentration, the Bank would be in a position to continue to book additional business in these sectors and hence maintain market share, client relationship etc.

2. For Deploying Surplus Funds: Avenue for bulk deployment of surplus funds either by subscribing to the PTCs or by purchase of assets through bilateral assignment of debts with reasonable rate of return.

However, Bank has not sold out any standard credit portfolio under securitization to any other entities.

Exposure (Balance Outstanding) under Securitisation (Assignment) of Standard Pool Assets – ₹ 78.69 crore

Table DF 7 - MARKET RISK IN TRADING BOOK

Qualitative disclosures

Market risk refers to the uncertainty of future earnings resulting from changes in interest rates, foreign exchange rates, market prices and volatilities. The Bank assumes market risk in its lending and deposit taking businesses and in its investment activities, including position taking and trading. The market risk is managed in accordance with the investment policies, which are approved by the Board. These policies ensure that operations in securities, foreign exchange and derivatives are conducted in accordance with sound and acceptable business practices and are as per the extant regulatory guidelines, laws governing transactions in financial securities and the financial environment. Market Risk in Trading Book is assessed as per the Standardized Duration approach. The capital charge for Held for Trading (HFT) and Available for Sale (AFS) portfolios is computed as per Reserve Bank of India prudential guidelines.

Market risk management objectives:

The objectives of market risk management are as follows:

- Management of liquidity
- Management of interest rate risk and exchange rate risk.
- Proper classification and valuation of investment portfolio
- Adequate and proper reporting of investments and derivative products
- Compliance with regulatory requirements

Quantitative Disclosures

The capital requirements for:	Amt. - ₹/ Crores
Interest rate risk;	175.54
Equity position risk;	37.25
Foreign exchange risk;	0.77

Table DF 8 - OPERATIONAL RISK

Qualitative disclosures

बैंक ने परिचालनगत जोखिम प्रबंधन तथा व्यवसाय निरंतरता आयोजन व आपदा वसूली प्रबंधन पर नीतियाँ तैयार की हैं। बैंक का निदेशक—मण्डल वार्षिक आधार पर इन नीतियों की समीक्षा करता है। बैंक जोखिम हानि आंकड़ों के संग्रहण की प्रक्रिया में लगा है। परिचालनात्मक जोखिम सम्बन्धी नीति के अनुसार कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति (ओ.आर.एम.सी.) गठित की गई है। ओ.आर.एम.सी. की नियमित बैठकें प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाती हैं। शाखाओं की ऑन साईट जोखिम आधारित आंतरिक लेखा—परीक्षा (आर.बी.आई.ए.) बैंक का निरीक्षण सम्पन्न करता है। 3 करोड़ रुपये से ऊपर के सभी ऋण प्रस्तावों, सीमाओं की नियमित रूप से ऋण लेखा—परीक्षा भी की जाती है।

हाउस कीपिंग, समाधान एवं धोखाधड़ी आदि से सम्बन्धित मामलों में क्रमशः निरीक्षण विभाग, समाधान विभाग एवं सतर्कता विभाग इनकी रिपोर्टिंग समय—समय पर ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड (ए.सी.बी.) को करते हैं। परिचालनात्मक जोखिम तथा व्यवसाय निरंतरता आयोजन से सम्बन्धित विनियामक रिपोर्ट को समयबद्ध एवं नियमित किया जाता है। परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की संगणना हेतु वर्तमान में बैंक मूलभूत सूचकांक पद्धति का अनुपालन कर रहा है। तथापि परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की संगणना उन्नत पद्धतियों की ओर उन्मुख होने की तैयारी भी बैंक के साथ—साथ कर रहा है।

तालिका डी.एफ. 9. बैंक की बहियों में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक बही में ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन तथा मूल्य निर्धारण आय पर जोखिम दृष्टिकोण हेतु परम्परात्मक अंतर तथा आर्थिक मूल्य दृष्टिकोण हेतु संशोधित अवधि अंतर के माध्यम से किया गया है। बैंक बही में ब्याज दर जोखिम के अन्तर्गत सभी अग्रिम तथा परिपक्वता तक रखे जाने वाले निवेश शामिल हैं। ऋण नीतियाँ तथा प्रक्रियाएँ/संरचना और संगठन/विषय—क्षेत्र तथा जोखिम सूचना—तंत्र की प्रकृति/नीतियाँ आदि डी.एफ.—8 के अन्तर्गत बताए अनुसार ही हैं। बैंकिंग बुक (आईआरआरबीबी) में ब्याज दर जोखिम के मापदण्डों की कार्य—पद्धति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्देशित दिशा—निर्देशों के अनुरूप है।

- 1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्धारित किया है कि ब्याज दर संवेदनशीलता (पुनर्मूल्य निर्धारण अंतर) विवरण जिसे मासिक अंतराल पर तैयार किया जाता है, के जरिए ब्याज दर जोखिम की निगरानी की जाए। तदनुसार, आस्ति देयता प्रबंधन समिति मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता की समीक्षा करती है। आस्तियों व देयताओं दोनों में ब्याज दर में समान परिवर्तन के कारण बैंक की शुद्ध ब्याज आय में होने वाले परिवर्तन का आकलन करती है।
- 1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अवधि अंतर विश्लेषण के दौरान ब्याज दर संवेदनशीलता के माध्यम से आस्तियों व देयताओं के आर्थिक मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान लगाने का भी निर्धारण किया है। बैंक तिमाही/मासिक अंतराल पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित अवधि अंतर विश्लेषण भी करता है। ईक्विटी के बाज़ार मूल्य (एमवीई) पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभावों का आवधिक अंतराल विश्लेषण के माध्यम से निरीक्षण किया जाता है। उपरोक्त का प्रयोग करते हुए, प्रत्येक बकेट हेतु आस्तियों एवं देयताओं की परिवर्तित अवधि की गणना की जाती है तथा उपरोक्त द्वारा देयताओं व आस्तियों की संशोधित अवधि की संगणना प्रत्येक काल—चक्र पर परिकलित की जाती है और ब्याज दर के 200 बीपीएस के परिवर्तन को जोड़ने के बाद मूल्य पर पड़े प्रभाव का परिकलन कर शुद्ध स्थिति प्राप्त की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मूल्य में सकारात्मक वृद्धि हुई है या नहीं।
- 1.3 आस्तियों तथा देयताओं के विवेकपूर्ण उपाय हेतु ईएआर तथा शुद्ध आवधिक अंतर की सीमा का निर्धारण किया जाता है तथा नियमित अंतराल पर इसकी निगरानी की जाती है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

क) जोखिम पर आय

राशि- रु/-करोड़

एक वर्ष अंतराल तक औसतन 100 आधार अंक परिवर्तन का प्रभाव	81- 71
--	--------

ख) आर्थिक मूल्य हेतु संशोधित अवधि (एम.वी.ई.)—6.81 प्रतिशत

तालिका डी.एफ.10 प्रतिपक्षीय ऋण जोखिम संबंधी अवस्थिति के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणवत्ता प्रकटीकरण

प्रतिपक्षीय ऋण जोखिम (सी.सी.आर) भुगतान से पूर्व अथवा भुगतान की तिथि को लेन—देन के निपटान के समय प्रतिपक्ष द्वारा की गई चूक वाला जोखिम है। प्रतिपक्ष की ऋण सीमाएं (अंतर बैंक सीमाएं) एएलएम नीति के अंतर्गत तय की जाती हैं और एएलएम नीति के माध्यम से ही निगरानी रखी जाती है। प्रतिपक्ष के साथ किए गए सभी व्युत्पाद लेन—देन का मूल्यांकन बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्युत्पाद नीति (डेरिवेटिव पालिसी) के माध्यम से किया जाता है। हालांकि बैंक ने कोई व्युत्पाद लेन—देन नहीं किया।

गलत तरीके से हुए ऋण जोखिम के लिए बैंक की कोई नीति नहीं है। बैंक को अभी किसी ऋण सहायक अनुबंध (सी.एस.ए.) समझौता प्रतिपक्षों के साथ करना है और इसका प्रभाव वर्तमान में अपरिमाण्य है।

The Bank has formulated Policies on “Operational Risk Management” and the “Business Continuity Plan & Disaster Recovery Management”. These policies are being reviewed by the Board of the Bank on annual basis. Bank is in process of collecting “Loss Data”.

As per the policy on Operational Risk, the Operational Risk Management Committee (ORMC) has been set up which is headed by the Executive Director. Regular meetings of the ORMC are convened at least on quarterly basis. Inspection Deptt of the bank undertakes onsite “Risk Based Internal Audit” (RBIA) of the branches. Credit Proposals / Limits beyond ₹ 3 Crores are subjected to Regular Credit Audit also.

Inspection, Reconciliation and Vigilance Departments are reporting matters relating to Housekeeping, Reconciliation and Frauds etc. periodically to ACB. Regulatory reporting with regard to Operational Risk and Business Continuity Plan is made timely & regularly. Bank is presently following ‘Basic Indicator Approach’ for calculating Capital Charge on Operational Risk. However, the bank is preparing to move to advance approaches of calculating capital charge for Operational Risk.

Table DF 9 -INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

Qualitative disclosures

The Interest rate risk in banking book is measured and managed by the bank through Traditional Gap for Earnings at Risk (Ear) approach and modified Duration Gap for Economic Value (MVE) Approach. Interest rate risk in banking book includes all advances and investments kept under Held to Maturity (HTM) portfolio. The strategies and process/structure of organization / scope and nature of risk reporting/policies etc. are the same as reported under DF – 8. The methodology adopted to measure the interest rate risk in banking book (IRRBB) is based on RBI suggested guidelines.

- 1.1 RBI has stipulated monitoring of interest rate risk through a Statement of Interest Rate Sensitivity (Reprising Gaps) to be prepared at monthly intervals. Accordingly, ALCO reviews Interest Rate Sensitivity statement on monthly basis and monitors the Earnings at Risk (EaR) which measures the change in net interest income of the Bank due to parallel change in interest rate on both the assets and liabilities.
- 1.2 RBI has also stipulated to estimate the impact of change in interest rates on economic value of bank's assets and liabilities through Interest Rate Sensitivity under Duration Gap Analysis (IRSD). Bank also carries out Duration Gap analysis as stipulated by RBI at monthly/quarterly intervals. The impact of interest rate changes on the Market Value of Equity (MVE) is monitored through Duration Gap Analysis. Using the above, Modified Duration of liabilities and assets for each bucket is calculated and the impact on their value for a change in interest rate by 200 bps is reckoned by adding up the net position is arrived to determine as to whether there will be a positive increase in the value or otherwise.
- 1.3 As a prudential measure limit has been fixed for EaR as well as for Net Duration Gap of the assets and liabilities and the same is monitored at regular intervals.

Quantitative Disclosures

a) Earning at Risk

Amt. - ₹/ Crores

At 100 bps change for gaps upto 1 year on average basis	81.71
---	-------

b) Modified Duration Gap for Economic Value (MVE) – 6.81%

Table DF-10: General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

Qualitative Disclosures

Counter Party Credit Risk (CCR) is the risk of default by the Counterparty towards settlement of transaction before or at the maturity. Counter party credit limits (Inter Bank limits) are set up and monitored through ALM Policy. All the Derivative Transactions with the Counterparty are evaluated through Board approved Derivative Policy of the Bank. However, Bank is not having any Derivative Transactions

Bank does not have any policy related to Wrong Way Risk exposure. Bank is yet to enter into any Credit Support Annex (CSA) Agreement with its Counterparties and such impact is currently not quantifiable.

मात्रात्मक

बैंक द्विपक्षीय नेटिंग को मान्यता नहीं देता है।

(करोड़ -रुपए/- में)

विवरण	सांकेतिक राशि	वर्तमान अवस्थिति
विदेशी मुद्रा संविदाएं	7104.90	221.65

बैंक के पास कोई व्युत्पाद अवस्थिति(एक्सपोजर)/लेन -देन में नहीं है।

तालिका डी.एफ.11. पूंजी की रचना

(करोड़ -रुपए/- में)

क्रम सं.	विनियामक समायोजनों के संक्रमण अर्थात् 31 मार्च 2013 से 31 दिसम्बर 2017 तक के दौरान बासल III के अंतर्गत आम प्रकटीकरण हेतु टैम्पलेट	राशि बासल III के लागू होने से पूर्व	संदर्भ सं.
1	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी: सहायक व आरक्षित		
1	प्रत्यक्षतः जारी सामान्य अर्हता शेयर पूँजी एवं तत्संबंधी अधिशेष स्टॉक (शेयर प्रीमियम)	979.26	
2	प्रतिधारित उपार्जन	183.21	
3	अन्य संचित व्यापक आय (एवं अन्य आरक्षित निधियां)	2818.06	
4	सीईटी 1 से प्रत्यक्षतः जारी पूँजी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कम्पनियों 1 पर लागू) 1.1.2018 तक सार्वजनिक क्षेत्र को पैतृक रूप से उपलब्ध कराई गई पूँजी	0.00	
5	अनुषंगियों द्वारा जारी व तीसरे पक्ष द्वारा रखी गई सामान्य शेयर पूँजी (सीईटी 1 समूह हेतु स्वीकृत राशि)	0.00	
6	विनियामक समायोजन से पूर्व सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी	3980.53	
	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी: विनियामक समायोजन		
7	विवेकसम्मत मूल्यांकन समायोजन	0.00	
8	साख (संबंधित कर देयता का शुद्ध)	0.00	
9	बंधक सर्विसिंग अधिकार के अतिरिक्त अन्य अमूर्त (संबंधित कर देयता का शुद्ध)	0.05	
10	आस्थगित कर आस्तियां	0.00	
11	नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि	0.00	
12	अनुमानित हानि हेतु किए गए प्रावधानों में कमी	0.00	
13	विक्रय पर प्रतिभूतिकरण लाभ	0.00	
14	उचित मूल्य देनदारियों पर अपने ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण हुआ लाभ एवं हानि	0.00	
15	निर्धारित लाभ पेशन फंड निवल सम्पत्तियां	0.00	
16	स्वयं के शेयरों में निवेश (यदि पूर्व में प्रस्तुत किए गए तुलन-पत्र में प्रदत्त पूँजी में निर्धारण न किया गया हो)	0.00	
17	सामान्य ईक्विटी में परस्पर प्रतिधारिता	13.47	

Quantitative

Bank does not recognize bilateral netting

₹in Crores

Particulars	Notional Amount	Current Exposure
Foreign Exchange Contracts	7104.90	221.65

Bank is not having any derivative exposure/transactions.

Table DF 11 – Composition of Capital

₹in Crores

	Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from March 31, 2013 to December 31, 2017)		Amounts Subject To Pre Basel III Treatment	Ref No.
S. No.	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	979.26		
2	Retained earnings	183.21		
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	2818.06		
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies ¹) Public sector capital injections grandfathered until 1/1/2018	0.00		
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00		
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	3980.53		
	Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments			
7	Prudential valuation adjustments	0.00		
8	Goodwill (net of related tax liability)	0.00		
9	Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	0.05		
10	Deferred tax assets	0.00		
11	Cash-flow hedge reserve	0.00		
12	Shortfall of provisions to expected losses	0.00		
13	Securitisation gain on sale	0.00		
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	0.00		
15	Defined-benefit pension fund net assets	0.00		
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	0.00		
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	13.47		

18	विनियामक समेकन के कार्यक्षेत्र से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कम्पनियों, जो विनियामक समेकन में सम्मिलित नहीं की जा सकती, मान्य अधिविक्रय की स्थिति के अनुसार, जहाँ बैंक के पास जारी किए गए शेयर पूँजी का 10 प्रतिशत से अधिक शेयर धारिता न हो, की पूँजी में निवेश (आरम्भिक 10प्रतिशत राशि से अधिक),	0.00		
19	विनियामक समेकन के कार्यक्षेत्र से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कम्पनियों, के सामान्य शेयरों में महत्वपूर्ण निवेश, मान्य अधिविक्रय की स्थिति के अनुसारए (आरम्भिक 10प्रतिशत से अधिक राशि की सीमा)	0.00		
20	बंधक सर्विसिंग अधिकार (आरम्भिक 10प्रतिशत राशि से अधिक),	संबंधित नहीं		
21	अस्थायी अन्तर के कारण उत्पन्न हुई आस्थगित कर आस्तियों (आरम्भिक 10प्रतिशत राशि से अधिक, संबंधित कर देयता का निवल),	संबंधित नहीं		
22	आरम्भिक 15प्रतिशत से अधिक की राशि	संबंधित नहीं		
23	जिसका: वित्त के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	संबंधित नहीं		
24	जिसका: बंधक सर्विसिंग अधिकार	संबंधित नहीं		
25	जिसका: अस्थायी अन्तर के कारण उत्पन्न हुई आस्थगित कर आस्तियों	संबंधित नहीं		
26	विशिष्ट राष्ट्रीय विनियामक समायोजन (26ए+26बी+26सी)	69.08		
26ए	असमेकित गैर-वित्तीय सहायक कम्पनियों की इक्विटी पूँजी में निवेश	0		
26बी	सर्वाधिक स्वामित्व वाली कम्पनियों, जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गयीं, के इक्विटी पूँजी में कमी	0		
26सी	अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	69.08		
	बासल III लागू होने से पूर्व सामान्य इक्विटी टियर 1 से संबद्ध राशि पर लागू विनियामक समायोजन	82.60		
	जिसका: समायोजन के नाम का उल्लेख करें, उदाहरण के लिए: एएफएस ऋण प्रतिभूतियों पर अमूर्त हानि हटाने के बाद (भारतीय संदर्भ में लागू नहीं)	.		
	जिसका: समायोजन के नाम का उल्लेख करें, उदाहरणार्थ अस्थायी अन्तर के कारण उत्पन्न हुई आस्थगित कर आस्तियों,	.		
	जिसका: समायोजन के नाम का उल्लेख करें, उदाहरणार्थ अमूर्त आस्तियां,	.		
27	अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 तथा टियर 2 के कारण कटौती की भरपाई हेतु टियर 1 के सामान्य इक्विटी पर लागू विनियामक समायोजन	.		
28	सामान्य इक्विटी टियर 1 पर कुल विनियामक समाशोधन	82.60		
29	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी (सीर्डटी1)	3897.93		
	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी: लिखत			
30	प्रत्यक्षतः जारी पात्र अतिरिक्त टियर 1 लिखत एवं संबंधित स्टॉक सरप्लस (31+32)	360.00		
31	जिसका: निर्धारित मानक लेखांकन के अधीन इक्विटी के रूप में परिभाषित (स्थायी असंचयी अधिमानित शेयर)	200.00		
32	जिसका: निर्धारित मानक लेखांकन के अधीन देयताओं के रूप में परिभाषित (स्थायी ऋण लिखत)	160.00		
33	अतिरिक्त टियर 1 में असम्मिलित प्रत्यक्षतः जारी पूँजी लिखत	288.00		

18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	0.00		
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	0.00		
20	Mortgage servicing rights ⁴ (amount above 10% threshold)	Not Relevant		
21	Deferred tax assets arising from temporary differences ⁵ (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	Not Relevant		
22	Amount exceeding the 15% threshold	Not Relevant		
23	of which: significant investments in the common stock of financials	Not Relevant		
24	of which: mortgage servicing rights	Not Relevant		
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	Not Relevant		
26	National specific regulatory adjustments (26a + 26b + 26c)	69.08		
26a	Investments in the equity capital of unconsolidated nonfinancial subsidiaries	0		
26b	Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0		
26c	Unamortised pension funds expenditures	69.08		
	REGULATORY ADJUSTMENTS APPLIED TO COMMON EQUITY TIER 1 IN RESPECT OF AMOUNTS SUBJECT TO PRE-BASEL III TREATMENT	82.60		
	OF WHICH: filtering out of unrealised losses on AFS debt securities (not relevant in Indian context)	-		
	OF WHICH: deferred tax assets arising from temporary differences	-		
	OF WHICH: intangible assets	-		
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	-		
28	Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1	82.60		
29	Common Equity Tier 1 capital (CET1)	3897.93		
	Additional Tier 1 capital: instruments			
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31 + 32)	360.00		
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	200.00		
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	160.00		
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	288.00		

34	अतिरिक्त टियर 1 लिखत (एवं सीईटी1 लिखत, जिसे पंक्ति 5 में शामिल नहीं किया गया है।), जो सहायक कम्पनियों द्वारा जारी किए गए हों एवं तीसरे पक्ष द्वारा धारित हों (राशि समूह एटी1 हेतु स्वीकृत है।)	0.00		
35	जिसका: सहायक कम्पनियों द्वारा जारी लिखत, जिसे निकाल दिया गया हो	0.00		
36	विनियामक समायोजन से पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूँजी	288.00		
	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी: विनियामक समायोजन			
37	स्वयं के अतिरिक्त टियर1 के लिखत में निवेश	0.00		
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखत में परस्पर प्रतिधारिता	0.00		
39	विनियामक समेकन के कार्यक्षेत्र से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कम्पनियों, मान्य अधिविक्रय की स्थिति के अनुसार जहाँ बैंक के पास जारी किए गए सामान्य शेयर पूँजी का 10: से अधिक शेयरधारिता ना होए की पूँजी में निवेश (आरम्भिक 10प्रतिशत राशि से अधिक),	0.00		
40	विनियामक समेकन के कार्यक्षेत्र से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कम्पनियों, की पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश, (मान्य अधिविक्रय की स्थिति के अनुसार शुद्ध)	0.00		
41	विशिष्ट राष्ट्रीय विनियामक समायोजन	0.00		
41ए	सर्वाधिक स्वामित्व वाली कम्पनियोंए जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गयीं, के अतिरिक्त टियर1 पूँजी में कमी	0.00		
41बी	बासल III लागू होने से पूर्व अतिरिक्त टियर-1 पूँजी से संबद्ध राशि पर लागू विनियामक समायोजन	103.69		
	जिसका समायोजन के नाम का उल्लेख करें, उदाहरणार्थ डीटीए,	0.00		
	जिसका: समायोजन के नाम का उल्लेख करें उदाहरणार्थ विद्यमान समायोजन, जिन्हें 50प्रतिशत की दर से टियर-1 से काटा गया है,	0.08		
	जिसका: समायोजन के नाम का उल्लेख करें,	103.61		
42	अपर्याप्त टियर 2 के कारण कटौती की भरपाई हेतु अतिरिक्त टियर-1 पर लागू विनियामक समायोजन			
43	अतिरिक्त टियर-1 पूँजी पर लागू कुल विनियामक समायोजन	103.69		
44	अतिरिक्त टियर-1 पूँजी (एटी1)	184.31		
44ए	पूँजी पर्याप्तता हेतु रखा गया अतिरिक्त टियर-1 पूँजी	184.31		
45	(टियर-1 पूँजी (टी1 +सीईटी1+ एटी1) (पंक्ति 29+ पंक्ति 44ए)	4082.24		
	टियर-2 पूँजी: लिखत एवं प्रावधान			
46	प्रत्यक्षतः जारी पात्र टियर 2 लिखत एवं संबंधित स्टॉक सरप्लस	0.00		
47	टियर-2 में से प्रत्यक्षतरु जारी पूँजी लिखत	1132		
48	टियर-2 लिखत (एवं पंक्ति 5 अथवा 34 में सम्मिलित नहीं किए गए सीईटी1 और एटी1 लिखत) जो सहायक कम्पनियों द्वारा जारी किए गए हों एवं तीसरे पक्ष द्वारा धारित हों (राशि समूह टियर-2 हेतु स्वीकृत की गयी हो।)	0.00		
49	जिसका: निकाले गए लिखत जो सहायक कम्पनियों द्वारा जारी किए गए हों	0.00		
50	प्रावधान	726.62		
51	विनियामक समायोजन से पूर्व टियर-2 पूँजी	1858.62		
	टियर-2 पूँजी: विनियामक समायोजन			
52	स्वयं के टियर-2 लिखत में निवेश	0.00		

34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	0.00		
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00		
36	Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments	288.00		
	Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments			
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	0.00		
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	0.00		
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0.00		
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00		
41	National specific regulatory adjustments	0.00		
41a	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00		
41b	REGULATORY ADJUSTMENTS APPLIED TO ADDITIONAL TIER 1 IN RESPECT OF AMOUNTS SUBJECT TO PRE-BASEL III TREATMENT	103.69		
	OF WHICH: deferred tax assets arising from temporary differences	0.00		
	OF WHICH: existing adjustments which are deducted from Tier 1 at 50%	0.08		
	OF WHICH:	103.61		
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	-		
43	Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	103.69		
44	Additional Tier 1 capital (AT1)	184.31		
44a	Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy	184.31		
45	Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (row 29 + row 44a)	4082.24		
	Tier 2 capital: instruments and provisions			
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	0.00		
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	1132		
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	0.00		
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00		
50	Provisions	726.62		
51	Tier 2 capital before regulatory adjustments	1858.62		
	Tier 2 capital: regulatory adjustments			
52	Investments in own Tier 2 instruments	0.00		

53	टियर-2 लिखत में परस्पर प्रतिधारिता	26.80		
54	विनियामक समेकन के कार्यक्षेत्र से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कम्पनियों, मान्य अधिविक्रय की स्थिति के अनुसार, जहाँ बैंक के पास जारी किए गए सामान्य शेयर पूँजी का 10प्रतिशत से अधिक शेयरधारिता न हो, की पूँजी में निवेश (आरम्भिक 10प्रतिशत राशि से अधिक),	0.00		
55	विनियामक समेकन के कार्यक्षेत्र से बाहर बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा कम्पनियों, की पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश (मान्य अधिविक्रय की स्थिति के अनुसार शुद्ध)	0.00		
56	विशिष्ट राष्ट्रीय विनियामक समायोजन (56ए+56बी)	0.00		
56ए	सर्वाधिक स्वामित्व वाली वित्तीय कम्पनियों, जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गयीं, के टियर-2 पूँजी में कमी	0.00		
56बी	बासल III लागू होने से पूर्व टियर 2 पूँजी से संबद्ध राशि पर लागू विनियामक समायोजन	26.80		
	जिसका: समायोजन के नाम का उल्लेख करें उदाहरणार्थ विद्यमान समायोजन, जिन्हें 50प्रतिशत की दर से टियर-2 से काटा गया है,	0.00		
	जिसका: समायोजन के नाम का उल्लेख करें,	0.00		
57	टियर-2 पूँजी में कुल विनियामक समायोजन	26.80		
58	टियर-2 पूँजी (टी2)	1831.82		
58ए	पूँजी पर्याप्तता हेतु रखा गया टियर-2 पूँजी	1831.82		
58बी	टियर-2 के रूप में रखी गयी अन्य अतिरिक्त टियर-1 पूँजी	0.00		
58सी	पूँजी पर्याप्तता हेतु स्वीकृत कुल टियर-2 पूँजी (पंक्ति 58ए+पंक्ति 58बी)	1831.82		
59	कुल पूँजी (टीसी =टी1+टी2) (पंक्ति 45+पंक्ति 58सी)	5914.06		
	बासल.III लागू होने से पूर्व जोखिम भारित आस्तियां से संबद्ध राशि	53591.17		
	जिसका: समायोजन के नाम का उल्लेख करें,			
	जिसका:			
60	कुल जोखिम भारित आस्तियां (पंक्ति 60ए+पंक्ति 60बी+पंक्ति 60सी)	53591.17		
60ए	जिसका: कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियां	47898.61		
60बी	जिसका: कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	2372.78		
60सी	जिसका: कुल परिचालित जोखिम भारित आस्तियां	3319.78		
	पूँजी अनुपात			
61	सामान्य ईक्विटी टियर-1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	7.27:		
62	टियर-1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	7.62:		
63	कुल पूँजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	11.04:		
64	संस्था विषयक बफर आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी1 आवश्यकता सह पूँजी अभिरूपता एवं प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकताएं जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	5.00:		
65	जिसका: पूँजी अभिरूपता बफर आवश्यकता	0		
66	जिसका: बैंक विषयक प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकता	0		
67	जिसका: जी.एसआईबी बफर आवश्यकता	0		

53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	26.80		
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	0.00		
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00		
56	National specific regulatory adjustments (56a + 56b)	0.00		
56a	Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00		
56b	REGULATORY ADJUSTMENTS APPLIED TO TIER 2 IN RESPECT OF AMOUNTS SUBJECT TO PRE BASEL III TREATMENT	26.80		
	OF WHICH: existing adjustments which are deducted from Tier 2 at 50%	0.00		
	OF WHICH:	0.00		
57	Total regulatory adjustments to Tier 2 capital	26.80		
58	Tier 2 capital (T2)	1831.82		
58a	Tier 2 capital reckoned for capital adequacy	1831.82		
58b	Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital	0.00		
58c	Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy (row 58a + row 58b)	1831.82		
59	Total capital (TC = T1 + T2) (row 45 + row 58c)	5914.06		
	RISK WEIGHTED ASSETS IN RESPECT OF AMOUNTS SUBJECT TO PRE-BASEL III TREATMENT	53591.17		
	OF WHICH:			
	OF WHICH: ...			
60	Total risk weighted assets (row 60a + row 60b + row 60c)	53591.17		
60a	of which: total credit risk weighted assets	47898.61		
60b	of which: total market risk weighted assets	2372.78		
60c	of which: total operational risk weighted assets	3319.78		
	Capital ratios			
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	7.27%		
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	7.62%		
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	11.04%		
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	5.00%		
65	of which: capital conservation buffer requirement	0		
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	0		
67	of which: G-SIB buffer requirement	0		

68	बफर की पूर्ति हेतु उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टियर-1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	2.27:		
	राष्ट्रीय मिनिमा (यदि बासल III से भिन्न है)			
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टियर-1 न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बासल III से भिन्न हो)	5.00:		
70	राष्ट्रीय टियर-1 न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बासल III से भिन्न हो)	6.50:		
71	राष्ट्रीय सकल पूँजी न्यूनतम अनुपात (यदि न्यूनतम बासल III से भिन्न हो)	9.00:		
	कटौती हेतु निर्धारित सीमा से कम राशि (जोखिम भारित से पूर्व)			
72	अन्य वित्तीय कम्पनियों की पूँजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश	0		
73	वित्तीय कम्पनियों की सामान्य पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश	0		
74	बंधक सर्विसिंग अधिकार (अन्य वित्तीय कम्पनियों की पूँजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश)	भारत में लागू नहीं		
75	अस्थायी भिन्नता के कारण उत्पन्न हुई कर आस्तियां (संबंधित कर देयता का निवल)			
	टियर-2 में प्रावधानों के समेकन पर लागू उच्चतम सीमा			
76	मानकीकृत दृष्टिकोण से एक्सपोजर के संदर्भ में टियर-2 में समेकन हेतु प्रात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू होने से पूर्व)	352.78		
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन टियर-2 में प्रावधानों के समेकन की उच्चतम सीमा	669.89		
78	आंतरिक रेटिंग दृष्टिकोण आधार पर एक्सपोजर के संदर्भ में टियर 2 में समेकन हेतु प्रात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू होने से पूर्व)	लागू नहीं		
79	आंतरिक रेटिंग दृष्टिकोण से टियर 2 में प्रावधानों के समेकन हेतु उच्चतम सीमा	लागू नहीं		
	फ़ेज आउट की व्यवस्था पर पूँजी लिखत (केवल 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च 2022 के बीच लागू)			
80	फ़ेज आउट की व्यवस्था पर सीईटी1 लिखत पर करेंट उच्चतम सीमा	भारत में लागू नहीं		
81	उच्चतम सीमा के कारण सीईटी 1 में शामिल न की गयी राशि (पुनः प्राप्ति एवं परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अतिरिक्त)			
82	फ़ेज आउट की व्यवस्था पर एटी1 लिखत पर करेंट उच्चतम सीमा			
83	उच्चतम सीमा के कारण एटी 1 में शामिल न की गयी राशि (पुनः प्राप्ति एवं परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अतिरिक्त)			
84	फ़ेज आउट की व्यवस्था पर टी2 लिखत पर करेंट उच्चतम सीमा			
85	उच्चतम सीमा के कारण टी 2 में शामिल न की गयी राशि (पुनः प्राप्ति एवं परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अतिरिक्त)			

तालिका डी.एफ.12 पूँजी का संयोजन-समाधान अपेक्षाएँ

लागू नहीं है क्योंकि वित्तीय विवरण में दिया गया बैंक का तुलन पत्र और विनियामक दायरे के अंतर्गत आने वाला तुलनपत्र एक से हैं।

डी-एफ-13-विनियामक पूँजी लिखतों मुख्य विशेषताएँ

68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	2.27%		
	National minima (if different from Basel III)			
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.00%		
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	6.50%		
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.00%		
	Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)			
72	Non-significant investments in the capital of other financials	0		
73	Significant investments in the common stock of financials	0		
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	Not applicable in India		
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)			
	Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2			
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	352.78		
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	669.89		
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	N.A.		
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	N.A.		
	Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between April 1, 2018 and March 31, 2022)			
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	Not applicable in India		
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)			
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements			
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)			
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements			
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)			

Table DF 12 –Composition of Capital- Reconciliation Requirements-

Not applicable as the Bank's Balance sheet as in Financial Statement is same as Balance sheet under regulatory scope of consolidation

Table DF 13 – Main features of Regulatory Capital Instruments

		टियर-I पूंजी	
क्रम संख्या	विनियामक पूंजी प्रलेखों की मुख्य विशेषताओं के लिए प्रकटीकरण टेम्पलेट (डिसक्लोज़र टेम्पलेट)	पी.एन.सी.पी.एस (सतत असंचयी अधिमान शेयर)=200 करोड़ रुपए	आई.पी.डी.आई/पी.डी.आई=160 करोड़ रुपए
1.	जारीकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
2.	यूनिक पहचानकता (अर्थात् सी.यू.एस.आई.पी.ए आई.एस.आई.एन. अथवा प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकता)	आई.एन.ई.608ए04024	आई.एन.ई.608 ए 09106
3.	लिखत के शासी विधान	बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1980	बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1980
	विनियामक व्यवहार		
4.	ट्रांजिशनल 1 सेल. III नियम	ए.टी.1	ए.टी.1
5.	पोस्ट ट्रांजिशनल बासल. III नियम	ए.टी.1	ए.टी.1
6.	एकल/समूह/समूह तथा एकल स्तर पर पात्र	एकल	एकल
7.	लिखत स्वरूप	सतत असंचयी अधिमान शेयर	सतत ऋण लिखत
8.	विनियामक पूंजी के अंतर्गत मान्य राशि. करोड़ों रुपयों में (बिलकुल अभी की रिपोर्टिंग तिथि पर)	आई.एन.आर.160 करोड़	आई.एन.आर.128 करोड़
9.	लिखत का सममूल्य	10 रुपए	10,00,000 रुपए
10.	लेखांकन के अनुसार वर्गीकरण	शेयर धारकों की इक्विटी	देयता (ऋण)
11.	जारी करने की मूल तिथि	22.12.2008	22.12.2008
12.	सतत अथवा दिनांकित	सतत	सतत
13.	मूल परिपक्वता तिथि	परिपक्वता की कोई तिथि नहीं	परिपक्वता की कोई तिथि नहीं
14.	जारी कर्ता की कॉलए पूर्व पर्यवेक्षीय अनुमोदन की शर्त पर।	जी नहीं	जी नहीं
15.	ऑप्शनल काल की तिथि, आकस्मिक कल तिथि एवं मोचन राशि	लागू नहीं	लागू नहीं
16.	आगामी काल की तिथियाँ, (यदि लागू हो)	लागू नहीं	लागू नहीं
	कूपन/लाभांश		
17.	निर्धारित अथवा परिवर्तनीय लाभांश/कूपन	परिवर्तनीय(फ्लोटिंग)	परिवर्तनीय(फ्लोटिंग)
18.	कूपन दर एवं अन्य संबंधित सूचकांक	रिपो रेट, 100बीपीएस	10 वर्ष जी.सैक, 250 बीपीएस
19.	लाभांश रोधक की व्याप्ति	जी हाँ	जी नहीं
20.	पूर्णतः विवेकानुसार, आंशिक विवेकानुसार अथवा अनिवार्य	पूर्णतः विवेकानुसार	अनिवार्य
21.	स्टेप-अप की व्याप्ति अथवा मोचन हेतु अन्य प्रोत्साहन	जी नहीं	जी नहीं
22.	असंचयी अथवा संचयी	असंचयी	असंचयी
23.	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24.	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन हेतु ट्रिगर(एस)	लागू नहीं	लागू नहीं
25.	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतः अथवा आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं
26.	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं
27.	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन अनिवार्य है अथवा वैकल्पिक	लागू नहीं	लागू नहीं
28.	यदि परिवर्तनीय है तो किस लिखत में परिवर्तनीय है उसका प्रकार विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं

		Tier I Capital	
Sr. No	Disclosure template for main features of regulatory capital instruments	PNCPS(perpetual non-cumulative preference shares)= 200 crore	IPDI/ PDI= 160 crore
1	Issuer	Punjab & Sind Bank	Punjab & Sind Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE608A04024	INE608A09106
3	Governing law(s) of the instrument	Banking companies(acquisition and transfer of undertakings) act 1980	Banking companies(acquisition and transfer of undertakings) act 1980
	Regulatory treatment		
4	Transitional Basel III rules	AT-1	AT-1
5	Post-transitional Basel III rules	AT-1	AT-1
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo	Solo
7	Instrument type	Perpetual Non-cumulative Preference shares.	Perpetual Debt Instruments
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	INR 160 Crores	INR 128 Crores
9	Par value of instrument	Rs 10	Rs 1000000
10	Accounting classification	Shareholders' Equity	Liability (Borrowing)
11	Original date of issuance	22.12.2008	22.12.2008
12	Perpetual or dated	Perpetual	Perpetual
13	Original maturity date	No Maturity	No Maturity
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA	NA
16	Subsequent call dates, if applicable	NA	NA
	Coupons / dividends		
17	Fixed or floating dividend/coupon	floating	floating
18	Coupon rate and any related index	Repo rate + 100 bps	10 year G-sec + 250 bps
19	Existence of a dividend stopper	YES	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully Discretionary	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative
23	Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA

29.	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन किए जाने वाले लिखत के जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें।	लागू नहीं	लागू नहीं
30.	अवलेखन के लक्षण	जी नहीं	जी नहीं
31.	अवलेखन की दशा में अवलेखन के ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं
32.	अवलेखन की दशा में पूर्णतः अथवा आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं
33.	अवलेखन की दशा में स्थायी हैं अथवा अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं
34-	यदि अस्थायी अवलेखन हैं तो आलेखन तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
35-	परिसमापन की दशा में प्रतिस्थापन पदक्रम की स्थिति (लिखत का प्रकार (इस लिखत के एकदम आगे के लिखत के प्रकार को विनिर्दिष्ट करें।)	i) जमाकर्ता तथा सामान्य लेनदार ii) सभी तरह के टियर.2की नियामक पूंजी .गौण ऋण तथा पी.सी.पी.एस. iii) पी.डी.आई	i) जमाकर्ता तथा सामान्य लेनदार ii) सबोर्डिनेटेड ऋण/ पी-सी-पी-एस-
36-	संक्रमणकालीन अननुपालन	जी हां	जी हां
37-	यदि हां तो अननुपालन का स्वरूप विहित करें।	अव्यवहार्यता की सीमा	अव्यवहार्यता की सीमा

30	Write-down feature	NO	NO
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA
32	If write-down, full or partial	NA	NA
33	If write-down, permanent or temporary	NA	NA
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	i) Depositors & general creditors ii) All tier 2 regulatory capital -Subordinated debt & PCPS iii) PDI	i) Depositors & general creditors ii) Subordinated Debt / PCPS
36	Non-compliant transitioned features	YES	YES
37	If yes, specify non-compliant features	Point of non-viability.	Point of non-viability.

[illegible]

Tier II Bonds (Subordinated Debt Instruments)									
Sr. No	Disclosure template for main features of regulatory capital instruments	Tier II Capital PCPS (Perpetual cumulative Preference Shares) = 200 crore	SERIES- VII = 40 crore	Series- VIII = 150 crore	Series- IX = 100 crore	Series- X = 400 crore	Series- XI = 175 crore	Series - XII = 200 crore	SERIES- XIII = 300 crore
1	Issuer	Punjab & Sind Bank	Punjab & Sind Bank	Punjab & Sind Bank	Punjab & Sind Bank	Punjab & Sind Bank	Punjab & Sind Bank	Punjab & Sind Bank	Punjab & Sind Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE608A04016	INE608A09064	INE608A09072	INE608A09080	INE608A09098	INE608A09114	INE608A09122	INE608A09130
3	Governing law(s) of the instrument	Banking companies (acquisition and transfer of undertakings) act 1980	Securities Contract Regulation Act 1956, Companies Act 1956, Banking companies (acquisition and transfer of undertakings) act 1980, Depositories Act 1996, GOI, RBI, SEBI, Concerned Stock Exchanges. Provisions contained in annexure C and/or D to the companies (Central Government's) General rules and forms 1956.	Securities Contract Regulation Act 1956, Companies Act 1956, Banking companies (acquisition and transfer of undertakings) act 1980, Depositories Act 1970, Companies Act 1996, GOI, RBI, SEBI, Concerned Stock Exchanges. Provisions contained in annexure C and/or D to the companies (Central Government's) General rules and forms 1956.	Securities Contract Regulation Act 1956, Companies Act 1956, Banking companies (acquisition and transfer of undertakings) act 1980, Depositories Act 1996, GOI, RBI, SEBI, Concerned Stock Exchanges. Provisions contained in annexure C and/or D to the companies (Central Government's) General rules and forms 1956.	Securities Contract Regulation Act 1956, Companies Act 1956, Banking companies (acquisition and transfer of undertakings) act 1980, Depositories Act 1996, GOI, RBI, SEBI, Concerned Stock Exchanges. Provisions contained in annexure C and/or D to the companies (Central Government's) General rules and forms 1956.	Securities Contract Regulation Act 1956, Companies Act 1956, Banking companies (acquisition and transfer of undertakings) act 1980, Depositories Act 1996, GOI, RBI, SEBI, Concerned Stock Exchanges. Provisions contained in annexure C and/or D to the companies (Central Government's) General rules and forms 1956.	Securities Contract Regulation Act 1956, Companies Act 1956, Banking companies (acquisition and transfer of undertakings) act 1980, Depositories Act 1996, GOI, RBI, SEBI, Concerned Stock Exchanges. Provisions contained in annexure C and/or D to the companies (Central Government's) General rules and forms 1956.	Securities Contract Regulation Act 1956, Companies Act 1956, Banking companies (acquisition and transfer of undertakings) act 1980, Depositories Act 1996, GOI, RBI, SEBI, Concerned Stock Exchanges. Provisions contained in annexure C and/or D to the companies (Central Government's) General rules and forms 1956.

[illegible]

21-	ਸਟੇਪ-ਅਪ ਦੀ ਬ੍ਰਾਇਲਿ ਅਥਵਾ ਮੋਬਨ ਹੇਲੂ ਅਨ੍ਧ ਪ੍ਰੋਟਸਾਹਨ	ਜੀ ਨਹੀਂ	ਜੀ ਨਹੀਂ	ਜੀ ਨਹੀਂ	ਜੀ ਨਹੀਂ	ਜੀ ਨਹੀਂ	ਜੀ ਨਹੀਂ	ਜੀ ਨਹੀਂ	ਜੀ ਨਹੀਂ
22-	ਅਸੰਚਧੀ ਅਥਵਾ ਸੰਚਧੀ	ਸੰਚਧੀ	ਜੀ ਨਹੀਂ	ਜੀ ਨਹੀਂ	ਜੀ ਨਹੀਂ	ਜੀ ਨਹੀਂ	ਜੀ ਨਹੀਂ	ਜੀ ਨਹੀਂ	ਜੀ ਨਹੀਂ
23-	ਪਰਿਵਰਤਨੀਧ ਅਥਵਾ ਅਪਰਿਵਰਤਨੀਧ	ਅਪਰਿਵਰਤਨੀਧ	ਜੀ ਨਹੀਂ	ਜੀ ਨਹੀਂ	ਜੀ ਨਹੀਂ	ਜੀ ਨਹੀਂ	ਜੀ ਨਹੀਂ	ਜੀ ਨਹੀਂ	ਜੀ ਨਹੀਂ
24-	ਧਦਿ ਪਰਿਵਰਤਨੀਧ ਹੈ ਤੋ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੇਲੂ ਟ੍ਰਿਗਰ(ਏਸ)	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ
25-	ਧਦਿ ਪਰਿਵਰਤਨੀਧ ਹੈ ਤੋ ਪੂਰਨ: ਅਥਵਾ ਆਸ਼ਿਕ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ
26-	ਧਦਿ ਪਰਿਵਰਤਨੀਧ ਹੈ ਤੋ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਰ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ
27-	ਧਦਿ ਪਰਿਵਰਤਨੀਧ ਹੈ ਤੋ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਨਿਵਾਰਧ ਹੈ ਅਥਵਾ ਵੈਕਲਿਧ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ
28-	ਧਦਿ ਪਰਿਵਰਤਨੀਧ ਹੈ ਤੋ ਕਿਸ ਲਿਖਤ ਮੈਂ ਪਰਿਵਰਤਨੀਧ ਹੈ ਉਸਕਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਨਿਰਿਧਟ ਕਰੋਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ
29-	ਧਦਿ ਪਰਿਵਰਤਨੀਧ ਹੈ ਤੋ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਧ ਜਾਨੇ ਵਾਲੇ ਲਿਖਤ ਕੇ ਯਾਰੀਕਰਤਾ ਕੋ ਵਿਨਿਰਿਧਟ ਕਰੋਂ।	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ
30-	ਅਵਲੇਖਨ ਕੇ ਲਘਾ	ਜੀ ਨਹੀਂ	ਜੀ ਨਹੀਂ	ਜੀ ਨਹੀਂ	ਜੀ ਨਹੀਂ	ਜੀ ਨਹੀਂ	ਜੀ ਨਹੀਂ	ਜੀ ਨਹੀਂ	ਜੀ ਨਹੀਂ
31-	ਅਵਲੇਖਨ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਮੈਂ ਅਵਲੇਖਨ ਕੇ ਟ੍ਰਿਗਰ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ
32-	ਅਵਲੇਖਨ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਮੈਂ ਪੂਰਨ: ਅਥਵਾ ਆਸ਼ਿਕ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ
33-	ਅਵਲੇਖਨ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਮੈਂ ਸਥਾਧੀ ਹੈਂ ਅਥਵਾ ਅਸਥਾਧੀ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ
34-	ਧਦਿ ਅਸਥਾਧੀ ਅਵਲੇਖਨ ਹੈਂ ਤੋ ਆਲੇਖਨ ਤਰ ਕਾ ਵਿਵਰਣ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ	ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ

	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
21	Noncumulative	Cumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative	No
22	Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Noncumulative
23	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Nonconvertible
24	If convertible, fully or partially convertible, conversion rate	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
25	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
26	If convertible, specify instrument type	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
27	convertible into	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
28	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
29	Write-down feature	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
30	If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
31	If write-down, full or partial	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
32	If write-down, permanent or temporary	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
33	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
34											

35-	ਪਰਿਸਮਾਪਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਮੇਂ ਪਰਿਸਥਾਪਨ ਪਦਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸਿਥਿਤੀ (ਲਿਖਤ ਕਾ ਪ੍ਰਕਾਰ (ਇਸ ਲਿਖਤ ਕੇ ਏਕਦਮ ਆਗੇ ਕੇ ਲਿਖਤ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋ ਬਿਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਕਰੇ।)	ਜਮਾਕਰਤਾ ਤਥਾ ਸਾਮਾਨ੍ਯ ਲੇਨਦਾਰ	ਅਸੁਰਕਸ਼ਿਤ ਦੇਯਤਾ (ਜਮਾਕਰਤਾ ਤਥਾ ਸਾਮਾਨ੍ਯ ਲੇਨਦਾਰ)	ਅਸੁਰਕਸ਼ਿਤ ਦੇਯਤਾ (ਜਮਾਕਰਤਾ ਤਥਾ ਸਾਮਾਨ੍ਯ ਲੇਨਦਾਰ)	ਅਸੁਰਕਸ਼ਿਤ ਦੇਯਤਾ (ਜਮਾਕਰਤਾ ਤਥਾ ਸਾਮਾਨ੍ਯ ਲੇਨਦਾਰ)	ਅਸੁਰਕਸ਼ਿਤ ਦੇਯਤਾ (ਜਮਾਕਰਤਾ ਤਥਾ ਸਾਮਾਨ੍ਯ ਲੇਨਦਾਰ)	ਅਸੁਰਕਸ਼ਿਤ ਦੇਯਤਾ (ਜਮਾਕਰਤਾ ਤਥਾ ਸਾਮਾਨ੍ਯ ਲੇਨਦਾਰ)
36-	ਸਾੰਕ੍ਰਮਣੀਕਾਨੀਨ ਅਨਨੁਪਾਲਨ ਸਵਰੂਪ	ਜੀ ਹੌਂ	ਜੀ ਹੌਂ	ਜੀ ਹੌਂ	ਜੀ ਹੌਂ	ਜੀ ਹੌਂ	ਜੀ ਹੌਂ
37-	ਯਦਿ ਹੌਂ ਤੋ ਅਨਨੁਪਾਲਨ ਕਾ ਸਵਰੂਪ ਵਿਹਿਤ ਕਰੇਂ।	ਅਭਵਹਾਰ੍ਯਤਾ ਦੀ ਸੀਮਾ	ਅਭਵਹਾਰ੍ਯਤਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤਥਾ ਉਕਤ ਬਾਘਡ ਕੀ ਪਰਿਪਕਵਤਾ 10 ਵਰ੍ਸ਼ੋਂ ਸੇ ਕਮ	ਅਭਵਹਾਰ੍ਯਤਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤਥਾ ਉਕਤ ਬਾਘਡ ਕੀ ਪਰਿਪਕਵਤਾ 10 ਵਰ੍ਸ਼ੋਂ ਸੇ ਕਮ	ਅਭਵਹਾਰ੍ਯਤਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤਥਾ ਉਕਤ ਬਾਘਡ ਕੀ ਪਰਿਪਕਵਤਾ 10 ਵਰ੍ਸ਼ੋਂ ਸੇ ਕਮ	ਅਭਵਹਾਰ੍ਯਤਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤਥਾ ਉਕਤ ਬਾਘਡ ਕੀ ਪਰਿਪਕਵਤਾ 10 ਵਰ੍ਸ਼ੋਂ ਸੇ ਕਮ	ਅਭਵਹਾਰ੍ਯਤਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤਥਾ ਉਕਤ ਬਾਘਡ ਕੀ ਪਰਿਪਕਵਤਾ 10 ਵਰ੍ਸ਼ੋਂ ਸੇ ਕਮ

35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	i) Depositors & general creditors	UNSECURED LIABILITIES (depositors & general creditors))	UNSECURED LIABILITIES (depositors & general creditors))	UNSECURED LIABILITIES (depositors & general creditors))	UNSECURED LIABILITIES (depositors & general creditors))	UNSECURED LIABILITIES (depositors & general creditors))	UNSECURED LIABILITIES (depositors & general creditors))
36	Non-compliant transitioned features	YES	YES	Point of non-viability and maturity of the above mentioned bond is less than 10 years.	YES	Point of non-viability	YES	Point of non-viability.
37	If yes, specify non-compliant features	Point of non-viability.	Point of non-viability and maturity of the above mentioned bond is less than 10 years.	Point of non-viability and maturity of the above mentioned bond is less than 10 years.	Point of non-viability.	Point of non-viability.	Point of non-viability.	Point of non-viability.

तालिका डी-एफ-14 - विनियामक पूंजी लिखत के पूर्ण नियम एवं शर्तें

1 बाण्ड निर्गमन – VII 40 करोड़ रुपए

वर्तमान इश्यू की शर्तें

पंजाब एण्ड सिंध बैंक कुल 40 करोड़ रुपयों के असुरक्षित अपरिवर्तनीय प्रतिदेय सबोर्डिनेटेड बाण्ड (सीरीज –VII) के अंशदान हेतु पेशकश आमंत्रित करता है जो कि प्रत्येक 1,00,000 रुपयों के नकद सममूल्य पर वचन पत्र के रूप में है।

ये बाण्ड बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970 , कंपनी अधिनियम, 1956 , प्रतिभूति संविदा नियमन अधिनियम, 1956 के उपबंधों, इस सूचना ज्ञापन की शर्तों, आवेदन पत्र में उल्लिखित अनुदेशों तथा न्यासी समझौता तथा बाण्ड ट्रस्ट डीड में शामिल किए जाने वाले अन्य नियमों एवं शर्तों के अध्याधीन है। ऐसे नियम एवं शर्तों के अतिरिक्त, ये बाण्ड डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 के अनुप्रयोज्य उपबंधों तथा यथा अनुप्रयोज्य विधानों, दिशा-निर्देशों, अधिसूचनाओं एवं आबंटन तथा पूंजी जारी करने तथा भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), संबंधित स्टॉक एक्सचेंज अथवा अन्य प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर जारी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने से संबंधित विनियमों एवं बाण्ड के संबंध में तैयार किए जाने वाले अन्य दस्तावेजों के भी अध्याधीन होंगे।

बाण्डों की प्रकृति एवं अवस्थिति

ये बाण्ड असुरक्षित अपरिवर्तनीय प्रतिदेय सबोर्डिनेटेड बाण्ड (सीरीज –VII) के रूप में तथा वचनपत्रों के रूप में निर्गत किए जाने हैं। इन बाण्डों में बैंक के प्रत्यक्ष, असुरक्षित एवं गौण दायित्व शामिल होंगे जो बैंक के वर्तमान/भविष्य में जारी होने वाले गौण ऋणों के समकक्ष होंगे तथा बैंक के अन्य सभी ऋण धारकों एवं जमाकर्ताओं को किए जाने वाले मूलधन तथा ब्याज के पुनः भुगतान के दावों के बाद देय होंगे। ये बाण्ड किसी प्रतिबंधात्मक धाराओं से मुक्त होंगे तथा ये धारक के प्रयास मात्र तथा बिना भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति के प्रतिदेय नहीं होंगे।

लिखत एवं जारी करने के विवरण पर एक नज़र

इश्यू का आकार	40.00 करोड़ रुपए
इश्यू का उद्देश्य	बैंक की पूंजी पर्याप्तता को सुदृढ़ करने एवं दीर्घकालीन संसाधनों को बढ़ाने हेतु टियर.ए पूंजी में अभिवृद्धि करना।
लिखत	वचन पत्र के रूप में असुरक्षित, अपरिवर्तनीय प्रतिदेय सबोर्डिनेटेड बाण्ड (सीरीज टूटप्)
लिखत का रूप	डीमेट फार्म में
क्रेडिट रेटिंग	“एल.ए.” रेटिंग . इक्रा (आई. सी. आर.ए.), द्वारा
अंकित मूल्य	1ए00ए000 /प्रति बाण्ड
निर्गम मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात् 1,00,000 /प्रति बाण्ड)
न्यूनतम आवेदन	10 बाण्ड और उसके बाद 10 बाण्ड के गुणकों में
कार्यकाल	109 महीने
पुट एवं काल विकल्प	कोई नहीं
प्रतिदेयता / परिपक्वता	सम मूल्य पर – आबंटन की मानी गई तिथि से 109 महीनों के अंत में
कूपन दर (प्रति वर्ष)	7.40:
ब्याज देयता	वार्षिक – 15 मई को
लिस्टिंग	प्रस्तावित-नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (एन.एस.ई.) पर
न्यासी	बैंक की ओर से आई.डी.बी.आई. ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड को बाण्ड के धारक (कों)की ओर से कार्य करने के लिए बतौर न्यासी नियुक्त किया गया।
आवेदन राशि पर ब्याज	कूपन दर पर- चैक/डिमांड ड्राफ्ट की वसूली होने की तिथि से आबंटन की मानी गई तिथि से एक दिन पूर्व तक

*स्त्रोत पर लागू कर कटौती के अधीन।

Table DF 14 –Full Terms & Conditions of Regulatory Capital Instruments

1. BOND ISSUE – VII RS. 40 CRORE

TERMS OF THE PRESENT ISSUE

Punjab & Sind Bank is seeking offer for subscription of Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Bonds (Series-VII) in the nature of Promissory Notes of Rs. 1,00,000/- each for cash at par aggregating to Rs. 40.00 crores.

The Bonds offered are subject to provisions of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Companies Act, 1956, Securities Contract Regulation Act, 1956, terms of this Information Memorandum, Instructions contained in the Application Form and other terms and conditions as may be incorporated in the Trustee Agreement and Bond Trust Deed. Over and above such terms and conditions, the Bonds shall also be subject to the applicable provisions of the Depositories Act, 1996 and the laws as applicable, guidelines, notifications and regulations relating to the allotment & issue of capital and listing of securities issued from time to time by the Government of India (GoI), Reserve Bank of India (RBI), Securities & Exchange Board of India (SEBI), concerned Stock Exchange(s) or any other authorities and other documents that may be executed in respect of the Bonds.

NATURE & STATUS OF THE BONDS

The Bonds are to be issued in the form of Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Bonds (Series-VII) in the nature of Promissory Notes. The Bonds will constitute direct, unsecured and subordinated obligations of the Bank, ranking pari-passu with the existing/ future subordinated debt of the Bank and subordinated to the claims of all other creditors and depositors of the Bank as regards repayment of principal and interest by the Bank. The Bonds shall be free of any restrictive clauses and shall not be redeemable at the initiative of the holder and without the consent of the Reserve Bank of India (RBI).

INSTRUMENT & ISSUE DETAILS AT A GLANCE

Issue Size	Rs. 40.00 crores
Issue Objects	Augmenting the Tier-II Capital for strengthening the Capital Adequacy and enhancing long term resources of the Bank
Instrument	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Bonds (Series-VII) in the nature of Promissory Notes
Instrument Form	In Dematerialised Form
Credit Rating	'LA' by ICRA
Face Value	Rs. 1,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (i.e. Rs. 1,00,000/- per Bond)
Minimum Application	10 Bonds and in multiples of 10 Bonds thereafter
Tenure	109 months
Put & Call Option	None
Redemption/ Maturity	At par at the end of 109 Months from the Deemed Date of Allotment
Coupon Rate (% p.a.) *	7.40%
Interest Payment	Annually on May 15
Listing	Proposed on the National Stock Exchange of India Limited (NSE)
Trustee	IDBI Trusteeship Services Limited has been appointed by the Bank to act as Trustees for and on behalf of the holder(s) of the Bonds
Interest on Application Money *	At the coupon rate from the date of realisation of cheque(s)/ demand draft(s) upto one day prior to the Deemed Date of Allotment

* Subject to deduction of tax at source, as applicable.

2. बाण्ड निर्गमन – VIII 150 करोड़ रुपए

पंजाब एण्ड सिंध बैंक कुल 100 करोड़ रुपयों (अत्यभिदान की राशि रखने के विकल्प के साथ) के असुरक्षित अपरिवर्तनीय प्रतिदेय सबोर्डिनेटेड बाण्ड (सीरीज –VIII) के अंशदान हेतु पेशकश आमंत्रित करता है जो कि प्रत्येक 10,00,000/- रुपयों के नकद सममूल्य पर वचन पत्र के रूप में है।

ये बाण्ड बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970, कंपनी अधिनियम, 1956, प्रतिभूति संविदा नियमन अधिनियम, 1956 के उपबंधों, इस सूचना ज्ञापन की शर्तों, आवेदन पत्र में उल्लिखित अनुदेशों तथा न्यासी समझौता तथा बाण्ड ट्रस्ट डीड में शामिल किए जाने वाले अन्य नियमों एवं शर्तों के अध्याधीन है। ऐसे नियम एवं शर्तों के अतिरिक्त, ये बाण्ड डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 के अनुप्रयोज्य उपबंधों तथा यथा अनुप्रयोज्य विधानों, दिशा-निर्देशों, अधिसूचनाओं एवं आबंटन तथा पूंजी जारी करने तथा भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), संबंधित स्टॉक एक्सचेंज अथवा अन्य प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर जारी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने से संबंधित विनियमों एवं बाण्ड के संबंध में तैयार किए जाने वाले अन्य दस्तावजों के भी अध्याधीन होंगे।

बाण्डों की प्रकृति एवं अवस्थिति

ये बाण्ड असुरक्षित अपरिवर्तनीय प्रतिदेय सबोर्डिनेटेड बाण्ड (सीरीज –VIII) के रूप में तथा वचनपत्रों के रूप में निर्गत किए जाने हैं। इन बांडों में बैंक के प्रत्यक्ष, असुरक्षित एवं गौण दायित्व शामिल होंगे जो बैंक के वर्तमान/भविष्य में जारी होने वाले गौण ऋणों के समकक्ष होंगे तथा बैंक के अन्य सभी ऋणधारकों एवं जमाकर्ताओं को किए जाने वाले मूलधन तथा ब्याज के पुनः भुगतान के दावों के बाद देय होंगे। ये बाण्ड किसी प्रतिबंधात्मक धाराओं से मुक्त होंगे तथा ये धारक के प्रयास मात्र तथा बिना भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति के प्रतिदेय नहीं होंगे।

एक नज़र में लिखत तथा जारी करने का विवरण

इश्यू का आकार	रुपए 100.00 करोड़ (अत्यभिदान की राशि रखने के विकल्प के साथ)
इश्यू का उद्देश्य	बैंक की पूंजी पर्याप्तता को सुदृढ़ करने एवं दीर्घकालीन संसाधनों को बढ़ाने हेतु टियर-II पूंजी में अभिवृद्धि करना।
लिखत	वचन पत्र के रूप में असुरक्षित अपरिवर्तनीय प्रतिदेय सबोर्डिनेटेड बाण्ड (सीरीज –VIII)
लिखत का रूप	डीमेट फॉर्म में
क्रेडिट रेटिंग	क्रिसिल द्वारा “ए.ए-” तथा इक्रा (आई.आर.सी.ए.) द्वारा “एल.ए+”
अंकित मूल्य	10,00,000/- प्रति बाण्ड
निर्गम मूल्य	सममूल्य पर (अर्थात् 10,00,000. प्रति बाण्ड)
न्यूनतम आवेदन	1 बाण्ड और उसके बाद 1 बाण्ड के गुणकों में
कार्यकाल	117 माह
पुट एव काल विकल्प	कोई नहीं
प्रतिदेयताध परिपक्वता	सम मूल्य पर-आबंटन की मानी गई तिथि से 117 महीनों के अंत में
कूपन दर: प्रति वर्षद्व	9.25%
ब्याज देयता	वार्षिक –15 मई को
लिस्टिंग	प्रस्तावित-नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (एन.एस.ई) पर
न्यासी	बैंक की ओर से आई.डी.बी.आई. ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड को बाण्ड के धारक(कों) की ओर से कार्य करने के लिए बतौर न्यासी नियुक्त किया गया।
आवेदन राशि पर ब्याज	कूपन दर पर – बैंक/डिमांड ड्राफ्ट की वसूली होने की तिथि से आबंटन की मानी गई तिथि के एक दिन पूर्व तक।

*स्त्रोत पर लागू कर कटौती के अधीन।

3-बाण्ड निर्गमन – IX 100 करोड़ रुपए

2. BOND ISSUE – VIII RS. 150 CRORE

Punjab & Sind Bank is seeking offer for subscription of Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Bonds (Series-VIII) in the nature of Promissory Notes of Rs. 10,00,000/- each for cash at par aggregating to Rs. 100.00 crores with an option to retain oversubscription.

The Bonds offered are subject to provisions of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Companies Act, 1956, Securities Contract Regulation Act, 1956, terms of this Information Memorandum, Instructions contained in the Application Form and other terms and conditions as may be incorporated in the Trustee Agreement and Bond Trust Deed. Over and above such terms and conditions, the Bonds shall also be subject to the applicable provisions of the Depositories Act, 1996 and the laws as applicable, guidelines, notifications and regulations relating to the allotment & issue of capital and listing of securities issued from time to time by the Government of India (GoI), Reserve Bank of India (RBI), Securities & Exchange Board of India (SEBI), concerned Stock Exchange(s) or any other authorities and other documents that may be executed in respect of the Bonds.

NATURE & STATUS OF THE BONDS

The Bonds are to be issued in the form of Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Bonds (Series-VIII) in the nature of Promissory Notes. The Bonds will constitute direct, unsecured and subordinated obligations of the Bank, ranking pari-passu with the existing/ future subordinated debt of the Bank and subordinated to the claims of all other creditors and depositors of the Bank as regards repayment of principal and interest by the Bank. The Bonds shall be free of any restrictive clauses and shall not be redeemable at the initiative of the holder and without the consent of the Reserve Bank of India (RBI).

INSTRUMENT & ISSUE DETAILS AT A GLANCE

Issue Size	Rs. 100.00 crores with an option of retain oversubscription
Issue Objects	Augmenting the Tier-II Capital for strengthening the Capital Adequacy and enhancing long term resources of the Bank
Instrument	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Bonds (Series-VIII) in the nature of Promissory Notes
Instrument Form	In Dematerialised Form
Credit Rating	“AA-” by CRISIL and “LA+” by ICRA
Face Value	Rs. 10,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (i.e. Rs. 10,00,000/- per Bond)
Minimum Application	1 Bonds and in multiples of 1 Bonds thereafter
Tenure	117 months
Put & Call Option	None
Redemption/ Maturity	At par at the end of 117 Months from the Deemed Date of Allotment
Coupon Rate (% p.a.) *	9.25% p.a.
Interest Payment	Annually on May 15th
Listing	Proposed on the National Stock Exchange of India Limited (NSE)
Trustee	IDBI Trusteeship Services Limited has been appointed by the Bank to act as Trustees for and on behalf of the holder(s) of the Bonds
Interest on Application Money *	At the coupon rate from the date of realisation of cheque(s)/ demand draft(s) upto one day prior to the Deemed Date of Allotment

* subject to deduction of tax at source, as applicable.

3. BOND ISSUE – IX RS. 100 CRORE

वर्तमान इश्यू की शर्तें

पंजाब एण्ड सिंध बैंक कुल 100 करोड़ रूपयों के असुरक्षित अपरिवर्तनीय प्रतिदेय सबोर्डिनेटेड बाण्ड (सीरीज -IX) के अंशदान हेतु पेशकश आमंत्रित करता है जो कि प्रत्येक 10,00,000 / .रूपयों के नकद सममूल्य पर वचन पत्र के रूप में है।

ये बाण्ड बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1970, कंपनी अधिनियम 1956 ए प्रतिभूति संविदा नियमन अधिनियम 1956 के उपबंधों, इस सूचना ज्ञापन की शर्तों, आवेदन पत्र में उल्लिखित अनुदेशों तथा न्यासी समझौता तथा बाण्ड ट्रस्ट डीड में शामिल किए जाने वाले अन्य नियमों एवं शर्तों के अध्याधीन है। ऐसे नियम एवं शर्तों के अतिरिक्त, ये बाण्ड डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 के अनुप्रयोज्य उपबंधों तथा यथा अनुप्रयोज्य विधानों, दिशा-निर्देशों, अधिसूचनाओं एवं आबंटन तथा पूंजी जारी करने तथा भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), संबंधित स्टॉक एक्सचेंज अथवा अन्य प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर जारी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने से संबंधित विनियमों एवं बाण्ड के संबंध में तैयार किए जाने वाले अन्य दस्तावजों के भी अध्याधीन होंगे।

बाण्डों की प्रकृति एवं अवस्थिति

ये बाण्ड असुरक्षित अपरिवर्तनीय प्रतिदेय सबोर्डिनेटेड बाण्ड (सीरीज दृष्ट) के रूप में तथा वचनपत्रों के रूप में निर्गत किए जाने हैं। इन बाण्डों में बैंक के प्रत्यक्ष, असुरक्षित एवं गौण दायित्व शामिल होंगे जो बैंक के वर्तमान/भविष्य में जारी होने वाले गौण ऋणों के समकक्ष होंगे तथा बैंक के अन्य सभी ऋणधारकों एवं जमाकर्ताओं को किए जाने वाले मूलधन तथा ब्याज के पुनः भुगतान के दावों के बाद देय होंगे। ये बाण्ड किसी प्रतिबंधात्मक धाराओं से मुक्त होंगे तथा ये धारक के प्रयास मात्र तथा बिना भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के प्रतिदेय नहीं होंगे।

इश्यू का उद्देश्य

बैंक के टियर-ए पूंजी में वृद्धि के लिए वर्तमान बाण्डों को जारी किया जा रहा है ताकि बैंक की पूंजीगत पर्याप्तता सुदृढ़ हो सके और बैंक के दीर्घावधिक संसाधनों को बढ़ाया जा सके। वर्तमान इश्यू पर होने वाले व्यय का वहन बैंक द्वारा किया जाएगा। जिन गतिविधियों को करने के लिए वर्तमान इश्यू के माध्यम से निधियाँ सर्जित की जा रही हैं उनके लिए एवं बैंक द्वारा इश्यू की तिथि तक की जा रही गतिविधियों के लिए बैंक के संस्थापन प्रलेख का मुख्य उद्देश्य खंड सामर्थ्य प्रदान करता है। इस इश्यू से जुटाई गयी धनराशि का बैंक द्वारा अपनी नियमित व्यवसायिक गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाएगा।

लिखत एवं जारी करने के विवरण पर एक नज़र

इश्यू का आकार	100 करोड़ रूपए
इश्यू का उद्देश्य	बैंक की पूंजी पर्याप्तता को सुदृढ़ करने एवं दीर्घकालीन संसाधनों को बढ़ाने हेतु टियर-II पूंजी में अभिवृद्धि करना।
लिखत	वचन पत्र के रूप में असुरक्षित अपरिवर्तनीय प्रतिदेय सबोर्डिनेटेड टियर-II बाण्ड (सीरीज -IX)
लिखत का रूप	डीमेट फॉर्म में
क्रेडिट रेटिंग	एल.ए.ए रेटिंग -इक्रा (आई.सी.आर.ए.)द्वारा तथा ए.ए.-/स्टेबल रेटिंग-क्रिसिल द्वारा
अंकित मूल्य	10,00,000 / . प्रति बाण्ड
निर्गम मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात् 10,00,000 / . प्रति बाण्ड)
न्यूनतम अभिदान	1 बाण्ड और उसके बाद 1 बाण्ड के गुणकों में
अवधि	10 वर्ष तथा 3 महीने (123 महीने)
पुट एव काल विकल्प	कोई नहीं
प्रतिदेयता	सम मूल्य पर -आबंटन की मानी गई तिथि से 10 वर्ष तथा 3 महीने के अंत में।
कूपन दर*	9.10% प्रति वर्ष
ब्याज भुगतान	अर्ध-वार्षिक
ब्याज भुगतान की तिथियां	प्रत्येक वर्ष की 15 मई तथा 15 नवम्बर
लिस्टिंग	प्रस्तावित- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड(एन-एस-ई) के थोक ऋण बाजार खंड (डब्ल्यू-डी-एम-) पर।

TERMS OF THE PRESENT ISSUE

Punjab & Sind Bank is seeking offer for subscription of Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds (Series-IX) in the nature of Promissory Notes of Rs. 10,00,000/- each for cash at par aggregating to Rs. 100 crores.

The Bonds offered are subject to provisions of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Companies Act, 1956, Securities Contract Regulation Act, 1956, terms of this Information Memorandum, Instructions contained in the Application Form and other terms and conditions as may be incorporated in the Trustee Agreement and Bond Trust Deed. Over and above such terms and conditions, the Bonds shall also be subject to the applicable provisions of the Depositories Act, 1996 and the laws as applicable, guidelines, notifications and regulations relating to the allotment & issue of capital and listing of securities issued from time to time by the Government of India (GoI), Reserve Bank of India (RBI), Securities & Exchange Board of India (SEBI), concerned Stock Exchange or any other authorities and other documents that may be executed in respect of the Bonds.

NATURE & STATUS OF THE BONDS

The Bonds are to be issued in the form of Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds in the nature of Promissory Notes. The Bonds will constitute direct, unsecured and subordinated obligations of the Bank, ranking pari passu with the existing/ future subordinated debt of the Bank and subordinated to the claims of all other creditors and depositors of the Bank as regards payment of interest and repayment of principal by the Bank out of its own funds. The Bonds shall be free of any restrictive clauses and shall not be redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the Reserve Bank of India (RBI).

OBJECTS OF THE ISSUE

The present issue of bonds is being made for augmenting the Tier-II Capital of the Bank for strengthening its Capital Adequacy and for enhancing the long-term resources of the Bank. The expenses of the present issue would be borne by the Bank. The Main Object Clause of the Memorandum of Association of the Bank enables it to undertake the activities for which the funds are being raised through the present issue and also the activities which the Bank has been carrying on till date. The proceeds of this Issue would be used by the Bank for its regular business activities.

INSTRUMENT & ISSUE DETAILS AT A GLANCE

Issue Size	Rs. 100 crores
Issue Objects	Augmenting the Tier-II Capital for strengthening the Capital Adequacy and enhancing long term resource base of the Bank
Instrument	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds in the nature of Promissory Notes (Series-IX)
Instrument Form	In Dematerialised Form
Credit Rating	"LAA" by ICRA and "AA-/Stable" by CRISIL
Face Value	Rs. 10,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Minimum Application	1 Bond and in multiples of 1 Bond thereafter
Tenure	10 Year and 3 Months (123 Months)
Put & Call Option	None
Redemption	At par at the end of 10 Year and 3 Months from the Deemed Date of Allotment
Coupon Rate*	9.10% p.a.
Interest Payment	Semi-Annual
Interest Payment dates	May 15 and November 15 each year
Listing	Proposed on the Wholesale Debt Market (WDM) Segment of the National Stock Exchange of India Limited (NSE)

न्यासी	बैंक की ओर से आई-डी-बी-आई- ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड को बाण्ड के धारक(कों) की ओर से कार्य करने के लिए बतौर न्यासी नियुक्त किया गया।
आवेदन राशि पर ब्याज*	कूपन दर पर अर्थात् 9.10% वार्षिक दर से - चैक/डिमांड ड्राफ्ट/आर.टी.जी.एस. की वसूली होने की तिथि से आबंटन की मानी गई तिथि के एक दिन पूर्व तक।

*स्रोत पर लागू कर कटौती के अधीन।

4. बाण्ड इश्यू- X रूपए 400 करोड़

संक्षिप्त शर्त तालिका

इश्यूकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
इश्यू का आकार	रुपए 400 करोड़
लिखत	वचन पत्र (बाण्डस) के रूप में असुरक्षित अपरिवर्तनीय प्रतिदेय सबोर्डिनेटेड टियर-II बाण्ड (सीरीज़ X)
जारी करना/क्रय-विक्रय	डीमेट फॉर्म में
क्रेडिट रेटिंग	“एल-ए-ए-” - इक्रा (आई-आर-सी-ए.) द्वारा तथा “केयर ए-ए-” - केयर (सी-ए-आर-ई-) द्वारा
प्रतिभूति	असुरक्षित
अंकित मूल्य	1000000/- प्रति बाण्ड
निर्गम मूल्य	सममूल्य पर (अर्थात् 1000000/- प्रति बाण्ड)
प्रतिदेयता मूल्य	सममूल्य पर (अर्थात् 1000000/- प्रति बाण्ड)
न्यूनतम आवेदन	1 बाण्ड और उसके बाद 1 बाण्ड के गुणकों में
अवधि	127 महीने(10 वर्ष तथा 7 माह)
पुट एव काल विकल्प	कोई नहीं
प्रतिदेयता/परिपक्वता	सम मूल्य पर - आबंटन की मानी गई तिथि से 127 महीनों (10 वर्ष तथा 7 माह) की समाप्ति पर (भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ)
प्रतिदेयता तिथि	15 अप्रैल, 2019
कूपन दर*	11.05% वार्षिक
ब्याज भुगतान	वार्षिक
ब्याज भुगतान तिथियां	प्रत्येक वर्ष में 15 मई
लिस्टिंग	प्रस्तावित - नेशनल स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड (एन-एस-ई) के थोक ऋण बाजार खंड (डब्ल्यू-डी-एम-)
न्यासी	बैंक की ओर से आइएडी.बी.आई. ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड को बाण्ड के धारक(कों) की ओर से कार्य करने के लिए बतौर न्यासी नियुक्त किया गया।
निक्षेपागार	नेशनल स्क्यूरिटी डिपोजिटरी लि- तथा सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड
पंजीयक	एम.सी.एस. लिमिटेड
आवेदन राशि पर ब्याज*	कूपन दर पर (अर्थात् 11.05% वार्षिक दर से) - चैक/डिमांड ड्राफ्ट/आर-टी-जी-एस- की वसूली होने की तिथि से आबंटन की मानी गई तिथि के एक दिन पूर्व तक।
निपटान	ब्याज के भुगतान तथा मूल धन की अदायगी चैक(कों)/ ब्याज/प्रतिदेय वारंट(स) /डिमांड ड्राफ्ट/आर-टी-जी-एस- प्रााली के माध्यम से
अभिदान की विधि	“केवल एकाउंट पेई” रेखांकित चैक(कों) / डिमांड ड्राफ्ट(टों) द्वारा जो कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के पक्ष में आहर्त हों और प्रकटीकरण प्रपत्र में उल्लिखित नामित केन्द्रों पर सममूल्य पर देय हों या फिर राशि कोआर.टी.जी.एस. तंत्र के माध्यम से पंजाब एण्ड सिंध बैंक आर.टी.जी.एस. खाता में मुंबई के लिए IFSC कूट संख्या "PSIB 0000385" पर तथा दिल्ली के लिए IFSC कूट संख्या "PSIB 0000001" पर इलेक्ट्रॉनिक्स अन्तरण द्वारा भेजा जा सकता है।
इश्यू के खुलने की तिथि^	10-09-2008
इश्यू के बंद होने की तिथि^	12-09-2008
पे-इन डेट्स^	10-09-2008 से 12-09-2008

Trustee	IDBI Trusteeship Services Limited (ITSL) has been appointed by the Bank to act as Trustees for and on behalf of the holder(s) of the Bonds
Interest on Application Money *	At the coupon rate i.e. @ 9.10% p.a. from the date of realisation of cheque(s)/ demand draft(s)/ RTGS upto one day prior to the Deemed Date of Allotment

* subject to deduction of tax at source, as applicable.

4. BOND ISSUE – X Rs. 400 CRORE

SUMMARY TERM SHEET

Issuer	Punjab & Sind Bank
Issue Size	Rs. 400 crores
Instrument	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier-II Bonds (Series-X) in the nature of Promissory Notes ("Bonds")
Issuance/ Trading	In Dematerialized Form
Credit Rating	"LAA" by ICRA and "CARE AA" by CARE
Security	Unsecured
Face Value	Rs. 10,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Redemption Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Minimum Subscription	1 Bond and in multiples of 1 Bond thereafter
Tenure	127 Months (10 Year 7 Months)
Put & Call Option	None
Redemption/ Maturity	At par at the end of 127 Months (10 Year 7 Months) from the Deemed Date of Allotment (with prior approval from the Reserve Bank of India)
Redemption Date	April 15, 2019
Coupon Rate *	11.05% p.a.
Interest Payment	Annual
Interest Payment Date	15th May of each year
Listing	Proposed on the Wholesale Debt Market (WDM) Segment of the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)
Trustee	IDBI Trusteeship Services Ltd. has been appointed by the Bank to act as Trustees for and on behalf of the holder(s) of the Bonds
Depository	National Securities Depository Ltd. and Central Depository Services (India) Ltd.
Registrars	MCS Ltd.
Interest on Application Money *	At coupon rate (i.e. @ 11.05% p.a.) from the date of realization of cheque(s)/ demand draft(s)/ RTGS up to one day prior to the Deemed Date of Allotment
Settlement	Payment of interest and repayment of principal shall be made by way of cheque(s)/ interest/ redemption warrant(s)/ demand draft(s)/ credit through RTGS system
Mode of Subscription	Cheque(s) / demand draft(s) may be drawn in favour of " Punjab & Sind Bank " and crossed " Account Payee Only " payable at par at designated centers mentioned elsewhere in the Disclosure Document or by way of electronic transfer of funds through RTGS mechanism for credit in the account of " Punjab & Sind Bank RTGS Account " IFSC Code: " PSIB 0000385 " for Mumbai and " PSIB 0000001 " for New Delhi
Issue Opens on ^	September 10, 2008
Issue Closes on ^	September 12, 2008
Pay-In Dates ^	September 10, 2008 to September 12, 2008

आबंटन की मानी गई तिथि^	15-09-2008
*स्रोत पर लागू कर कटौती के अधीन ।	
<p>*बैंक के पास इश्यू में संशोधन (पूर्व नियोजन/स्थगन) करने, खोलने/बंद करने/भुगतान तिथि संबंधी अपना एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है जिसमें बैंक बिना कोई कारण बताए अथवा पूर्व नोटिस के परिवर्तन कर सकता है। ऐसे मामलों में, बैंक द्वारा निवेशकों को संशोधित समय सारणी से अवगत करवाया जाएगा। बैंक के पास बिना किसी नोटिस के आबंटन के लिए मानी जाने वाली एक से ज्यादा तिथि (यो) निर्धारित करने का भी एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।</p>	
<h3>5. बाण्ड निर्गमन-XI 175 करोड़ रुपए</h3> <h4>संक्षिप्त शर्त तालिका</h4>	
इश्यूकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
इश्यू का आकार	रुपए 175 करोड़
इश्यू का उद्देश्य	बैंक के दीर्घकालीन संसाधनों को बढ़ाने तथा पूंजी पर्याप्तता को मजबूत बनाने के लिए टियर-II पूंजी को बढ़ाना।
लिखत	वचन पत्र (बाण्ड्स) के रूप में असुरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय सबोर्डिनेटेड टियर-II बाण्ड्स (सरीज XI)
लिखत की प्रकृति	यह बाण्ड पूर्ण चुकता, असुरक्षित, अन्य लेनदारों के दावों के अधीनस्थ, प्रतिबंधक खंड से मुक्त तथा धारक की पहल अथवा भा-रि-बैं-की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं होगा।
जारी करना/क्रय-विक्रय	डीमेट फॉर्म में
क्रेडिट रेटिंग	“एल.ए.ए” - आई.आर.सी.ए. द्वारा तथा “केयर ए.ए.” - केयर (सी.ए.आर.ई.) द्वारा”
प्रतिभूति	असुरक्षित
अंकित मूल्य	1000000/- प्रति बाण्ड
निर्गम मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात् 1000000/- प्रति बाण्ड)
परिपक्वता मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात् 1000000/- प्रति बाण्ड)
न्यूनतम आवेदन	1 बाण्ड और उसके बाद 1 बाण्ड के गुणकों में
अवधि	118 महीने(9वां तथा 10 माह)
पुट एव काल विकल्प	कोई नहीं
प्रतिदेयता/परिपक्वता	सम मूल्य पर - आबंटन की मानी गई तिथि से 9 वां तथा 10 माह (118 महीनों)के अंत में (भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ)
प्रतिदेयता तिथि	26 अप्रैल, 2019
कूपन दर*	8-70% वार्षिक दर से
ब्याज भुगतान	वार्षिक
ब्याज भुगतान तिथियां	प्रत्येक वर्ष में 15 मई तथा अंतिम परिपक्वता पर
लिस्टिंग	प्रस्तावित- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड(एन.एस.ई.)के थोक ऋण बाजार खंड(डब्ल्यू-डी-एम-)
न्यासी	आई-डी-बी-आई- ट्रस्टिपि सर्विसेज लिमिटेड
निक्षेपागार	नेशनल स्क्यूरिटी डिपॉस्टिरी लि- तथा सेन्ट्रल डिपॉस्टिरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड
पंजीयक	एम-सी-एस- लिमिटेड
आवेदन राशि पर ब्याज*	कूपन दर पर (अर्थात् 8.70% वार्षिक दर से) - चेक/ डिमांड ड्राफ्ट/ आर-टी-जी-एस- की वसूली होने की तिथि से आबंटन की मानी गई तिथि के एक दिन पूर्व तक।
निपटान	ब्याज के भुगतान तथा मूल धन की अदायगी चैक(को)/ ब्याज/प्रतिदेय वारंट(ओ)/डिमांड ड्राफ्ट/आर-टी-जी-एस-/ ई-सी-एस-प्रणाली के माध्यम से क्रेडिट की जाएगी।

Deemed Date of Allotment ^	September 15, 2008
----------------------------	--------------------

* subject to deduction of tax at source, as applicable.

^ The Bank reserves its sole and absolute right to modify (pre-poner/ postpone) the issue opening/ closing/ pay-in date(s) without giving any reasons or prior notice. In such a case, investors shall be intimated about the revised time schedule by the Bank. The Bank also reserves the right to keep multiple Deemed Date(s) of Allotment at its sole and absolute discretion without any notice.

5. BOND ISSUE – XI Rs. 175 CRORE

SUMMARY TERM SHEET

Issuer	Punjab & Sind Bank
Issue Size	Rs. 175 crores
Issue Objects	Augmenting Tier-II Capital for strengthening the Capital Adequacy and enhancing long term resources of the Bank
Instrument	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Lower Tier-II Bonds (Series-XI) in the nature of Promissory Notes ("Bonds")
Nature of Instrument	These Bonds shall be fully paid-up, unsecured, subordinated to the claims of other creditors, free of restrictive clauses and shall not be redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the RBI
Issuance/ Trading	In Dematerialized Form
Credit Rating	"LAA" by ICRA and "CARE AA" by CARE
Security	Unsecured
Face Value	Rs. 10,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Redemption Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Minimum Subscription	1 Bond and in multiples of 1 Bond thereafter
Tenure	9 Year 10 Months (118 Months)
Put & Call Option	None
Redemption/ Maturity	At par at the end of 9 Year 10 Months (118 Months) from the Deemed Date of Allotment (subject to prior approval from RBI)
Redemption Date	April 26, 2019 (subject to prior approval from RBI)
Coupon Rate *	8.70% p.a.
Interest Payment	Annual
Interest Payment Date	On May 15, every year and on final maturity
Listing	Proposed on the Wholesale Debt Market (WDM) Segment of the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)
Trustee	IDBI Trusteeship Services Ltd.
Depository	National Securities Depository Ltd. and Central Depository Services (India) Ltd.
Registrars	MCS Ltd.
Interest on Application Money *	At the coupon rate (i.e. @ 8.70% p.a) from the date of realization of cheque(s)/ demand draft(s)/ RTGS up to but excluding the Deemed Date of Allotment
Settlement	Payment of interest and repayment of principal shall be made by way of cheque(s)/ interest/ redemption warrant(s)/ demand draft(s)/ credit through RTGS/ ECS system

अभिदान की विधि	“केवल एकाउंट पेई” रेखांकित चेक(कों)/डिमांड ड्राफ्ट(टों) द्वारा जो कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के पक्ष में आहर्त हों और प्रकटीकरण प्रपत्र में उल्लिखित नामित केन्द्रों पर सममूल्य पर देय हों या फिर राशि को आर.टी.जी.एस तंत्र के माध्यम से पंजाब एण्ड सिंध बैंक आर.टी.जी.एस. खाता में मुंबई के लिए IFSC कूट संख्या “PSIB 0000385” पर तथा दिल्ली के लिए IFSC कूट संख्या “PSIB 0000001” पर इलेक्ट्रॉनिक्स अन्तरण द्वारा भेजा जा सकता है।
इश्यू के खुलने की तिथि [^]	15-06-2009
इश्यू के बंद होने की तिथि [^]	19-06-2009
पे-इन डेटस [^]	15-06-2009 से 19-06-2009
आबंटन की मानी गई तिथि [^]	26-06-2009

*स्रोत पर लागू कर कटौती के अधीन।

[^]बैंक के पास इश्यू में संशोधन (पूर्व नियोजन/स्थगन) करने, खोलने/बंद करने/भुगतान तिथि संबंधी अपना एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है जिसमें बैंक बिना कोई कारण बताए अथवा पूर्व नोटिस के परिवर्तन कर सकता है। ऐसे मामलों में, बैंक द्वारा निवेशकों को संशोधित समय सारणी से अवगत करवाया जाएगा। बैंक के पास बिना किसी नोटिस के आबंटन के लिए मानी जाने वाली एक से ज्यादा तिथि (यो) निर्धारित करने का भी एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

6-बाण्ड निर्गमन-XII 200 करोड़ रूपए

संक्षिप्त शर्त तालिका

इश्यूकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
इश्यू का आकार	रूपए 200 करोड़
इश्यू का उद्देश्य	बैंक के दीर्घकालीन संसाधनों को बढ़ाने तथा पूंजी पर्याप्तता को मजबूत बनाने के लिए टियर-II पूंजी को बढ़ाना।
लिखत	वचन पत्र (बाण्डस) के रूप में असुरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय सबोर्डिनेटेड-टियर-II बाण्ड (सरीज XII)
लिखत की प्रकृति	यह बाण्ड पूर्ण चुकता, असुरक्षित, अन्य लेनदारों के दावों के अधीनस्थ, प्रतिबंधक खंड से मुक्त तथा धारक की पहल अथवा भा-रि-बैं-की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं होगा।
जारी करना/क्रय-विक्रय	डीमेट फॉर्म में
क्रेडिट रेटिंग	“एल-ए,ए” - आई-आर-सी-ए- द्वारा तथा “ए-ए-” – क्रिसिल द्वारा”
प्रतिभूति	असुरक्षित
अंकित मूल्य	1000000/- प्रति बाण्ड
निर्गम मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात् 1000000/- प्रति बाण्ड)
प्रतिदेय मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात् 1000000/- प्रति बाण्ड)
न्यूनतम आवेदन	1 बाण्ड और उसके बाद 1 बाण्ड के गुणकों में
अवधि	123 महीने(10 वर्ष 3 महीने)
पुट विकल्प	कोई नहीं
प्रतिदेयता/परिपक्वता	आबंटन की मानी गई तिथि से 10 वर्ष 3 महीने(123 महीने) के अंत में सम मूल्य पर (भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ)
परिपक्वता तिथि	15.04.2020 (भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ)
कूपन दर*	8.70% वार्षिक दर से
ब्याज भुगतान	वार्षिक
ब्याज भुगतान तिथियां	प्रत्येक वर्ष में 15 मई तथा अंतिम परिपक्वता पर
लिस्टिंग	प्रस्तावित- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड(एन-एस-ई)के थोक ऋण बाजार खंड(डब्ल्यू-डी-एम-)

Mode of Subscription	Cheque(s) / demand draft(s) may be drawn in favour of "Punjab & Sind Bank" and crossed "Account Payee Only" payable at par at designated centers mentioned elsewhere in the Disclosure Document or by way of electronic transfer of funds through RTGS mechanism for credit in the account of "Punjab & Sind Bank RTGS Account" IFSC Code: "PSIB 0000385" for Mumbai and "PSIB 0000001" for New Delhi
Issue Opens on ^	June 15, 2009
Issue Closes on ^	June 19, 2009
Pay-In Date ^	June 15, 2009 to June 19, 2009
Deemed Date of Allotment ^	June 26, 2009

* subject to deduction of tax at source, as applicable.

^ The Bank reserves its sole and absolute right to modify (pre-poner/ postpone) the issue opening/ closing/ pay-in date(s) without giving any reasons or prior notice. In such a case, investors shall be intimated about the revised time schedule by the Bank. The Bank also reserves the right to keep multiple Deemed Date(s) of Allotment at its sole and absolute discretion without any notice.

6. BOND ISSUE – XII Rs. 200 CRORE

VIII. SUMMARY TERM SHEET

Issuer	Punjab & Sind Bank
Issue Size	Rs. 200 crores
Issue Objects	Augmenting Tier-II Capital for strengthening the Capital Adequacy and enhancing long term resources of the Bank
Instrument	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Lower Tier-II Bonds (Series-XII) in the nature of Promissory Notes ("Bonds")
Nature of Instrument	These Bonds shall be fully paid-up, unsecured, subordinated to the claims of other creditors, free of restrictive clauses and shall not be redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the RBI
Issuance/ Trading	In Dematerialized Form
Credit Rating	"LAA" by ICRA and "AA" by CRISIL
Security	Unsecured
Face Value	Rs. 10,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Redemption Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Minimum Subscription	1 Bond and in multiples of 1 Bond thereafter
Tenure	10 Year 3 Months (123 Months)
Put & Call Option	None
Redemption/ Maturity	At par at the end of 10 Years 3 Months (123 Months) from the Deemed Date of Allotment (subject to prior approval from RBI)
Redemption Date	April 15, 2020 (subject to prior approval from RBI)
Coupon Rate *	8.70% p.a.
Interest Payment	Annual
Interest Payment Date	On May 15, every year and on final maturity
Listing	Proposed on the Wholesale Debt Market (WDM) Segment of the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)
Trustee	IDBI Trusteeship Services Ltd.

न्यासी	आई.डी.बी.आई. ट्रस्टशिप सर्विसेज लिमिटेड
निकेपागार	नेशनल स्क्यूरिटी डिपोजिटरी लि- तथा सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड
पंजीयक	एम-सी-एस- लिमिटेड
आवेदन राशि पर ब्याज*	कूपन दर पर (अर्थात् 8.70 % वार्षिक दर से) - चैक/ डिमांड ड्राफ्ट/ आर-टी-जी-एस- की वसूली होने की तिथि से आबंटन की मानी गई तिथि के एक दिन पूर्व तक।
निपटान	ब्याज के भुगतान तथा मूल धन की अदायगी चैक(कों)/ ब्याज/प्रतिदेय वारंट(स) /डिमांड ड्राफ्ट/आर-टी-जी-एस- प्रणाली/ ई.सी.एस. प्रणाली के माध्यम से।
अभिदान की विधि	“केवल एकाउंट पेई” रेखांकित चैक(कों)/डिमांड ड्राफ्ट(टों) द्वारा जो कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के पक्ष में आहर्त हों और प्रकटीकरण प्रपत्र में उल्लिखित नामित केन्द्रों पर सममूल्य पर देय हों या फिर राशि को आर.टी.जी.एस. तंत्र के माध्यम से पंजाब एण्ड सिंध बैंक आर.टी.जी.एस. खाता में मुंबई के लिए IFSC कूट संख्या “PSIB 0000385” पर तथा दिल्ली के लिए IFSC कूट संख्या “PSIB 0000001” पर इलेक्ट्रॉनिक्स अन्तरण द्वारा भेजा जा सकता है।
इश्यू के खुलने की तिथि^	06.01.2010
इश्यू के बंद होने की तिथि^	13.01.2010
पे-इन डेट्स^	06.01.2010 से 13.01.2010
आबंटन की मानी गई तिथि^	15.01.2010

*स्रोत पर लागू कर कटौती के अधीन।

^बैंक के पास इश्यू में संशोधन (पूर्व नियोजन/स्थगन) करने, खोलने / बंद करने / भुगतान तिथि संबंधी अपना एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है जिसमें बैंक बिना कोई कारण अथवा पूर्व नोटिस के परिवर्तन कर सकता है। ऐसे मामलों में, बैंक द्वारा निवेशकों को संशोधित समय सारणी से अवगत करवाया जाएगा। बैंक के पास बिना किसी नोटिस के आबंटन के लिए मानी जाने वाली एक से ज्यादा तिथियाँ निर्धारित करने का भी एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

7-बाण्ड निर्गमन-XIII 300 करोड़ रुपए

संक्षिप्त शर्त तालिका

इश्यूकर्ता	पंजाब एण्ड सिंध बैंक
इश्यू का आकार	रुपए 300 करोड़
इश्यू का उद्देश्य	बैंक के दीर्घकालीन संसाधनों को बढ़ाने तथा पूंजी पर्याप्तता को मजबूत बनाने के लिए टियर-II पूंजी को बढ़ाना।
लिखत	वचन पत्र (बाण्ड) के रूप में असुरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय सबोर्डिनेटेड-टियर-II बाण्ड (सरीज XIII)
लिखत की प्रकृति	यह बाण्ड पूर्ण चुकता, असुरक्षित, अन्य लेनदारों के दावों के अधीनस्थ, प्रतिबंधक खंड से मुक्त तथा धारक की पहल अथवा भा.रि.बैं. की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं होगा।
जारी करना/ क्रय-विक्रय	डीमेट फॉर्म में
क्रेडिट रेटिंग	“एल-ए,ए+” - आई-आर-सी-ए- द्वारा तथा “केयर ए-ए+” - केयर (सी-ए-आर-ई-) द्वारा”
प्रतिभूति	असुरक्षित
अंकित मूल्य	1000000/- प्रति बाण्ड
निर्गम मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात् 1000000/- प्रति बाण्ड)
प्रतिदेय मूल्य	सम मूल्य पर (अर्थात् 1000000/- प्रति बाण्ड)
न्यूनतम आवेदन	1 बाण्ड और उसके बाद 1 बाण्ड के गुणकों में
कार्यकाल	124 महीने
पुट विकल्प	कोई नहीं
काल विकल्प	छठे वर्ष के अंत में (भा.रि.बैं. की स्वीकृति के आधार पर)
प्रतिदेयता/ परिपक्वता	तिथि से 124 महीनों के अंत में सम मूल्य पर (भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ)
प्रतिदेयता तिथि	24-10-2021 (भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के साथ)

Depository	National Securities Depository Ltd. and Central Depository Services (India) Ltd.
Registrars	MCS Ltd.
Interest on Application Money *	At the coupon rate (i.e. @ 8.70% p.a) from the date of realization of cheque(s)/ demand draft(s)/ RTGS up to but excluding the Deemed Date of Allotment
Settlement	Payment of interest and repayment of principal shall be made by way of cheque(s)/ interest/ redemption warrant(s)/ demand draft(s)/ credit through RTGS/ ECS system
Mode of Subscription	Cheque(s) / demand draft(s) may be drawn in favour of "Punjab & Sind Bank" and crossed "Account Payee Only" payable at par at designated centers mentioned elsewhere in the Disclosure Document or by way of electronic transfer of funds through RTGS mechanism for credit in the account of "Punjab & Sind Bank RTGS Account" IFSC Code: "PSIB 0000385" for Mumbai and "PSIB 0000001" for New Delhi
Issue Opens on ^	January 6, 2010
Issue Closes on ^	January 13, 2010
Pay-In Date ^	January 6, 2010 to January 13, 2010
Deemed Date of Allotment ^	January 15, 2010

* subject to deduction of tax at source, as applicable.

^ The Bank reserves its sole and absolute right to modify (pre-pone/ postpone) the issue opening/ closing/ pay-in date(s) without giving any reasons or prior notice. In such a case, investors shall be intimated about the revised time schedule by the Bank. The Bank also reserves the right to keep multiple Deemed Date(s) of Allotment at its sole and absolute discretion without any notice.

7. BOND ISSUE – XIII Rs. 300 CRORE

SUMMARY TERM SHEET

Issuer	Punjab & Sind Bank
Issue Size	Rs. 300 crore
Issue Objects	Augmenting Tier-II Capital for strengthening the Capital Adequacy and enhancing long term resources of the Bank
Instrument	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Lower Tier-II Bonds (Series-XIII) in the nature of Promissory Notes ("Bonds")
Nature of Instrument	These Bonds shall be fully paid-up, unsecured, subordinated to the claims of other creditors, free of restrictive clauses and shall not be redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the RBI
Issuance/ Trading	In Dematerialized Form
Credit Rating	"LAA+" by ICRA and "CARE AA+" by CARE
Security	Unsecured
Face Value	Rs. 10,00,000/- per Bond
Issue Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Redemption Price	At par (Rs. 10,00,000/- per Bond)
Minimum Subscription	1 Bond and in multiples of 1 Bond thereafter
Tenure	124 Months
Put Option	None
Call Option	At the end of 6th Year (Subject to Approval from RBI)
Redemption/ Maturity	At par at the end of 124 Months from the Deemed Date of Allotment (subject to prior approval from RBI)
Redemption Date	24th October 2021 (subject to prior approval from RBI)

कूपन दर*	9-73% वार्षिक दर से
ब्याज भुगतान	वार्षिक
ब्याज भुगतान तिथियां	प्रत्येक वर्ष में 15 मई तथा अंतिम परिपक्वता पर
लिस्टिंग	प्रस्तावित-नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड(एन-एस-ई)के थोक ऋण बाजार खंड(डब्ल्यू-डी-एम-)
न्यासी	आई.डी.बी.आई. ट्रस्टिप सर्विसेज लिमिटेड
निक्षेपागार	नेशनल स्क्यूरिटी डिपॉस्टिरी लि- तथा सेन्ट्रल डिपॉस्टिरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड
पंजीयक	एम-सी-एस- लिमिटेड
आवेदन राशि पर ब्याज*	कूपन दर पर - आबंटन की मानी गई तिथि को छोड़कर चैक(कों)डिमांड ड्राफ्ट(टों)/ आर-टी-जी-एस- की वसूली होने की तिथि से (अर्थात् 9-73% वार्षिक दर से)
निपटान	ब्याज के भुगतान तथा मूल धन की अदायगी चैक(कों)/ ब्याज/प्रतिदेय वारंट(स) /डिमांड ड्राफ्ट/आर-टी-जी-एस- प्रणाली/ ई-सी-एस- प्रणाली के माध्यम से।
अंशदान का माध्यम	आर.टी.जी.एस.तंत्र के माध्यम से राशि को इलैक्ट्रानिक्स अंतरण के तरीके से “पंजाब एण्ड सिंध बैंक आर-टी-जी-एस- खाता” में दिल्ली के लिए IFSC कूट संख्या ”PSIB 0000001 ” में किया जा सकता है।
इश्यू के खुलने की तिथि^	20.06.2011
इश्यू के बंद होने की तिथि^	24.06.2011
पे-इन डेट्स^	20.06.2011 से 24.06.2011
आबंटन की मानी गई तिथि^	24.06.2011

*स्रोत पर लागू कर कटौती के अधीन।

^बैंक के पास इश्यू में संशोधन (पूर्व नियोजन/स्थगन) करने, खोलने/बंद करने/भुगतान तिथि संबंधी अपना एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है जिसमें बैंक बिना कोई कारण बताए अथवा पूर्व नोटिस के परिवर्तन कर सकता है। ऐसे मामलों में, बैंक द्वारा निवेशकों को संशोधित समय सारणी से अवगत करवाया जाएगा। बैंक के पास बिना किसी नोटिस के आबंटन के लिए मानी जाने वाली एक से ज्यादा तिथि(यो) निर्धारित करने का भी एकल एवं सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

तालिका डी-एफ-15- पारिश्रमिक के लिए आवश्यकताओं का प्रकटीकरण

सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के लिए लागू नहीं हैं।

नोट: यह मूल अंग्रेजी पाठ का हिंदी अनुवाद है।

Coupon Rate *	9.73% p.a.
Interest Payment	Annual
Interest Payment Date	On May 15, every year and on final maturity
Listing	Proposed on the Wholesale Debt Market (WDM) Segment of the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)
Trustee	IDBI Trusteeship Services Ltd.
Depository	National Securities Depository Ltd. and Central Depository Services (India) Ltd.
Registrars	MCS Ltd.
Interest on Application Money *	At the coupon rate (i.e. @ 9.73% p.a) from the date of realization of cheque(s)/ demand draft(s)/ RTGS up to but excluding the Deemed Date of Allotment
Settlement	Payment of interest and repayment of principal shall be made by way of cheque(s)/ interest/ redemption warrant(s)/ demand draft(s)/ credit through RTGS/ ECS system
Mode of Subscription	By way of electronic transfer of funds through RTGS mechanism for credit in the account of "Punjab & Sind Bank RTGS Account" IFSC Code: "PSIB0000001" for New Delhi
Issue Opens on ^	20th June 2011
Issue Closes on ^	24th June 2011
Pay-In Date ^	20th June 2011 to 24th June 2011
Deemed Date of Allotment ^	24th June 2011

* Subject to deduction of tax at source, as applicable.

^ The Bank reserves its sole and absolute right to modify (pre-pone/ postpone) the issue opening/ closing/ pay-in date(s) without giving any reasons or prior notice. In such a case, investors shall be intimated about the revised time schedule by the Bank. The Bank also reserves the right to keep multiple Deemed Date(s) of Allotment at its sole and absolute discretion without any notice.

Table DF 15 –Disclosure Requirements for Remuneration-

Not applicable to PSU Banks

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
31 मार्च, 2014 का तुलन-पत्र

(000 छोड़कर)

		रूपए	रूपए
पूंजी तथा देयताएं	अनुसूची	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
पूंजी	1	4752842	4540212
आरक्षित निधि एवं अधिशेष	2	45360038	41500803
जमाराशियाँ	3	847301648	706415025
उधार	4	23050423	25400507
अन्य देयताएं तथा प्रावधान	5	24626596	26922486
जोड़		945091547	804779033

आस्तियाँ			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में इतिशेष	6	48344909	32489201
बैंकों में इतिशेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	7	14903466	8302906
निवेश	8	282941140	225424808
अग्रिम	9	572390666	514307860
स्थिर आस्तियाँ	10	10027150	8441281
अन्य आस्तियाँ	11	16484216	15812977
जोड़		945091547	804779033
आकस्मिक देयताएं	12	100290718	80116615
वसूली के लिए बिल		12757758	11588513
उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ	17		
खातों से संबंधित टिप्पणियाँ	18		
अनुसूची 1 से 18 खातों का अभिन्न अंग हैं।			

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाता

(000 को छोड़कर)

		रूपए	रूपए
	अनुसूची	31.3.2014 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)	31.3.2013 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)
I.	आय		
	अर्जित ब्याज	79727065	73401243
	अन्य आय	4272808	3942169
	जोड़	83999873	77343412
II.	व्यय		
	व्यय किया गया ब्याज	63521242	56991021



PUNJAB SIND BANK
BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2014

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
CAPITAL & LIABILITIES	SCHEDULE	AS ON 31.03.14 [Audited]	AS ON 31.03.13 [Audited]
Capital	1	4752842	4540212
Reserves & Surplus	2	45360038	41500803
Deposits	3	847301648	706415025
Borrowings	4	23050423	25400507
Other liabilities & Provisions	5	24626596	26922486
TOTAL		945091547	804779033

ASSETS			
Cash & balances with Reserve Bank Of India	6	48344909	32489201
Balances with banks & money at call and short notice	7	14903466	8302906
Investments	8	282941140	225424808
Advances	9	572390666	514307860
Fixed Assets	10	10027150	8441281
Other Assets	11	16484216	15812977
TOTAL		945091547	804779033
Contingent Liabilities	12	100290718	80116615
Bills for Collection		12757758	11588513
Significant Accounting Policies	17		
Notes on Accounts	18		
Schedule 1 to 18 form an integral part of the accounts			

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2014

(000'S OMITTED)

			Rs.	Rs.
		SCHEDULE	YEAR ENDED 31.03.14 [Audited]	YEAR ENDED 31.03.13 [Audited]
I.	INCOME			
	Interest earned	13	79727065	73401243
	Other income	14	4272808	3942169
	TOTAL		83999873	77343412
II.	EXPENDITURE			
	Interest expended	15	63521242	56991021

	ਪਰਿਚਾਲਨ ਵਧ	16	12473212	10963900
	ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਆਰ ਆਕਸਮਿਕ ਵਧ		4999155	5996289
	ਜੋਡ		80993609	73951210
III.	ਲਾਭ / ਹਾਨਿ			
	ਅਵਧਿ ਕੇ ਸ਼ੁਧ ਲਾਭ / ਹਾਨਿ (–)		3006264	3392202
	ਅਧਾਨੀਤ ਲਾਭ / ਹਾਨਿ (–)		15430797	14225065
	ਜੋਡ		18437061	17617267
	ਮੂਲ ਐਂ ਤੁਨਕ੍ਰਤ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤਿ ਸ਼ੇਧਰ		10.69	13.49
IV.	ਵਿਨਿਯੋਜਨ			
	ਅੰਤਰਣ :			
	ਸਾਂਵਿਧਿਕ ਆਰਕਸ਼ਿਤ ਨਿਧਿਯਾਂ		752500	850000
	ਪੂੰਜੀ ਆਰਕਸ਼ਿਤ ਨਿਧਿ (ਨਿਵੇਸ਼)		118522	93488
	ਧਾਰਾ 36 (i) (viii) ਕੇ ਅੰਤਰਗਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਕਸ਼ਿਤ ਨਿਧਿਯਾਂ		0	234188
	ਆਰਕਸ਼ਿਤ ਨਿਵੇਸ਼		36817	0
	ਆਸਥਾਗਿਤ ਕਰ ਦੇਧਤਾਓਂ		234960	0
	ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਮਾਜਿਕ ਉਤਰਦਾਧਿਤਵ ਨਿਧਿ		20000	20000
	ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲਾਭਾਂਸ਼:			
	ਪੀਐਨਸੀਪੀਐਸ		180000	170000
	ਈਕਵਿਟੀ		605625	680777
	ਲਾਭਾਂਸ਼ ਵਿਤਰਣ ਕਰ		133517	138017
	ਸ਼ੇਸ਼ ਕੋ ਆਗੇ ਤੁਲਨ–ਪਤ੍ਰ ਮੇਂ ਲੇ ਜਾਧਾ ਗਧਾ		16355120	15430797
	ਜੋਡ		18437061	17617267
	ਉਲੇਖਨੀਧ ਲੇਖਾ ਨੀਤਿਯਾਂ	17		
	ਖਾਤੋਂ ਸੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟਿਪੁਣਿਯਾਂ	18		
	ਅਨੁਸੂਚੀ 1 ਸੇ 18 ਖਾਤੋਂ ਕਾ ਅਭਿਨ੍ਰ ਅੰਗ ਹੈਂ।			

ਜਤਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਹ
ਅਧਧਕ ਐਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ

ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਸਾਂਸੀ
ਕਾਰਧਕਾਰੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ

ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ
ਕਾਰਧਕਾਰੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ

ਮਹੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਨਿਦੇਸ਼ਕ

ਐਸ.ਪੀ.ਬਭੂਤਾ
ਨਿਦੇਸ਼ਕ

ਐਨ.ਰਾਜੇਨ੍ਦ੍ਰਨ
ਨਿਦੇਸ਼ਕ

ਸੁਰੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ
ਨਿਦੇਸ਼ਕ

ਸੰਜੀਵ ਅਰੋਡਾ
ਨਿਦੇਸ਼ਕ

ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ.ਵਿਕ
ਨਿਦੇਸ਼ਕ

ਸੰਜਧ ਵਰਮਾ
ਨਿਦੇਸ਼ਕ

ਅਨੀਤਾ ਕਰ੍ਣਾਵਰ
ਨਿਦੇਸ਼ਕ

ਜੀ.ਐਸ.ਸਚਦੇਵਾ
ਮੁਖਧ ਮਹਾਪ੍ਰਬੰਧਕ

ਹਰ੍ਸ਼ਬੀਰ ਸਿੰਹ
ਮਹਾਪ੍ਰਬੰਧਕ

ਆਈ.ਐਸ.ਭਾਟਿਧਾ
ਮਹਾਪ੍ਰਬੰਧਕ

ਦੀਪਕ ਮੈਨੀ
ਮਹਾਪ੍ਰਬੰਧਕ

ਜੀ.ਐਸ.ਫਲਲ
ਮਹਾਪ੍ਰਬੰਧਕ

ਆਰ.ਸੀ. ਨਾਰਾਧਣ
ਮਹਾਪ੍ਰਬੰਧਕ

ਡੀ.ਡੀ.ਸ਼ਾਰਮਾ
ਮਹਾਪ੍ਰਬੰਧਕ

ਵਰਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ
ਮਹਾਪ੍ਰਬੰਧਕ

ਆਰ.ਪੀ.ਐਸ.ਖੁਰਾਨਾ
ਉਪ ਮਹਾਪ੍ਰਬੰਧਕ

ਵੀ.ਕੇ.ਮੇਹਰੋਤ੍ਰਾ
ਸਹਾਧਕ ਮਹਾਪ੍ਰਬੰਧਕ

ਐ.ਐਸ.ਅਹੂਜਾ
ਮੁਖਧ ਪ੍ਰਬੰਧਕ



	Operating expenses	16	12473212	10963900
	Provisions and contingencies		4999155	5996289
	TOTAL		80993609	73951210
III.	PROFIT/LOSS			
	Net Profit/ Loss (-) for the period		3006264	3392202
	Profit/ Loss(-) brought forward		15430797	14225065
	TOTAL		18437061	17617267
	Basic & Diluted Earning per Share (EPS)		10.69	13.49
IV.	APPROPRIATIONS			
	Transfer to:			
	Statutory Reserve		752500	850000
	Capital Reserve [Investment]		118522	93488
	Special Reserve u/s 36(1)(viii)		0	234188
	Investment Reserve		36817	0
	Deferred Tax Liability		234960	0
	Corporate Social Responsibility Fund		20000	20000
	Proposed Dividend:			
	PNCPS		180000	170000
	Equity		605625	680777
	Dividend Distribution Tax		133517	138017
	Balance carried over to Balance Sheet		16355120	15430797
	TOTAL		18437061	17617267
	Significant Accounting Policies	17		
	Notes on Accounts	18		
	Schedule 1 to 18 form an integral part of the accounts			

JATINDERBIR SINGH
CHAIRMAN & MG.DIRECTOR

KISHORE KUMAR SANSI
EXECUTIVE DIRECTOR

MUKESH KUMAR JAIN
EXECUTIVE DIRECTOR

MAHESH GUPTA
DIRECTOR

S.P.BABUTA
DIRECTOR

N.RAJENDRAN
DIRECTOR

SURESH THAKUR
DIRECTOR

SANJIV ARORA
DIRECTOR

S.P.S.VIRK
DIRECTOR

SANJAY VERMA
DIRECTOR

ANITA KARNAVAR
DIRECTOR

G.S.SACHDEVA
CHIEF GEN.MANAGER

HARSHBIR SINGH
GEN. MANAGER

I.S.BHATIA
GEN. MANAGER

DEEPAK MAINI
GEN. MANAGER

G.S.DHALL
GEN. MANAGER

R.C.NARAYAN
GEN. MANAGER

D.D.SHARMA
GEN. MANAGER

VARINDER GUPTA
GEN. MANAGER

R.P.S.KHURANA
DY.GEN.MANAGER

V.K.MEHROTRA
ASSTT GEN.MANAGER

A.S.AHUJA
CHIEF MANAGER



समतिथि पर हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते आर.एम.लाल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

कृते ओ.पी.तुलसीयान एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

(आर.पी.तिवारी)
साझेदार
एम.नं. 071448
एफआरएन 000932सी

(राकेश अग्रवाल)
साझेदार
एम. नं. 081808
एफआरएन 50002एन

कृते बी.के. श्रौफ एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

कृते आर. कोठारी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

(एल.के.श्रौफ)
साझेदार
एम.नं. 060742
एफआरएन 302166ई

(राजेश कुमार)
साझेदार
एम.नं.090865
एफआरएन 307069ई

नई दिल्ली
दिनांक: 10.05.2014

(000 को छोड़कर)

		रुपए	रुपए
	अनुसूची 1 – पूंजी	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
I.	इक्विटी शेयर पूंजी प्रत्येक रु. 10 / . के 75,00,00,000 शेयर	75000000	75000000
II.	अधिमान शेयर पूंजी (बेमियादी गैर-संचयी) (पी.एन.सी.पी.एस.) प्रत्येक रु.10 / . के 225,00,00,000 शेयर	225000000	225000000
		300000000	300000000
	निर्गम, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी :		
I.	इक्विटी शेयर पूंजी प्रत्येक रु. 10 / . के 27,52,84,212 शेयर (पिछले वर्ष 25,40,21,189) जिसमें केन्द्रीय सरकार की धारिता में प्रत्येक रु. 10 / . के 22,41,32,212 शेयर (पिछले वर्ष 20,28,69,189) सम्मिलित हैं।	2752842	2540212
II.	अधिमान शेयर पूंजी (बेमियादी गैर-संचयी) (पी.एन.सी. पी. एस.) केन्द्रीय सरकार की धारिता में प्रत्येक रु. 10 / . के 20,00,00,000 शेयर (पिछले वर्ष 20,00,00,000)	20000000	20000000
	कुल	4752842	4540212

**As per our Report of even date**

For R. M. Lall & Co.
Chartered Accountants

(R. P. Tewari)
Partner
M. No. 071448
FRN : 000932C

For B. K. Shroff & Co.
Chartered Accountants

(L. K. Shroff)
Partner
M. No. 060742
FRN : 302166E

For O. P. Tulsyan & Co.
Chartered Accountants

(Rakesh Agarwal)
Partner
M. No. 081808
FRN : 500028N

For R. Kothari & Co.
Chartered Accountants

(Rajesh Kumar)
Partner
M. No. 090865
FRN : 307069E

New Delhi
May 10, 2014

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 1-CAPITAL	AS ON 31.03.14 [Audited]	AS ON 31.03.13 [Audited]
I)	Authorised Capital: Equity Share Capital 75,00,00,000 shares of Rs.10/- each	7500000	7500000
II)	Preference Share Capital (Perpetual Non-cumulative) (PNCPS) 225,00,00,000 shares of Rs.10/- each	22500000	22500000
		30000000	30000000
	Issued, Subscribed and Paid-up Capital:		
i)	Equity Share Capital 27,52,84,212 (Previous Year 25,40,21,189) shares of Rs.10/- each [including 22,41,32,212 (Previous Year 20,28,69,189) shares of Rs.10/- each held by Central Government]	2752842	2540212
ii)	Preference Share Capital (Perpetual Non-cumulative) (PNCPS) 20,00,00,000 (Previous Year 20,00,00,000) shares of Rs.10/- each held by Central Government	2000000	2000000
	TOTAL	4752842	4540212

		रूपए	रूपए
		31.3.2014 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
	अनुसूची 2 – आरक्षित निधि एवं अधिशेष		
I.	सांविधिक आरक्षित निधि		
	अथशेष	8259406	7409406
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	752500	850000
	उप-योग	9011906	8259406
II.	पूंजी आरक्षित निधि – क) पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि (स्थायी आस्तियां)		
	अथशेष	7065699	7295071
	परिवर्धन: वर्ष के दौरान परिवर्धन	1479579	0
	घटा: वर्ष के दौरान कटौतियां	–237688	–229372
	उप-योग	8307590	7065699
	ख) पूंजी आरक्षित निधि (निवेश)		
	अथशेष	2604207	2510719
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	118522	93488
	उप-योग	2722729	2604207
III.	शेयर प्रीमियम		
	अथशेष	6254625	5055257
	परिवर्धन: वर्ष के दौरान परिवर्धन	787370	1201868
	घटा: शेयर निर्गम व्यय	–2188	–2500
	उप-योग	7039807	6254625
IV.	राजस्व तथा अन्य आरक्षित निधियाँ		
	क) सामान्य आरक्षितियाँ		
	अथशेष	1089107	1089107
	परिवर्धन: वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	0
	घटा: वर्ष के दौरान कटौतियां	0	0
	उप-योग	1089107	1089107
	ख) राजस्व आरक्षित निधि :		
	अथशेष	105700	105700
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	0
	उप-योग	105700	105700
	ग) विशेष आरक्षित धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत		
	अथशेष	691262	457074
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	234188
	उप-योग—(IV) ग	691262	691262
	घ) आरक्षित निवेश		
	अथशेष	0	0
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	36817	0

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 2-RESERVES & SURPLUS	AS ON	AS ON
		31.03.14 [Audited]	31.03.13 [Audited]
I.	Statutory Reserves		
	Opening Balance	8259406	7409406
	Addition during the year	752500	850000
	Sub-Total-I	9011906	8259406
II.	Capital Reserves:		
	a.Revaluation Reserve (Fixed Assets)		
	Opening Balance	7065699	7295071
	Add: Addition during the year	1479579	0
	Less: Deduction during the year	-237688	-229372
	Sub-Total-II.a	8307590	7065699
	b.Capital Reserve [Investments]		
	Opening Balance	2604207	2510719
	Add: Addition during the year	118522	93488
	Sub-Total-II.b	2722729	2604207
III.	Share Premium:		
	Opening Balance	6254625	5055257
	Add: Addition during the year	787370	1201868
	Less: Share Issue Expenses	-2188	-2500
	Sub-Total-III	7039807	6254625
IV.	Revenue & Other Reserves		
	a.General Reserves		
	Opening Balance	1089107	1089107
	Add: Addition during the year	0	0
	Less:Deduction during the year	0	0
	Sub-Total-IV.a	1089107	1089107
	b.Revenue Reserve:		
	Opening Balance	105700	105700
	Add: Addition during the year	0	0
	Sub-Total-IV.b	105700	105700
	c.Special Reserve u/s 36(i)(viii):		
	Opening Balance	691262	457074
	Add: Addition during the year	0	234188
	Sub-Total-IV.c	691262	691262
	d.Investment Reserve		
	Opening Balance	0	0
	Add: Addition during the year	36817	0
	Sub-Total-IV.d	36817	0
V.	Balance in Profit & Loss Account	16355120	15430797
	TOTAL [I TO V]	45360038	41500803

	उप-योग-(IV) घ	36817	0
V.	लाभ-हानि खाते में शेष	16355120	15430797
	कुल योग (I-V)	45360038	41500803

(000 को छोड़कर)

		रूपए	रूपए
	अनुसूची 3 —जमा राशियाँ	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
क.	1.) मांग जमा		
	i) बैंकों से	297775	461883
	ii) अन्य से	43436576	35143450
	ख. बचत बैंक जमा राशियाँ	133217694	121782532
	ग. सावधि जमा		
	i) बैंकों से	67627719	55643648
	ii) अन्य से	602721884	493383512
	जोड़ (I+II+III)	847301648	706415025
ख.	भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ	847301648	706415025

(000 को छोड़कर)

		रूपए	रूपए
	अनुसूची 4 — उधार	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
	1.) भारत में उधार		
	i) भारतीय रिज़र्व बैंक	5800000	4000000
	ii) अन्य बैंक	0	0
	iii) अन्य संस्थान और अभिकरण	423	2956237
	iv) नवोन्मेष बेमियादी ऋण लिखत (आईपीडीआई)	1600000	1600000
	v) बेमियादी संचयी अधिमान शेयर (पी.सी.पी.एस.)	2000000	2000000
	vi) गौण ऋण	13650000	13650000
	2.) भारत से बाहर उधार	0	1194270
	जोड़ (1 व 2)	23050423	25400507
	उपरोक्त जोड़ (1) और (2) में सम्मिलित प्रतिभूत उधार	3800000	5998768

(000 को छोड़कर)

		रूपए	रूपए
	अनुसूची 5 — अन्य देयताएं और प्रावधान	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
	I. देय बिल	1671254	2382557
	II. अंतर्कार्यालय समायोजन (निवल)	1117763	2995275
	III. प्रोद्भूत ब्याज	7868251	6354274
	IV. आस्थगित कर देयता	769365	1106899

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 3-DEPOSITS	AS ON 31.03.14 [Audited]	AS ON 31.03.13 Audited]
A.	I. Demand Deposits		
	i.From Banks	297775	461883
	ii.From others	43436576	35143450
	II.Savings Bank Deposits	133217694	121782532
	III.Term Deposits		
	i.From Banks	67627719	55643648
	ii.From others	602721884	493383512
	TOTAL [I+II+III]	847301648	706415025
B.	Deposits of branches in India	847301648	706415025

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 4-BORROWINGS	AS ON 31.03.14 [Audited]	AS ON 31.03.13 [Audited]
	I. Borrowings in India		
	i) Reserve Bank of India	5800000	4000000
	ii) Other Banks	0	0
	iii) Other institutions & agencies	423	2956237
	iv) Innovative Perpetual Debt Instruments [IPDI]	1600000	1600000
	v) Perpetual Cumulative Preference Shares [PCPS]	2000000	2000000
	vi) Subordinated Debt	13650000	13650000
	II. Borrowings outside India	0	1194270
	TOTAL [I & II]	23050423	25400507
	Secured borrowings included in I & II above	3800000	5998768

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 5-OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS	AS ON 31.03.14 [Audited]	AS ON 31.03.13 [Audited]
	I. Bills Payable	1671254	2382557
	II. Inter-office adjustments [net]	1117763	2995275
	III. Interest accrued	7868251	6354274
	IV. Deferred Tax Liability	769365	1106899
	V. Others (including provisions)	13199963	14083481
	TOTAL	24626596	26922486

(000 को छोड़कर)

		रुपए	रुपए
	अनुसूची 6 – नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास इतिशेष	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
	I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं)	2407064	1751839
	II. भारतीय रिज़र्व बैंक में इतिशेष		
	i) चालू खातों में	45937845	30737362
	ii) अन्य खातों में	0	0
	जोड़ (I तथा II)	48344909	32489201

(000 को छोड़कर)

		रुपए	रुपए
	अनुसूची 7 – बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
	1.) भारत में		
	i) बैंकों में शेष		
	क) चालू खातों में	567903	843466
	ख) अन्य जमा खातों में	8490959	2250000
	ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन		
	क) बैंकों से	4350000	1500000
	ख) अन्य संस्थाओं से	0	1000000
	उप योग– (1)	13408862	5593466
	2.) भारत के बाहर		
	i) चालू खातों में	1494604	1375458
	ii) अन्य जमा खातों में	0	1333982
	iii) मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन	0	0
	उप-योग (2)	1494604	2709440
	जोड़ (1+2)	14903466	8302906

(000 को छोड़कर)

		रुपए	रुपए
	अनुसूची 8 – निवेश	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
	1.) भारत में निवेश		
	i) सरकारी प्रतिभूतियां **	216836768	187060332
	ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	99491	113932
	iii) शेयर	1686798	1724943
	iv) डिबैंचर तथा बांड्स	31363359	11941940
	v) सहायक इकाईयां, तथा संयुक्त उपक्रम एवं प्रायोजित संस्थान	6537	6537
	vi) अन्य		

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 6-CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	AS ON 31.03.14 [Audited]	AS ON 31.03.13 [Audited]
	I. Cash in hand [including foreign currency notes]	2407064	1751839
	II. Balances with Reserve Bank of India		
	i) in Current Account	45937845	30737362
	ii) in Other Account	0	0
	TOTAL [I & II]	48344909	32489201

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 7-BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE	AS ON 31.03.14 [Audited]	AS ON 31.03.13 [Audited]
	I. IN INDIA		
	i) Balance with banks		
	a) in Current Accounts	567903	843466
	b) in Other Deposit Accounts	8490959	2250000
	ii) Money at call & Short notice		
	a) with banks	4350000	1500000
	b) with other Institutions	0	1000000
	SUB-TOTAL [I]	13408862	5593466
	II. OUTSIDE INDIA		
	i) In Current Accounts	1494604	1375458
	ii) In Other Deposit Accounts	0	1333982
	iii) Money at call & Short notice	0	0
	SUB-TOTAL [II]	1494604	2709440
	TOTAL [I + II]	14903466	8302906

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 8-INVESTMENT	AS ON 31.03.14 [Audited]	AS ON 31.03.13 [Audited]
	I. Investments in India in		
	i) Government Securities **	216836768	187060332
	ii) Other approved securities	99491	113932
	iii) Shares	1686798	1724943
	iv) Debentures & Bonds	31363359	11941940
	v) Subsidiaries, and/or Joint Ventures & Sponsored Institutions	6537	6537
	vi) Others:		

क) वाणिज्यिक पत्र/ सीडी/प्रतिभूति रसीदें/आरआईडीएफ	32774703	24370055
ख) यू.टी.आई.के यूनिट, अन्य म्युचुअल फंड	173484	207069
उप-योग (I)	282941140	225424808
II. भारत से बाहर निवेश	शून्य	शून्य
कुल योग (I+II)	282941140	225424808
कुल मूल्य	283466139	225902431
मूल्य ह्रास का प्रावधान (-)	524999	477623
निवल निवेश	282941140	225424808
** इनमें रु. 617.04 करोड़ की भारग्रस्त प्रतिभूतियां (अंकित मूल्य रु. 609.98 करोड़) सम्मिलित हैं। पिछले वर्ष यह रु. 276.42 करोड़ थी (अंकित मूल्य रु. 276.99 करोड़)		

(000 को छोड़कर)

	रूपए	रूपए
अनुसूची 9 – अग्रिम	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
क) i) क्रय किए गए तथा भुनाए गए बिल	4321382	4803417
ii) नकदी उधार, अधिविकर्ष और मांग पर प्रतिदेय उधार	179853971	160488534
iii) मीयादी ऋण	388215313	349015909
जोड़	572390666	514307860
ख) i) मूल आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के एवज़ अग्रिम सहित)	448369357	398260595
ii) बैंक/सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित	65652978	55689694
iii) प्रतिभूति रहित	58368331	60357571
जोड़	572390666	514307860
ग) भारत में अग्रिम		
i) प्राथमिकता क्षेत्र	155920233	139900130
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	153507860	127844627
iii) बैंक	3300871	471810
iv) अन्य	259661702	246091293
जोड़	572390666	514307860

(000 को छोड़कर)

	रूपए	रूपए
अनुसूची 10 – स्थायी आस्तियाँ	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
1.) परिसर		
परिसर का मूल्य (अथ शेष)	717858	286161
पुनर्मूल्यन के दौरान लागत में परिवर्धन	7666013	7666013
उप- योग	8383871	7952174
वर्ष के दौरान परिवर्धन		
वास्तविक लागत पर	105856	431697
पुनर्मूल्यन लागत पर	8545278	0
वर्ष के दौरान कटौतियाँ		
वास्तविक लागत पर	0	0

a) Commercial Paper/CD/Securitized Receipts/ RIDF	32774703	24370055
b) Units of UTI, other MF	173484	207069
SUB-TOTAL [I]	282941140	225424808
II. Investments outside India	NIL	NIL
TOTAL [I + II]	282941140	225424808
Gross Value	283466139	225902431
Provision for Depreciation [-]	524999	477623
Net Investments	282941140	225424808
** Includes encumbered securities of Rs.617.04 crore [Face Value Rs.609.98 crore] previous year Rs.276.42 crore [Face Value Rs.276.99 crore]		

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 9-ADVANCES	AS ON 31.03.14 [Audited]	AS ON 31.03.13 [Audited]
A.	i) Bills purchased & discounted	4321382	4803417
	ii) Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	179853971	160488534
	iii) Term Loans	388215313	349015909
	Total	572390666	514307860
B.	i) Secured by tangible assets includes advances against Book Debt)	448369357	398260595
	ii) Covered by Bank/ Government Guarantees	65652978	55689694
	iii) Unsecured	58368331	60357571
	Total	572390666	514307860
C.	ADVANCES IN INDIA		
	i) Priority Sector	155920233	139900130
	ii) Public Sector	153507860	127844627
	iii) Banks	3300871	471810
	iv) Others	259661702	246091293
	Total	572390666	514307860

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 10-FIXED ASSETS	AS ON 31.03.14 [Audited]	AS ON 31.03.13 [Audited]
I.	Premises		
	Cost [Opening Balance]	717858	286161
	Appreciation in cost on account of revaluation	7666013	7666013
	Sub-Total	8383871	7952174
	Additions during the year		
	Original Cost	105856	431697
	Revaluation Cost	8545278	0
	Deductions during the year on		

वास्तविक लागत पर	105856	431697
पुनर्मूल्यन लागत पर	8545278	0
वर्ष के दौरान कटौतियाँ		
वास्तविक लागत पर	0	0
पुनर्मूल्यन लागत पर	-7666013	0
घटाएं— अद्यतित दिनांक को मूल्यहास		
वास्तविक लागत पर	-201028	-159906
पुनर्मूल्यन लागत पर	-273688	-600313
जोड़ I	8930276	7623652
2.) अन्य स्थायी आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और जुड़नार सम्मिलित हैं)		
मूल्य (अथ शेष)	2487771	2119415
वर्ष के दौरान परिवर्धन	613756	420967
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-56549	-52611
अद्यतन मूल्यहास	-1948104	-1670142
जोड़ 2	1096874	817629
कुल जोड़ (I व 2)	10027150	8441281

(000 को छोड़कर)

	रुपए	रुपए
अनुसूची 11 — अन्य आस्तियाँ	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
I. अंतर्कार्यालय समायोजन (निवल)	0	0
I. प्रोद्भूत ब्याज	5612110	4026688
II. अग्रिम रूप से संदत्त/स्रोत पर काटा गया कर	3361796	3157252
III लेखन सामग्री और स्टाम्प	44260	30484
IV. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर बैंककारी आस्तियाँ	0	0
V. अन्य	7466050	8598553
जोड़	16484216	15812977

(000 को छोड़कर)

	रुपए	रुपए
अनुसूची- 12 — आकस्मिक देयताएं	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
I. बैंक विरुद्ध ऐसे दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	38279	33669
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	0	0
III. बकाया वायदा विदेशी विनिमय संविदाओं के लिए देयता	71049040	50456175
IV संघटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ		
क) भारत में	20753830	22681745
ख) भारत के बाहर	0	0
V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन तथा अन्य बाध्यताएं	3671688	4334366
VI अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	4777881	2610660
जोड़	100290718	80116615

(000 को छोड़कर)

	रुपए	रुपए
--	------	------



	Original Cost	0	0
	Revaluation Cost	-7666013	0
	Less Depreciation to date on		
	Original cost	-201028	-159906
	Revaluation cost	-237688	-600313
	Total I	8930276	7623652
	II. Other Fixed Assets		
	(including Furniture & Fixtures)		
	Cost [Opening Balance]	2487771	2119415
	Additions during the year	613756	420967
	Deductions during the year	-56549	-52611
	Depreciation to date	-1948104	-1670142
	Total II	1096874	817629
	TOTAL I & II	10027150	8441281

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS	AS ON	AS ON
	31.03.14 [Audited]	31.03.13 [Audited]
I. Inter-office adjustments [net]	0	0
II. Interest accrued	5612110	4026688
III. Tax paid in advance/ Tax deducted at source	3361796	3157252
IV. Stationery & Stamps	44260	30484
V. Non Banking assets acquired in satisfaction of claims	0	0
VI. Others	7466050	8598553
TOTAL	16484216	15812977

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 12-CONTINGENT LIABILITIES	AS ON	AS ON
	31.03.14 [Audited]	31.03.13 [Audited]
I. Claims against the bank not acknowledged as debts	38279	33669
II. Liability for partly paid investments	0	0
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	71049040	50456175
IV. Guarantees given on behalf of Constituents:		
a.In India	20753830	22681745
b.Outside India	0	0
V. Acceptances, Endorsements and other obligations	3671688	4334366
VI. Other items for which the bank is contingently liable	4777881	2610660
TOTAL	100290718	80116615

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 13-INTEREST EARNED	YEAR ENDED 31.03.14	YEAR ENDED
	[Audited]	31.03.13 [Audited]
I. Interest/discount on advances/ bills	59776705	57095047

II. निवेष्टों पर आय	18801850	15792268
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के अतिशेषों और अन्य अन्तर बैंक निधियों पर ब्याज	820314	299803
IV अन्य	328196	214125
जोड़	79727065	73401243

(000 को छोड़कर)

	रूपए	रूपए
अनुसूची 14 – अन्य आय	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
I कमीशन, विनिमय और दलाली	745335	798087
II निवेशों के विक्रय पर लाभ (निवल)	1253713	629814
III भूमि, भवन तथा आस्तियों के विक्रय पर लाभ (निवल)	1505	1239
IV विनिमय लेन—देन पर लाभ (निवल)	349042	333013
V. विविध आय	1923213	2180016
जोड़	4272808	3942169

(000 को छोड़कर)

	रूपए	रूपए
अनुसूची 15 – अपचित ब्याज	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
I जमाराशियों पर ब्याज	61166001	54247378
II भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	587866	943531
III अन्य	1767375	1800112
जोड़	63521242	56991021

(000 को छोड़कर)

	रूपए	रूपए
अनुसूची 16 – परिचालन व्यय	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार (लेखा परीक्षित)
I कर्मचारियों को भुगतान और प्रावधान	8562324	7735134
II किराया, कर और रोशनी	880003	678421
III मुद्रण एवं लेखन सामग्री	87635	72359
IV विज्ञापन और प्रचार	21709	80928
V बैंक की सम्पति पर मूल्यहास	603320	496905
कटौती : पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि से अंतरण	237688	229372
	365632	267533
VI निदेशकों का शुल्क, भत्ते और व्यय	4088	2952
VII लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (इसमें शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय शामिल हैं)	86112	70850
VIII विधि प्रभार	105015	81121
IX डाक खर्च, तार और टेलीफोन आदि	87858	81845
X मरम्मत और अनुरक्षण	145648	127055
XI बीमा	694578	620739
XII अन्य व्यय	1432610	1144963
जोड़	12473212	10963900



II. Income on investments	18801850	15792268
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	820314	299803
IV. Others	328196	214125
TOTAL	79727065	73401243

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 14-OTHER INCOME	YEAR ENDED	YEAR ENDED
	31.03.14 [Audited]	31.03.13 [Audited]
I. Commission, exchange and brokerage	745335	798087
II. Profit on sale of Investments [net]	1253713	629814
III. Profit on sale of land, buildings and other assets [net]	1505	1239
IV. Profit on exchange transactions [net]	349042	333013
V. Miscellaneous Income	1923213	2180016
TOTAL	4272808	3942169

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 15-INTEREST EXPENDED	YEAR ENDED	YEAR ENDED
	31.03.14 [Audited]	31.03.13 [Audited]
I. Interest on deposits	61166001	54247378
II. Interest on Reserve Bank of India/inter-bank borrowings	587866	943531
III. Others	1767375	1800112
TOTAL	63521242	56991021

(000'S OMITTED)

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 16-OPERATING EXPENSES	YEAR ENDED	YEAR ENDED
	31.03.14 [Audited]	31.03.13 [Audited]
I. Payments to and provisions for employees	8562324	7735134
II. Rent, taxes and lighting	880003	678421
III. Printing and stationery	87635	72359
IV. Advertisement & publicity	21709	80928
V. Depreciation on Bank's property	603320	496905
Less: Transfer from Revaluation Reserve	237688	229372
	365632	267533
VI. Directors' fees, allowances and expenses	4088	2952
VII. Auditors' fees and expenses (including branch auditors' fee & expenses)	86112	70850
VIII. Law Charges	105015	81121
IX. Postages, Telegrams, Telephones etc.	87858	81845
X. Repairs & maintenance	145648	127055
XI. Insurance	694578	620739
XII. Other expenditure	1432610	1144963
TOTAL	12473212	10963900

प्रमुख लेखा नीतियाँ

1. सामान्य

मूल-भूत आधार

वित्तीय विवरणों को लेखा उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत परम्परा जहाँ अन्यथा स्पष्ट न किया गया हो एवं सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत निर्धारित सांविधिक आवश्यकताओं, समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों एवं दिशा-निर्देशों तथा कंपनियों द्वारा अधिसूचित लेखा मानकों (लेखा मापदंडों) नियमों, 2006 भारत में बैंकिंग उद्योग में लागू और वर्तमान कार्यकलापों के आधार पर तैयार एवं प्रस्तुत किया गया है।

2. विदेशी विनिमय लेन-देन

- 2.1 विदेशी मुद्राओं वाली समस्त मौद्रिक आस्तियों तथा देयताओं का भारतीय रूप में परिवर्तन तुलन-पत्र की दिनांक को लागू विनियम दरों पर किया गया है, जिन्हें भारतीय विदेशी विनिमय व्यापारी संघ (फैडआई) द्वारा अधिसूचित किया गया था। इसके लाभ-हानि की गणना लाभ-हानि खाते में की गई है।
- 2.2 बकाया विदेशी मुद्रा सौदे को सौदे की तिथि को प्रचलित विनिमय दर के अनुसार किया गया है। ऐसे सौदों में लाभ या हानि की संगणना फैडआई के द्वारा दी गई दरों पर तथा फैडआई के दिशा-निर्देशों तथा ए.एस. 11 के पैरा 38 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।
- 2.3 विदेशी विनिमय लेन-देन से संबंधित आय एवं व्यय मदों को कारोबार के दिन लागू विनियम दरों पर परिवर्तित किया गया है।
- 2.4 स्वीकृति, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्वों पर आकस्मिक देयताएं, विदेशी मुद्रा गारंटी एवं साख पत्र का मूल्यांकन फैडआई द्वारा वार्षिक संवरण की दिनांक को जारी दरों पर किया गया है जबकि समाहरण के लिए बिलों को प्रस्तुतिकरण के समय अनुमानित दरों पर लेखाबद्ध किया गया है।

3. निवेश

- 3.1 निवेश से संबंधित वर्गीकरण तथा मूल्यांकन को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकशील मानदंडों के अनुरूप किया गया है जोकि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों/दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।
- 3.2 समस्त निवेश संविभाग को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है जैसे "परिपक्वता तक रखना" "बिक्री के लिए उपलब्ध" तथा "व्यापार हेतु रखना" जोकि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों/निर्देशों के अनुरूप है। इन तीनों वर्गों के अंतर्गत निवेशों का प्रकटीकरण निम्नांकित छह वर्गीकरणों के अनुरूप किया गया है :

- i. सरकारी प्रतिभूतियाँ
- ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ
- iii. शेयर (अंश)
- iv. ऋणपत्र (डिबेन्चर्स) तथा बॉण्ड
- v. सहायक ईकाइयाँ/संयुक्त उपक्रम तथा
- vi. अन्य

3.3 वर्गीकरण का आधार :

- i. ऐसे निवेश जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखने का इरादा रखता हो को "परिपक्वता तक रखना" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- ii. ऐसे निवेश जिन्हें खरीदने की तारीख से 90 दिनों के भीतर सैद्धांतिक रूप से पुनरु विपणन के लिए रखा हो, को "व्यापार के लिए रखने" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- iii. ऐसे निवेश जो उक्त दोनों श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं होते, को "विक्रय के लिए उपलब्ध" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- iv. निवेशों को खरीदते समय उक्त तीनों श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। एक वर्ग से दूसरे वर्ग में प्रतिभूतियों का अंतरण सामान्यतः/बोर्ड के अनुमोदन से वर्ष में एक बार किया जाता है। अंतरण की तिथि को अधिग्रहण लागत से कम मूल्य/बहीमूल्य/बाजार मूल्य पर अंतरित किया गया है तथा इस प्रकार के अंतरण पर मूल्य छ्वास पर प्रावधान पूर्णतया किया गया है और प्रतिभूतियों के बही मूल्यों में तदनुसार परिवर्तन किया गया है।
- 3.4 प्रतिभूतियाँ जिन्हें "परिपक्वता तक रखना है" का अधिग्रहण लागत मूल्य पर लिया गया है। यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य से अधिक है तो प्रीमियम स्वतः परिपक्वता की शेष अवधि के भीतर परिशोधनीय है। ऐसे परिशोधन को अनुसूची 13 मद II में "निवेशों पर आय" शीर्ष के अंतर्गत दर्शया गया है। जहाँ लागत मूल्य प्रतिदान मूल्य से कम हैं, वहाँ अंतर वसूली योग्य न होने के कारण इस आय को नहीं लिया गया है। सहायक ईकाइयाँ तथा संयुक्त उपक्रम के निवेश के मूल्य में अस्थायी तौर पर आई कमी के लिए प्रत्येक निवेश हेतु अलग-अलग लिया गया है।
- 3.5 "बिक्री हेतु उपलब्ध" खाते के अंतर्गत प्रतिभूतियों का मूल्यांकन स्क्रिप-वार किया गया है तथा हास/वृद्धि को श्रेणी-वार पृथक किया गया है। शुद्ध वृद्धि को शामिल नहीं किया गया है जबकि प्रत्येक श्रेणी में शुद्ध हास का प्रावधान किया गया है।

SCHEDULE-17**SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES****1. GENERAL****BASIS OF PREPARATION**

The financial statements have been prepared and presented under historical cost convention on accrual basis of accounting unless otherwise stated and comply with Generally accepted accounting principles, statutory requirements prescribed under Banking Regulation Act, 1949, circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time and notified accounting standards by companies (Accounting Standards) Rules, 2006 to the extent applicable and current practices in Banking Industry in India.

2. Foreign Exchange Transactions

- 2.1 All the Monetary assets and liabilities in foreign currencies are translated in Indian rupees at the exchange rates prevailing at the Balance Sheet date as notified by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI). The resultant gain / loss is accounted for in the Profit & Loss account.
- 2.2 The outstanding foreign exchange contracts are stated at the prevailing exchange rate on the date of commitment. Profit or loss on such contracts is accounted for as per rates advised by FEDAI and in accordance with FEDAI guidelines and provisions of para 38 of AS-11.
- 2.3 Items of Income and expenditure relating to foreign exchange transactions are recorded at exchange rates prevailing on the date of the transactions.
- 2.4 Contingent liabilities on account of acceptances, endorsements and other obligations including guarantees & letter of credits in foreign currencies are valued as per rates published by FEDAI except Bills for Collection which are accounted for at the notional rates at the time of lodgment.

3. Investments

- 3.1 Classification and valuation of investments are made in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India read with clarifications / directions given by RBI.
- 3.2 The entire investment portfolio is classified into three categories, viz, Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trading in line with the guidelines / directions of Reserve Bank of India. Disclosure of the investments under the three categories mentioned above is made under six classifications viz.,
 - i. Government Securities
 - ii. Other approved securities
 - iii. Shares
 - iv. Debentures
 - v. Subsidiaries / Joint Ventures and
 - vi. Others

3.3 Basis of Classification:

- i. Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as Held to Maturity.
 - ii. Investments that are held principally for resale within 90 Days from the date of purchase are classified as Held for Trading.
 - iii. Investments which are not classified in the above two categories, are classified as Available for Sale.
 - iv. An investment is classified under the above three categories at the time of its purchase. Shifting of securities from one category to another is done with the approval of the Board normally once in a year. Shifting is effected at the lower of acquisition cost / book value / market value on the date of transfer and the depreciation, if any, on such shifting is fully provided for and the book value of securities is changed accordingly.
- 3.4 Securities under 'Held to Maturity' are stated at acquisition costs unless such costs are higher than the face value, in which case the premium is amortized over the remaining period of maturity. Such amortization is shown under "Income on Investments– Schedule 13 item II. In case, the cost is less than the redemption value, the difference being the unrealized gain, is ignored. Any diminution in value of investments in subsidiaries and joint venture, other than temporary in nature, is provided for each investment individually
 - 3.5 Securities under 'Available for sale' are valued scrip wise and depreciation/ appreciation is segregated category wise. While net appreciation is ignored, net depreciation under each category is provided for.

- 3.6 “व्यापार हेतु रखी गई प्रतिभूतियों” का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया गया है एवं प्रत्येक वर्ग में शुद्ध मूल्यहास लगाया गया है तथा शुद्ध वृद्धि, यदि कोई है, को शामिल नहीं किया गया है।
- 3.7 निवेशों की लागत वर्ग के अनुरूप भारत औसतन लागत विधि पर आधारित है।
- 3.8 “बिक्री हेतु उपलब्ध” एवं “व्यापार हेतु रखी गई प्रतिभूति” श्रेणी के अन्तर्गत प्रतिभूतियों के निवेश मूल्य को “बाजार दर “निर्धारण हेतु स्टॉक एक्सचेंजों पर दिए गए भाव दरों के अनुरूप भारतीय रिज़र्व बैंक की मूल्य सूची, प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पी.डी.ए.आई) की फिक्सड इन्कम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फिम्डा) के साथ संयुक्त रूप से निर्धारित किए गए मूल्यों के अनुरूप किया गया है।
- अवर्गीकृत निवेशों के संबंध में निम्न प्रक्रिया अपनाई गई है:
- क. भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ : फिम्डा/पीडीएआई द्वारा दी गई दरों पर।
- ख. राज्य सरकार ऋण, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ, अधिमान शेयरों, ऋण पत्रों तथा पी.एस.यू.बाण्ड पर लाभ फिम्डा/पीडीएआई द्वारा दी गई दरों के अनुरूप परिपक्वता के आधार पर जोकि पीडीएआई/फिम्डा एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए हैं।
- ग. इक्विटी शेयर्स : नवीनतम तुलन-पत्र पर आधारित ब्रेकअप मूल्य आधार पर, जो कि मूल्यांकन की तिथि पर एक वर्ष से पुरानी नहीं है। ऐसे प्रकरणों में जहाँ पर नवीनतम तुलन-पत्र उपलब्ध नहीं है शेयरों का मूल्य 1/- रुपये प्रति कम्पनी माना गया है।
- घ. म्यूचुअल फंड यूनिट्स: पुनः क्रय मूल्य पर या शुद्ध आस्ति मूल्य पर।
- ड. ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण-पत्र, पुनःपूँजीगत बाण्ड, सहायक संयुक्त उपक्रम तथा प्रायोजित संस्थान: शुद्ध लागत पर।

3.9 निवेशों के अधिग्रहण मूल्य का निर्धारण :

- क. अभिदान के समय प्राप्त प्रोत्साहन को प्रतिभूतियों की लागत से घटाया गया है।
- ख. प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर व्यय की गई ब्रोकरेज/कमीशन/स्टांप ड्यूटी को राजस्व व्यय में लिया गया है।
- ग. निवेशों के अधिग्रहण पर दिए खंडित अवधि के प्रदत्त ब्याज को, यदि कोई हो, लाभ/हानि खाते के नामे डाला गया है। प्रतिभूतियों की बिक्री पर प्राप्त खंडित अवधि के ब्याज को ब्याज आय माना गया है।
- 3.10 निवेशों की बिक्री से लाभ-हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है। फिर भी, “परिपक्वता तक रखना” श्रेणी में निवेशों की बिक्री से आय पर लाभ की स्थिति में इसके समतुल्य लाभ राशि को आरक्षित पूँजी में विनियोजित किया गया है।

3.11 गैर – निष्पादित निवेश :

गैर – निष्पादित प्रतिभूतियों के संबंध में आय की पहचान नहीं की गई है तथा ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार मूल्यहास के लिए उपयुक्त प्रावधान किये गये हैं।

4. अग्रिम

- 4.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अग्रिमों का वर्गीकरण निष्पादक तथा गैर-निष्पादित आस्तियों में किया गया है। बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार गैर-निष्पादित आस्तियों पर प्रावधान बनाए हैं।

आस्तियों की श्रेणी	प्रावधान मानदंड
अवमानक	आरक्षित ऋणों पर 15%, * गैर-आरक्षित ऋणों पर 25% * गैर-आरक्षित ऋणों का 20% आधारभूत ऋण खातों के संबंध में, जहाँ निश्चित संरक्षण जैसे कि निलंब खाते उपलब्ध हैं
संदिग्ध-I	जमानती ऋण पर 25% गैर-जमानती ऋण पर 100%
संदिग्ध-II	जमानती ऋण पर 40% गैर-जमानती ऋण पर 100%
संदिग्ध-III	जमानती ऋण पर 100% गैर जमानती ऋण पर 100%
हानि	बुक बकाया का 100%

- 3.6 Securities under 'Held for Trading' are valued at market price and the net depreciation under each category is provided for and the net appreciation, if any, is ignored.
- 3.7 Cost of investment is based on the weighted average cost method category wise.
- 3.8 The 'market value' for the purpose of valuation of investments included in the 'Available for Sale' and 'Held for Trading' categories is the market price of the scrip as available from the trades/quotes on the stock exchanges, price list of RBI, prices declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

In respect of unquoted securities, the procedure adopted is as below:

- | | |
|---|--|
| a. Government of India Securities: | At rates put out by FIMMDA/PDAI |
| b. State Government Loans, Other approved Securities, Preference Shares, Debentures and PSU Bonds: | On yield to maturity (YTM) basis at the rate prescribed by FIMMDA/ PDAI with such mark ups as laid down by RBI or FIMMDA/PDAI |
| c. Equity Shares: | At break-up value based on the latest Balance Sheet, which are not older than one year on the date of valuation. In cases where latest Balance Sheets are not available, the shares are valued at Re.1 per company |
| d. Mutual Fund Units: | At re-purchase price or Net Assets Value |
| e. Treasury Bills, Commercial Papers, Certificate of Deposits, Recapitalization Bonds, Subsidiaries, Joint Ventures and Sponsored Institutions: | At carrying cost. |

3.9 In determining acquisition cost of investments:

- Incentive received on subscription is deducted from the cost of securities;
 - Brokerage / commission/ stamp duty paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenditure;
 - Broken period interest, if any, paid on acquisition of investment is debited to profit & loss account. Broken period interest received on sale of securities is recognized as Interest Income.
- 3.10 Profit/ Loss on sale of investments is taken to profit and loss account. However, in case of profit on sale of investments in 'Held to Maturity' category, an equivalent amount of profit is appropriated to Capital Reserve.

3.11 Non Performing Investments

In respect of Non-Performing Securities, income is not recognized and appropriate provision is made for depreciation in the value of such securities as per Reserve Bank of India guidelines.

4. Advances

- 4.1 Advances are classified into "Performing" and "Non-Performing" assets and provisions are made as per the prudential norms prescribed by the Reserve Bank of India. Bank has made provisions on Non-Performing Assets as per the prudential norms prescribed by the RBI as under:

Category of Assets	Provision norms
Sub-Standard	15% on Secured Exposure. 25% on Unsecured Exposure* 20% on Unsecured Exposure* in respect of Infrastructure loan accounts where certain safeguards such as escrow accounts are available
Doubtful-I	25% on Secured 100% on Unsecured
Doubtful-II	40% on Secured 100% on Unsecured
Doubtful-III	100% on Secured 100% on Unsecured
Loss	100% of Book Outstanding

* गैर-जमानती ऋणों को ऐसे ऋण परिभाषित किया गया है जहाँ बैंक द्वारा/अनुमोदित मूल्यांकक/भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा आरंभ से ही प्रतिभूति का मूल्य ऋण से 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

- 4.2 अग्रिमों को गैर-मान्यता शुद्ध ब्याज पर वर्णित किया गया है तथा अनुप्रयोज्य अग्रिमों पर प्रावधान/तकनीकी बट्टे खाते के आधार पर किया गया है। डी.आई.सी.जी.सी./ई.सी.जी.सी. से प्राप्त दावों को उनके समायोजन/तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने तक इस प्रकार के अग्रिमों में से कम नहीं किया गया है। जबकि एनपीए खातों में आंशिक वसूली को अग्रिमों में से घटाया गया है।
- 4.3 मानक अग्रिमों पर प्रावधान किया गया है तथा उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार "अन्य दायित्वों तथा प्रावधान" शीर्ष के अंतर्गत रखा गया है।
- 4.4 अग्रिमों की भुगतान अनुसूची पुनः बनाने/पुनः निर्धारित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार प्रावधान किया गया है।

5. अस्थायी प्रावधान

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, बैंक के पास अग्रिमों एवं निवेशों हेतु अस्थायी प्रावधानों को अलग से बनाने और उपयोग के लिए एक अनुमोदित नीति है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, बनाए जाने वाले अस्थायी प्रावधानों का आकलन किया जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से, अस्थायी प्रावधानों का उपयोग विशेष परिस्थितियों में आकस्मिकताओं हेतु किया जाएगा।

6. अचल आस्तियाँ :

- 6.1 परिसर तथा अन्य अचल आस्तियों को परंपरागत लागत पूनर्मूल्यन खातों में लिया गया है। परिसर जिनमें भूमि तथा ऊपरी भाग में अन्तर किया जाना सम्भव नहीं था, को ऊपरी भाग के मूल्य में वृद्धि को शामिल किया गया है।
- 6.2 स्थाई पट्टे पर लिये गए परिसरों को पूर्ण स्वामित्व वाला परिसर माना गया है।

7. अचल आस्तियों पर मूल्यहास :

- 7.1 मूल्यहास निम्नानुसार लगाया गया है :
 - 7.1.1 कंप्यूटर पर सीधी कटौती प्रणाली के अनुसार 33.33 प्रतिशत परिवर्धन पर पूरे वर्ष का मूल्यहास लगाया गया है चाहे भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों अनुसार परिवर्धन की जो भी तिथि हो।
 - 7.1.2 आयकर अधिनियम, 1961 द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार अन्य अचल आस्तियों पर मूल्यहास घटती कीमत पद्धति पर लगाया गया है। 30 सितम्बर से पूर्व होने वाले परिवर्धन पर पूरे वर्ष का मूल्यहास लगाया गया है तथा इसके पश्चात् होने वाले परिवर्धन पर आधे वर्ष का मूल्यहास लगाया गया है।
 - 7.1.3 जहाँ कहीं भवन के ऊपरी भाग से शेष भूमि का मूल्य पृथक करना संभव नहीं था, वहाँ परिसरों का मूल्य सम्मिश्र मूल्य पर लिया गया है।
- 7.2 वर्ष के दौरान बेची गई/निपटाई गई आस्तियों पर कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- 7.3 आस्तियों में होने वाले पुनर्मूल्यन के मूल्यहास के बराबर की राशि को पुनर्मूल्यन संचयी खाते से लाभ-हानि खाते में अंतरित कर दिया गया है।

8. राजस्व मान्यता :

- 8.1 जहाँ अन्यथा वर्णित न हो, आय और खर्चों को उपचय आधार पर लिया गया है।
- 8.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुपालन में अनुप्रयोज्य आस्तियों पर होने वाली आय का मूल्यांकन वसूली आधार पर किया गया है।
- 8.3 अनुप्रयोज्य खातों में आंशिक वसूली से पहले मूल राशि तथा उसके पश्चात् ब्याज को समायोजित किया गया है।
- 8.4 गारंटियों तथा जारी साख-पत्रों से आय, लॉकर किराया, मर्चेट बैंकिंग, लेन-देन से आय, मुद्रा-अंतरण सेवा, अंशों पर लाभांश, आयकर की वापसी पर ब्याज, क्रेडिट कार्ड कमीशन, अतिदेय बिलों पर ब्याज, प्रोसेसिंग फीस, सरकारी लेन-देन जिसमें पेंशन के संवितरण तथा म्यूचुअल फंड उत्पाद के यूनिटों की आय शामिल है, की संगणना को प्राप्ति आधार पर लिया गया है।
- 8.5 ऋण खातों के पूर्ण रूप से समायोजित होने के समय खातों के समाधान पर दी गई छूट को खातों में लिया गया है।
- 8.6 अतिदेय सावधि जमा राशियों पर ब्याज की गणना बचत बैंक जमा खाते पर लागू ब्याज दर पर की गई है।
- 8.7 पट्टा करार के नवीकरण पर वृद्धिशील पट्टा किराए के संबंध में देयता की गणना पट्टे के नवीकरण के समय की गई है।
- 8.8 टियर-II पूंजी में उन्नयन के कारण बाण्ड जारी करने संबंधी व्ययों को आस्थगित राजस्व व्यय माना गया है जिन्हें पांच वर्षों की अवधि में बट्टे खाते डाला जाना है।
- 8.9 शेयर निर्गम व्ययों को शेयर प्रीमियम खाते से समायोजित किया गया है।

9. कर्मचारी सेवा निवृत्ति लाभ:

- 9.1 ग्रेच्युटी फंड, पेंशन फंड तथा अवकाश नकदीकरण फंड में वार्षिक अंशदान का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।
- 9.2 वर्तमान कर्मचारियों जिन्होंने पहले पेंशन की स्वीकृति नहीं दी थी, हेतु पेंशन विकल्प के पुनः खोलने पर अतिरिक्त देयता तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र दिनांक 9 फरवरी, 2011 सं. डीबीओडी नं.बीपी.बीसी. 80/21.04.018/2010-11 की शर्तों के अनुसार, "ग्रेच्युटी एक्ट, 1972" का भुगतान, में संशोधन, ग्रेच्युटी की सीमा रु. 10 लाखए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार पाँच वर्षों की अवधि जो कि वित्तीय वर्ष 2010-11 से आरंभ होगी, परिशोधित कर दी है। अग्रेषित गैर-परिशोधित व्यय में निकाले गए/सेवानिवृत्त कर्मिकों की कोई राशि सम्मिलित नहीं है।

- * Unsecured exposure is defined as an exposure where the realizable value of the security, as assessed by the bank/ approved valuers/ Reserve Bank's Inspecting Officers, is not more than 10 per cent, ab-initio, of the outstanding exposure.

- 4.2 Advances are stated net of de-recognized interest and provisions/ Technical write off made in respect of non-performing advances. Claims received from DICGC/ CGTMSE/ ECGC are not reduced from such advances till adjusted/ technically written-off whereas part recovery in all NPA accounts is reduced from advances.
- 4.3 Provisions on standard advances are made and are included under "Other Liabilities and Provisions" as per RBI's guidelines.
- 4.4 For restructured/ rescheduled advances, provisions are made in accordance with the guidelines issued by RBI.

5 Floating Provisions

In accordance with the RBI guidelines, the bank has an approved policy for creation and utilization of floating provisions separately for advances and investments. The quantum of floating provisions to be created would be assessed, at, the end of each financial year. The floating provisions would be utilized only for contingencies under extra ordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India.

6 Fixed Assets

- 6.1 Premises and other Fixed Assets are stated at historical cost/revalued amount. In respect of premises, where segregation is not possible between land and superstructure, are considered in the value of superstructure.
- 6.2 Premises taken on perpetual lease are considered as freehold premises and are not amortized.

7 Depreciation on Fixed Assets

- 7.1 Depreciation is provided for on -
 - 7.1.1 Computers at 33.33%, on straight-line method; additions are depreciated for the full year irrespective of the date of addition as per RBI guidelines.
 - 7.1.2 Other Fixed assets on written down value method at the rates prescribed by the Income Tax Act 1961; additions effected before 30th September are depreciated for full year and additions effected thereafter are depreciated for half year.
 - 7.1.3 Cost of premises is taken composite, wherever it is not possible to segregate the cost of land from the cost of the superstructure.
- 7.2 No depreciation is provided on assets sold/disposed of during the year.
- 7.3 Amount equivalent to depreciation attributable to revalued portion of the assets is transferred from Revaluation Reserve Account to the Profit & Loss Account.

8 Revenue Recognition

- 8.1 Income and expenditure are accounted for on accrual basis unless otherwise stated.
- 8.2 Income on non-performing assets is recognized on realization basis in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India.
- 8.3 Partial recovery in non-performing assets is appropriated first towards principal and thereafter towards interest.
- 8.4 Income on guarantees and letters of credit issued, locker rent, income from merchant banking transactions, money transfer services, dividend on shares, Interest on refund of income tax, commission on credit card, interest on overdue bills, processing fee, Government business including distribution of pension and income from units of mutual fund products and income from ATM operations are accounted for on receipt basis.
- 8.5 Rebate on compromised accounts is accounted for at the time of full and final adjustment of the account.
- 8.6 Interest on overdue Term Deposits is provided at the rate of interest applicable to Savings Bank Deposits.
- 8.7 Liability in respect of incremental lease rent on renewal of lease agreement is accounted for at the time of renewal of the lease.
- 8.8 Bond Issue Expenses incurred in connection with raising Tier-II Capital are treated as Deferred Revenue Expenditure to be written off over a period of five years.
- 8.9 Share Issue Expenses are adjusted against the Share Premium Account

9 Staff Retirement Benefits

- 9.1 Annual contribution to Gratuity Fund, Pension Fund and Leave Encashment Fund are provided for on the basis of an actuarial valuation.
- 9.2 The additional liability on account of re-opening of pension option for existing employees who had not opted for pension earlier as well as amendment in the 'Payment of Gratuity Act, 1972' enhancing the gratuity limit to Rs.10 lacs as per Actuarial Valuation is amortized over a period of five years commencing from the FY 2010-11 in terms of RBI Circular DBOD No.BP.BC.80/ 21.04.018/2010-11 dated February 9, 2011.

9.3 दिनांक 01.04.2010 या उसके बाद सम्मिलित कर्मचारियों को न्यू पेंशन योजना में शामिल किया गया है।

10. आय पर कर :

- 10.1 चालू आय कर को लागू कर-दरों तथा विधिक निर्णयों/परामर्श हेतु दी जाने वाली राशि के आधार पर आंका गया है।
- 10.2 एस 22 – आस्थगित-कर अनुसार इस अवधि की आय गणना तथा कर योग्य आय के बीच में समय अंतर के कारण कर –परिकलन पर पड़े प्रभाव को शामिल किया गया है तथा आस्थगित कर-आस्तियों के संबंध में इसका मूल्यांकन यथोचित प्रतिफल को ध्यान में रख कर किया गया है।

अनुसूची. 18

लेखों से संबंधित टिप्पणियाँ

- बहियों के शेष मिलान और उनका समायोजन
 - कुछेक शाखाओं में सहायक बही खाता शेषों के साथ नियंत्रक खातों के शेष मिलान/समायोजन की प्रक्रिया चल रही है।
 - अंतर्शाखा खातों (आईबीआर + डीडी) में बकाया प्रविष्टियों के डेबिट-क्रेडिट का आरंभिक मिलान जिसे अंतर्कार्यालय समायोजन में शामिल करके इस कार्य (जिसमें बकाया प्रविष्टियाँ शामिल हैं) को 28.02.2014 तक किया गया है और इसका समायोजन कार्य चल रहा है।
 - ड्राफ्टों/देय टीटी, देय/प्रदत्त लाभांश वारंट, प्राप्य/देय डेबिट नोट, आरटीजीएस (उचंत) इत्यादि के साथ खातों का समायोजन का कार्य चल रहा है।
- प्रबंधन की राय में, लाभ-हानि खाते व तुलन-पत्र पर उक्त पैरा 1.1 से 1.3 का प्रभाव यदि कोई है तो नगण्य होगा।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप 30.9.2013 की अवधि तक तथा 31.3.2014 को बकाया अंतर्शाखा के खातों की नामे तथा जमा प्रविष्टियों को अलग अलग करने का कार्य बैंक द्वारा किया गया है जिसके परिणामस्वरूप कुछ शीर्षों में कुल डेबिट या अन्य शीर्षों में कुल जमा शेष है। छह महीनों से अधिक की अवधि की निवल नामे प्रविष्टियों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं।
- अंतर्शाखा खाता में निवल जमा शेष नहीं है, इसलिए प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।
- असमायोजित नोस्ट्रो खातों की कुल निवल जमा को दिनांक 31 मार्च 1996 की स्थिति के अनुरूप रु. 3.69 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 3.48 करोड़) को अवरुद्ध नोस्ट्रो विविध देनदार खातों में अंतरित कर दिया गया है। जिसमें से रु. 1.77 करोड़ को 14.11.1989 की अवधि से पहले के बही मूल्य पर लिया गया है। 01 अप्रैल 1996 के पश्चात् की अवधि के लिए 3 वर्षों से अधिक हेतु बकाया रु. 4.63 करोड़ की राशि (पूर्व वर्ष रु. 3.99 करोड़) को असमायोजित प्रविष्टियों से अलग कर उन्हें अदावी जमा (नोस्ट्रो) खाते में रखा गया है।
 - दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार रु.3.47 करोड़ की वास्तविक लागत की 5 बैंकों की संपत्तियों के संबंध में विधिक औपचारिकताएं अभी पूरी होनी शेष है। (पिछले वर्ष 7 संपत्तियां 15.18 करोड़ की थी)

2.2 संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन

वर्ष के दौरान बैंक ने स्वतंत्र योग्य बाहरी मूल्य निर्धारकों की मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर अपने परिसर, जिसमें भूमि व भवन शामिल हैं, के रु. 916.80 करोड़ का पुनर्मूल्यांकन किया है जो कि 82.37 करोड़ की एवज़ में हैं (अवलिखित मूल्य रु. 62.27 करोड़) परिणामस्वरूप 854.53 करोड़ की वर्धमान राशि स्थाई आस्तियों को डेबिट कर पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व को क्रेडिट दिया गया है।

3. पूंजी :

वर्तमान वर्ष के दौरान सेबी आईसीडीआर विनियमन के अनुसार भा.रि.बैंक/एमओएफ से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, बैंक ने रु. 10/- वाले शेयर के 2,12,63,023 इक्विटी शेयरों का आबंटन भारत सरकार को रु. 47.03 प्रति शेयर के अनुसार अधिमान शेयर के रूप में आबंटित किए। तदनुसार बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी रु.21.26 करोड़ से बढ़ी और अब यह रु.275.28 करोड़ हो गई और शेयर प्रीमियम रु.78.52 करोड़ से बढ़कर (प्राप्त शेयर प्रीमियम रु.78.74 करोड़ घटा शेयर जारी व्यय रु.0.22 करोड़) रु.703.98 करोड़ हो गया है।

(रूपए करोड़ में)

मर्दे	2013-14	2012-13
(i) सी आर ए आर टियर-I पूंजी (बासल-II)	8.10%	8.38%
(ii) सी आर ए आर टियर-II पूंजी (%) (बासल- II)	4.00%	4.53%

9.3 The Employees joining on or after 01.04.2010 are being covered under the New Pension Scheme.

10 Taxes on Income

- 10.1 Current Income Tax is measured at the amount expected to be paid considering the applicable tax rates and favorable judicial pronouncement/ legal opinions.
- 10.2 In accordance with AS-22 Deferred Tax comprising of tax effect of timing differences between taxable and accounting income for the period, is recognized keeping in view the consideration of prudence in respect of Deferred Tax Assets/Liabilities

SCHEDULE 18

NOTES ON ACCOUNTS

1 Balancing of Books and Reconciliation.

- 1.1 In certain Branches, the balancing / reconciliation of control accounts with subsidiary ledgers is in progress.
- 1.2 Initial matching of debit and credit outstanding entries in Inter Branch Account (IBR + DD) Adjustments (including old outstanding entries) has been done up to 28.02.2014 and reconciliation is in progress.
- 1.3 Reconciliation of Drafts / TT payable, Dividend Warrants paid / payable, Debit Note Receivable/ Payable, NEFT/ RTGS (Suspense) etc. is in progress. Provisions have been made as per RBI norms.
- In the opinion of the management, the impact of the above Para 1.1 to 1.3, if any, on the Profit & Loss Account and Balance Sheet though not quantifiable, will not be material.
- 1.4 In terms of Reserve Bank of India guidelines, segregation of Debit and Credit entries in Inter Branch Accounts pertaining to the period up to 30.09.2013 and remaining outstanding as on 31.03.2014 has been done which has resulted in either net debit in some heads or net credit in other heads. Provision is to be made in respect of Net Debit entries outstanding for the period exceeding six months.
- In Inter Branch Account there is net credit balance hence no provision is required to be made.
- 1.5 Aggregate net credit position in respect of un-reconciled NOSTRO Accounts relating to the period up to 31st March 1996 amounting to Rs.3.69 crore (previous year Rs 3.48 crore) has been transferred to Blocked Nostro Sundry Creditors Account out of which Rs1.77 crore for period prior to 14.11.1989 is being carried at old book value. Un-reconciled credit entries for the period after 1st April 1996 remaining outstanding for more than 3 years amounting to Rs.4.63 crore (previous year Rs.3.99 crore) have been segregated and kept in Blocked Unclaimed Nostro New Account.
- 2.1 Legal formalities are yet to be completed in respect of five Bank's properties having original cost of Rs.3.47 crore as on 31.03.2014 (Previous year 7 properties costing Rs.15.18 crore).

2.2 Revaluation of properties

During the year, Bank has revalued its premises comprising of land and building at Rs.916.80 crore against cost of Rs.82.37 crore (WDV of Rs.62.27 crore) on the basis of valuation report of independent qualified external valuers. Consequently, an incremental amount of Rs.854.53 crore has been debited to Fixed Assets and credited to Revaluation Reserve.

3. Capital

During the year, Bank has issued 2,12,63,023 Equity Shares of Rs.10/ each to Government of India by way of Preferential Issue at a price of Rs.47.03 per share determined as per SEBI ICDR Regulation after taking necessary approval from RBI/ MOF. Accordingly the Equity Share Capital of the Bank has increased by Rs.21.26 crore to Rs.275.28 crore and Share Premium has increased by Rs.78.52 crore (Share Premium Received Rs.78.74 crore minus Share Issue Expenses Rs.0.22 crore) to Rs.703.98 crore.

(Rupees. in crore)

Items		2013-14	2012-13
(i)	CRAR - Tier I capital (Basel-II)	8.10%	8.38%
(ii)	CRAR - Tier II capital (Basel-II)	4.00%	4.53%
(iii)	Total CRAR (Basel-II)	12.10%	12.91%

(iii)	कुल सी आर ए आर (बासल- II)	12.10%	12.91%
(iv)	सामान्य इक्विटी टियर-I पूंजी अनुपात (बासल-III)	7.27%	लागू नहीं
(v)	अतिरिक्त टियर-I पूंजी अनुपात (बासल-III)	0.34%	लागू नहीं
(vi)	सी आर ए आर-टियर-I पूंजी अनुपात (बासल III)	7.62%	लागू नहीं
(vii)	सी आर ए आर-टियर-II पूंजी अनुपात (बासल III)	3.42%	लागू नहीं
(viii)	कुल पूंजी अनुपात(सीआरएआर) (बासल-III)	11.04%	लागू नहीं
(v)	भारत सरकार के शेयरधारकों की प्रतिशतता	81.42%	79.86%
(vi)	अतिरिक्त इक्विटी पूंजी की राशि	100	140
(vii)	अतिरिक्त टियर-I पूंजी अनुपात की राशि जिसमें से पीएनसीपीएस : आईपीडीआई :	शून्य	शून्य
(viii)	अतिरिक्त टियर-II पूंजी अनुपात की राशि जिसमें से ऋण पूंजी लिखत अधिमानी शेयर पूंजी लिखत बेमीयादी संचयी अधिमानी शेयर (पी.सी.पी.एस.) / प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमानी शेयर (आर.एन.सी.पी.एस.) / प्रतिदेय अधिमानी शेयर (आर.सी.पी.एस.)	शून्य	शून्य

* 78.52 करोड़ रुपये शेयर प्रीमियम सहित

4. निवेश

4.1 निवेशों का मूल्य

मर्दे			(रु. करोड़ में)	
			2013-14	2012-13
(1)	(i)	निवेशों का सकल मूल्य		
	(a)	भारत में	28346.61	22590.24
	(b)	भारत से बाहर	शून्य	शून्य
	(ii)	मूल्यह्रास हेतु प्रावधान (एनपी.ए. प्रावधान सहित)		
	(a)	भारत में	52.50	47.76
	(b)	भारत से बाहर	शून्य	शून्य
	(iii)	निवेशों का शुद्ध मूल्य		
	(a)	भारत में	28294.11	22542.48
	(b)	भारत से बाहर	शून्य	शून्य
(2)	निवेशों में मूल्यह्रास के प्रावधानों में घट-बढ़ (एन.पी.ए. के प्रावधानों सहित)			
	(i)	अथ शेष	47.76	93.32
	(ii)	जमा: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	17.97	17.15
	(iii)	घटा: वर्ष के दौरान अधिक किए प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना / पुनरांकन	13.23	62.71
	(iv)	शेष	52.50	47.76

4.2 पुनः खरीद/पुनः प्रतिवर्तित लेनदेन (अंकित मूल्य की शर्तों पर)

4.2.1 पुनः खरीद/पुनः प्रतिवर्तित लेनदेन प्रविष्टियाँ (सरकारी प्रतिभूतियाँ)

(रु. करोड़ में)

विवरण	न्यूनतम बकाया	अधिकतम बकाया	दैनिक औसत बकाया	31.03.2014 को शेष
पुनः खरीद के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ	225.00	694.00	176.89	380.00
पुनः प्रतिवर्तित के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ	75.00	275.00	1.71	शून्य

(iv)	Common Equity Tier I capital ratio (Basel-III)	7.27%	NA
(v)	Additional Tier I capital ratio (AT-I) (Basel-III)	0.34%	NA
(vi)	CRAR – Tier I capital ratio (Basel-III)	7.62%	NA
(vii)	CRAR – Tier II capital ratio (Basel-III)	3.42%	NA
(viii)	Total Capital ratio (CRAR) (Basel-III)	11.04%	NA
(ix)	Percentage of the shareholding of the Government of India	81.42%	79.86%
(x)	Amount of equity capital raised*	100	140
(xi)	Amount of Additional Tier I capital raised of which PNCPS: IPDI:	Nil	Nil
(xii)	Amount of Tier II capital raised of which Debt capital instrument: Preference Share Capital Instruments: [Perpetual Cumulative Preference Share (PCPS) / Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS) / Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)]	Nil	Nil

* Including Share Premium Rs. 78.52 crores

4. Investments

4.1 Value of Investments

				(Rupees in crore)	
Items				2013-14	2012-13
(1)	(i)	Gross Value of Investments			
	(a)	In India		28346.61	22590.24
	(b)	Outside India		Nil	Nil
	(ii)	Provisions for Depreciation (including provision for NPA)			
	(a)	In India		52.50	47.76
	(b)	Outside India		Nil	Nil
	(iii)	Net Value of Investments			
	(a)	In India		28294.11	22542.48
	(b)	Outside India		Nil	Nil
(2)	Movement of provision held towards depreciation on Investments (Including provision for NPAs)				
	(i)	Opening balance		47.76	93.32
	(ii)	Add: Provisions made during the year		17.97	17.15
	(iii)	Less: Write-off/ write-back of excess provisions during the year		13.23	62.71
	(iv)	Closing balance		52.50	47.76

4.2 Repo / Reverse Repo Transactions (in face value terms)

4.2.1 Repo / Reverse Repo Transactions (Government Securities)

(Rupees in crore)

Particulars	Minimum Outstanding	Maximum Outstanding	Daily Average Outstanding	Balance as on 31.03.2014
Securities sold under Repos	225.00	694.00	176.89	380.00
Securities purchased under Reverse Repos	75.00	275.00	1.71	Nil

4.2.2 पुनः खरीद/पुनः प्रतिवर्तित लेनदेन प्रविष्टियाँ (कंपनी ऋण प्रतिभूतियाँ)

(रु. करोड़ में)

विवरण	न्यूनतम बकाया	अधिकतम बकाया	दैनिक औसत बकाया	अथ शेष 31.03.2013
पुनः खरीद के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पुनः प्रतिवर्तित के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4.3 एस.जी.एल. ट्रांसफर फार्म वापसी का विवरण तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को चुकता की गई दंड की कुल राशि

	2013-14	2012-13
निधि या प्रतिभूतियों की आवश्यकता के कारण एस.जी.एल. ट्रांसफर फार्म वापसी की संख्या	शून्य	शून्य
भारतीय रिज़र्व बैंक को चुकता की गई दंड की राशि	शून्य	शून्य

4.4 गैर-सांविधिक तरलता अनुपात वाली निवेश सूची: 31.03.2014 को जारीकर्ता संगठन की स्थिति:

(रु. करोड़ में)

संख्या	जारी कर्ता	राशि	निजी स्थापन की सीमा	निवेश ग्रेड से नीचे प्रतिभूतिकरण की सीमा	अमूल्यांकित प्रतिभूतियों की सीमा	असूचीगत प्रतिभूतियों की सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i.	सार्वजनिक उपक्रम	2485.65	2429.70	शून्य	2144.50	2144.50
ii.	वित्तीय संस्थान	2325.12	2318.74	शून्य	शून्य	शून्य
iii.	बैंक	1200.15	142.03	शून्य	शून्य	शून्य
iv.	निजी कं.	619.19	564.27	शून्य	46.13	1.03
v.	सहायक/संयुक्त उपक्रम	0.65	0.65	शून्य	शून्य	शून्य
vi.	अन्य	21.37	4.15	शून्य	शून्य	शून्य
vii.	मूल्यहास के लिए रखे प्रावधान (एनपीए सहित)	51.65		शून्य	शून्य	शून्य
	कुल*	6600.48		शून्य		

नोट: *कॉलम 3 का जोड़ तुलन-पत्र की अनुसूची 8 की निम्नलिखित श्रेणियों के जोड़ से मेल खानी चाहिए :

क. शेयर

ख. डिबेंचर व बॉण्ड

ग. सहायक/संयुक्त उपक्रम

घ. अन्य

(2) उपरोक्त कॉलम 4,5,6 तथा 7 में रिपोर्ट की गई राशि परस्पर अनन्य न हो।

4.5 अनुप्रयोज्य और गैर-सांविधिक तरलता अनुपात निवेशों में उतार-चढ़ाव

(रु. करोड़ में)

विवरण	2013-14	2012-13
अथ शेष	25.03	25.03
वर्ष के दौरान परिवर्धन	34.01	शून्य
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	शून्य	शून्य
इति शेष	59.04	25.03

4.2.2 Repo / Reverse Repo Transactions (Corporate Debt Securities)

Particulars	Minimum Outstanding	Maximum Outstanding	Daily Average Outstanding	Balance as on 31.03.2014
Securities sold under Repos	Nil	Nil	Nil	Nil
Securities purchased under Reverse Repos	Nil	Nil	Nil	Nil

4.3 Detail of bouncing of SGL Transfer Forms and Quantum of Penalty paid to Reserve Bank of India :

	2013-14	2012-13
i. Number of instances when the SGL transfer form bounced for want of either funds or the securities.	Nil	Nil
ii. Penalty paid to RBI on account of bouncing of SGL transfer form	Nil	Nil

4.4 Non-SLR Investments Portfolio: Issuer Composition as on 31.03.2014

(Rupees in crore)

No	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Un-rated' Securities	Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i.	PSUs	2485.65	2429.70	Nil	2144.50	2144.50
ii.	Fls	2325.12	2318.74	Nil	Nil	Nil
iii.	Banks	1200.15	142.03	Nil	Nil	Nil
iv.	Private Corporate	619.19	564.27		46.13	1.03
v.	Subsidiaries/ Joint Ventures	0.65	0.65	Nil	Nil	Nil
vi.	Others	21.37	4.15	Nil	Nil	Nil
vii.	Provision held towards depreciation (including NPA)	51.65				
	Total *	6600.48				

Note: (1) * Total under column 3 should tally with the total of Investments included under the following categories in Schedule 8 to the balance sheet:

- Shares
- Debentures & Bonds
- Subsidiaries / joint ventures
- Others

(2) Amounts reported under column 4, 5, 6 and 7 above may not be mutually exclusive.

4.5 Movement of Non Performing Non SLR Investments

(Rupees in crore)

Particulars	2013-14	2012-13
Opening balance	25.03	25.03
Additions during the year	34.01	Nil
Reductions during the year	Nil	Nil
Closing balance	59.04	25.03
Total Provisions held	33.45	25.03

कुल प्रावधान	33.45	25.03
--------------	-------	-------

4.6 व्युत्पत्तियां

वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने प्रतिरक्षा या व्यापारिक उद्देश्य से कोई भी नया व्युत्पत्ति लेन-देन (वायदा दर समझौता/ब्याज दर अदला-बदली/विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पत्तियाँ) नहीं किया है। तदनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार व्युत्पत्ति लेनदेन के संबंध में गुणात्मक व मात्रात्मक प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है।

4.7 वर्ष के दौरान पुनः संरचित/पुनः अनुसूचित/पुनः परक्रामित निवेश

(रु. करोड़ में)

विवरण	2013-14	2012-13
मानक आस्तियाँ जिनकी पुनर्संरचना होनी है	शून्य	शून्य
अवमानक आस्तियाँ जिनकी पुनर्संरचना होनी है	शून्य	शून्य
अशोध्य आस्तियाँ जिनकी पुनर्संरचना होनी है	शून्य	शून्य
कुल आस्तियों की राशि जिनकी पुनर्संरचना होनी है	शून्य	शून्य

4.8 वर्ष के दौरान बैंक ने 0.57 करोड़ के मूल्यहास के उपरांत 'परिपक्वता तक रखने' से 'बिक्री हेतु उपलब्ध श्रेणी' में रु 895 करोड़ (अंकित मूल्य) की प्रतिभूतियाँ अंतरित की हैं तथा 'बिक्री हेतु उपलब्ध श्रेणी' से "परिपक्वता तक रखने" शीर्ष के अंतर्गत रु. 1641.95 करोड़ अंतरित किए हैं।

4.9 वर्ष के दौरान बिक्रियों का मूल्य और एचटीएम श्रेणी को/से प्रतिभूतियों का अंतरण, वर्ष के आरंभ में एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेशों के वही मूल्य से 5% से अधिक नहीं है।

5. आस्ति गुणवत्ता

5.1 अनुप्रयोज्य आस्तियाँ

(रु. करोड़ में)

	मर्दे	2013-14	2012-13
(i)	शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एन पी ए (%)	3.35	2.16
(ii)	प्रावधान समावेश अनुपात (पीसीआर) (%)	45.51	50.37
(iii)	सकल एन पी ए में घट-बढ़		
	(क) अथ शेष	1536.90	763.44
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	1619.61	1093.60
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	602.99	320.14
	(घ) इति शेष	2553.52	1536.90
(iv)	निवल एन पी ए में उतार-चढ़ाव		
	(क)अथ शेष	1110.38	547.56
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	1345.55	883.50
	(ग)वर्ष के दौरान कमी	537.33	320.68
	(घ) इति शेष	1918.60	1110.38
(v)	एन पी ए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोड़कर)		
	(क) अथ शेष	412.56	206.44
	(ख) जमा: वर्ष के दौरान प्रावधान	564.68	293.99
	(ग) घटा: अधिक किए प्रावधानों को बड़े खाते डालना/पूर्णांकन	358.57	87.87
	(घ)इति शेष	618.67	412.56

5-2 डी.आई.सी.जी.सी./सी.जी.टी.एम.एस.ई./ई.सी.जी.सी. के पात्र दावे, दाखिल तथा पुनः दाखिल दावे जो वेध/वसूली योग्य है, को अग्रिमों हेतु प्रावधान के लिए प्रतिभूति के आधार पर विचारणीय माना गया है।

4.6 Derivatives

Bank has not entered into any derivative transactions (Interest Rate Swap/ Exchange Traded Interest Rate Derivatives) during the year 2013-14. Accordingly, qualitative and quantitative disclosures under RBI guidelines with respect to derivative transactions are not required.

4.7 Restructured / Rescheduled / Renegotiated - Investments during the year

(Rupees in crore)

Particulars	2013-14	2012-13
Standard assets subjected to restructuring etc.	Nil	Nil
Sub-standard assets subjected to restructuring etc.	Nil	Nil
Doubtful assets subjected to restructuring etc.	Nil	Nil
Total amount of assets subjected to restructuring etc.	Nil	Nil

4.8 During the year, the Bank shifted securities worth Rs...895 crore (face value) from "Held till Maturity" to "Available for Sale Category" and worth Rs. 1641.95 crores from "Available for Sale" to "Held till Maturity" after providing depreciation of Rs...0.57 crore .

4.9 The value of sales from HTM category during the year does not exceed 5% of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year.

5. Asset Quality

5.1 Non-Performing Assets

(Rupees in crore)

	Items	2013-14	2012-13
(i)	Net NPAs to Net Advances (%)	3.35	2.16
(ii)	Provisioning Coverage Ratio (PCR) (%)	45.51	50.37
(iii)	Movement of Gross NPAs		
	(a) Opening Balance	1536.90	763.44
	(b) Additions during the year	1619.61	1093.60
	(c) Reductions during the year	602.99	320.14
	(d) Closing balance	2553.52	1536.90
(iv)	Movement of Net NPAs		
	(a) Opening Balance	1110.38	547.56
	(b) Additions during the year	1345.55	883.50
	(c) Reductions during the year	537.33	320.68
	(d) Closing balance	1918.60	1110.38
(v)	Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
	(a) Opening Balance	412.56	206.44
	(b) Add: provisions made during the year	564.68	293.99
	(c) Less: write off, write back of excess provisions	358.57	87.87
	(d) Closing balance	618.67	412.56

5.2 DICGC / CGTMSE/ ECGC claim eligible, lodged and re-lodged have been considered as security for provisioning on advances on the basis that such claims are valid / realizable.

5.3 पुनः संरचित किए गए खातों का विवरण

31.03.2014 को पुनः संरचित खातों का विवरण

31.03.2014 को पुनः संरचित खातों का विवरण															
क स. पुनःसंरचना का प्रकार		सीडीआर के अंतर्गत व्यवस्था				एसएमई के अंतर्गत ऋण पुनःसंरचना व्यवस्था				अन्य				कुल	
आरंभिक वर्गीकरण		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि
विवरण															
1.	वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल को पुनःसंरचित खाते (वार्षिक आँकड़े)	7				7	31					58	96		
	बकाया राशि	120.83				120.83	216.53					5618.91	5956.27		5956.27
	प्रबंधन	10.18				10.18	6.80					206.81	223.79		223.79
2.	वर्ष के दौरान नए पुनःसंरचित खाते	6				6	27					30	63		
	बकाया राशि	306.92				306.92	68.48					2001.42	2376.82		2376.82
	प्रबंधन	47.04				47.04	6.25					18.69	71.98		71.98
3.	वित्तीय-वर्ष के दौरान पुनःसंरचित मानक का उन्मथन														
	बकाया राशि														
	प्रबंधन														
4.	अंतिम पुनःसंरचित मानक जो आकर्षक उच्च प्रबंधनों को रोकते हैं तथा/या वित्त-वर्ष के अंत में अतिरिक्त जोखिम भार तथा यदि आगामी वित्त-वर्ष के प्रारंभ में अंतिम पुनःसंरचित मानक को दिखाने की आवश्यकता नहीं है	1				1	2					1	4		
	बकाया राशि	22.87					3.12					54.75	80.74		80.74
	प्रबंधन														
5.	वित्तीय-वर्ष के दौरान पुनःसंरचित खातों का उन्मथन	0.35				0.35	0.03						0.38		0.38
	बकाया राशि	1				1	19					3	23		23
	प्रबंधन	46.45				46.45	42.91					14.70	104.06		104.06
	बकाया राशि	6.97				6.97	7.13					14.56	28.66		28.66
6.	वित्तीय-वर्ष के दौरान पुनःसंरचित खातों को अपरिचित	0				0	3					37	40		
	बकाया राशि	0.86				0.86	86.70					1638.01	1725.57		1725.57
	प्रबंधन														
7.	31 मार्च को समाप्त वित्तीय-वर्ष के दौरान पुनःसंरचित खाते (अंतिम आंकड़े*)	11				11	34					47	92		92
	बकाया राशि	357.57				357.57	152.28					5912.87	6422.72		6422.72
	प्रबंधन	48.97				48.97	6.67					162.14	217.78		217.78
* / स्वाई पुनःसंरचित अंतिम आंकड़ों के अतिरिक्त जो उच्च प्रबंधनों या जोखिम भार को आकर्षित नहीं करते हैं (यदि लागू हो)															

नोट— वित्तीय-वर्ष 2012-13 के लिए पुनःसंरचित खातों का प्रस्टोन कॉमिट भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, उसका फॉर्मेट में प्रिंटले वित्तीय-वर्ष के आंकड़े, न तो संशोधित/पुनर्गणित/पुनर्बद्विष्ट किए जा सकते और न ही लिए जा सकते।

5.3 Details of Accounts Restructured:

PUNJAB & SIND BANK																		
STATEMENT OF DISCLOSURE OF RESTRICTURED ACCOUNTS AS ON 31.03.2014																		
Sl.No.	Type of Restructuring → Asset Classification →	Under CDR Mechanism				Under SME Debt Restructuring Mechanism				Others				(Amount in crores) TOTAL				
		Std.	Sub-Std.	Doubt-ful	Loss	Total	Std.	Sub-Std.	Doubt-ful	Loss	Total	Std.	Sub-Std.				Doubt-ful	Loss
														Details ↓				
1	Restructured Accounts as on April 1 of the FY (Opening figures)*	No. of Borrower	7				7	31				31	58				96	96
		Amt.O/s	120.83				120.83	216.53				216.53	561.8.91				5956.27	5956.27
		Prov. thereon	10.18				10.18	6.80				6.8	206.81				223.79	223.79
		No. of Borrower	6				6	27				27	30				63	63
2	Fresh Restructuring during the year #	Amt.O/s	306.92				306.92	68.48				68.48	2001.42				2376.82	2376.82
		Prov. thereon	47.04				47.04	6.25				6.25	18.69				71.98	71.98
		No. of Borrower																
		Amt.O/s																
3	Upgradations to restructured Std. Category during the FY	Prov. thereon																
		No. of Borrower																
		Amt.O/s																
		Prov. thereon																
4	Restructured Std. Adv. which cease to attract higher prov. And/or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured Std. Advances at the beginning of the next FY	No. of Borrower	1				1	2				2	1				4	4
		Amt.O/s	22.87					3.12				3.12	54.75				80.74	80.74
		Prov. thereon	0.35				0.35	0.03				0.03					0.38	0.38
		No. of Borrower																
5	Down-gradations of restructured accounts during the FY	Amt.O/s (-)	46.45				46.45	42.91				42.91	14.70				104.06	104.06
		Prov. Thereon (-)	6.97				6.97	7.13				7.13	14.56				28.66	28.66
		No. of Borrower	0				0	3				3	37				40	40
		Amt.O/s (-)	0.86				0.86	86.70				86.70	1638.01				1725.57	1725.57
6	Write-offs of Restructured accounts during the FY	No. of Borrower																
		Amt.O/s (-)																
		Prov. thereon																
		No. of Borrower																
7	Restructured accounts as on Mar. 31 of the FY (Closing figures*)	Amt.O/s	357.57				357.57	152.28				152.28	5912.87				6422.72	6422.72
		Prov. thereon	48.97				48.97	6.67				6.67	162.14				217.78	217.78
		No. of Borrower																
		Amt.O/s																
7/ Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher Provisioning or Risk Weight (if Applicable)																		

5.4 आस्ति पुनर्संरचना हेतु प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनियों को बेची गई वित्तीय संपत्तियों का विवरण

(रु. करोड़ में)

मर्दे		2013-14	2012-13
(प)	खातों की संख्या	शून्य	1
पपद्ध	एस सी/आर सी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (शुद्ध प्रावधान)	शून्य	शून्य
(पपप)	कुल प्रतिफल	शून्य	1.30
(पअ)	पहले के वर्षों में खातों के हस्तांतरण से वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	शून्य
(अ)	शुद्ध बही मूल्य के ऊपर कुल लाभ/हानि	शून्य	1.30

5.5 खरीदे/बेचे गए गैर-निष्पादित वित्तीय आस्तियों के विवरण:

क) खरीदे गए गैर-निष्पादित वित्तीय आस्तियों के विवरण :

(रु. करोड़ में)

		2013&14	2012&13
1.	क)	वर्ष के दौरान खरीदे गए खाते	शून्य
	ख)	कुल बकाया	शून्य
2.	क)	इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खाते	शून्य
	ख)	कुल बकाया	शून्य

ख) बेचे गए गैर निष्पादित वित्तीय आस्तियों का विवरण

(रु. करोड़ में)

	विवरण	2012-13	2011-12
1.	बेचे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2.	कुल बकाया	शून्य	शून्य
3.	प्राप्त कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य

5.6 मानक आस्तियों पर प्रावधान

मर्दे	2013-14	2012-13
मानक आस्तियों पर प्रावधान	352.78	341.59
अंकित मूल्य में हास हेतु प्रावधान पुनर्गठित मानक अग्रिम	70.60	61.59

6. कारोबार अनुपात

	मर्दे	2013-14	2012-13
(i)	औसत कार्यशील निधियों का ब्याज आय में प्रतिशत	9.25%	9.60%
(ii)	औसत कार्यशील निधियों का गैर ब्याज आय में प्रतिशत	0.50%	0.55%
(iii)	औसत कार्यशील निधियों का परिचालन लाभ में प्रतिशत	0.93%	1.23%
(iv)	आस्तियों से आय	0.35%	0.44%
(v)	प्रति कर्मचारी (रुपए करोड़ में) कारोबार (जमाराशियाँ अग्रिम)	15.31	13.70
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ (रुपए करोड़ में)	0.03	0.04

5.4 Details of Financial Assets sold to Securitization / Reconstruction Companies for Asset Reconstruction

(Rupees in crore)

	Items	2013-14	2012-13
(i)	Number of Accounts	Nil	1
(ii)	Aggregate Value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	Nil	Nil
(iii)	Aggregate consideration	Nil	1.30
(iv)	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	Nil	Nil
(v)	Aggregate gain/ loss over net book value	Nil	1.30

5.5 Details of non-performing financial assets purchased / sold:

A. Details of non-performing financial assets purchased:

(Rupees in crore)

		Particulars	2013-14	2012-13
1.	(a)	No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
	(b)	Aggregate outstanding	Nil	Nil
2.	(a)	Of these, number of accounts restructured during the year	Nil	Nil
	(b)	Aggregate outstanding	Nil	Nil

B. Details of non-performing financial assets sold:

(Rupees in crore)

	Particulars	2013-14	2012-13
1.	No. of accounts sold	Nil	Nil
2.	Aggregate outstanding	Nil	Nil
3.	Aggregate consideration received	Nil	Nil

5.6 Provisions on Standard Assets

(Rupees in crore)

Item	2013-14	2012-13
Provisions towards Standard Assets	352.78	341.59
Provision for Diminution in FV Restructured Standard Advances	70.60	61.59

6. Business Ratios

	Items	2013-14	2012-13
(i)	Interest Income as a percentage to average working funds	9.25%	9.60%
(ii)	Non-Interest Income as a percentage to average working funds	0.50%	0.55%
(iii)	Operating Profit as a percentage to average working funds	0.93%	1.23%
(iv)	Return on Assets	0.35%	0.44%
(v)	Business [Deposits plus Advances] per employee (Rs. in crore)	15.31	13.70
(vi)	Profit per employee (Rs. in crore)	0.03	0.04

7. आस्ति देयता प्रबंधन

31.03.2014 को आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता स्वरूप:

(रु. करोड़ में)

परिपक्वता स्वरूप (समयावधि)	जमाराशियां	ऋण तथा अग्रिम	निवेश	उधार	विदेशी मुद्रा	
					देयताएं	आस्तियाँ
1 दिन	584.18	547.63	0.39	0.00	30.18	221.23
2-7 दिन	1547.94	1044.21	346.32	380.00	0.74	17.80
8-14 दिन	2016.91	1473.68	292.94	0.00	5.08	24.86
15-28 दिन	3564.36	2270.23	480.30	0.00	12.12	50.09
29 दिन से 3 माह तक	11947.63	6617.49	4076.32	40.00	29.91	191.97
3 माह से अधिक 6 माह तक	10739.15	3844.42	36.69	200.04	32.33	73.03
फ	27745.45	7320.15	899.81	0.00	94.68	0.00
1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	13121.22	14495.39	2417.71	150.00	92.77	0.00
3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	4321.80	9011.54	5874.52	100.00	8.70	0.00
5 वर्ष से अधिक	9141.52	10614.63	13869.11	1435.00	0.00	0.00
कुल	84730.17	57239.07	28294.11	2305.04	306.51	578.98

8. ऋण जोखिम

8.1 वास्तविक संपदा क्षेत्र को ऋण जोखिम

(रु. करोड़ में)

	श्रेणी	31.03.2014	31.03.2013
1.	प्रत्यक्ष ऋण		
	क) रिहायषी बंधक		
	i. ऐसी संपत्तियां जिन पर ऋणी का कब्जा है या किराये पर दी गई है को दिया गया ऋण बंधक द्वारा पूर्णतः सुरक्षित है।	2795.19	2360.33
	ii. व्यक्तिगत आवास ऋण जो कि प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में सम्मिलित करने योग्य हैं	2247.01	1917.11
	ख) व्यावसायिक वास्तविक संपदा		
	i) व्यावसायिक वास्तविक संपदा पर बंधक द्वारा सुरक्षित ऋण (कार्यालय, भवन, बहुआयामी व्यापारिक परिसर, बहु परिवार आवासीय भवन, व्यावसायिक परिसर जहाँ बहुत से किरायेदार रहते हों, औद्योगिक संस्थान या मालगोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास तथा निर्माण आदि) ऐसी ऋण सीमाओं में गैर-निधि आधारित (एन.एफ.बी) के ऋण भी शामिल हैं।	2941.87	2515.59
	ग) बंधक प्रतिभूतियों में विनियोग ,एमएनबीएसडब्ल्यू और अन्य जमानती ऋण	शून्य	शून्य
	क. रिहायशी	शून्य	शून्य
	ख. व्यावसायिक-वास्तविक संपदा	शून्य	शून्य
2.	अप्रत्यक्ष ऋण क्षाण्डीय आवास (एन.एच.बी.) और आवास वित्त बंधक (एच.एफ.सी.) को निधि एवं गैर-निधि आधारित ऋण)	*2342.72'	2805.75'
वास्तविक संपदा क्षेत्र में कुल ऋण भागीदारी		8079.67	7681.67

7. Asset Liability Management

Maturity Pattern of Assets and Liabilities as on 31.03.2014:

(Rupees in crore)

Maturity Pattern (Time Buckets)	Deposits	Loans & Advances	Investments	Borrowings	Foreign Currency	
					Liabilities	Assets
1 day	584.18	547.63	0.39	0.00	30.18	221.23
2 – 7 days	1547.94	1044.21	346.32	380.00	0.74	17.80
8 – 14 days	2016.91	1473.68	292.94	0.00	5.08	24.86
15 - 28 days	3564.36	2270.23	480.30	0.00	12.12	50.09
29 days to 3 months	11947.63	6617.49	4076.32	40.00	29.91	191.97
Over 3 months & up to 6 months	10739.15	3844.42	36.69	200.04	32.33	73.03
Over 6 months & up to 1 year	27745.45	7320.15	899.81	0.00	94.68	0.00
Over 1 year & up to 3 years	13121.22	14495.39	2417.71	150.00	92.77	0.00
Over 3 years & up to 5 years	4321.80	9011.54	5874.52	100.00	8.70	0.00
Over 5 years	9141.52	10614.63	13869.11	1435.00	0.00	0.00
Total	84730.17	57239.07	28294.11	2305.04	306.51	578.98

8. Exposures :

8.1 Exposure to Real Estate Sector

(Rupees in crore)

Category			31.03.2014	31.03.2013
1)	Direct Exposure			
	(a)	Residential Mortgages		
	i.	Lending fully secured by mortgages of residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	2795.19	2360.33
	ii.	Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances	2247.01	1917.11
	(b)	Commercial Real Estate		
		Lending secured by mortgages of commercial real estates (office buildings, retail space, multipurpose commercial premises, multifamily residential buildings, multi tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc) Exposure would also include non fund based (NFB) limits;	2941.87	2515.59
	(c)	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures	NIL	NIL
	a.	Residential	Nil	NIL
	b.	Commercial Real Estate	Nil	Nil
2)	Indirect Exposure [Fund based and Non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)]		* 2342.72	2805.75
Total Exposure to Real Estate Sector			8079.67	7681.67

‘एनएचबी तथा हाउसिंग फाइनांस कंपनियों में किए गए रु. 329.69 करोड़ के निवेश शामिल हैं।

8.2 पूंजी बाजार में ऋण भागीदारिता (एक्सपोजर)

(रु. करोड़ में)

मर्दे		31.03.2014	31.03.2013
1.	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बाण्ड, परिवर्तनीय ऋण-पत्रों तथा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों के यूनिटों में निवेश जिनका पूर्ण रूप से कम्पनी ऋणों में विनियोग नहीं किया गया	152.58	159.93
2.	सामान्य अंशों (आई.पी.ओ.ई.एस.ओ.पी.एस) परिवर्तनीय बाण्ड, परिवर्तनीय ऋण-पत्रों तथा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों में विनियोग के लिए अंशों/बाण्डों/ऋण पत्रों या अन्य प्रतिभूतियों के एवज में एकल स्वामियों को दिए गए अग्रिम	1.20	0.02
3.	किसी अन्य उद्देश्य हेतु दिया गया अग्रिम जहां अंशों या परिवर्तनीय अंशों या परिवर्तनीय ऋण पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है	0.01	0.01
4.	अंशों की संपादिक प्रतिभूति या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय ऋण पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों द्वारा प्रत्याभूत अन्य उद्देश्यों हेतु दिए गए अग्रिम अर्थात् जहां पर अंशों/परिवर्तनीय बाण्डों/परिवर्तनीय ऋण-पत्रों/इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों पर दिए गए अग्रिमों को प्राथमिक प्रतिभूति द्वारा पूर्ण रूप से प्रत्याभूत नहीं किया गया	शून्य	शून्य
5.	स्टाक ब्रोकरों को जमानती व गैर-जमानती अग्रिम तथा स्टाक ब्रोकरों और मार्केट मेकर्स द्वारा जारी गारंटियाँ	5.47	52.32
6.	नई कम्पनियों की इक्विटी हेतु फण्डस एकत्रित करने के लिए तथा प्रवर्तकों के अंशदान को पूरा करने के लिए जो अंशों/बाण्डों/ऋण पत्रों या अन्य प्रतिभूतियाँ या निर्बंध आधार पर कम्पनियों के संस्वीकृत ऋण	शून्य	शून्य
7.	प्रत्याशित इक्विटी उपलब्धता/निर्गमों पर कम्पनियों को पूरक ऋण	शून्य	शून्य
8.	प्राथमिक अंशों या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय ऋण पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों के संबंध में बैंकों द्वारा किए हामीदारी वायदे	शून्य	शून्य
9.	मार्जिन सोदों हेतु स्ट्राक ब्रोकरों को दिया गया वित्त	शून्य	शून्य
10.	पूंजी निधियों पर ऋण जोखिम (पंजीकृत तथा अपंजीकृत)	4.15	3.71
पूंजी बाजार में कुल ऋण भागीदारी		163.41	215.99

8.3 जोखिम श्रेणीवार कंटी एक्सपोजर

देशांतर आधार पर बैंक द्वारा विदेशी विनिमय लेनदेन के संबंध में दिए गए निवल ऋण जो प्रत्येक देश से संबंधित है, बैंक की कुल आस्तियों के 1% के अंदर हैं। अतः भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार किसी प्रकार के प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

8.4 बैंक द्वारा पार की गई एकल उधारी सीमा (एसजीएल), समूह उधारी सीमा (जीबीएल) का ब्यौरा

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा बढ़ाई गई एकल उधारी सीमा (एस जी एल) समूह उधारी सीमा (जी.बी.एल) के विवरण वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकल उधारी धसमूह उधारी हेतु निर्धारित विवेकपूर्ण ऋण सीमा को पार नहीं किया है सिवाय निम्न मामलों के जिन पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	उधारियों के नाम	वर्ष के दौरान अधिकतम ऋण सीमा	दिनांक के अनुसार ऋण जोखिम(%)	31.03.2014 को ऋण सीमा/देयताएं	ऋण जोखिम(%)
1.	मैसर्स यूपी पॉवर कार्पोरेशन लि.	टीएल रु.1501.63 करोड़	23.90% दिनांक 26.07.2013 के अनुसार	1501.63	24.03
	शून्य				

* includes Rs.329.69 crore by way of Investment in NHB & Housing Finance Companies.

8.2 Exposure to Capital Market

(Rupees in crore)

Items		31.03.2014	31.03.2013
1.	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	152.58	159.93
2.	Advances against shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	1.20	0.02
3.	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	0.01	0.01
4.	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	Nil	Nil
5.	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers	5.47	52.32
6.	Loans sanctioned to corporates against the security of shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	Nil	Nil
7.	Bridge loans to companies against expected equity flows/ issues;	Nil	Nil
8.	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	Nil	Nil
9.	Financing to stockbrokers for margin trading;	Nil	Nil
10.	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	4.15	3.71
Total Exposure to Capital Market		163.41	215.99

8.3 Risk Category wise Country Exposure

The net country-wise funded exposure of the Bank in respect of Foreign Exchange Transactions in respect of each country is within 1% of the total assets of the Bank. Hence, no provision is required as per RBI guidelines.

8.4 Details of Single Borrower Limit (SGL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank

During the year 2013-14, the Bank has not exceeded the prudential exposure limits set by RBI to single borrower/ group borrower, except in the following case, which has been approved by the Board: (Rupees in crore)

Sl. No.	Name of the Borrower	Maximum Limit during the year	Exposure (%) as on	Limit / Liability as on 31.03.14	Exposure (%)
1.	M/s UP Power Corpn. Ltd.	TL Rs.1501.63 crs	23.90% as on 26.07.2013	1501.63	24.03
	NIL				

8.5 अमूर्त संपादित्वक प्रतिभूतियों पर प्रतिभूतिरहित अधिम

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
अमूर्त प्रतिभूतियों हेतु कुल अग्रिम जैसे अधिकारों प्राधिकार लाईसेंसों आदि पर ऋण भार	455.37	188.57
अमूर्त प्रतिभूतियों की कुल अनुमानित मूल्य जैसे अधिकारों प्राधिकार लाईसेंसों पर ऋण भार	455.37	176.21

9.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जुर्माने का प्रकटीकरण

	2013-14	2012-13
क. वर्ष के दौरान बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाया जुर्माना	2.5	शून्य
ख. प्रतिकूल तथ्यों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए निर्देश या प्रतिकूल टिप्पणियां	शून्य	शून्य

9.2 बैंकरोरेंसों व्यापार के संबंध प्राप्त शुल्कधारिश्रमिक का प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

	2013-14	2012-13
क. जीवन बीमा व्यापार से प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक	1.19	2.87
ख. साधारण बीमा व्यापार से प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक	0.0042	2.21
ग. यू.टी.आई.म्यूचुअल फंड व्यापार	शून्य	0.0005

10. मानक लेखांकन अनुसार प्रकटीकरण (एस)

10.1 एस-5 अवधि के लिए निवल लाभ-हानि, पूर्व अवधि मर्दे तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

10.1.1 लाभ/हानि खाते में पूर्व अवधि की कोई मर्दे शामिल नहीं है जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार एस-5 में बताया जाना होए सिवाय उनके जिन्हें टिप्पणियों में कहीं और दर्शाया गया है।

10.2 एस -6 मूल्यहास लेखांकन

प्रत्येक श्रेणी की आस्तियों के लिए कुल मूल्यहास का ब्रेक-अप

(रु. करोड़ में)

आस्तियों की श्रेणी	2013-14	2012-13
परिसर	27.88	25.21
अन्य स्थाई आस्तियाँ	32.45	24.48

10.3 एस-9 राजस्व मान्यता

10.3.1 आय की कुछ मदों को महत्वपूर्ण लेखांकन नीति- अनुसूची-17 की मद संख्या 8 (राजस्व मान्यता)में प्रकट मदों को वसूली के आधार पर मान्यता दी गई है। फिर भी भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार इस आय को आर्थिक न माना जाए

10.4 एस 15 . कर्मचारी लाभ

10.4.1 पेंशन ए ग्रेच्युटी छुट्टी नकदीकरण तथा अन्य दीर्घावधि लाभ हेतु प्रावधानों को आईएनसीएणआई द्वारा जारी संशोधित लेखा मानक :एणएस-15 के आधार पर किया गया है। यद्यपि, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों हेतु पेंशन विकल्प पुनः खोलने और ग्रेच्युटी की सीमाओं में वृद्धि दृ प्रमुख नियामक उपचार पर भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र दिनांक 9 फरवरी, 2011 सं. डीबीओडी नं. बीपी.बीसी. 80 / 21. 04.018 / 2010-11 तथा ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 में किए संशोधनों के अनुसार के अनुसार की गई है। तदनुसार बैंक ने पेंशन खाता में 146.12 करोड, रु. तथा ग्रेच्युटी खाता में 26.57 करोड, रु. परिशोधन किए हैं। शेष राशि, पेंशन खाता के 146.12 करोड, रु. तथा ग्रेच्युटी खाता के 26.57 करोड, रु. को आगामी वर्ष 2014-15 में परिशोधित कर दिए जाएंगे।

8.5 Unsecured Advances against Intangible Collaterals

(Rs. in crore)

Particulars	As on 31.03.2014	As on 31.03.2013
Total Advances against intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority etc	455.37	188.57
Estimated Value of intangible collateral such as charge over the rights, licenses, authority etc.	455.37	176.21

9.1 Disclosure of Penalties imposed by Reserve Bank of India

(Rs. in crore)

	2013-14	2012-13
A. Penalty imposed by RBI on Bank	2.5	Nil
B. Strictures or Directions by RBI on the basis of adverse findings	Nil	Nil

9.2 Disclosure of Fees/ Remuneration Received in respect of Bancassurance Business

(Rs. In crore)

	2013-14	2012-13
A. Fee/ Remuneration from Life Insurance Business	1.19	2.87
B. Fee/ Remuneration from General Insurance Business	0.0042	2.21
C. UTI Mutual Fund Business	NIL	0.0005

10 Disclosure as per Accounting Standard (AS)

10.1 AS-5 Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies

10.1.1 There are no material prior period items included in Profit & Loss Account required to be disclosed as per AS-5 read with RBI guidelines except those disclosed elsewhere in the notes.

10.2 AS-6 Depreciation Accounting

Break-up of total depreciation for each class of assets

(Rs. In crore)

Class of Assets	2013-14	2012-13
Premises	27.88	25.21
Other Fixed Assets	32.45	24.48
Total	60.33	49.69

10.3 AS-9 Revenue Recognition

10.3.1 Certain items of income are recognized on realization basis as disclosed at point no. 8 – “Revenue Recognition” of Schedule 17 – Significant Accounting Policies. However, in terms of RBI guidelines, the said income is not considered to be material.

10.4 AS 15 - Employees Benefit

10.4.1 Provisions for Pension, Gratuity, Leave Encashment and Other long term benefits have been made in accordance with the Revised Accounting Standard (AS - 15) issued by the ICAI. However, the additional liability towards re-opening of pension option and amendment in the Gratuity Act, 1972 has been dealt in accordance with the provisions contained in Reserve Bank of India circular no. DBOD.BP.BC.80/21.04.018/2010-11) dated 9th February 2011 on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limit. Accordingly the Bank has amortized Rs. 146.12 Crores on account of Pension and Rs. 26.57 Crores on account of Gratuity. The balance amount carried forward on account of Pension Rs. 146.12 Crores and Rs. 26.57 Crores shall be carried forward to be amortized in next year i.e 2014-15.

खाता के 26.57 करोड़, रु. को आगामी वर्ष 2014-15 में परिशोधित कर दिए जाएंगे।

10.4.2 लाभ-हानि खाते तथा तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त नियोजनोत्तर लाभों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है:

10.4.3 बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		छुट्टी नकदीकरण (निधिक)	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
निर्धारित लाभ बाध्यता का 1 अप्रैल को मूल्य	2419.87	2318.41	389.20	438.45	185.78	182.80
ब्याज लागत	209.92	179.91	31.15	32.48	15.05	13.55
वर्तमान सेवा लागत	211.77	252.21	14.17	8.75	25.52	30.70
प्रदत्त लाभ	(174.73)	(139.10)	(85.78)	(64.81)	(37.04)	(26.77)
बाध्यता पर बीमांकिक हानि / (लाभ)	(173.50)	(191.56)	(64.37)	(25.85)	(23.60)	(14.50)
निर्धारित लाभ बाध्यता का 31 मार्च को मूल्य	2493.33	2419.87	(284.19)	389.02	165.71	185.78

10.4.4 योजनागत आस्तियों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		छुट्टी नकदीकरण (निधिक)	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
योजनागत आस्तियों का 1 अप्रैल को मूल्य	2007.30	1803.30	336.01	337.68	188.95	187.89
योजनागत आस्तियों से अपेक्षित प्रतिलाभ	180.66	162.30	30.24	31.74	17.01	18.51
नियोक्ता अंशदान	290.39	180.21	16.64	34.63	शून्य	10.05
घटाएं प्रदत्त लाभ	(174.73)	(139.10)	(85.78)	(64.81)	(37.04)	(26.77)
बीमांकिक हानि / (लाभ)	9.57	0.59	(3.03)	(3.23)	(2.85)	(0.73)
योजनागत आस्तियों का 31 मार्च को उचित मूल्य	2313.19	2007.30	294.08	336.01	171.77	188.95
योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	190.23	162.89	27.21	28.51	19.86	17.78

10.4.5 शुद्ध बीमांकिक हानि (लाभ)

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदी (निधिक)	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
मूल्यांकिक हानि / (लाभ) दायित्व (ए)	(173.50)	(191.56)	(64.37)	(25.85)	(23.60)	(14.50)
प्लान आस्तियों पर (बी) मूल्यांकिकहानि / (लाभ)	(9.57)	(0.59)	(3.03)	(3.23)	(2.85)	(0.73)
शुद्ध मूल्यांकिक हानि / (लाभ)	(183.07)	(192.15)	(61.34)	(22.62)	(26.45)	(13.77)
अवधि के दौरान पहचान की गई हानि / (लाभ)	(183.07)	(192.15)	(61.34)	(22.62)	(26.45)	(13.77)

10.4.2 The summarized position of post employment benefits are recognized in the Profit & Loss A/c and Balance Sheet as under:

10.4.3 **Changes in the Present value of the Obligation**

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (funded)	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
Present Value of defined benefit obligation as at 1st April	2419.87	2318.41	389.02	438.45	185.78	182.80
Interest cost	209.92	179.91	31.15	32.48	15.05	13.55
Current service cost	211.77	252.21	14.17	8.75	25.52	30.70
Benefits paid	(174.73)	(139.10)	(85.78)	(64.81)	(37.04)	(26.77)
Actuarial loss/ (gain) on obligations	(173.50)	(191.56)	(64.37)	(25.85)	(23.60)	(14.50)
Present value of defined Benefit obligation at 31st March	2493.33	2419.87	(284.19)	389.02	165.71	185.78

10.4.4 **Changes in the Present Value of Plan Assets**

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (funded)	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
Fair value of Plan Assets as at 1st April	2007.30	1803.30	336.01	337.68	188.95	187.89
Expected return of Plan Assets	180.66	162.30	30.24	31.74	17.01	18.51
Employer contribution	290.39	180.21	16.64	34.63	Nil	10.05
Benefits paid	(174.73)	(139.10)	(85.78)	(64.81)	(37.04)	(26.77)
Actuarial (loss)/ gain	9.57	0.59	(3.03)	(3.23)	2.85	(0.73)
Fair value of Plan Assets as at 31st March	2313.19	2007.30	294.08	336.01	171.77	188.95
Actual return on Plan Assets	190.23	162.89	27.21	28.51	19.86	17.78

10.4.5 **Net Actuarial Loss/ (Gain)**

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (funded)	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
Actuarial loss/(gain) on Obligation. (A)	(173.50)	(191.56)	(64.37)	(25.85)	(23.60)	(14.50)
Actuarial loss/(gain) on Plan Assets. (B)	(9.57)	(0.59)	3.03	3.23	(2.85)	0.73
Net Actuarial loss/(gain)	(183.07)	(192.15)	(61.34)	(22.62)	(26.45)	(13.77)
Actuarial loss/(gain) recognized in the period	(183.07)	(192.15)	(61.34)	(22.62)	(26.45)	(13.77)
Unrecognized actuarial loss/ (Gain) at the end of the year	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

वर्ष के अंत में बिना पहचान वाली मूल्यांकित हानि/(लाभ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

10.4.6 तुलनपत्र में पहचानी गई राशि

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदी (निधिक)	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
31 मार्च को पारिभाषित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य	2493.33	2419.87	284.19	389.02	165.71	185.78
घटाएं : 31 मार्च को प्लान आस्तियों का उचित मूल्य	2313.19	2007.30	294.08	336.01	171.77	188.95
तुलन-पत्र में पहचान की गई गैर निधि शुद्ध आस्ति/देयता	(180.14)	(412.57)	9.89	(53.01)	6.06	3.17

10.4.7 लाभ तथा हानि खाते में व्ययों की पहचान

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदी (निधिक)	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
चालू सेवा लागत	211.77	252.21	14.17	8.75	25.52	30.70
ब्याज लागत	209.92	179.90	31.15	32.48	15.05	13.55
प्लान आस्तियों पर अनुमानित रिटर्न	(180.66)	(162.30)	(30.24)	(31.74)	17.01	(18.51)
वर्ष के दौरान शुद्ध मूल्यांकित (लाभ) हानि	(183.07)	(192.15)	(61.34)	(22.62)	26.45	(13.77)
शुद्ध लाभ व्यय	57.96	77.67	46.26	13.13	2.89	11.97

10.4.8 तुलन-पत्र में पहचानी गई देयताओं में उतार-चढ़ाव

(रु. करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदी (निधिक)	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
प्रारंभिक शुद्ध देयता/ आस्तियाँ	412.57	515.11	53.01	100.77	(3.17)	(5.09)
शुद्ध लाभ व्यय	57.96	77.67	46.26	(13.13)	(2.89)	11.97
घटाएं -दिया गया अंश	290.39	180.21	16.64	34.63	शून्य	10.05
अन्तिम देयता/आस्तियाँ	180.14	412.57	9.89	53.01	(6.06)	(3.17)

10.4.9 ब्यास द्वारा रखे जाने वाला निवेश प्रतिशत

(प्रतिशत में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदी (निधिक)	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियाँ	18.31	21.04	3.40	3.18	शून्य	शून्य
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	37.68	35.35	—	शून्य	शून्य
उच्च स्तरीय कोरपोरेट बाण्ड	36.02	37.97	33.94	39.61	शून्य	शून्य
विशेष जमा योजनाएं		—	..	—	शून्य	शून्य
अन्य निवेश	7.99	5.64	62.66	57.21	100	100

10.4.6 Amount recognized in the Balance Sheet

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (funded)	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
Present value of defined benefit obligation as at 31st March	2493.33	2419.87	284.19	389.02	165.71	185.78
Less: Fair value of Plan Assets as at 31st March	2313.19	2007.30	294.08	336.01	171.77	188.95
Unfunded net Asset / (Liability) Recognized in the balance sheet	(180.14)	(412.57)	9.89	(53.01)	6.06	3.17

10.4.7 Expenses recognized in the Profit & Loss Account

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
Current service cost	211.77	252.21	14.17	8.75	25.52	30.70
Interest cost	209.92	179.90	31.15	32.48	15.05	13.55
Expected return on plan assets	(180.66)	(162.30)	(30.24)	(31.74)	(17.01)	(18.51)
Net Actuarial (gain)/ loss recognized during the year	(183.07)	(192.15)	(61.34)	(22.62)	(26.45)	(13.77)
Net benefit/ expense	57.96	77.67	(46.26)	(13.13)	(2.89)	11.97

10.4.8 Movements in the liability recognized in the Balance Sheet

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
Opening net Liability/(Asset)	412.57	515.11	53.01	100.77	(3.17)	(5.09)
Net benefit expense	57.96	77.67	(46.26)	(13.13)	(2.89)	11.97
Less: Contribution paid	290.39	180.21	16.64	34.63	NIL	10.05
Closing liability/(Asset)	180.14	412.57	(9.89)	53.01	(6.06)	(3.17)

10.4.9 Investment percentage maintained by the trust

(in %age)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
Central Government Securities	18.31	21.04	3.40	3.18	Nil	Nil
State Government Securities	37.68	35.35	----	----	Nil	Nil
High quality corporate bonds	36.02	37.97	33.94	39.61	Nil	Nil
Special Deposit Scheme	----	----	----	----	Nil	Nil
Other investments	7.99	5.64	62.66	57.21	100	100

10.4.10 तुलन-पत्र की तिथि को मूल बीमांकिक मूल्यांकन

(प्रतिशत में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		ग्रेच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदी (निधिक)	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
बढ़ा दर	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00
प्लान आस्तियों पर अनुमानित लाभ दर	9.00	9.00	9.00	9.40	9.00	9.85
वेतन में वृद्धि की दर	5.00	5.50	5.00	5.50	5.00	5.50
अनुशय दर	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
प्रयोग में लाई गई प्रणाली	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी

10.4.11 बीमांकिक मूल्यांकन का आधार

विवरण	मूल्यांकन का आधार
बढ़ा दर	देयता के अनुमानित आधार पर सरकारी बांडों की शर्तों के अनुरूप तुलन-पत्र की तिथि पर बाजार के अनुरूप लाभ के संदर्भ में बढ़ा दर का निर्धारण किया गया है।
प्लान आस्तियों पर अनुमानित दर	संबंधित देयता की पूर्ण अवधि हेतु अवधि के प्रारंभ के समय पर प्लान आस्तियों पर अनुमानित लाभ बाजार अनुमानों पर आधारित है।
वेतन में वृद्धि की दर	बीमांकिक मूल्यांकन में भविष्य में वेतन वृद्धि को ध्यान में रखा गया तथा मुद्रा प्रसारण वरिष्ठता, प्रोन्नति तथा अन्य संबंधित घटकों पर विचार किया गया है।
अनुशय दर	अनुशय दर का निर्धारण पूर्व तथा अनुमानित भविष्य के अनुभव के अनुसार निर्धारित किया गया है तथा मृत्यु को छोड़कर इसमें समस्त प्रकार के आहरण सम्मिलित है लेकिन इसमें अपंगता कारक भी शामिल है।

10.4.12 अन्य दीर्घ अवधि वाले कर्मचारी लाभ (गैर-निधि)

(रु. करोड़ में)

विवरण	एलटीसी/एलएफसी नकदीकरण		सिल्वर जुबली बोनस		मेडिकल लाभ		सेवा निवृत्ति उपहार	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
देयता का वर्तमान मूल्य	12.25	11.74	0.37	0.32	0.49	0.47	1.08	1.25
पारगमन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान पहचानी गई पारगमन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पहचान न की गई पारगमन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन-पत्र में पहचानी गई देयता	12.25	11.74	0.37	0.32	0.49	0.47	1.08	1.25

10.4.10 Principal Actuarial assumptions at the Balance Sheet date

(in %age)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		(Leave Encashment funded)	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
Discount rate	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00
Expected rate of return on plan assets	9.00	9.00	9.00	9.40	9.00	9.85
Rate of escalation in salary	5.00	5.50	5.00	5.50	5.00	5.50
Attrition rate	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Method used	PUC	PUC	PUC	PUC	PUC	PUC

10.4.11 Basis of Actuarial Assumptions considered

Particulars	Basis of assumption
Discount rate	Discount rate has been determined by reference to market yield on the balance sheet date on Government Bonds of term consistent with estimated term of the obligation.
Expected rate of return on plan assets	The expected return on Plan assets is based on market expectation, at the beginning of the period, for returns over the entire life of the related obligation.
Rate of escalation in salary	The estimates of future salary increases considered in actuarial valuation take account of inflation, seniority, promotion, and other relevant factor, such as supply and demand in employee market.
Attrition rate	Attrition rate has been determined by reference to past and expected future experience and includes all type of withdrawals other than death but including those due to disability.

10.4.12 Other long term employee benefit (Non funded)

(Rs. in crore)

Particulars	LTC/LFC Encashment *		Silver jubilee Bonus		Medical Benefits *		Retirement Gifts	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
Present Value of Obligation	12.25	11.74	0.37	0.32	0.49	0.47	1.08	1.25
Transitional Liability	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Transitional liability recognized during the year	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Unrecognized transitional liability	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Liability recognized in the Balance Sheet	12.25	11.74	0.37	0.32	0.49	0.47	1.08	1.25

* As assessed by the management

10.5 लेखामानक 17 - खंड रिपोर्टिंग

भाग क: व्यापार खंड

विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2014 (लेखा परीक्षित)	समाप्त वर्ष 31.03.2013 (लेखा परीक्षित)
1.खण्ड राजस्व		
क. राजकोष	200556	164221
ख. कार्पोरेट/समग्र बैंकिंग	476456	460851
ग. फुटकर बैंकिंग	162868	150148
घ. अन्य बैंकिंग परिचालन	119	508
कुल	839999	775728
2. खंड परिणाम		
क. राजकोष	1429	592
ख कार्पोरेट/समग्र बैंकिंग	83591	107577
ग. फुटकर बैंकिंग	28575	35049
घ. अन्य बैंकिंगपरिचालन	119	508
कुल	113714	143726
3. गैर.आबंटित व्यय	33659	49841
4. परिचालन लाभ	80055	93885
5. प्रावधान व आकस्मिक देयताएं	55421	45215
6. आयकर	-5429	14747
7. विशेष लाभ/हानि		
8. शुद्ध लाभ	30063	33923
अन्य सूचना		
9. खंड आस्तियां		
क. राजकोष	2884926	2293817
ख कार्पोरेट/समग्र बैंकिंग	4841480	4290110
ग. फुटकर बैंकिंग	1654968	1397748
घ. अन्य बैंकिंग परिचालन	0	0
ड. गैर-आबंटित आस्तियां	69541	66115
कुल आस्तियां	9450915	8047790
10. खंड देयताएं		
क. राजकोष	2746402	2168713
ख कार्पोरेट/समग्र बैंकिंग	4609010	4056129
ग. फुटकर बैंकिंग	1575503	1321516
घ. अन्य बैंकिंग परिचालन	0	0
ड. गैर-आबंटित आस्तियां	18872	41022
कुल आस्तियां	8949787	7587380

नोट: मानक ए.एस-17 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य से बैंक के व्यवसाय को

10.5 AS 17 – Segment Reporting
Part A : Business Segment :

Particulars	Year ended	
	31.03.14	31.03.13
1. Segment Revenue		
a) Treasury	200556	164221
b) Corporate/ Wholesale Banking	476456	460851
c) Retail Banking	162868	150148
d) Other Banking Operations	119	508
Total	839999	775728
2. Segment Result		
a) Treasury	1429	592
b) Corporate/ Wholesale Banking	83591	107577
c) Retail Banking	28575	35049
d) Other Banking Operations	119	508
Total	113714	143726
3. Unallocated Expenses	33659	49841
4. Operating Profit	80055	93885
5. Provisions & Contingencies	55421	45215
6. Income Tax	-5429	14747
7. Extra Ordinary Profit/ Loss		
8. Net Profit	30063	33923
Other Information:		
9. Segment Assets		
a) Treasury	2884926	2293817
b) Corporate/ Wholesale Banking	4841480	4290110
c) Retail Banking	1654968	1397748
d) Other Banking Operations	0	0
e) Unallocated Assets	69541	66115
Total Assets	9450915	8047790
10. Segment Liabilities		
a) Treasury	2746402	2168713
b) Corporate/ Wholesale Banking	4609010	4056129
c) Retail Banking	1575503	1321516
d) Other Banking Operations	0	0
e) Unallocated Liabilities	18872	41022
Total Liabilities	8949787	7587380

Note: For the purpose of segment reporting in terms of AS-17 of ICAI and as prescribed in RBI guidelines,

चार खंडों में वर्गीकृत किया गया है जोकि ए) राजकोष परिचालन बी) कारपोरेट@थोक बैंकिंग सी) फुटकर बैंकिंग डी) अन्य बैंकिंग परिचालन हैं। कारपोरेट@थोक तथा फुटकर बैंकिंग खंड के संबंध में खंडीय राजस्व] परिणाम] आस्ति तथा देयताओं को इन खंडों में दिए गए ऋणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।

जहाँ खंडों से संबंधित आस्ति तथा देयता आबंटित की गई हो तथा जहाँ पर ये प्रत्यक्षतः उनसे संबंधित न हो] उनका आबंटन यथा अनुपात खंड राजस्व के आधार पर किया गया है।

भाग ख: भौगोलिक खंड

बैंक की विदेश में कोई भी शाखा नहीं है , इसलिए भौगोलिक खंड की जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है।

10.6 लेखा मानक 18 - संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

मुख्य प्रबंधन अधिकारी

श्री डी.पी. सिंह	दिनांक 30.01.2014 तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री जतिंदरबीर सिंह	दिनांक 04.02.2014 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री पी.के.आनंद	दिनांक 31.05.2013 तक कार्यकारी निदेशक
श्री मुकेश कुमार जैन	दिनांक 05.08.2013 से कार्यकारी निदेशक
श्री किशोर कुमार साँसी	दिनांक 05.08.2013 से कार्यकारी निदेशक

क. प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों को दिया गया पारिश्रमिक

रु. लाखों में.

	2013-14	2012-13
(1.)श्री जतिंदरबीर सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	2.84	लागू नहीं
(2.) श्री किशोर कुमार साँसी, कार्यकारी निदेशक	10.12	लागू नहीं
(3.)श्री मुकेश कुमार जैन, कार्यकारी निदेशक	10.67	लागू नहीं
(4.) श्री डी.पी. सिंह, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	15.05	19.04
(5.)पी.के.आनंद, पूर्व कार्यकारी निदेशक	2.87	19.40

ख) प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों एवं उनके संबंधियों को दिए गए ऋण:

विवरण	दिनांक 31.03.2014	दिनांक 31.03.2013
बकाया ऋण	शून्य	शून्य

ग) सम्बन्धित पार्टी का नाम-सतलुज ग्रामीण बैंक (सहयोगी)

एस-18 के पैरा 9 में सम्बन्धित पार्टी के प्रकटन में, जो राज्य नियंत्रित उद्यमों को अन्य सम्बन्धित पार्टियों, जो राज्य द्वारा ही नियंत्रित की जाती है, के साथ किए गए लेन-देन का प्रकटन करने से छूट देता है। अतः सहयोगी बैंक के साथ किए गए लेन-देन का प्रकटन नहीं किया गया है।

10.7 प्रति शेयर आय (एएस-20)

(रूपए करोड़ में)

विवरण	2013-14	2012-13
इक्विटी शेयर धारकों हेतु कर के बाद कुल लाभ (रु. करोड़ में)	277.57	317.46
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (करोड़ में)	25.97	23.53
आधार एवं कम की गई प्रति शेयर आय (रुप)	10.69	13.49
प्रति शेयर अंकित मूल्य (रु.)	10.00	10.00

the business of the Bank has been classified into four segments i.e. a) Treasury Operations, b) Corporate/ Wholesale Banking, c) Retail Banking and d) Other Banking Operations.

Segmental Revenue, Results, Assets & Liabilities in respect of Corporate / Wholesale and Retail Banking segment have been bifurcated on the basis of exposure to these segments.

Assets & Liabilities wherever directly related to segments have been accordingly allocated to segments and wherever not directly related have been allocated on the basis of pro-rata segment revenue.

Part B : Geographical Segment :

Since the Bank does not have any overseas branch, reporting under Geographic Segment is not applicable.

10.6 AS 18 – Related Party Disclosures Key Managerial Personnel:

Mr. D.P. Singh	Chairman and Managing Director up to 30.01.2014
Mr. Jatinderbir Singh	Chairman and Managing Director w.e.f. 04.02.2014
Mr. P.K.Anand	Executive Director up to 31.05.2013
Mr. Mukesh Kumar Jain	Executive Director w.e.f. 05.08.2013
Mr. Kishore Kumar Sansi	Executive Director w.e.f. 05.08.2013

a) Remuneration Paid to Key management personnel :

(Rs. in lacs)

Name and Designation	2013-14	2012-13
Mr. Jatinderbir Singh, Chairman & Managing Director	2.84	N.A.
Mr. Kishore Kumar Sansi, Executive Director	10.12	N.A.
Mr. Mukesh Kumar Jain, Executive Director	10.67	N.A.
Mr. D.P. Singh, Ex-Chairman and Managing Director	15.05	19.04
Mr. P.K Anand, Ex-Executive Director	2.87	19.40

b) Loans granted to Key Managerial Personnel & their relatives:

Particulars	As on 31.03.2014	As on 31.03.2013
Loans outstanding	NIL	NIL

c) Name of Related Party **Satluj Gramin Bank (An Associate)**

Para 9 of AS 18 - Related Party Disclosures exempts state controlled enterprises from making any disclosures pertaining to their transactions with other related parties which are also state controlled. Hence, the transactions with the associated bank have not been disclosed.

10.7 AS 20 - Earning Per Share(Rs. in crore)

Particulars	2013-14	2012-13
Net Profit After tax available for equity Shareholders	277.57	317.46
Weighted Average Number of Equity Shares in crore	25.97	23.53
Basic and Diluted Earning per Share (Rs.)	10.69	13.49
Nominal Value per Share (Rs.)	10.00	10.00

10.8 लेखा मानक 21- समेकित वित्तीय विवरणी

बैंक के पास कोई सब्सिडी नहीं है, अतः लेखामानक 21 लागू नहीं है।

10.9 लेखा मानक 22 – आय पर करों हेतु लेखांकन

10.9.1 बैंक ने आयकर लेखा-जोखा में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 22, “आय पर करों का लेखांकन” का अनुपालन किया है।

10.9.2 आस्थगित कर अस्तियों/देयताओं के मुख्य घटक निम्नानुसार है:

(रूपए करोडमें)

विषय	आस्थगित कर अस्तियाँ		आस्थगित कर देयताएं	
	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2013
1. स्थायी अस्तियों पर मूल्यहास	शून्य	शून्य	2.32	2.02
2. उपचित ब्याज लेकिन प्रतिभूतियों पर देय नहीं	शून्य	शून्य	166.16	119.36
3. धारा 36 1(8) के अंतर्गत विशेष रिजर्व	शून्य	शून्य	23.50	शून्य
4. वेतन संशोधन हेतु प्रावधान	55.43	10.69	शून्य	शून्य
5. अग्रेषित हानियाँ	59.61	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	115.04	10.69	191.98	121.38

10.9.3 विधिक-कर विशेषज्ञों की राय के आधार पर लेखा आय तथा प्रतिभूतियों के मूल्य पर आय कर की गणना के स्थायी अंतर पर बैंक ने विचार में किया है तथा तदनुसार रूपए 403.80 करोड़ (पूर्व वर्ष के रु 277.77 करोड़) की राशि की आस्थगित कर देयता के निर्माण को आवश्यक नहीं माना गया।

10.9.4 विधिक विशेषज्ञों की राय तथा अनुकूल न्यायिक अधिघोषणाओं को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा आयकर, फ्रिंज बनिफिट कर तथा आस्थगित कर के प्रावधान को पर्याप्त माना गया।

10.9.5 अपील प्राधिकारियों की निर्णायक निर्णय प्रणाली तथा कर विशेषज्ञों की राय के अनुसार विवादित आयकर, ब्याज कर की कुल राशि रूपए 477.79 करोड़ (पूर्व वर्ष में रु. 261.07 करोड़) की मांग का प्रावधान नहीं किया गया है।

10.9.6 भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 20.12.2013 के परिपत्र सं. डीबीओडी नं. बीपी. बीसी 77 / 21.04.018 / 2013-14 के अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1)(VIII) के अंतर्गत विशेष रिजर्व पर आस्थगित कर देयता निर्धारित की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र में अपेक्षित रु. 22.43 करोड़ की राशि के व्यय 31 मार्च, 2013 को विशेष रिजर्व पर आस्थगित कर देयता निर्धारित करते हुए, जो कि लाभ-हानि खाते में शामिल नहीं है, को इस रिजर्व से सीधे समायोजित कर लिया गया है।

10.9.7 कर परामर्शदाताओं के अनुसार बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए आयकर हेतु प्रावधान की संगणना के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1)(VIII) के अंतर्गत कटौतियों का दावा किया है जो कि रु.216.70 करोड़ के गैर-ग्रामीण अग्रिमों को बट्टे खाते डालने के संबंध में है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1)(VII) में स्पष्टीकरण 2 के साथ पठित धारा 36 (1)(VIIa) के अनुसार गैर-ग्रामीण अग्रिमों को अशोध्य ऋण बट्टे खाते में डालने से संबंधित है, लागू नहीं है। परिणामस्वरूप कर के पश्चात् न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) क्रेडिट पात्रता रु. 68.10 करोड़ तथा आस्थगित कर अस्ति रु. 59.61 करोड़ लाभ में वृद्धि हुई है। कर संबंधी कानूनी कार्यवाई में ऊपर संदर्भित कटौती के दावे पर बल देने के लिए प्रबंधन आशावादी है।

10.10 लेखा मानक 23- समेकित वित्तीय विवरणियों में सहायक संस्थाओं में निवेश हेतु लेखांकन

बैंक के पास किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं है। अतः एस 23 लागू नहीं है।

10.11 लेखा मानक 26- अमूर्त अस्तियाँ

बैंक में प्रयोग किया जा रहा एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर बैंक में ही तैयार किया गया है जो कि निश्चित समयावधि में विकसित किया गया है। अतः सॉफ्टवेयर की लागत बैंक के परिचालन व्यय का आवश्यक हिस्सा है। जैसे कि मजदूरी आदि तथा लाभ-हानि खाते में संबंधित व्यय शीर्ष में लेखांकित किया गया है।

10.8 AS 21 – Consolidated Financial Statement

The Bank does not have any subsidiary and as such AS 21 is not applicable.

10.9 AS 22 – Accounting for Taxes on Income

10.9.1 The Bank has accounted for Income Tax in compliance with Accounting Standard-22 'Accounting for taxes on Income' issued by ICAI.

10.9.2 Major components of deferred tax assets/liabilities are as under:

Head		Deferred Tax Assets		Deferred Tax Liabilities	
		31.03.2014	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2013
1	Depreciation on Fixed Assets	Nil	Nil	2.32	2.02
2	Interest accrued but not due on securities	Nil	Nil	166.16	119.36
3	Special Reserve u/s 36(1)(viii)	Nil	Nil	23.50	Nil
4	Provision for wage revision	55.43	10.69	Nil	Nil
5	Brought forward losses	59.61	Nil	Nil	Nil
	Total	115.04	10.69	191.98	121.38

10.9.3 Based on the opinion of tax expert, the bank has considered the difference between accounting income and computation of taxable income on valuation of securities as permanent and accordingly, deferred tax liability of Rs 403.80 crore (Previous Year Rs.277.77 crore) has not been considered necessary.

10.9.4 Provision for Income Tax, Deferred Tax and Fringe Benefit Tax held by the Bank is considered adequate taking into account the opinion of legal experts and favorable judicial pronouncements.

10.9.5 No provision has been considered necessary in respect of disputed demands of Income Tax, Fringe Benefit Tax and Interest Tax aggregating to Rs 477.79 crore Previous year (Rs.261.07 crore) in view of decisions of appellate authorities / judicial pronouncements / opinions of legal experts.

10.9.6 Pursuant to Reserve Bank of India's (RBI's) Circular No. DBOD. No. BP. BC.77/ 21.04.018/2013-14 dated 20.12.2013, Deferred Tax Liability on Special Reserve under section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961 has been created. As required by the said RBI Circular, the expenditure, amounting to Rs.22.43 crore due to creation of DTL on Special Reserve as at March 31, 2013, not previously charged to Profit & Loss Account, has now been adjusted directly from the Reserves. Had this amount been charged to Profit & Loss Account in accordance with the generally accepted accounting principles in India, the amount of Profit for the year had been lower for the year by such amount.

10.9.7 In computing the provision for Income Tax for the current Financial Year, based on the opinion of tax consultant, the bank has claimed the deduction under section 36(1)(vii) of the Income Tax Act 1961 in respect of write off of non-rural advances of Rs. 216.70 crore without adjusting the same with the unexhausted provision outstanding under section 36(1)(viia) of the Income Tax Act 1961 holding that proviso read with Explanation-2 to section 36(1)(vii) is not applicable to the bad debts written off of non-rural advances. This has resulted into increase in Profit after Tax, MAT credit entitlement by Rs.68.10 crore and Deferred Tax Asset by Rs.59.61 crore. The management is hopeful of enforcing its claim of above referred deduction in tax litigation.

10.10 AS 23 – Accounting for Investments in Associates in consolidated Financial Statements

The Bank does not have any subsidiary and as such AS 23 is not applicable.

10.11 AS 26 – Intangible Assets

The application software in use in the Bank has been developed in house and has evolved over a period of time. Hence, the costs of software is essentially part of Bank's operational expenses like wages etc. and as such are charged to the respective heads of expenditure in the Profit and Loss Account.

10.12 लेखा मानक 28— आस्तियों के अनर्जक होने संबंधी लेखांकन

लेखा मानक 28— में परिभाषित बैंक द्वारा धारित स्थिर आस्तियों को “निगमित आस्तियाँ” माना गया है न कि “नकदी निर्मित इकाईयाँ”। प्रबंधन की राय के अनुसार- 31.03.2014 तक समग्र राशि में स्थिर अनर्जक आस्तियाँ कोई नहीं हैं। अन्य आस्तियों के अनर्जक होने की स्थिति में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विशेष नियमों के तहत प्रावधान कर दिए गए हैं।

10.13 लेखा मानक—29 का अनुपालन- प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों का प्रावधान

10.13.1 लेखा मानक — 29 के अनुसार, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी प्रावधानों में आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों हेतु बैंक ने निम्न के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है :

- (क) पूर्व घटनाओं द्वारा उत्पन्न कोई संभाव्य देयता जिसका घटना या न घटना भविष्य में होने वाली किसी अनिश्चित घटना पर निर्भर है, पूर्णतः बैंक के नियंत्रण में नहीं है। और
- (ख) घटनाओं से उत्पन्न कोई वर्तमान देयता जिसको पहचाना नहीं गया है क्योंकि—
यह संभव नहीं है कि संसाधनों के बहिर्गमन से आर्थिक लाभ के दायित्वों का निपटान किया जा सके

या

देयता राशि का शतप्रतिशत अनुमान आंका नहीं जा सका है।

ऐसी देयताओं को आकस्मिक देयताओं के रूप में रिकार्ड किया गया है। इनका आंकलन निरंतर किया जाता है और देयताओं के केवल वह भाग जिनमें आर्थिक लाभ का परिलक्षण होता है का प्रावधान किया गया है सिवाय विशेष परिस्थितियों में जहाँ विश्वसनीय अनुमानों की पहचान नहीं हो सकी।

वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक आस्तियों की पहचान नहीं की गई है क्योंकि ये कभी पहचान में न आने वाली आय में परिवर्तित हो सकती हैं।

10.13.2 आकस्मिक देयताओं संबंधी प्रावधानों में घट-बढ़

(रु. करोड़ों में)

विवरण	प्रारंभिक भोश		वर्ष के दौरान परिवर्धन		वर्ष के दौरान कटौती		अथशेष	
	2013—14	2012—13	2013—14	2012—13	2013—14	2012—13	2013—14	2012—13
जिन्होंने बैंक ऋण की अभिस्वीकृति नहीं दी है, के विरुद्ध दावा	18.16	10.18	8.70	8.09	0.25	0.11	26.61	18.16
इन्वोकड बैंक गारंटी	3.87	3.36	3.00	1.60	0.43	1.09	6.44	3.87
हस्तांतरित साख-पत्र	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

10.13.3 अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों को लेखों के नोट वाले हिस्से में उपयुक्त स्थान पर प्रकट किया गया है।

11.1 अतिरिक्त प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

लाभ हानि खाते के व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान और आकस्मिक व्ययों का ब्यौरा	2013—14	2012—13
गैर—निष्पादित अग्रिमों हेतु प्रावधान	512.91	255.55
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	11.19	152.88
अंकित मूल्यों में कटौती हेतु प्रावधान पुनर्गठित (मानक)	9.01	50.80
गैर—निष्पादित निवेशों हेतु प्रावधान	8.42	0.00
निवेशों में मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	—3.11	—18.16
अन्य प्रावधान	15.79	11.09
कर—निर्धारण हेतु प्रावधान		
वर्तमान कर	186.54	149.66
आस्थगित कर	—57.25	—2.91
संपत्ति कर	0.48	0.55
न्यूनतम वैकल्पिक कर ऋण पात्रता	—186.54	0.00

10.12 Accounting Standard 28 - Impairment of Assets

Fixed Assets possessed by Bank are treated as 'Corporate Assets' and not 'Cash Generating Units' as defined by AS-28. In the opinion of the Management, there is no impairment of the 'Fixed Assets' of material amount as of 31.03.2014, requiring recognition in terms of AS-28 issued by the ICAI. The impairment of other assets has been provided for as per Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India.

10.13 Accounting Standard 29 - Provisions, Contingent Liability and Contingent Assets

10.13.1 As per AS-29 - Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes no provision for -

- a) Any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank, or
- b) Any present obligation from the past events but is not recognized because
 - It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or
 - A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as contingent liabilities. These are assessed continually and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realized.

10.13.2 Movement of Provision against Contingent Liabilities:

(Rs. in crore)

Particulars	Opening Balance		Additions during the year		Reduction during the year		Closing Balance	
	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
Claims against the Bank not acknowledged as Debt	18.16	10.18	8.70	8.09	0.25	0.11	26.61	18.16
Invoked Bank Guarantees	3.87	3.36	3.00	1.60	0.43	1.09	6.44	3.87
L.C Devolved	Nil	NIL	Nil	NIL	Nil	NIL	NIL	NIL

10.13.3 Movement of other significant provisions has been disclosed at the appropriate places in the Notes forming part of the accounts.

11.1 Additional disclosures:

(Rupees in crore)

Break up of 'Provisions & Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit & Loss Account	2013-14	2012-13
Provision for Non Performing Advances	512.91	255.55
Provision for Standard Assets	11.19	152.88
Provision for diminution in FV Restructured (Standard)	9.01	50.80
Provision for Non Performing Investments	8.42	0.00
Provision for Depreciation in the value of Investments	-3.11	-18.16
Other Provisions	15.79	11.09
Provision for Taxation:		
Current Tax	186.54	149.66
Deferred Tax	-57.25	-2.91
Wealth Tax	0.48	0.55
MAT Credit Entitlement	-186.54	0.00

अन्य	2.48	0.17
कुल	499.92	599.63

11.2 अस्थाई प्रावधानों में घट-बढ़

(रु. करोड़ में)

	2013—14	2012—13
अथ शेष	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान परिवर्धन	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान आहरण से गिरावट	शून्य	शून्य
इति शेष	शून्य	शून्य

11.3 आरक्षित निधि से आहरण

पुरानी प्रविष्टियों के दावेदारों को भुगतान करने के लिए सामान्य आरक्षित निधि खाते से रु. शून्य लाख (पिछले वर्ष रु. 0 लाख) की राशि का आहरण किया गया ।

11.4 ग्राहक शिकायतें

		2013—14	2012—13
क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	96	67
ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	1810	1567
ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	1871	1538
घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	35	96

11.5 बैंकिंग लोकपाल द्वारा निर्णीत मामले

		2013—14	2011—12
क)	वर्ष के आरंभ में गैर-क्रियान्वित निर्णयों की संख्या	1	2
ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा निर्णीत मामलों की संख्या	5	10
ग)	वर्ष के दौरान क्रियान्वित निर्णयों की संख्या	4	11
घ)	वर्ष के अंत में लंबित गैर-क्रियान्वित निर्णयों की संख्या	2	1

11.6 जमाओं, अग्रिमों, जोखिमों एवं एन.पी.ए. का केंद्रीकरण

11.6.1 जमाओं का केंद्रीकरण

(रु. करोड़ में)

	31.03.2014	31.03.2013
सबसे बड़े 20 जमाकर्ताओं की कुल जमा	22177.88	16661.05
बैंक की कुल जमा में सबसे बड़े 20 जमाकर्ताओं की जमा का प्रतिशत	26.17%	23.59%

11.6.2 अग्रिमों का केंद्रीकरण

(रु. करोड़ में)

	31.03.2014	31.03.2013
सबसे बड़े 20 ऋणियों/ग्राहकों को कुल अग्रिम	14203.61	12307.24
बैंक के कुल अग्रिम में सबसे बड़े 20 ऋणियों/ग्राहकों को अग्रिम का प्रतिशत	24.56%	22.21%

Others	2.48	0.17
Total	499.92	599.63

11.2 Movement of Floating Provisions

(Rupees. in crore)

	2013-14	2012-13
Opening Balance	Nil	Nil
Additions during the year	Nil	Nil
Draw down during the year	Nil	Nil
Closing Balance	Nil	Nil

11.3 Draw down from Reserve

A sum of Rs.Nil lacs(previous year Rs. Nil lacs has been drawn from the General Reserve on account of payment to the claimant of old entries.

11.4 Customer's Complaints:

		2013-14	2012-13
a)	No. of Complaints pending at the beginning of the year	96	67
b)	No. of Complaints received during the year	1810	1567
c)	No. of Complaints redressed during the year	1871	1538
d)	No. of Complaints pending at the end of the year	35	96

11.5 Awards Passed by the Banking Ombudsman:

		2013-14	2012-13
a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	1	2
b)	No. of Awards passed by Banking Ombudsman during the year	5	10
c)	No. of Awards implemented during the year	4	11
d)	No. of unimplemented Awards pending at the end of the year	2	1

11.6 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs**Concentration of Deposits**

(Rupees. In crore)

	31.03.2014	31.03.2013
Total Deposits of twenty largest depositors	22177.88	16661.05
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits	26.17%	23.59%

11.6.2 Concentration of Advances

(Rupees. in crore)

	31.03.2014	31.03.2013
Total Advances to twenty largest borrowers	14203.61	12307.24
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances	24.56%	22.21%

11.6.3 जोखिमों का केंद्रीकरण

(रु. करोड़ में)

	31.03.2014	31.03.2013
सबसे बड़े 20 ऋणियों/ग्राहकों पर कुल जोखिम	16248.41	12604.70
बैंक के ऋणियों/ग्राहकों पर कुल जोखिम में सबसे बड़े 20 ऋणियों/ग्राहकों पर कुल जोखिम का प्रतिशत	28.09%	21.26%

11.6.4 एन.पी.ए. का केंद्रीकरण

(रु. करोड़ में)

	31.03.2014	31.03.2013
सबसे बड़े चार एन.पी.ए. खातों पर कुल जोखिम	488.90	321.59

11.7 क्षेत्रवार एन.पी.ए.

क्र.सं.	क्षेत्र	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में एन.पी.ए.का प्रतिशत	
		31.03.2014	31.03.2013
1.	कृषि एवं संबंधित गतिविधियाँ	3.32	2.09
2.	उद्योग (सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम एवं बड़े)	6.47	3.24
3.	सेवा क्षेत्र	3.28	2.93
4.	व्यक्तिगत ऋण	5.59	2.52

11.8 एन.पी.ए. में उतार-चढ़ाव

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
1 अप्रैल को सकल एन.पी.ए. (अथ शेष)	1536.90	763.44
वर्ष के दौरान परिवर्धन (नए एन.पी.ए.)	1619.61	1093.60
उप.योग (क)	3156.51	1857.04
घटा : i) उन्नयन	187.19	153.55
ii) वसूलियाँ (उन्नयन खातों से की गई वसूली के अतिरिक्त)	211.32	116.98
iii) बट्टे खातों में डालना	204.48	49.61
उप-योग ख)	602.99	320.14
31 मार्च को सकल एन.पी.ए.(इति शेष) (क-ख)	2553.52	1536.90

11.9 विदेशी आस्तियाँ, एन.पी.ए. एवं राजस्व

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
कुल आस्तियाँ	148.57	270.97
कुल एन.पी.ए.	0	0
कुल राजस्व	0.57	0.45

11.6.3 Concentration of Exposures

(Rupees. in crore)

	31.03.2014	31.03.2013
Total Exposure to twenty largest borrowers/ customers	16248.41	12604.70
Percentage of Exposure to twenty largest borrowers/ customers to Total Exposure of the bank on borrowers/ customers	28.09%	21.26%

11.6.4 Concentration of NPAs

(Rupees. in crore)

	31.03.2014	31.03.2013
Total Exposure to top four NPA Accounts	488.90	321.59

11.7 Sector-wise NPAs

S. No.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that sector as on	
		31.03.2014	31.03.2013
1.	Agricultural & allied activities	3.32	2.09
2.	Industry (Micro & Small, Medium and Large)	6.47	3.24
3.	Services	3.28	2.93
4.	Personal Loans	5.59	2.52

11.8 Movement of NPAs

(Rupees. in crore)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
Gross NPAs as on 1 st April (Opening Balance)	1536.90	763.44
Additions (Fresh NPAs) during the year	1619.61	1093.60
Sub-total (A)	3156.51	1857.04
Less: (i) Up-gradations	187.19	153.55
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from up-graded accounts)	211.32	116.98
(iii) Write-offs	204.48	49.61
Sub-total (B)	602.99	320.14
Gross NPAs as on 31st March (closing balance) (A-B)	2553.52	1536.90

11.9 Overseas Assets, NPAs and Revenue

Rupees. in crore)

Particulars	31.03.2014	31.03.2013
Total Assets	148.57	270.97
Total NPAs	0	0
Total Revenue	0.57	0.45

11.10 तुलन-पत्र से इतर प्रायोजित एस.पी.वी.

(रुपए करोड़ में)

प्रायोजित एस.पी.वी. का नाम			
घरेलू		विदेश	
31.03.2014	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2013
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

- 12- नवम्बर, 2012 से प्रभावी वेतन संशोधन के खाते पर उदित आस्तियों की प्राप्ति के लिए 131.63 करोड़ (गत वर्ष 32.96 करोड़ रुपए), रु. के तदर्थ (एड-होक) प्रावधान किए गए हैं। अपेक्षित सूचना के अभाव में, देयता का पता नहीं लगाया जा सका तथा अस्थाई रूप से उपलब्ध कराया गया है।

13. एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की भातों के अनुसार प्रकटीरण

सूक्ष्म और लघु उद्यमों से कय की गई चल सम्पत्ति से संबंधित सूचना का विवरण

क.सं.	विवरण	मूल राशि	ब्याज
1.	मूलधन तथा उस पर देय ब्याज (अलग से दर्शाया जाए) 31/03/2014 की स्थिति के अनुसार किसी आपूर्तिकर्ता को अप्रदत्त है।	शून्य	शून्य
2.	आपूर्तिकर्ता को वर्ष 2013-14 के दौरान नियत दिन के अलावा किए गए भुगतान की राशि के साथ एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार खरीददार द्वारा प्रदत्त ब्याज की राशि	शून्य	शून्य
3.	भुगतान में हुई देरी की अवधि के लिए देय तथा बकाया ब्याज (जो अदा कर दिया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत तिथि के अलावा) लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट ब्याज को शामिल किए बिना	शून्य	शून्य
4.	दिनांक 31/03/2014 की स्थिति के अनुसार उपचित ब्याज तथा शेष अप्रदत्त राशि	शून्य	शून्य
5.	उत्तरवर्ती वर्षों में देय तथा अतिरिक्त शेष ब्याज की राशि, जहाँ तक कि उपयुक्त देय ब्याज वास्तव में लघु उद्यमी को अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से अदा कर दिया जाता है।	शून्य	शून्य

- 14- जहाँ सूचना उपलब्ध नहीं थी, को छोड़कर और जहाँ आवश्यक था पिछले वर्ष के आँकड़ों को पुनः व्यवस्थित/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

11.10 Off-Balance Sheet SPVs sponsored by Banks

(Rupees. in crore)

Name of the SPV sponsored			
Domestic		Overseas	
31.03.2014	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2013
Nil	NIL	Nil	Nil

12. An ad-hoc provision of Rs 131.63 crore(previous year Rs.32.96 crore) has been made to meet the likely liability arising on account of Wage Revision effective from November 2012. In absence of requisite information, liability could not be ascertained and has been provisionally provided for.

13. Disclosures in Terms of MSMED Act 2006

Details of information relating to purchase of moveable property from Micro and Small Enterprises:

S. No.	Particulars	Principal Amount	Interest
1	The principal amount and the interest due thereon (to be shown separately) remaining unpaid to any supplier as on 31/03/2014	NIL	NIL
2	The amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of the MSMED Act, along with the amount of the payment made to the supplier beyond the appointed day during the year 2013-14	NIL	NIL
3	The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under this Act;	NIL	NIL
4	The amount of interest accrued and remaining unpaid as on 31/03/2014	NIL	NIL
5	The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise , for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under section 23 of the Act.	NIL	NIL

14. The figures of the previous year have been re-grouped / re-arranged wherever necessary except where information was not available.

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार नकदी प्रवाह विवरणी

(क) परिचालन गतिविधियों के अंतर्गत नकदी प्रवाह	31.03.2014	31.03.2013
लाभ-हानि खाते के अनुसार निवल लाभ / (हानि)	3006264	3392202
समायोजन हेतु		
प्रावधान और आकस्मिक व्यय	4999155	5996289
मूल्यहास (निवल)	237688	229372
आस्तियों की बिक्री पर लाभ	-1505	-1239
बाण्ड, पीसीपीएस तथा आईपीडीआई पर ब्याज	1727740	1696705
	-234960	0
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि	-20000	-20000
कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ	9714382	11293329
समायोजन हेतु		
निक्षेपों में वृद्धि / (कमी)	140886623	75175239
उधारों में वृद्धि / (कमी)	-2350084	-8422775
अन्य देयताओं में वृद्धि / (कमी)	-2654398	3748637
निवेशों में वृद्धि / (कमी)	-57569407	-24601899
अग्रिमों में वृद्धि / (कमी)	-63213305	-55859191
अन्य आस्तियों में वृद्धि / (कमी)	-128311	-1628469
परिचालन गतिविधियों (क) से नकद प्रवाह-	24685500	-259129
(ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अचल आस्तियों में वृद्धि	-581667	-816187
आस्तियों की बिक्री पर लाभ	1505	1239
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ख)	-580162	-814948
(ग) वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
इक्विटी शेयरों को जारी करना (आईपीओ)(अंकित मूल्य)	212630	198132
उस पर प्राप्त शेयर प्रीमियम	787370	1201868
सार्वजनिक निर्गम व्यय	-2188	-2500
गौण बाण्ड जारी करना	0	0
गौण बाण्ड का मोचन	0	0
गौण बाण्ड पर ब्याज, पीसीपीएस एण्ड आईपीडीआई	-1727740	-1696705
पीएनसीपीएस पर लाभांश	-785625	-850770
लाभांश आबंटन कर	-133517	-138017
(ग) वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह	-1649070	-1287999
परिचालन गतिविधियों से नकदी -	24685500	-259129
निवेश गतिविधियों से नकदी -	-580162	-814948
वित्तीय गतिविधियों से नकदी	-1649070	-1287999
नकदी व नकदी समतुल्य में वृद्धि -	-22456268	-2362076
बैंक शेष व नकदी (प्रारंभिक)	40792107	43154183
बैंक शेष व नकदी (अंतिम)	63248375	40792107

Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2014

(Rupees. in thousands)

A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES	31.03.2014	31.03.2013
Net Profit/ (Loss) as per Profit & Loss Account	3006264	3392202
Adjustments for:		
Provisions & Contingencies	4999155	5996289
Depreciation (Net)	237688	229372
Profit on sale of assets	-1505	-1239
Interest on Bonds, PCPS and IPDI	1727740	1696705
Deffered Tax Liability	-234960	0
Corporate Social Responsibility Fund	-20000	-20000
Operating Profit before working capital changes	9714382	11293329
Adjustments for:		
Increase / (Decrease) in Deposits	140886623	75175239
Increase / (Decrease) in Borrowings	-2350084	-8422775
Increase / (Decrease) in Other Liabilities	-2654398	3784637
(Increase) / Decrease in Investments	-57569407	-24601899
(Increase) / Decrease in Advances	-63213305	-55859191
(Increase) / Decrease in Other Assets	-128311	-1628469
Cash Flow from Operating Activities (A)	24685500	-259129
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
Increase in Fixed Assets	-581667	-816187
Profit on sale of assets	1505	1239
Cash Flow from Investing Activities (B)	-580162	-814948
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Issue of Equity Shares (IPO) (Face Value)	212630	198132
Share Premium received thereon	787370	1201868
Public Issue Expenses	-2188	-2500
Issue of Subordinated Bonds	0	0
Redemption of Subordinated Bonds	0	0
Interest on Bonds, PCPS and IPDI	-1727740	-1696705
Dividend on Equity & PNCPs	-785625	-850777
Dividend Distribution Tax	-133517	-138017
Cash Flow from Financing Activities (C)	-1649070	-1287999
Cash from Operating Activities	24685500	-259129
Cash from Investing Activities	-580162	-814948
Cash from Financing Activities	-1649070	-1287999
Increase in Cash & Cash Equivalents	22456268	-2362076
Cash and Bank Balances (Opening)	40792107	43154183
Cash and Bank Balances (Closing)	63248375	40792107

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
महामहिम राष्ट्रपति महोदय

- हमने पंजाब एण्ड सिंध बैंक के 31 मार्च, 2014 की वित्तीय विवरणियों जिनमें तुलन-पत्र तथा इस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए बैंक के लाभ-हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरणी सहित लेखों से संबंधित टिप्पणियों का लेखा परीक्षण किया है। इन वित्तीय विवरणियों में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाएँ तथा शाखाओं के लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षित 441 शाखाएँ हैं। हमारे तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मानदंडों के अनुसार किया है। तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि खाते में 869 शाखाओं से भेजी गई विवरणियाँ शामिल हैं जो लेखा परीक्षण के अधीन नहीं हैं। इन अपरीक्षित शाखाओं में अग्रिमों का प्रतिशत 9.60 प्रतिशत, जमा राशियों का 22.86 प्रतिशत, अग्रिमों पर ब्याज आय का 5.93 प्रतिशत तथा जमा राशियों पर दिए गए ब्याज व्ययों का 19.67 प्रतिशत हिस्सा बनता है।

वित्तीय विवरणियों के लिए बैंक प्रबंधन का उत्तरदायित्व

- बैंक प्रबंधन इन वित्तीय विवरणियों को लेखा मानकों के अनुसार तैयार करने के लिए उत्तरदायी है जोकि बैंकिंग कानून के अनुसार तथा भारत में स्वीकार्य है। उत्तरदायित्व में डिजाइन, कार्यान्वयन तथा वित्तीय विवरणियों को तैयार करने हेतु आंतरिक नियंत्रण जो कि यथार्थ के अकथन, धोखाधड़ी या गलती के कारण हो सकता है, सम्मिलित है।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

- हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों पर राय देना हमारा उत्तरदायित्व है। हमने अपना लेखा परीक्षण सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों के अनुरूप यह वांछनीय है कि हम लेखा परीक्षण हेतु नैतिक आवश्यकताओं का ध्यान रखें और इस प्रकार योजना बनाएं एवं इसे पूर्ण करें ताकि यह विश्वास हो सके कि वित्तीय विवरणियों में कोई भी कमी नहीं है।
- लेखा परीक्षण में प्रयोगात्मक आधार पर की गई जांच सम्मिलित है कि वित्तीय विवरणियों में दी गई तथा राशियों संबंधी साक्ष्य, सूचनाएँ सही हैं। अपनाई गई प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर होती है जिसमें वित्तीय विवरणियों के विशय में दी गई गलत सूचना का आकलन सम्मिलित है जो धोखाधड़ी या गलती के कारण हो सकता है। लेखा परीक्षक परिस्थितियों के अनुरूप जोखिम भरा आकलन करने के लिए आंतरिक नियंत्रण तथा वास्तविक प्रस्तुतिकरण पर विचार करता है न कि बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविता पर विचार व्यक्त करने के उद्देश्य से। लेखा परीक्षण में प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण अनुमान एवं वित्तीय विवरणों का विवरण शामिल रहता है।
- हमें विश्वास है कि हमने लेखा परीक्षण में जो साक्ष्य प्राप्त किए हैं सामान्यता पूर्ण हैं और हमारे पक्ष के लिए एक उपयुक्त आधार हैं।

विषय का महत्व

- हमारी रिपोर्ट की विशेषता बताए बिना हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :
 - नोट संख्या 1.1, 1.2 और 1.3 आय, व्यय, आस्तियों और देयताओं के विभिन्न खातों की बकाया मदों के शेषों/निकासी पहचान/समायोजित न होने के कारण इसके प्रभाव की आवश्यकता को निर्धारित नहीं किया जा सका है।
 - अपील में विलंबित विवादित कर देयताओं के संबंध में नोट सं. 10.9.3, जिसका प्रभाव निश्चित नहीं है।
 - नोट सं. 10.9.5 जो कि लेखांकन बही के अनुसार निवेश मूल्य पर विविध खाता पर अंतर के संबंध में 477 79 करोड़ रु. की आस्थगित कर देयताओं के सृजन न करने तथा आयकर अभिकलन के लिए अंतर पर विचार करते हुए स्थाई होगा।
 - वित्तीय विवरणियों का नोट सं. 10.9.6 जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 20 दिसंबर, 2013 के परिपत्र सं. डीबीओडी सं. बीपी. बीसी. 77/21.04.018/2013-14 के आधार पर दिनांक 31 मार्च, 2014 के अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (अपप) के अंतर्गत विषेश आरक्षितियों पर सृजित आस्थगित कर देयता पर व्ययों के लेखांकन पर वर्णित है।
 - बैंक की पूंजी पर्याप्तता बासल-i तथा बासल-ii अन्य अनुपात जिन्हें बैंक द्वारा लेखों में सूचित किया गया है, खातों पर टिप्पणियाँ, लेखा नितियों और उक्त परिच्छेद 6(i) से (iii) पर हमारी टिप्पणियों के अनुसार किए गए समायोजनों के अनुरूप हैं।
 - वित्तीय विवरणी का नोट 10.4.1, जो सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प के पुनः खोलने एवं ग्रेच्युटी की सीमा में वृद्धि - प्रमुख नियामक उपचार पर, बैंक की पेंशन एवं ग्रेच्युटी देयता, कर्मचारियों हेतु लाभ पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To

The President of India

Report on the Financial Statements of Punjab & Sind Bank

1. We have audited the accompanying financial statements of Punjab & Sind Bank as at 31st March, 2014, which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2014, and Profit and Loss Account and the cash flow statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches audited by us and 441 branches audited by branch auditors. The branches audited by us and those audited by other branch auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss are the returns from 869 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 9.60 per cent of advances, 22.86 per cent of deposits, 5.93 per cent of interest income and 19.67 per cent of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with accounting standards generally accepted in India and applicable banking laws. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.
4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
5. We believe that the audit evidence we have obtained is generally sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Emphasis of matter:

6. Without qualifying our report, we draw attention to:
 - (i) Note no. 1.1, 1.2 and 1.3 regarding non reconciliation of balances and clearances/identification of outstanding items in respect of various accounts of income, expenditure, assets and liabilities, the impact of which is not ascertainable.
 - (ii) Note no. 10.9.3 regarding disputed tax liabilities pending in appeals, the effect of which is not ascertainable.
 - (iii) Note no.10.9.5 regarding non creation of deferred tax liability of Rs. 477.79 crore in respect of difference on account of variation on the value of investment as per the books of account and for the income tax computation considering the difference to be permanent.
 - (iv) Note no. 10.9.6 to the financial statements, which describes the accounting treatment of the expenditure on creation of Deferred Tax Liability on Special Reserve under section 36[1](viii) of the Income Tax Act, 1961 as at 31st March 2014, pursuant to RBI's Circular No. DBOD. No. BP. BC.77/21.04.018/ 2013-14 dated 20th December 2013.
 - (v) Capital adequacy as per Basel – II and Basel – III and other ratios disclosed in the accounts by the bank are subject to adjustment arising out of the Notes on accounts, accounting policies and our remarks in Para 6 (i) to (iii) above.
 - (vi) Note no. 10.4.1 regarding deferment, amortization and carry forward of pension and gratuity liability of the bank pursuant to the exemption granted by Reserve Bank of India to the public sector bank from application of provisions of Accounting Standard (AS) 15 `Employees Benefits` (revised 2005) vide its circular no.

दिनांक 9 फरवरी, 2011 सं. डीबीओडी नं.बीपी.बीसी.80/21.04.018/2010-11 के अनुसार लेखा मानकों (एएस) 15 के प्रावधानों के अनुपालन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को छूट है।

7. हमारी राय में जैसा कि बैंक के बहियों में दर्शाया गया है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम यह सूचित करते हैं कि :
 - 1) प्रमुख लेखा नीतियों तथा उन पर हमारी टिप्पणियों सहित पठनीय तुलन-पत्र एक पूर्ण एवं विशुद्ध तुलन पत्र है जिसमें आवश्यक विवरण निहित हैं तथा इसे उचित ढंग से तैयार किया गया है जिसमें बैंक के 31 मार्च 2014 के मामलों का उचित उल्लेख है जो कि भारत में स्वीकार्य लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप है।
 - 2) लाभ हानि खाता एवं प्रमुख लेखा नीतियों तथा हमारी टिप्पणियों के साथ पठनीय 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए वास्तविक लाभ शेष को दर्शाता है।
 - 3) नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2013 तक के वास्तविक नकदी प्रवाह को दर्शाता है।
 अन्य विधिक तथा विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट
8. तुलन पत्र और लाभ हानि खाते, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की तृतीय अनुसूची में दिए फार्म क्रमशः "क" तथा "ख" में तैयार किए गए हैं।
9. उपरोक्त 1 से 5 तक परिच्छेदों में लेखा परीक्षा के आधार पर तथा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 तथा उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन तथा लेखा नीतियों और लेखा संबंधी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - क) जो सूचनाएं और स्पष्टीकरण हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षण हेतु आवश्यक थे, हमने वे सभी सूचनाएं प्राप्त की हैं और इन्हें संतोषजनक पाया है।
 - ख) बैंक के ऐसे सभी लेन-देन जो हमारी जानकारी में आए हैं जो बैंक के अधिकारों के अंतर्गत थे।
 - ग) बैंक के कार्यालयों/शाखाओं से प्राप्त विवरणियों को सामान्यतः लेखा परीक्षण हेतु उपयुक्त पाया गया है।
10. हमारी राय में, तुलन-पत्र, लाभ-हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरणी लागू लेखा मानकों के अनुसार हैं।

समतिथि पर हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते आर.एम.लाल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

(आर.पी.तिवारी)

साझेदार

एम.नं. 071448

एफआरएन 000932सी

कृते ओ.पी.तुलसीयान एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

(राकेश अग्रवाल)

साझेदार

एम. नं. 081808

एफआरएन 500028एन

कृते बी.के. श्रौफ एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

(एल.के.श्रौफ)

साझेदार

एम.नं. 060742

एफआरएन 302166ई

कृते आर. कोठारी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

(राजेश कुमार)

साझेदार

एम.नं.090865

एफआरएन 307069ई

नई दिल्ली

दिनांक: 10मई, 2014

DBOD.BP.BC/80/21.04.018/2010-11 dated 09.02.2011 of Re-opening of pension option to the Employees of public sector banks and enhancement in gratuity limits – Prudential regulatory treatment.

(vii) Note No.10.9.7, which describes uncertainty relating to the allowability of claim of bad debts by the Income Tax Authorities vis- a- vis to the stand taken by the bank based on expert independent opinion.

7. In our opinion, as shown by books of bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us we further report that:

(i) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March 2014 in conformity with accounting principles generally accepted in India;

(ii) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

(iii) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms “A” and “B” respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, read with Notes on Accounts attached and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

(a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.

(b) The transactions of the Bank, which have come to our notice have been within the powers of the Bank.

(c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

10. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

For R. M. Lall & Co.
Chartered Accountants

For O. P. Tulsyan & Co.
Chartered Accountants

(R. P. Tewari)
Partner
M. No. 071448
FRN : 000932C

(Rakesh Agarwal)
Partner
M. No. 081808
FRN : 500028N

For B. K. Shroff & Co.
Chartered Accountants

For R. Kothari & Co.
Chartered Accountants

(L. K. Shroff)
Partner
M. No. 060742
FRN : 302166E

(Rajesh Kumar)
Partner
M. No. 090865
FRN : 307069E

NEW DELHI
May 10, 2014



पंजाब एण्ड सिंध बैंक,
(भारत सरकार का उपक्रम)

प्र.का.21 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली 110008

घोषणा का प्रारूप (उम्मीदवार द्वारा)

मैं, पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....निवासी.....यह घोषणा करता हूं / करती हूं कि.

- क) मैं दिनांक 30 मई 2014 अर्थात् चुनाव में भाग लेने के लिए अंतिम तिथि, को बैंक केइक्विटी शेयरों का धारक हूं।
- ख) मैं जिन व्यावहारिक अनुभव की विशेष जानकारी रखता हूं (i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहभागिता (iv) अर्थव्यवस्था (v) वित्त (vi) विधि (vii) लघु उद्योग, अथवा.....(विशेष जानकारी और व्यवहारिक अनुभव जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिमत है बैंक के लिए उपयोगी होगा) और मैं जमाकर्ता या कृषक, कामगार और कारीगर के हितों का प्रतिनिधित्व नियम की धारा 9 की उप धारा 3 , के अनुसार करता हूं और साक्ष्य के रूप में मैं संबंधित प्रमाण-पत्र यहां प्रस्तुत कर रहा हूं
- ग) मैं नामांकन क्रम.....को स्वीकार करता हूं और
- घ) मैं पंजाब एण्ड सिंध बैंक के निदेशक के चुनाव में भाग लेना चाहता हूं, और
- ङ) मैं बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) नियम 1980, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 यथा संशोधित और पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर्स एवं बैठक) विनियम 2008 में दिए गए प्रावधान के अंतर्गत बैंक के निदेशक के लिए अयोग्य नहीं हुआ हूँ तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए "फिट एण्ड प्रोपर" मानदण्डों के अनुसार समुचित हूँ देखे परिपत्र संख्या डीबीओडी नं. बीसी नं.46/29.39.001/ 2007.2008, 47/29.39.001/ 2007.08 दोनों दिनांक 01.11.2007 तथा डीबीओडी न.बी.सी.न. 952939001 दिनांक 23.05.11.
- च) मैं किसी भी कार्यालय से लाभ प्राप्त नहीं करता और न ही मैं किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या स्टेट बैंक आफ इण्डिया विधि सम्मत धारा 3 की उप धारा (1) के अंतर्गत स्टेट बैंक आफ इण्डिया नियम 1955, या अन्य किसी सहायक बैंक यथा स्टेट बैंक आफ इण्डिया (सहायक बैंक) नियम, 1959 की धारा 3 में दिए गए नियमों के तहत किसी बैंक का कार्मिक नहीं हूँ।
- छ) निदेशकों के चुनाव के लिए दिए गए दिनांक 19 मई 2014 के नोटिस में दिए गए तथ्यों की पुष्टि करता हूँ।
- ज) मैं घोषित करता हूँ कि मैं आकस्मिक तथ्यों के विषय में बैंक को जितना शीघ्र होगा जानकारी दूंगा, यदि कोई है, जिससे इस घोषणा पर अनुवर्ती कार्रवाई हो सके जो कि यहां दी गई जानकारी से संबंधित हो।



Punjab & Sind Bank

(A Government of India Undertaking)

Head Office: 21-Rajendra Place,
New Delhi-110 008.

Annexure-”A’

FORMAT OF DECLARATION (BY CANDIDATE)

I, _____ son / daughter /wife of Shri _____ a resident of _____ hereby confirm that:

- A) I am a Shareholder holding _____ equity shares of the Bank as on **30th May, 2014** (i.e.), the Cut-Off date for participating in the Election.
- B) *I have special knowledge or practical experience in [**i] agriculture and rural economy, [ii] banking [iii] co-operation [iv] economics [v] finance [vi] law, [vii]small scale industry, or** _____ [special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank] and I represent the interest of the **depositors or farmers, workers and artisans**, in terms of Sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof I submit herewith the relevant testimonial and
- C) I accept the nominations numbering _____ and
- D) I am willing to contest the election for Director of Punjab & Sind Bank, and
- E) I am not disqualified from being a Director of the Bank under the provisions of The Banking Regulation Act 1949, The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1980, Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1980 as amended and Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations 2008 and "Fit and Proper" criteria as laid down by Reserve Bank of India vide Circular No. DBOD. No. BC. No.46/29.39.001/ 2007-08, 47/29.39.001/ 2007-08, both dated 01.11.2007 and DBOD. No. BC.No. 95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011.
- F) I neither hold any office of profit nor am I an employee of any nationalized bank or State Bank of India constituted under Sub-Section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act 1955, or any subsidiary bank as defined by Section 3 of the State Bank of India (subsidiary Banks)Act, 1959.
- G) I hereby confirm having gone through the contents of the notice dated 19th May 2014 for election of directors.
- H) I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the deed of covenants upon my election as a director of the Bank.

नाम	
पंजी. पत्रा नं. (यदि अभौतिक नहीं है)	
डीपी आईडी नं. एवं ग्राहक आईडी नं (यदि अभौतिक है)	
स्थान:	
दिनांक	
हस्ताक्षर	
संपर्क नं.	
पता/ई.मेल का पता	

उपर्युक्त घोषणा मेरे समक्ष हस्ताक्षर की गई है

(न्यायधीश/मजिस्ट्रेट/रजिस्ट्रार/सब
रजिस्ट्रार के मुहर सहित हस्ताक्षर
या किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी
या रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया,
पंजाब एण्ड सिंध बैंक या किसी
राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के मुहर
सहित हस्ताक्षर)

मुहर सहित हस्ताक्षर एवं तिथि

*जो लागू न हो उसे काट दें

Name	
Regd. Folio No. [If not dematerialized]	
DP ID No. & Client ID No. [If dematerialized]	
Place	
Date	
Signature	
Contact No.	
Address/email address	

The above declaration was signed before me.

(Signature with seal of the Judge, Magistrate,
Registrar/ Sub-Registrar of Assurances or
any other Gazetted Officer or an Officer of
the Reserve Bank of India, Punjab & Sind Bank
or any Nationalised Bank.)

Signature with seal& Date.

*Delete whichever is not applicable.

बैंक का नाम:

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

निदेशक द्वारा घोषणा एवं वचन

(_____ के अनुसार उपयुक्त अनुलग्नकों सहित)

1.		निदेशक का व्यक्तिगत ब्यौरा	
	क.	पूरा नाम	
	ख.	जन्म तिथि	
	ग.	शैक्षिक योग्यता	
	घ.	संबंधित पृष्ठभूमि तथा अनुभव	
	ङ.	स्थायी पता	
	च.	वर्तमान पता	
	छ.	ई-मेल पता/ टेलिफोन नंबर	
	ज.	आयकर अधिनियम के अंतर्गत पैन न. तथा आयकर सर्कल का नाम व पता	
	झ.	संबंधित जानकारी एवं अनुभव (बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण की धारा 9 (3-ए) अधिनियम 1970,1980	
	ड.	बैंक के निदेशक पद से संबंधित कोई अन्य जानकारी	
II		निदेशक के रिश्तों संबंधी जानकारी	
	क.	बैंक से संबंधित रिश्तेदारों यदि कोई है, की सूची (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 6 तथा अनुसूची 1 ए देखें)	
	ख.	संस्थाओं की सूची यदि कोई है तो जिसमें उसका हित हो (देखें. धारा 299 (3) तथा धारा 300	
	ग.	संस्थाओं की सूची यदि कोई है तो जिसमें उसका पर्याप्त हित हो (बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5 के अंतर्गत दी गई परिभाषा के अनुसार	
	ङ.	बैंक का नाम जिसके बोर्ड में वह सदस्य है (उस कार्यालय की अवधि का पूरा ब्यौरा दें)	
	च.	उनके द्वारा तथा/ अथवा उपर्युक्त II (बी) तथा (सी) में सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा उपयोग की गई फण्ड तथा नॉन फण्ड सुविधाएं यदि कोई है तो	
	छ.	ऐसे मामले जहां निदेशक अथवा उपर्युक्त II (बी) तथा (सी) में सूचीबद्ध संस्थाएं चूककर्ता हैं या बैंक से अथवा किसी अन्य बैंक से ऋण सुविधाओं के मामले में चूककर्ता रही हैं ।	

Annexure-”B”

Name of Bank :		PUNJAB & SIND BANK
Declaration and Undertaking by Director*		
(with enclosures as appropriate as on _____)		
I.	Personal details of director	
a.	Full name	
b.	Date of Birth	
c.	Educational Qualifications	
d.	Relevant Background and Experience	
e.	Permanent Address	
f.	Present Address	
g.	E-mail Address / Telephone Number	
h.	Permanent Account Number under the Income Tax Act and name and address of Income Tax Circle	
i.	Relevant knowledge and experience (Refer Section 9(3-A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980	
j.	Any other information relevant to Directorship of the Bank	
II	Relevant Relationships of director	
a.	List of Relatives if any who are connected with the Bank (Refer Section 6 and Schedule 1A of the Companies Act, 1956)	
b.	List of entities if any in which he/she is considered as being interested (Refer Section 299(3)(a) and Section 300 of the	
c.	List of entities in which he/she is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949 proposed and existing	
d.	Name of Bank in which he/she is or has been a member of the board (giving details of period during which such office was held)	
e.	Fund and non-fund facilities, if any, presently availed of by him/her and/or by entities listed in II (b) and (c) above from the bank	
f.	Cases, if any, where the director or entities listed in II (b) and (c) above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the bank or any other bank.	

III		व्यवसायिक उपलब्धियों का रिकार्ड	
		क. व्यवसायिक उपलब्धियों से संबंधित	
IV		निदेशक के विरुद्ध कोई कार्यवाही	
	क	यदि कोई निदेशक व्यावसायिक संस्था / निकाय का सदस्य है तथा उसके विरुद्ध यदि कोई मामला लंबित है अथवा प्रारम्भ हुआ है या पूर्व में दोषी ठहराया गया हो या किसी व्यावसाय में किसी समय उन्हे प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली हो तो उसकी अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण दें।	
	ख	अभियोग का विवरण, निदेशक तथा /उपरोक्त मद II (ख)(ग) में सूचीबद्ध संस्थाओं के विरुद्ध आर्थिक विधि एवं विनियमनों को भंग करने का कोई मामला लंबित है अथवा प्रारम्भ हुआ है या पूर्व में दोषी ठहराया गया हो।	
	ग	अपराधिक मामलों का ब्यौरा यदि कोई मामला निदेशक के विरुद्ध लंबित है अथवा प्रारम्भ हुआ है या पूर्व में दोषी ठहराया गया हो।	
	घ	क्या निदेशक कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 के अंतर्गत अयोग्य घोषित किया गया है।	
	ङ	क्या निदेशक या उपरोक्त मद II(ख) तथा (ग) का कोई निकाय किसी सरकारी विभाग अथवा एजेंसी की जांच के घेरे में है	
	च	क्या निदेशक को किसी भी समय सीमाशुल्क द्वारा विधायी अपेक्षाओं/आयकर/ विदेशी विनियम/अन्य राजस्व प्राधिकरण के नियमों विनियमनों को भंग करने का दोषी पाया गया है	
	छ	क्या निदेशक को किसी भी समय सेबी,आईआरडीए,डीसीए को कोई प्रतिकूल नोटिस प्राप्त हुआ है।	
V		उपरोक्त मद संख्या I से III के संबंध में कोई अन्य स्पष्टीकरण/सूचना तथा अन्य कोई संबंधित सूचना जो इसे उपयुक्त पाने में सहायक हो।	
		वचन	
		मैं पुष्टि करता हूं कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी के अनुसार पूर्ण एवं सही है। मैं वचन देता हूं कि अपनी नियुक्ति के बाद मैं उपरोक्त प्रस्तुत की गई सूचना से संबंधित किसी भी परिवर्तन को समय रहते बैंक को सूचित करता रहूंगा। मैं यह भी वचन देता हूं कि मैं बैंक के समस्त निदेशकों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अनुबंध विलेख को निष्पादित करूंगा।	
स्थान:		निदेशक के हस्ताक्षर	
दिनांक:			
vi बैंक की नामांकन समिति की टिप्पणी			
स्थान:		हस्ताक्षर	
दिनांक:			

III	Records of professional achievements		
	a.	Professional achievements relevant	
IV.	Proceedings, if any, against the director		
	a.	If the director is a member of a professional association/ body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her or whether he/she has been banned from entry of at any profession/occupation at any time.	
	b.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the director and/or against any of the entities listed in II (b) and (c) above for violation of economic laws and regulations	
	c.	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the director	
	d.	Whether the director attracts any of the disqualifications envisaged under Section 274 of the Company's Act 1956?	
	e.	Has the director or any of the entities at II (b) and (c) above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?	
	f.	Has the director at any time been found guilty of violation of rules/regulations/ legislative requirements by customs/ excise /income tax/foreign exchange / other revenue authorities, if so give particulars	
	g.	Whether the director at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDA, DCA. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <i>(Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed / set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal / setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc, and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate / court proceedings are pending, the same also should be mentioned).</i> </div>	
V.	Any other explanation / information in regard to items I to III and Other information considered relevant for judging fit and proper		
	Undertaking		
I confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above. I also undertake to execute the deed of covenant required to be executed by all directors of the bank.			
Place :		Signature of director	
Date :			
VI. Remarks of Nomination Committee of the Bank			
Place :		Signature	
Date :			



पंजाब एण्ड सिंध बैंक,
(भारत सरकार का उपक्रम)

प्र.का.21 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली 110008

घोषणा का प्रारूप (उम्मीदवार द्वारा)

मैं, पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....निवासी.....यह घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि.

- क) मैं दिनांक 30 मई 2014 अर्थात् चुनाव में भाग लेने के लिए अंतिम तिथि, को बैंक केइक्विटी शेयरों का धारक हूँ।
- ख) मैं जिन व्यावहारिक अनुभव की विशेष जानकारी रखता हूँ (i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहभागिता (iv) अर्थव्यवस्था (v) वित्त (vi) विधि (vii) लघु उद्योग, अथवा.....(विशेष जानकारी और व्यवहारिक अनुभव जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिमत है बैंक के लिए उपयोगी होगा) और मैं जमाकर्ता या कृषक, कामगार और कारीगर के हितों का प्रतिनिधित्व नियम की धारा 9 की उप धारा 3 , के अनुसार करता हूँ और साक्ष्य के रूप में मैं संबंधित प्रमाण-पत्र यहां प्रस्तुत कर रहा हूँ
- ग) मैं नामांकन क्रम.....को स्वीकार करता हूँ और
- घ) मैं पंजाब एण्ड सिंध बैंक के निदेशक के चुनाव में भाग लेना चाहता हूँ, और
- ङ) मैं बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) नियम 1980, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 यथा संशोधित और पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर्स एवं बैठक) विनियम 2008 में दिए गए प्रावधान के अंतर्गत बैंक के निदेशक के लिए अयोग्य नहीं हुआ हूँ तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए "फिट एण्ड प्रोपर" मानदण्डों के अनुसार समुचित हूँ देखे परिपत्र संख्या डीबीओडी नं. बीसी नं.46/29.39.001/ 2007.2008, 47/29.39.001/ 2007.08 दोनो दिनांक 01.11.2007 तथा डीबीओडी न.बी.सी.न. 952939001 दिनांक 23.05.11.
- च) मैं किसी भी कार्यालय से लाभ प्राप्त नहीं करता और न ही मैं किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या स्टेट बैंक आफ इण्डिया विधि सम्मत धारा 3 की उप धारा (1) के अंतर्गत स्टेट बैंक आफ इण्डिया नियम 1955, या अन्य किसी सहायक बैंक यथा स्टेट बैंक आफ इण्डिया (सहायक बैंक) नियम, 1959 की धारा 3 में दिए गए नियमों के तहत किसी बैंक का कार्मिक नहीं हूँ।
- छ) निदेशकों के चुनाव के लिए दिए गए दिनांक 19 मई 2014 के नोटिस में दिए गए तथ्यों की पुष्टि करता हूँ।
- ज) मैं घोषित करता हूँ कि मैं आकस्मिक तथ्यों के विषय में बैंक को जितना शीघ्र होगा जानकारी दूंगा, यदि कोई है, जिससे इस घोषणा पर अनुवर्ती कार्रवाई हो सके जो कि यहां दी गई जानकारी से संबंधित हो।



Punjab & Sind Bank

(A Government of India Undertaking)

Head Office: 21-Rajendra Place,
New Delhi-110 008.

Annexure-”A’

FORMAT OF DECLARATION (BY CANDIDATE)

I, _____ son / daughter /wife of Shri _____ a resident of _____ hereby confirm that:

- A) I am a Shareholder holding _____ equity shares of the Bank as on **30th May, 2014** (i.e.), the Cut-Off date for participating in the Election.
- B) *I have special knowledge or practical experience in [**i] agriculture and rural economy, [ii] banking [iii] co-operation [iv] economics [v] finance [vi] law, [vii]small scale industry, or** _____ [special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank] and I represent the interest of the **depositors or farmers, workers and artisans**, in terms of Sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof I submit herewith the relevant testimonial and
- C) I accept the nominations numbering _____ and
- D) I am willing to contest the election for Director of Punjab & Sind Bank, and
- E) I am not disqualified from being a Director of the Bank under the provisions of The Banking Regulation Act 1949, The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1980, Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1980 as amended and Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations 2008 and "Fit and Proper" criteria as laid down by Reserve Bank of India vide Circular No. DBOD. No. BC. No. **46/29.39.001/ 2007-08, 47/29.39.001/ 2007-08**, both dated 01.11.2007 and DBOD. No. BC.No. 95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011.
- F) I neither hold any office of profit nor am I an employee of any nationalized bank or State Bank of India constituted under Sub-Section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act 1955, or any subsidiary bank as defined by Section 3 of the State Bank of India (subsidiary Banks) Act, 1959.
- G) I hereby confirm having gone through the contents of the notice dated 19th May 2014 for election of directors.
- H) I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the deed of covenants upon my election as a director of the Bank.



नाम	
पंजी. पत्रा नं. (यदि अभौतिक नहीं है)	
डीपी आईडी नं. एवं ग्राहक आईडी नं (यदि अभौतिक है)	
स्थान:	
दिनांक	
हस्ताक्षर	
संपर्क नं.	
पता/ई.मेल का पता	

उपर्युक्त घोषणा मेरे समक्ष हस्ताक्षर की गई है

(न्यायधीश/मजिस्ट्रेट/रजिस्ट्रार/सब
रजिस्ट्रार के मुहर सहित हस्ताक्षर
या किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी
या रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया,
पंजाब एण्ड सिंध बैंक या किसी
राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के मुहर
सहित हस्ताक्षर)

मुहर सहित हस्ताक्षर एवं तिथि

*जो लागू न हो उसे काट दें

Name	
Regd. Folio No. [If not dematerialized]	
DP ID No. & Client ID No. [If dematerialized]	
Place	
Date	
Signature	
Contact No.	
Address/email address	

The above declaration was signed before me.

(Signature with seal of the Judge, Magistrate,
Registrar/ Sub-Registrar of Assurances or
any other Gazetted Officer or an Officer of
the Reserve Bank of India, Punjab & Sind Bank
or any Nationalised Bank.)

Signature with seal& Date.

*Delete whichever is not applicable.

बैंक का नाम:

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

निदेशक द्वारा घोषणा एवं वचन

(_____ के अनुसार उपयुक्त अनुलग्नकों सहित)

1.		निदेशक का व्यक्तिगत ब्यौरा	
	क.	पूरा नाम	
	ख.	जन्म तिथि	
	ग.	शैक्षिक योग्यता	
	घ.	संबंधित पृष्ठभूमि तथा अनुभव	
	ङ.	स्थायी पता	
	च.	वर्तमान पता	
	छ.	ई-मेल पता/ टेलिफोन नंबर	
	ज.	आयकर अधिनियम के अंतर्गत पैन न. तथा आयकर सर्कल का नाम व पता	
	झ.	संबंधित जानकारी एवं अनुभव (बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण की धारा 9 (3-ए) अधिनियम 1970,1980	
	ड.	बैंक के निदेशक पद से संबंधित कोई अन्य जानकारी	
II		निदेशक के रिश्तों संबंधी जानकारी	
	क.	बैंक से संबंधित रिश्तेदारों यदि कोई है, की सूची (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 6 तथा अनुसूची 1 ए देखें)	
	ख.	संस्थाओं की सूची यदि कोई है तो जिसमें उसका हित हो (देखें. धारा 299 (3) तथा धारा 300	
	ग.	संस्थाओं की सूची यदि कोई है तो जिसमें उसका पर्याप्त हित हो (बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5 के अंतर्गत दी गई परिभाषा के अनुसार	
	ङ.	बैंक का नाम जिसके बोर्ड में वह सदस्य है (उस कार्यालय की अवधि का पूरा ब्यौरा दें)	
	च.	उनके द्वारा तथा/ अथवा उपर्युक्त II (बी) तथा (सी) में सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा उपयोग की गई फण्ड तथा नॉन फण्ड सुविधाएं यदि कोई है तो	
	छ.	ऐसे मामले जहां निदेशक अथवा उपर्युक्त II (बी) तथा (सी) में सूचीबद्ध संस्थाएं चूककर्ता हैं या बैंक से अथवा किसी अन्य बैंक से ऋण सुविधाओं के मामले में चूककर्ता रही हैं ।	

Annexure-”B”

Name of Bank :		PUNJAB & SIND BANK
Declaration and Undertaking by Director*		
(with enclosures as appropriate as on _____)		
I.	Personal details of director	
a.	Full name	
b.	Date of Birth	
c.	Educational Qualifications	
d.	Relevant Background and Experience	
e.	Permanent Address	
f.	Present Address	
g.	E-mail Address / Telephone Number	
h.	Permanent Account Number under the Income Tax Act and name and address of Income Tax Circle	
i.	Relevant knowledge and experience (Refer Section 9(3-A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980	
j.	Any other information relevant to Directorship of the Bank	
II	Relevant Relationships of director	
a.	List of Relatives if any who are connected with the Bank (Refer Section 6 and Schedule 1A of the Companies Act, 1956)	
b.	List of entities if any in which he/she is considered as being interested (Refer Section 299(3)(a) and Section 300 of the	
c.	List of entities in which he/she is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949 proposed and existing	
d.	Name of Bank in which he/she is or has been a member of the board (giving details of period during which such office was held)	
e.	Fund and non-fund facilities, if any, presently availed of by him/her and/or by entities listed in II (b) and (c) above from the bank	
f.	Cases, if any, where the director or entities listed in II (b) and (c) above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the bank or any other bank.	

III		व्यवसायिक उपलब्धियों का रिकार्ड	
		क. व्यवसायिक उपलब्धियों से संबंधित	
IV		निदेशक के विरुद्ध कोई कार्यवाही	
	क	यदि कोई निदेशक व्यावसायिक संस्था / निकाय का सदस्य है तथा उसके विरुद्ध यदि कोई मामला लंबित है अथवा प्रारम्भ हुआ है या पूर्व में दोषी ठहराया गया हो या किसी व्यावसाय में किसी समय उन्हे प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली हो तो उसकी अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण दें।	
	ख	अभियोग का विवरण, निदेशक तथा /उपरोक्त मद II (ख)(ग) में सूचीबद्ध संस्थाओं के विरुद्ध आर्थिक विधि एवं विनियमनों को भंग करने का कोई मामला लंबित है अथवा प्रारम्भ हुआ है या पूर्व में दोषी ठहराया गया हो।	
	ग	अपराधिक मामलों का ब्यौरा यदि कोई मामला निदेशक के विरुद्ध लंबित है अथवा प्रारम्भ हुआ है या पूर्व में दोषी ठहराया गया हो।	
	घ	क्या निदेशक कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 के अंतर्गत अयोग्य घोषित किया गया है।	
	ङ	क्या निदेशक या उपरोक्त मद II(ख) तथा (ग) का कोई निकाय किसी सरकारी विभाग अथवा एजेंसी की जांच के घेरे में है	
	च	क्या निदेशक को किसी भी समय सीमाशुल्क द्वारा विधायी अपेक्षाओं/आयकर/ विदेशी विनियम/अन्य राजस्व प्राधिकरण के नियमों विनियमनों को भंग करने का दोषी पाया गया है	
	छ	क्या निदेशक को किसी भी समय सेबी,आईआरडीए,डीसीए को कोई प्रतिकूल नोटिस प्राप्त हुआ है।	
V		उपरोक्त मद संख्या I से III के संबंध में कोई अन्य स्पष्टीकरण/सूचना तथा अन्य कोई संबंधित सूचना जो इसे उपयुक्त पाने में सहायक हो।	
		वचन	
		मैं पुष्टि करता हूं कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी के अनुसार पूर्ण एवं सही है। मैं वचन देता हूं कि अपनी नियुक्ति के बाद मैं उपरोक्त प्रस्तुत की गई सूचना से संबंधित किसी भी परिवर्तन को समय रहते बैंक को सूचित करता रहूंगा। मैं यह भी वचन देता हूं कि मैं बैंक के समस्त निदेशकों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अनुबंध विलेख को निष्पादित करूंगा।	
स्थान:		निदेशक के हस्ताक्षर	
दिनांक:			
vi बैंक की नामांकन समिति की टिप्पणी			
स्थान:		हस्ताक्षर	
दिनांक:			

III	Records of professional achievements		
	a.	Professional achievements relevant	
IV.	Proceedings, if any, against the director		
	a.	If the director is a member of a professional association/ body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her or whether he/she has been banned from entry of at any profession/occupation at any time.	
	b.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the director and/or against any of the entities listed in II (b) and (c) above for violation of economic laws and regulations	
	c.	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the director	
	d.	Whether the director attracts any of the disqualifications envisaged under Section 274 of the Company's Act 1956?	
	e.	Has the director or any of the entities at II (b) and (c) above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?	
	f.	Has the director at any time been found guilty of violation of rules/regulations/ legislative requirements by customs/ excise /income tax/foreign exchange / other revenue authorities, if so give particulars	
	g.	Whether the director at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDA, DCA. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <i>(Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed / set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal / setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc, and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate / court proceedings are pending, the same also should be mentioned).</i> </div>	
V.	Any other explanation / information in regard to items I to III and Other information considered relevant for judging fit and proper		
	Undertaking		
I confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above. I also undertake to execute the deed of covenant required to be executed by all directors of the bank.			
Place :		Signature of director	
Date :			
VI. Remarks of Nomination Committee of the Bank			
Place :		Signature	
Date :			

नामांकन फार्म

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यकारी निदेशक
पंजाब एण्ड सिंध बैंक
प्रधान कार्यालय 21-राजेन्द्र प्लेस,
नई दिल्ली -110008
महोदय,

निदेशकों का चुनाव

आपके दिनांक 19.05.2014 के नोटिस के संदर्भ में मैं -----पंजाब एण्ड सिंध बैंक के -----इक्विटी शेयरों रु.10/-प्रति शेयर का धारक हूं दिनांक 30 मई 2014, शुक्रवार चुनाव में भाग लेने के लिए अंतिम तिथि पर एतद् द्वारा श्री/श्रीमती -----पुत्र/पुत्री/पत्नी.....निवासी को दिनांक 30.06.2014 को आयोजित होने वाली शेयरधारकों की चौथी वार्षिक सामान्य बैठक में बैंकिंग कंपनी अधिनियम (एक्विजिशन तथा ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग)की धारा 9(3)(i) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पंजाब एण्ड सिंध बैंक के निदेशक के रूप में मनोनीत करता हूं ।

हस्ताक्षर	
नाम	
शेयर्स की सं.	
रजि. पत्रा नं. (यदि अभौतिक नहीं है)	
डी पी आई डी नं. एवं ग्राहक आई डी. नं.(यदि अभौतिक है)	
स्थान:	
दिनांक	

टिप्पणिया:

- . किसी कॉर्पोरेट निकाय के नामांकन के मामलों में, नामांकन फार्म के साथ निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि जोकि बैठक के अध्यक्ष द्वारा उक्त बैठक में हस्ताक्षरित है जिसमें इसको पारित किया गया, संलग्न की जानी चाहिए।
- . उम्मीदवार को नामित करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर, बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर से मेल करने चाहिए।
- . यदि उपरोक्त मदों को खाली छोड़ दिया जाता है या संबंधित विवरण सही नहीं पाया जाता है तो नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।

महाप्रबंधक / General Managers



श्री जी.एस. सचदेवा
Shri G. S. Sachdeva



श्री एम.जी.श्रीवास्तव
Shri M. C. Ishwariya



श्री जी.एस. जेरी
Shri G. S. Jind



श्री जय.एस.भट्टिया
Shri J. S. Bhalla



श्री हर्ष बिर सिंह
Shri Harshbir Singh



श्री दीपक मही
Shri Deepak Mahal



श्री एस.पी.एस.कोहली
Shri S. P. S. Kohli



श्री आर.सी. नारायण
Shri R. C. Narayan



श्री जी.एस. लोहर
Shri G. S. Lohar



श्री टी.टी. शर्मा
Shri D. D. Sharma



श्री वीरेंद्र लुधा
Shri Vamsraj Ladha



श्री एस.सी.रायान
Shri S. C. Rajan



श्री सार्कि.के. यर्रा
Shri S. K. Yerra



English & Social Science

A Comprehensive Curriculum

For the 21st Century